विकसित होता क्षितिज
सृजनशील विकास

39वीं वार्षिक रिपोर्ट 2007-08

REC
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

“हर क्षितिज
पर पहुंच कर
दिखता है दूर स्थित
नए क्षितिज का प्रकाश”

कंपनी के बारे में सूचना

कारपोरेट कार्यालय

श्री पी. उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

श्री बाल मुकंद
निदेशक (तकनीकी)

श्री अरुण कुमार
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री रमा रमण
कार्यकारी निदेशक
(पारेषण एवं वितरण/
आरआरजीवीवाई/प्रशा./आई.टी)

श्री विनोद बिहारी
कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)

श्री वी.के.अरोड़ा
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री बी.आर. रघुनंदन
महाप्रबंधक (विधि) एवं
कंपनी सचिव

श्री गुलजीत कपूर
महाप्रबंधक (पारेषण एवं
वितरण)

श्री पी.जे. ठक्कर
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री बी.पी. यादव
महाप्रबंधक
(आं.ले.प./आई.टी)

श्री सुबोध गर्ग
महाप्रबंधक(डीडीजी)

श्री डी.एस. आहलूवालिया
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री अशोक अवस्थी
महाप्रबंधक (आईसी एंड डी/सी.
पी/बी.डी/पी एंड सी)

श्री संजीव गर्ग
महाप्रबंधक (जेनरेशन)

श्री सुनील कुमार
महाप्रबंधक (आरजीजीवीवाई)

आंचलिक कार्यालय

दक्षिणी अंचल, हैदराबाद
श्री जे. कल्याण चक्रवर्ती
आंचलिक प्रबंधक

मध्य अंचल, जबलपुर
श्री टी.एस.सी. बोस
आंचलिक प्रबंधक

पश्चिमी अंचल, मुंबई
श्री राकेश अरोड़ा
आंचलिक प्रबंधक

उत्तरी अंचल, पंचकुला
श्री वी.के.शर्मा
आंचलिक प्रबंधक

पूर्वी अंचल, कोलकाता
श्री घोष दस्तीदार
आंचलिक प्रबंधक

पूर्व मध्य अंचल, लखनऊ
श्री के.डी. चौधरी
आंचलिक प्रबंधक

पंजीकृत कार्यालय

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाषः 91 11 24365161,
फैक्स : 91 11 24360644, ई-मेल : reccorp@recl.nic.in, वेबसाइट : www. recindia.nic.in

कंपनी सचिव

बी. आर. रघुनंदन

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
प्लॉट 17 से 24, विट्ठलराव नगर, मधापुर, हैदराबाद-500081 (भारत), दूरभाषः 91 40 23420815-824
फैक्सः 91 40 23420814, ई-मेलः einward.ris@karvy.com, वेबसाइटः www. karvycomputershare.com

शेयर निम्नलिखित में सूचीबद्ध हैं

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

डिपाजिटरी

नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड

सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड

लेखापरीक्षक

जी.एस. माथुर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

बैंकर्स

भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
विजया बैक
देना बैंक
कारपोरेशन बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई बैंक
सिंडिकेट बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
ऐक्सिस बैंक
कोटेक महिन्द्रा बैंक

सहायक कंपनियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

विषय सूची

1. शेयरधारकों को पत्र.....7
2. वार्षिक महासभा की सूचना.....10
3. निदेशकों का विवरण.....16
4. निदेशकों की रिपोर्ट.....18
5. प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट.....30
6. निगमित सुशासन पर रिपोर्ट.....34
7. निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण-पत्र.....42
8. तुलन-पत्र.....43
9. लाभ एवं हानि लेखा.....44
10. अनुसूचियां.....45
11. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां.....59
12. नकदी प्रवाह विवरण.....61
13. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट.....63
14. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट.....66
15. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां.....67
16. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में विवरण.....68
17. सहायक कंपनियां.....69
18. समेकित वित्तीय विवरण.....87

कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य-मुख्य बातें

पिछले 10 वर्षों के दौरान सतत् विकास

विवरण	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01	1999-00	1998-99
संसाधन										
(वर्ष के अंत में) इक्विटी पूंजी (लाख रुपए)	**85866**	78060	78060	78060	78060	78060	78060	73060	68060	68060
उधार (लाख रुपए)										
भारत सरकार से	**8192**	10048	11997	14017	118336	220341	480947	566779	559894	501749
बांड जारी करके	**2408962**	2248372	1675724	1360591	1197511	1049404	671927	372068	277573	209102
भारतीय जीवन बीमा निगम से	**350000**	350000	350000	350000	150000	—	—	—	—	—
विदेशी मुद्रा उधार	**104845**	87209	--	--	--	--	--	--	--	--
अन्य बैंक	**556230**	332471	366200	213200	44000	20000	21000	—	—	—
आरक्षित एवं अधिशेष (निवल)	**450904**	323211	341773	299830	248377	208105	168570	141769	121105	89827
वित्तीय प्रचालन										
(वर्ष के दौरान) (लाख रुपए)										
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**881**	748	661	1523	1322	1060	979	1301	1379	14681
स्वीकृत वित्तीय सहायता	***4676976**	*2862985	*1659689	1631636	1597791	1212534	676394	630809	467820	287873
संवितरण	**1630370**	1373299	800658	788509	601704	660664	472193	410922	305105	220260
उधारकर्ताओं द्वारा वापस-अदायगी	**606987**	403444	350646	468324	358732	471594	266998	216262	155259	111024
वर्ष के अंत में बकाया	**3861483**	3126218	2456368	2106218	1830470	1593565	1418534	1218919	1029368	884231
उपलब्धियां										
विद्युतीकृत गांव										
वर्ष के दौरान	**#38262**	+40233	181	765	122	—	207	581	1996	2502
वर्ष के अंत तक	**394674**	^356412	306010	305829	305064	304942	304942	304735	304154	302158
ऊर्जायित पंपसेट										
वर्ष के दौरान	**181244**	174750	182239	175772	132914	134583	139917	206071	252877	279201
वर्ष के अंत तक	**8921487**	8740243	8565493	8383254	8207482	8074568	7939985	7800068	7593997	7341120
कार्यकारी परिणाम										
(वर्ष के लिए) (लाख रुपए)										
कुल आय	**353766**	285399	224506	230209	199671	205389	166466	141961	129401	113631
कार्मिक एवं प्रशासनिक व्यय	**11112**	6416	5770	4434	4659	5866	4972	3141	2544	2400
उधारों पर ब्याज	**206272**	174089	133913	120475	114220	120274	109879	93216	79189	69372
मूल्यह्रास	**138**	113	110	115	103	104	151	621	623	607
कर-पूर्व लाभ	**131242**	100619	82983	103665	80154	76663	50120	44647	41936	38454
कर के लिए प्रावधान	**45227**	34593	19232	23590	18915	18811	11355	10958	10502	8530
कर-पश्चात लाभ	**86014**	66026	63751	80075	61239	57852	38765	33690	31434	29924
इक्विटी पर लाभांश	**25759**	17700	19126	23450	18300	17400	12000	6700	5000	5000
निवल परिसंपत्ति	**536771**	401271	419833	377890	326437	286165	246630	214829	189165	157887

* आरजीजीवीवाई के अंतर्गत अनुदान को छोड़कर।

\# उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया । इसमें 28961 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

\+ उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया इसमें 11,527 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

^ वर्ष 2005-06 के दौरान, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 10169 गांवों का कार्य (350 विद्युतीकृत गांव में सघन विद्युतीकरण सहित) पूरा किया गया, भी शामिल है।

(करोड़ रुपए)

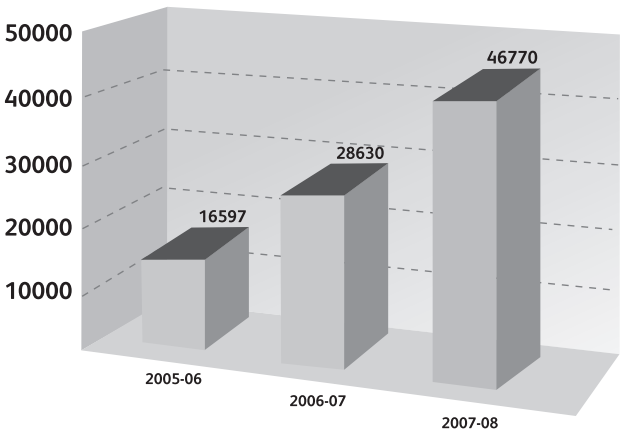

स्वीकृत ऋण

(करोड़ रुपए)

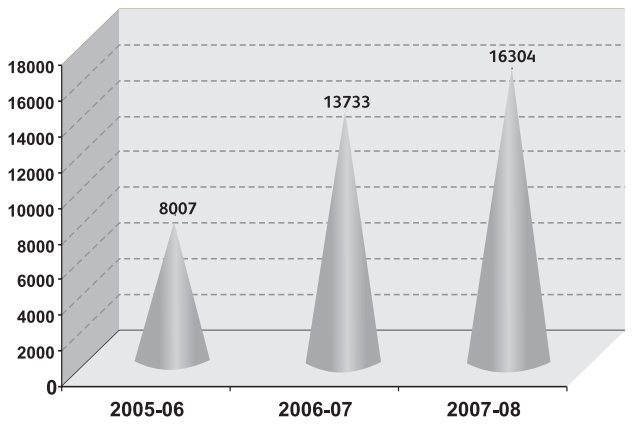

संवितरण

(आंकड़े रुपए में)

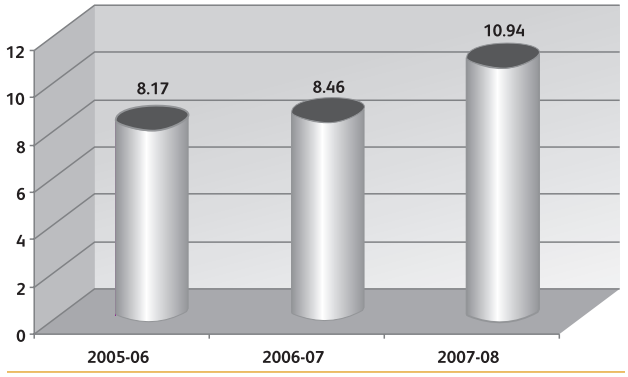

प्रति शेयर आय

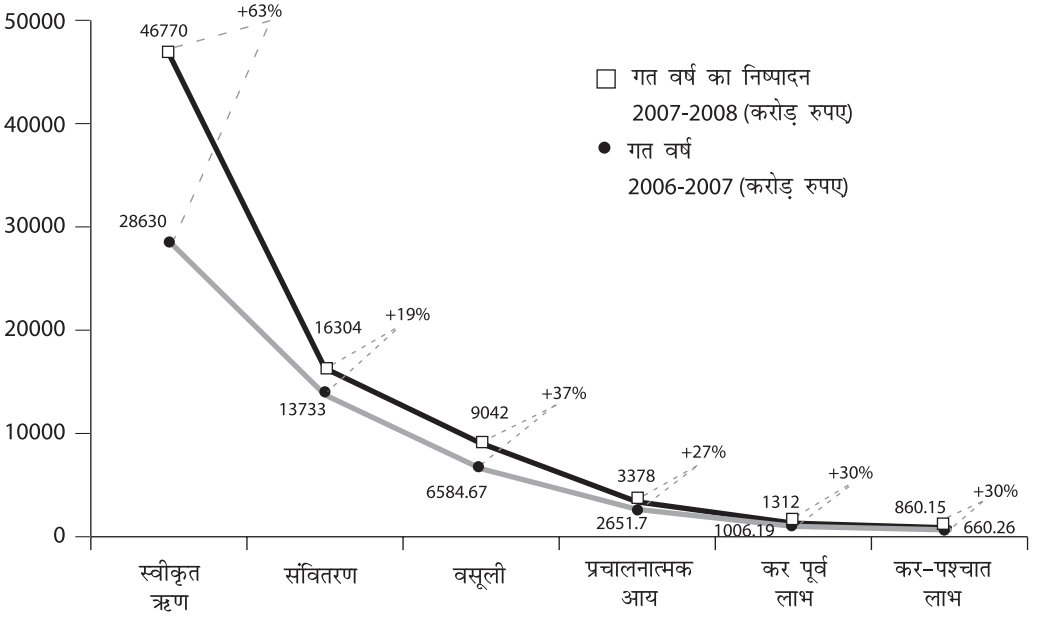

कार्य निष्पादन संबंधी मुख्य-मुख्य बातें

मिशन एवं उद्देश्य

मिशन

- ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन स्तर को उन्नत और बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करना।
- देश भर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरचना, विद्युत पारेषण एवं विद्युत वितरण नेटवर्क को वित्तपोषित एवं प्रोन्नत करने वाली परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक एवं ग्राहकों का ध्यान रखने वाली विकास परक संस्था के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

उपर्युक्त मिशन को आगे बढ़ाते हुए निगम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं :

- समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेन्द्रित एवं ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोतों को बढ़ावा देने, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरण एवं अनुरक्षण, पम्पसेट ऊर्जायन पर बल देते हुए विद्युत वितरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना और वित्तपोषित करना एवं ग्रामीण विद्युत की बुनियादी सुविधाओं और आवास विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन करना।
- दूर-दराज, पहाड़ी, रेगिस्तानी, जनजातीय, तटवर्ती एवं अन्य दुर्गम/दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की विश्वसनीय और बेहतर आपूर्ति के लिए विकेन्द्रित विद्युत उत्पादन, नए एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग, परामर्श सेवाएं, पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण एवं अनुरक्षण और आधुनिकीकरण आदि से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की गतिविधियों का विस्तार करना और उनमें विविधता लाना।
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य बिजली बोर्डों, विद्युत यूटिलिटयों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करना।
- निगम के प्रचालनों हेतु आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिलाभ की अधिकाधिक दर प्राप्त करना, साथ ही निम्नलिखित जैसे निगमित लक्ष्य पूरे करना :
  - (I) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाएं स्थापित करना;
  - (II) बिजली की मांग का विकास;
  - (III) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास; और
  - (IV) प्रौद्योगिकी उन्नयन।
- प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं देते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास और आत्म सम्मान के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और हितों की रक्षा सुनिश्चित करना।
- आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटीलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।

शेयरधारकों को पत्र

देवियो और सज्जनो,

मैं कंपनी की उनतालीसवीं वार्षिक महासभा के अवसर पर सभी शेयरधारकों का हार्दिक स्वागत करता हूं।

आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ)

वित्तीय वर्ष 2007-08 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों की अपनी प्रथम सार्वजनिक पेशकश की, जिसमें कंपनी द्वारा 7,80,60,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा समान संख्या में इतने ही शेयरों की बिक्री हेतु पेशकश शामिल थी। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के प्रति अनुक्रिया संवृत्ति मूलक रही तथा यह लगभग 27 गुणा अधिक अभिदत्त रहा। आरईसी ने अपने विस्तारकारी निधियन प्रचालनों को पूरा करने के लिए आईपीओ के माध्यम से 819.63 करोड़ रुपए की कुल राशि जुटाई। भारत के राष्ट्रपति सहित शेयरधारकों की कुल संख्या, जो आईपीओ से पूर्व केवल 8 थी, बढ़कर आईपीओ के पश्चात 5,05,267 हो गई तथा भारत सरकार की शेयरधारिता 100% से घटकर 81.82% रह गई है। शेष 18.18% शेयरधारिता जनता द्वारा धारित है। आईपीओ की प्रक्रिया में अपनी कंपनी के अनेक कर्मचारी भी कंपनी के शेयरों में अभिदान द्वारा गौरवान्वित मालिक बन गए हैं। कंपनी को 12 मार्च, 2008 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किया गया।

आईपीओ के प्रति ऐसी उत्साहवर्धक अनुक्रिया आपके अनवरत सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकती थी तथा मैं कंपनी के निरंतर संवृद्धि रिकार्ड, लाभकारिकता तथा सशक्त आधारभूत तत्वों को मान्य करने में तथा इसकी भावी संवृद्धि संभाव्यता में भी विश्वास व्यक्त करने में, विशेषकर ऐसे समय में जब पूंजी बाजार एक संवेदी तथा अस्थिर चरण से गुजर रहा था, अर्हकता प्राप्त सांस्थानिक क्रेताओं तथा उच्च निवल मूल्य व्यष्टियों सहित समस्त जागरूक निवेशक समुदाय के प्रति कंपनी का आभार व्यक्त करता हूं। आपकी कंपनी अब एक वैश्विक प्रतिभागी बन गई है, जिसके भारत तथा विदेशों में भारी संख्या में निवेशक हैं।

नवरत्न का दर्जा

आपकी कंपनी को मई 2008 में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुई, जब इसे भारत सरकार द्वारा "नवरत्न" का दर्जा प्रदान किया गया। यह किसी भी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के लिए उच्चतम मान्यता है तथा देश में केवल कुछेक चुनिंदा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को ही यह सम्मानित दर्जा प्राप्त है।

विगत में आरईसी

मैंने आईपीओ प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के तत्काल पश्चात आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पहली मार्च, 2008 को कार्यभार ग्रहण किया। ऐसे समय में आपकी कंपनी का संचालन करना अत्यंत गौरव तथा सम्मान का विषय है, जब इसने अपने आरंभण से 39 वर्ष की अपनी ऐतिहासिक तथा घटनापूर्ण यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्धित कृषि उत्पादन के लिए आयोजित कार्यक्रमों के समग्र संदर्भ में ग्रामीण विद्युतीकरण की गति को त्वरित करने के लिए देश में मुख्यतया ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के वित्तपोषण हेतु जुलाई, 1969 में स्थापित आपकी कंपनी ने किसी प्रादेशिक या अन्य प्रतिबंधों के बिना उत्पादन, पारेषण तथा वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के अपने अधिदेश का विस्तार करके काफी प्रगति की है। कंपनी ने 31 मार्च, 2008 तक संचयी रूप से 1,79,526 करोड़ रुपए संस्वीकृत करके तथा 75243 करोड़ रुपए संवितरित करके विगत वर्षों में कई गुणा वृद्धि दर्ज की है। मैं महसूस कर सकता हूं तथा अनुमान लगा सकता हूं कि यह अद्भुत उपलब्धि हासिल करने में कितने प्रयास किए गए होंगे तथा कितनी ऊर्जा लगी होगी। यह न केवल भारत सरकार के लिए बल्कि मेरे अनेक पूर्व पदाधिकारियों के लिए भी, जिन्होंने इन वर्षों में कंपनी के कर्मचारियों के सतत् सहयोग के साथ अत्यधिक संकल्पना तथा मिशनरी उत्साह के साथ कंपनी का संचालन किया तथा इसके सभी हितधारकों के लिए अत्यंत संतोष का विषय होना चाहिए।

क्षेत्रक दृष्टिकोण

बृहत् स्तर पर अर्थव्यवस्था में लगभग 9 प्रतिशत की सतत् वृद्धि हुई है तथा आने वाले वर्षों में भी समरूप वृद्धि होने की आशा है। ग्यारहवीं योजना अवधि में आयोजित 78,577 मेगावाट के भारी उत्पादन क्षमतावर्धन से विद्युत क्षेत्र में भारी संवृद्धि हुई है। सदृश पारेषण एवं वितरण क्षमताओं को भी जोड़ा जाना है। इसका अर्थ है कि 10,316 अरब रूपए से अधिक के व्यापक वित्तपोषण की आवश्यकता होगी। इसमें से, आरईसी की योजना लगभग 1,000 अरब रुपए उधार देने की है तथा इसने स्वयं को इस मात्रा में ऋण देने के लिए तैयार कर लिया है, जिसमें भारी मात्रा में कार्य तथा चुनौतियां निहित हैं। आपकी कंपनी को आशा है कि मुद्रास्फीतिकारी दबावों, बढ़ती ब्याज दरों तथा नकदी बाधाओं के कारण तत्काल चुनौतियों के बावजूद विद्युत क्षेत्र का विकास जारी रहेगा।

आरईसी की विस्तारशील भूमिका

आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तनों के चुनौतीपूर्ण होते हुए भी आपकी कंपनी द्वारा अपनी विगत कार्यनीतियों का जायजा लेने तथा उनकी समीक्षा करने तथा यथावश्यक समुचित परिवर्तन करने के अवसरों के रूप में भी देखा जाता है। आपकी कंपनी ने पूर्णतया स्वामित्वाधीन कंपनियां बनाकर अपने व्यवसाय का विविधीकरण करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं, जो पारेषण तथा वितरण क्षेत्रों में उभरने वाले वृद्धि अवसरों का अन्वेषण तथा उनमें प्रतिभागिता करेंगी। आरईसी विशेषतया ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण योजनाओं का निरूपण तथा वित्तपोषण करने में विगत वर्षों में अर्जित अपने समृद्ध तथा विशेषज्ञता अनुभव का लाभ उठाने तथा कम लागत वाले उपाय लागू करके तथा एटी एवं सी हानियों को नियंत्रित करके देश भर में वैकल्पिक एवं स्वतः निर्वहनीय वितरण मॉडलों का सृजन करने में अपेक्षित भारी साहचर्य तथा अवसंरचना की सहभागिता करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य करने में दोहरे लक्ष्य के साथ सरकारी निजी भागीदारी के जरिए संयुक्त उद्यम मार्ग का अन्वेषण भी कर रही है।

आरजीजीवीवाई

एक अन्य चुनौती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) है, जिसे भारत सरकार ने पांच वर्ष में सभी आवासों को बिजली की पहुंच उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अप्रैल, 2005 में शुरू किया था। आरजीजीवीवाई कार्यक्रम का लक्ष्य 1.15 लाख अविद्युतीकृत

ग्रामों का विद्युतीकरण करना तथा गरीबी रेखा से नीचे 2.34 करोड़ ग्रामीण घरों को निःशुल्क कनेक्शन प्रदान करना हैं। आरईसी इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की देखरेख करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अभिकरण है, इस कार्यक्रम में कार्यक्रम के 90% का निधियन सरकार द्वारा अनुदान के रूप में किया जाता हैं तथा शेष 10 प्रतिशत की व्यवस्था आरईसी द्वारा ऋण के रूप में की जाती है।

कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य-मुख्य बातें

यह नोट करना उत्साहवर्धक है कि समीक्षाधीन वर्ष 2007-08 के दौरान आपकी कंपनी ने सभी प्रमुख प्रचालनात्मक मापदंडों में अब तक का सर्वाधिक रिकार्ड कायम करके सशक्त कार्यनिष्पादन दर्ज किया है। स्वीकृत ऋणों की राशि विगत वर्ष में 28,630 करोड़ रुपए से बढ़कर इस वर्ष 46,770 करोड़ रुपए हो गई, जो विगत वर्ष की तुलना में 63% की वृद्धि है, इसमें आरजीजीवीवाई के तहत अनुदान शामिल नहीं हैं। संवितरणों की राशि 19% बढ़कर 13,733 करोड़ रुपए की तुलना में 16,304 करोड़ रुपए हो गई, जिसमें आरजीजीवीवाई के तहत अनुदान शामिल थे। वसूलियां 37% बढ़कर 6585 करोड़ रुपए की तुलना में 9042 करोड़ रुपए हो गईं। प्रचालनात्मक आय में 27% की वृद्धि हुई तथा यह 2652 करोड़ रुपए से बढ़कर 3378 करोड़ रुपए हो गई। कर-पूर्व लाभ 30% बढ़कर 1006.19 करोड़ रुपए की तुलना में 1312.42 करोड़ रुपए हो गया। इसी प्रकार, कर- पश्चात लाभ भी 30% की वृद्धि के साथ 660.26 करोड़ रुपए से बढ़कर 860.15 करोड़ रुपए हो गया।

लाभांश

सांविधिक आरक्षित राशि में आवश्यक विनियोजन करने के पश्चात, आपके निदेशकों ने 30% की दर से (अर्थात 10 रुपए प्रत्येक के प्रति इक्विटी शेयर पर 3 रुपए) लाभांश के भुगतान की अनुशंसा की है, जिसके परिणामस्वरूप विगत वर्ष में 177 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2007-08 में लाभांश भुगतान की कुल राशि 257.59 करोड़ रुपए है।

संसाधन संग्रहण

शेयरों के सार्वजनिक निर्गम से 819.63 करोड़ रुपए जुटाने के अतिरिक्त, कंपनी ने अपने निधियन प्रचालनों को पूरा करने के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान बाजार से 8,377.23 करोड़ रुपए की राशि जुटाई। इसमें पूंजीगत लाभ छूट कर बांडों के द्वारा 3402.74 करोड़ रुपए तथा क्रेडिस्टेट फर वीडरॉफबू (केएफडब्ल्यू), जर्मनी तथा जापान बैंक फॉर इंटनेशनल को-आपरेशन (जेबीआईसी) से शासकीय विकास सहायता के रूप में 178.19 करोड़ रुपए शामिल हैं। आरईसी की घरेलू ऋण लिखतों को श्रेणी निर्धारक अभिकरणों नामतः क्रिसिल, केयर, फिच तथा आईसीआरए से "एएए" श्रेणी निर्धारण मिलना जारी रहा। आरईसी को मूडी तथा फिच जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट श्रेणी निर्धारण अभिकरणों से भारत के संप्रभुता श्रेणी निर्धारण के समतुल्य अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट श्रेणी निर्धारण भी प्राप्त है। वर्ष 2007-08 से चूंकि आपकी कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के तहत पूंजीगत लाभ कर छूट बांडों के जरिए धन जुटाने के लिए अर्हक रही, इससे कंपनी को उधार लेने की लागत तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर पर रखने तथा प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण निधियन करने में सहायता मिली।

पारेषण एवं वितरण का वित्तपोषण

वित्तपोषण के पारम्परिक क्षेत्रों में, आरईसी ने हालिया वर्षों में नई अवसंरचना का सृजन करने तथा विद्युत पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों में सुधार लाने में अपनी अंतर्ग्रस्तता के स्तर को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, प्रणाली सुधार पोर्टफोलियो के अंतर्गत विद्युत संगठनों को ऋण सहायता से देश में पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा उन्हें सुधारने, एटी एवं सी हानियों को कम करने, वोल्टेज प्रोफाइल को सुधारने तथा वितरण ट्रांसफार्मरों की विफलता के मामलों की संख्या कम करने में सहायता मिली है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की बेहतर विश्वसनीयता तथा गुणता प्राप्त हुई है। कंपनी की बल्क वित्तपोषण योजनाओं ने सरकार द्वारा निर्धारित 100% मीटरीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर मीटरों की संस्थापना/प्रतिस्थापन करने में विद्युत संगठनों को समर्थ बनाया है। इस प्रकार आप की कंपनी (क) वर्ष 2012 तक सभी के लिए विद्युत की व्यवस्था करने, (ख) एटी एवं सी हानियों को कम करने, (ग) पारेषण नेटवर्क का विस्तार करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने, एवं (घ) वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के देश के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने विभिन्न ऋण पोर्टफोलियो के अंतर्गत राज्य विद्युत संगठनों के साथ पूर्ण सहयोग कर रही है।

विद्युत उत्पादन का वित्तपोषण

वर्ष 2002 से, आरईसी ने नई उत्पादन क्षमता के सृजन के लिए उत्पादन परियोजना के निधियन में विविधीकरण किया है। वर्तमान में, आरईसी सरकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में ताप ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं, जल ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के साथ-साथ नवीनीकरण, आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार योजनाओं का वित्तपोषण करती है। वर्ष 2007-08 के अंत तक संचयी रूप से, आपकी कंपनी ने 6000 मेगावाट के कुल क्षमतावर्धन के लिए 8,102 करोड़ रुपए के कुल ऋण परिव्यय से 23 जल विद्युत परियोजनाओं, 22559 मेगावाट के कुल क्षमतावर्धन के लिए 47,894 करोड़ रुपए के कुल ऋण परिव्यय से 50 ताप विद्युत परियोजनाएं तथा 1269 करोड़ रुपए के कुल ऋण परिव्यय से 26 आर एवं एम परियोजनाएं संस्वीकृत की हैं। कंपनी ने वर्ष 2007-08 के अंत तक संचयी रूप से 57,265 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए है, जिनमें 28,559 मेगावाट विद्युत का क्षमतावर्धन शामिल हैं।

पारेषण संबंधी सहायक कंपनी

वर्ष 2006-07 में, भारत सरकार ने एक योजना आरंभ की, जिसमें प्रमुख पारेषण परियोजनाओं में निजी क्षेत्रक निवेश आमंत्रित करना शामिल था। इस योजना में "निर्माण, स्वामित्व एवं प्रचालन" पर आधार निजी विकासकर्ताओं का अंततः पारेषण सेवा प्रदायक बनना निहित था। इस योजना के अंतर्गत, पता लगाई गई 14 परियोजनाओं में से आरईसी की एक सहायक कंपनी को 2 परियोजनाओं अर्थात नार्थ कर्णपुरा पारेषण प्रणाली तथा तालचर वर्धन पारेषण प्रणाली के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया। आरईसी ने इस प्रयोजनार्थ "आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड" के नाम से एक पृथक सहायक कंपनी स्थापित की। आगे इस कंपनी ने दो परियोजना विशिष्ट सहायक कंपनियां स्थापित की हैं।

संवितरण संबधी सहायक कंपनी

आरईसी ने "आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड" के नाम से एक अन्य सहायक कंपनी की स्थापना भी की है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य 66 केवी तथा इससे कम की वोल्टेज श्रेणी बिजलीकरण/वितरण बिजली आपूर्ति लाईन वितरण प्रणाली का संवर्धन करना, विकास करना, निर्माण करना, स्वामित्व लेने, प्रचालन करना, वितरण करना तथा अनुरक्षण करना एवं विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन एवं संबद्ध वितरण प्रणाली का प्रबंधन करना है तथा साथ ही अन्य अभिकरणों एवं सरकारी निकायों को उक्त क्षेत्रों में परामर्शी सेवाओं की पेशकश करना है। इस कंपनी का लक्ष्य विद्युत क्षेत्र की उभरती आवश्यकताओं तथा मांगों का पूंजीकरण करना तथा व्यवसाय क्रियाकलापों का विविधीकरण करना है। यद्यपि, इस सहायक कंपनी का निगमन हाल ही में 12 जुलाई, 2007 को किया गया है, इसने पहले ही जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से कुछेक प्रमुख उच्च मूल्य संविदाएं हासिल कर ली हैं, जिनमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत टर्नकी आधार पर प्रदत्त ग्राम विद्युतीकरण कार्य की गुणवत्ता

मानिटरिंग, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण एवं पीएसईबी को प्रशुल्क आधारित बोली के 10% पर 1800 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से विकासकर्ताओं के चयन के लिए परामर्शी सेवाएं शामिल हैं। प्रचालन के पहले ही वर्ष में, इस कंपनी ने अपने प्रचालनों से 1.78 करोड़ रुपए का कर-पश्च लाभ दर्ज किया है।

विवेकपूर्ण मानदंड तथा उधार देने की नीति

आपकी कंपनी अन्य समरूप संगठनों के समतुल्य विवेकपूर्ण प्रबंधन एवं उधार देने की पद्धतियों में विश्वास रखती है। यद्यपि, एक सरकारी स्वमित्वाधीन गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते आरईसी को अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है, आपकी कंपनी ने अपने स्वयं के विवेकपूर्ण मानदंडों का निरूपण किया है तथा उन्हें अपनाया है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति भी है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अतिशेष निधियों का आस्ति देयता प्रबंधन, व्युत्पाद तथा निवेश शामिल हैं। जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया है, आपकी कंपनी ने कंपनी द्वारा उचित उधार देने की उचित पद्धतियों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक उचित पद्धति संहिता का निरूप्ण भी किया है, जिसमें शिकायत निवारण तंत्र भी शामिल है।

निगमित सुशासन

एक सूचीबद्ध कंपनी के रूप में, आरईसी सूचीकरण करार में यथा निर्धारित निगमित अभिशासन की सभी अपेक्षाओं के साथ-साथ लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित प्रावधानों का अनुपालन करती है।

विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता-ज्ञापन के संदर्भ में आपकी कंपनी के निष्पादन को वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए निरंतर 14वें वर्ष "उत्कृष्ट" का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2007-08 के लिए भी कंपनी ने स्वीकृतियों तथा संवितरणों में नई उपलब्धियां हासिल की है तथा यह पुनः "उत्कृष्ट" श्रेणी निर्धारण पाने की स्थिति में है।

ईआरपी

आरईसी ने कार्यात्मक प्रक्रियाओं की दक्षता तथा प्रभावनात्मकता को बढ़ाने तथा कंपनी के विभिन्न कार्यालयों से आंकड़ों के अबाध प्रवाह के साथ एक मजबूत एमआईएस प्रणाली का सृजन करने एवं सभी स्तरों पर प्रबंधन सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक कंपनीव्यापी ईआरपी आधारित एकीकृत सूचना प्रणाली का क्रियान्वयन आरंभ किया है। ईआरपी प्रणाली अग्रिम चरण पर पहुंच गई है और इसके वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान प्रचालनात्मक हो जाने की आशा है। आरईसी ने कारपोरेट कार्यालय में छः प्रमुख प्रभागों में तथा देश के नौ परियोजना कार्यालयों में आईएसओ-9001 : 2000 मानकों के अनुसार गुणत्ता प्रबंधन प्रणालियों को भी क्रियान्वित किया है।

निगमित सामाजिक दायित्व

संपोषणीय विकास के लिए एक सामरिक साधन के रूप में निगमित सामाजिक दायित्व की संकल्पना राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो गई है। आपकी कंपनी ने हाल ही में सीएसआर संबंधी एक नीति का निरूपण किया है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट बजट प्रावधान आवंटित किया है। कंपनी उन विशिष्ट क्षेत्रों/परियोजनाओं का पता लगाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगी, जहां सीएसआर परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का व्यय किया जा सकता है।

साम्प्रदायिक सद्भाव हेतु राष्ट्रीय फाउंडेशन (एनएफसीएच), जो भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, देश में साम्प्रदायिक सद्भाव तथा राष्ट्रीय एकीकरण और भ्रातृत्व को अभिप्रेरित करने के लिए क्रियाकलापों का संवर्धन करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में लगा हुआ है। एनएफसीएच द्वारा हाथ में लिए गए कार्य तथा इसके राष्ट्रीय दर्जे को देखते हुए आपकी कंपनी ने निगमित सामाजिक दायित्व के भाग के रूप में वर्ष 2007-08 के दौरान 10 लाख रुपए की राशि का योगदान दिया है।

भावी मार्ग

विद्युत क्षेत्र भारत की अवसंरचना के विकास में भाग वालों के लिए एक बडे क्षेत्र के रूप में अवसर देना जारी रखेगा। विद्युत तथा संबद्ध पारेषण और वितरण प्रणालियों की मांग उससे कहीं अधिक होने की संभावना है, जो अधिकांश वर्तमान अनुमान दर्शाते हैं। संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कई पारम्परिक तथा गैर-पारम्परिक अवसर उपलब्ध होंगे। इस क्षेत्र में विजेता होने के लिए यह अपेक्षित होगा कि आविर्भावी अवसरों के अनुरूप व्यवसाय मॉडल तैयार किए जाएं। इस दिशा में हमारे प्रयास न केवल हमारे एक अरब से अधिक देशवासियों की सुस्वस्थता में योगदान देंगे, बल्कि इस प्रक्रिया में आपकी कंपनी के लिए विश्व की एक सर्वाधिक बड़ी वित्तपोषण कंपनी बनने के लिए मार्ग भी प्रशस्त करेंगे, जिससे उन निवेशकों के लिए मूल्यवर्धन होगा जिन्होंने हम पर अत्यधिक विश्वास किया है।

आभार

मैं माननीय विद्युत मंत्री, माननीय विद्युत राज्य मंत्री, सचिव (विद्युत), संयुक्त सचिव (ग्रामीण विद्युतीकरण) तथा विद्युत मंत्रालय में अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, योजना आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों से कंपनी के लिए प्राप्त उनके अपार सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए अत्यधिक आभारी हूं, जो उन्होंने कंपनी का सहज प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया। मैं इस अवसर पर अपने पूर्वाधिकारी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने वर्ष 2007-08 की अधिकांश अवधि के दौरान कंपनी का संचालन किया तथा साथ ही बोर्ड के अपने सार्थियों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कंपनी का सर्वतोमुखी उत्कृष्ट निष्पादन समर्थकारी बनाया।

वर्षानुवर्ष कंपनी के सतत् उत्कृष्ट उत्पाद, आईपीओ की अद्भुत सफलता, भारत सरकार द्वारा आपकी कंपनी को नवरत्न का दर्जा देना -- यह सभी उपलब्धियां सभी स्तरों पर आरईसी के संपूर्ण परिवार द्वारा कठोर परिश्रम, समर्पण तथा प्रतिबद्धता के प्रमाण है, जिनका मैं विशिष्ट उल्लेख करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं।

मैं कंपनी के सभी अन्य हितधारकों को भी उनके बहुमूल्य सहयोग तथा सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं।

शुभकामनाओं सहित

(पी. उमा शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की उनतालीसवीं वार्षिक महासभा बुधवार, 24 सितम्बर, 2008 को प्रातः 10.00 बजे एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली-110010 में निम्न कारबार का निष्पादन करने के लिए आयोजित की जाएगी :-

साधारण कार्य

1) 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षित तुलनपत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा तथा उस पर निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना।

2) वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए लाभांश की घोषणा करना ।

3) श्री बाल मुकंद, निदेशक के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करने के लिए जो क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे तथा पात्र होने पर अपनी पुनःनियुक्ति हेतु पेशकश करते हैं।

4) श्री देवेन्द्र सिंह, निदेशक के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करने के लिए जो क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे तथा पात्र होने पर अपनी पुनःनियुक्ति हेतु पेशकश करते हैं।

विशेष कार्य

5) निम्न संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन (नों) के साथ या उनके बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"**संकल्प** किया जाता है कि कंपनी के कार्य के प्रयोजनार्थ उधार लेने के लिए सीमा को 45,000 करोड़ रुपए (पैंतालीस हजार करोड़ रुपए मात्र) से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए (साठ हजार करोड़ रुपए मात्र) तक करने और धन उधार लेने हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(घ) के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी की सहमति प्रदान की जाए तथा एतद्द्वारा प्रदान की जाती है, चाहे कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई राशि (कार्य के साधारण क्रम में कंपनी के बैंककारों से प्राप्त अस्थायी ऋणों को छोड़कर) सहित उधार ली जाने वाली धनराशि कंपनी की प्रदत्त पूंजी तथा इसकी मुक्त प्रारक्षित राशि के सकल से अधिक हो जाए।"

6) निम्न संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन (नों) के साथ या उनके बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"**संकल्प** किया जाता है कि कंपनी के कारबार के प्रयोजनार्थ 60,000 करोड़ रुपए (साठ हजार करोड़ रुपए मात्र) की कुल राशि तक के ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनी की समस्त या कोई अचल तथा/अथवा चल संपत्ति, वर्तमान तथा भावी दोनों, अथवा कंपनी के पूर्ण अथवा अधिकांशतः उपक्रम या उपक्रमों को बंधक रखने तथा/अथवा उनपर प्रभार सृजित करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 293(1) (क) के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी की सहमति प्रदान की जाए तथा एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।"

7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा (17)(1)(घ) के अनुसार निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन (नों) के साथ या उनके बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः-

"**संकल्प** किया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा (17)(1)(घ) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, कंपनी के संस्था ज्ञापन के मौजूदा उद्देश्य खंड को संस्था ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य खण्ड III (क) के नीचे उपखंड (9) के बाद निम्नलिखित नए उप खंड (10) को शमिल करते हुए द्वारा एतद्द्वारा संशोधित किया जाता हैः-

(10) विद्युत परियोजनाओं के साथ अग्रगामी और/अथवा पश्चगामी संपर्क वाले उन कार्यकलापों के लिए वित्तपोषण और सहायता प्रदान करने हेतु (शामिल, लेकिन सीमित नहीं) जैसी विद्युत परियोजनाओं में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए कोयला एवं अन्य खनन कार्यकलापों का विकास करना विद्युत क्षेत्र के लिए अन्य ईंधन आपूर्ति प्रबंधों का विकास करना और ढाँचागत अन्य सुविधाएं पूरी करना, जोकि विद्युत क्षेत्र के तीव्र एवं प्रभावी विकास के लिए आवश्यक हों।"

निदेशक मंडल के आदेश से

बी. आर. रघुनंदन

(बी.आर.रघुनंदन)
महाप्रबंधक (विधि) एवं कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालयः
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांकः 11 अगस्त, 2008

टिप्पणियां

1. **बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए पात्र सदस्य अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए पात्र है तथा ऐसा प्रतिनिधि कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रभावी होने के लिए प्रतिनिधि प्रपत्र वार्षिक महासभा आरंभ होने से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक है। रिक्त प्रतिनिधि प्रपत्र संलग्न है।**

2. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 173 के अनुसरण में बैठक में निष्पादित किए जाने वाले विशेष कार्य से जुड़ा एक स्पष्टकारी विवरण इसके साथ संलग्न है।

3. जैसाकि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्धता करार के खंड 49 द्वारा अपेक्षित है, क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे तथा नोटिस की मद सं० 3 तथा 4 के अंतर्गत कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार पुनः नियुक्ति के लिए प्रयास कर रहे निदेशक श्री बाल मुकंद तथा श्री देवेन्द्र सिंह के संगत ब्यौरे संलग्न हैं। भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार श्री बाल मुकंद का कार्यकाल 30.11.2008 तक है तथा श्री देवेन्द्र सिंह, का कार्यकाल भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय से आगामी आदेश प्राप्त होने तक है।

4. **सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण बहियां 10 सितम्बर, 2008 से 24 सितम्बर, 2008 (दोनों दिन समावेशित) तक बंद रहेंगी। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 206क के प्रावधानों के अध्याधीन, निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित, इक्विटी शेयरों पर लाभांश यदि आम वार्षिक बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, सदस्यों को अथवा उनके अधिदेशितों को, जिनके नाम वास्तविक शेयरों के संबंध में 24 सितम्बर, 2008 को कंपनी के सदस्य रजिस्टर में विद्यमान हैं, 30 सितम्बर, 2008 को या उसके पश्चात अदा किया जाएगा। अभौतिकीकृत शेयरों के संबंध में, लाभांश शेयरों के "लाभानुभोगी स्वामियों" को संदेय होगा, जिनके नाम 9 सितम्बर, 2008 को कारबर समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लाभानुभोगी स्वामित्व विवरण में विद्यमान हैं।**

5. कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा में उनकी ओर से भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प/मुख्तारनामें की एक विधिवत प्रमाणित प्रति भेज दें।

6. **सदस्यों से अनुरोध है कि :**

   क. वे यह नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक महासभा में वितरित नहीं की जाएंगी तथा उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की अपनी स्वयं की प्रतियां लानी होंगी।

   ख. वे बैठक स्थल के प्रवेश पर विधिवत पूर्ण तथा हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची प्रस्तुत करें, क्योंकि ऑडिटोरियम में प्रविष्टि पूर्णतया स्थल काउंटरों पर उपलब्ध प्रवेश पर्ची के आधार पर होगी, जिसे उपस्थिति पर्ची के बदले दिया जाएगा।

   ग. वे समस्त पत्राचार में अपना फोलियो/क्लायंट आईडी तथा डीपी आईडी संख्या उद्धृत करें।

   घ. वे यह नोट करें कि सुरक्षा कारणों से ब्रीफ केस, खाने के सामान तथा अन्य सामान को ऑडिटोरियम के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

   ङ. वे यह नोट करें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

7. सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) अधिदेश प्रस्तुत करें, ताकि कंपनी ईसीएस के माध्यम से प्रेषण कर सके। भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले धारक कंपनी के पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट अर्थात प्लॉट सं० 17-24, विट्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद-500 081, भारत में कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड से ईसीएस अधिदेश प्रपत्र प्राप्त करके उन्हें भेज सकते हैं। इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर धारण करने वाले धारक अपने ईसीएस अधिदेश प्रपत्र डिपाजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से प्राप्त करके सीधे उन्हें भेजेंगे। जिन्होंने पहले ही पूर्ण विवरणों के साथ कंपनी/रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट (डीपी) को ईसीएस अधिदेश प्रपत्र प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें इसे पुनः भेजने की आवश्यकता नहीं है।

   शेयरधारक जो ईसीएस सुविधा का विकल्प नहीं चुनना चाहते वे अपने बैंक का नाम, शाखा का पता तथा खाता संख्या कार्वी कंप्यूटर-शेयर प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को भेज दें ताकि ये विवरण उनके लाभांश वारंट पर प्रिंट कराए जा सकें।

8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, उप-विभाजन, समेकन के पंजीकरण से संबंधित या किसी अन्य शेयर संबंधित मामले से जुड़े तथा/अथवा पते एवं बैंक खाते में परिवर्तन संबंधी समस्त पत्राचार कर्वे कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को भेजें।

9. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के साथ पठित धारा 205क के अनुसरण में उन लाभांश राशियों को, जो सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त/अदावित रहती हैं, केन्द्र सरकार की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। ऐसे अंतरण के पश्चात, सदस्यों का उक्त राशि पर किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं रहेगा। अतः सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लाभांश वारंट तुरंत भुना लें।

10. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसरण में, सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त या पुनः नियुक्त किया जाएगा तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224(8)(कक) के अनुसार उनका पारिश्रमिक (वेतन) कंपनी द्वारा आम बैठक में अथवा ऐसे तरीके से नियत किया जाएगा, जो कंपनी आम बैठक में निर्णय करे। इसी के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स जी. एस. माथुर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को वर्ष 2007-08 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था। 27 सितम्बर, 2007 को आयोजित 38वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों ने सांविधिक लेखापरीक्षकों को अनंतिम रूप से 7,82,000 रुपए का पारिश्रमिक जमा सेवा कर का भुगतान नियत किया, जैसाकि निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसा की गई थी तथा निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया कि वह लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात वर्ष 2007-08 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का अंतिम पारिश्रमिक (वेतन) नियत करें। तदनुसार, 26 मई, 2008 को आयोजित अपनी 337वीं बैठक में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को संदेय लेखापरीक्षा शुल्क बढ़ाकर 9,38,000/- रुपए यथा प्रयोज्य सेवा कर किया।

    इसके अतिरिक्त, कंपनी के सदस्यों ने 27 सितम्बर, 2007 को आयोजित उक्त वार्षिक महासभा में यह संकल्प भी किया कि निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाए तथा उन्हें एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे वर्ष 2008-09 से वर्षानुवर्ष आधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों का शुल्क नियत करें, जब भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(8)(कक) के अनुखंड में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अधिसूचित की जाती है।

11. वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक सूचीबद्वता शुल्क उन स्टॉक एक्सचेंजों को अदा कर दिया गया है, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

12. कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 109क के अंतर्गत यथा अनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम तथा प्रपत्र, 1956 में यथा निर्धारित प्रपत्र 2ख में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को लिखें। अभौतिकीकृत रूप में धारित शेयरों के मामले में, नामांकन पत्र सीधे संबंधित निक्षेपागार भागीदारी (डीपी) के पास जमा कराया जाना अपेक्षित है।

13. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को अपने पतों में किसी परिवर्तन की तत्काल सूचना दें तथा यदि शेयर इलेक्ट्रानिक मोड में धारित हैं तो परिवर्तन की सूचना अपने संबंधित निक्षेपागार भागीदारों को दें।

14. इस बैठक के कारबार की किसी भी मद पर कोई सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को बैठक की तिथि से कम से कम दस दिन पूर्व संबोधित करें, ताकि अपेक्षित सूचना बैठक के समय उपलब्ध कराई जा सके।

15. संलग्न नोटिस में उल्लिखित कोई दस्तावेज अथवा कंपनी पर प्रयोज्य सांविधिक रजिस्टरों का वार्षिक महासभा की तिथि से पूर्व सभी कार्य दिवसों पर (शनिवार और रविवार को छोड़कर) 11.00 बजे प्रातः से 1.00 बजे अपराह्न तक निरीक्षण किया जा सकता है।

16. वार्षिक रिपोर्ट का पूर्ण पाठ कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है।

नोटिस में उल्लिखित विशेष कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में स्पष्टीकरण विवरण

मद संख्या 5

कपंनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(घ) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल, सिवाए आम बैठक में, कंपनी की सहमति से कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशियों सहित कंपनी की प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त आरक्षित राशियों से अधिक धनराशियां उधार नहीं लेगा। 15 मई, 2007 को आयोजित कंपनी की आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों ने संकल्प द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को यह शक्तियां प्रदान की थी कि वह 45000 करोड़ रुपए (पैंतालीस हजार करोड़ रुपए मात्र) की कुल राशि तक की धनराशि उधार ले ले। 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने पहले ही लगभग 34,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं।

कंपनी के प्रचालन काफी बढ़ गए हैं तथा इसकी बढ़ती निधि आवश्यकताओं के लिए कंपनी को बाजार से उधार लेना पड़ेगा तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 16,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाएं जाने की संभावना है, जिससे उधार की वर्तमान सीमा पार हो जाएगी। चूंकि, पहले से उधार ली गई राशि तथा उधार लेने के लिए प्रस्तावित राशि 45000 करोड़ रुपए की वर्तमान समग्र उधार सीमा को पार कर जाएगी, उधार की आगामी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उधार की सीमा को 45000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60000 करोड़ रुपए करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 293(1)(घ) के तहत शेयरधारकों की सहमति अपेक्षित है।

28 जुलाई, 2008 को आयोजित 339वीं बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है तथा कंपनी के सदस्यों द्वारा नोटिस में यथा निहित प्रस्तावित साधारण संकल्प को पारित किए जाने की अनुशंसा की है।

किसी भी निदेशक का प्रस्तावित साधारण संकल्प में कोई हित या सरोकार नहीं है।

मद संख्या 6

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 293(1)(क) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल, सिवाए आम बैठक में, कंपनी की सहमति से कंपनी की समस्त या किसी अचल तथा/अथवा चल संपत्तियों, वर्तमान तथा भावी दोनों, अथवा कंपनी के संपूर्ण या अधिकांशतः उपक्रम या उपक्रमों को बंधक नहीं रखेगा तथा/अथवा प्रभार सृजित नहीं करेंगे।

कंपनी के प्रचालन महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गए हैं तथा कंपनी की बढ़ती निधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी की अचल/चल संपत्तियों पर प्रतिभूति के सृजन द्वारा अतिरिक्त निधियां जुटाई जानी अपेक्षित हैं। अतः यह प्रस्ताव है कि कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी की अचल तथा/अथवा चल संपत्तियों, वर्तमान तथा भावी दोनों, पर कंपनी के कारबार के प्रयोजनार्थ 60,000 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करने के लिए प्रभार सृजित करने/बंधक रखने के लिए अधिकृत किया जाता है।

28 जुलाई, 2008 को आयोजित 339वीं बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है तथा कंपनी के सदस्यों द्वारा नोटिस में यथा निहित प्रस्तावित साधारण संकल्प को पारित किए जाने की अनुशंसा की है।

किसी भी निदेशक का प्रस्तावित साधारण संकल्प में कोई हित या सरोकार नहीं है।

मद संख्या 7

कंपनी के संस्था ज्ञापन के खंड III (क) के अनुसार कंपनी की स्थापना हेतु मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

(1) देश में ग्रामीण एवं अन्य विद्युतीकरण योजनाओं का वित्तपोषण करना।

(2) समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों पर राज्य बिजली बोर्डों द्वारा जारी किए जाने वाले विशेष ग्रामीण विद्युतीकरण बांडों के लिए अभिदान करना।

(3) देश में ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों का संवर्द्धन एवं वित्तपोषण करना।

(4) सामान्यतः देश में ग्रामीण विद्युतीकरण के वित्तपोषण के प्रयोजनार्थ अथवा अन्यथा अनुदान के रूप में भारत सरकार और अन्य स्रोतों से समय-समय पर प्राप्त धनराशि का प्रबंध करना।

(5) देश और विदेश में किसी भी कार्यकलाप के किसी भी क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं और/अथवा परियोजना कार्यान्वयन व्यवसाय का संवर्द्धन करना, आयोजित करना अथवा कार्य करना।

(6) लघु/छोटी/सूक्ष्म और अन्य विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण और/अथवा निर्माण कार्य करना, अन्य उर्जा स्रोतों का संवर्द्धन एवं विकास करना तथा लघु/छोटी/सूक्ष्म और अन्य विद्युत उत्पादन परियोजनाओं सहित उर्जा के उपर्युक्त स्रोतों को पट्टे पर देने अथवा सीधे पट्टे पर देने अथवा अन्यथा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(7) आरईसी के क्षेत्राधिकार में आने वाली परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण का वित्तपोषण करना।

(8) सहकारिता, संयुक्त, निजी क्षेत्र, पंचायत और/अथवा स्थानीय स्वायत्त निकायों में व्यवहार्य विकेन्द्रीकृत्त विद्युत प्रणाली संगठन का संवर्द्धन, विकास और वित्तपोषण करना।

(9) वेंचर कैपिटल फंडों में यूनिटों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के द्वारा अभिदत्त करना अथवा निवेश करना और/अथवा कंपनी साझेदारी फर्मों, सहकारी समितियों, प्रयोक्ता संगठनों, विकेंद्रीकृत्त विद्युत प्रणाली संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायत संस्थाओं, फ्रैंचाइजी अथवा ऐसे अन्य निकाय अथवा संगठन, जोकि विद्युत उत्पादन, पारेषण और/अथवा संवितरण योजनाओं अथवा ऐसी योजनाओ के क्रियान्वयन अथवा अन्य उर्जा स्त्रोंतों के संवर्द्वन और विकास में संलग्न हैं, के वित्तपोषण और/अथवा निवेश के प्रयोजनार्थ स्थापित वेंचर कैपिटल फुड अथवा इसी प्रकार के फंड की स्थापना हेतु भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत न्यास स्थापित करना।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17(1)(घ) के अनुसार कोई कंपनी विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के उद्देश्यों से संबंधित अपने ज्ञापन के प्रावधानों को परिवर्तित कर सकती है, जोकि कोई व्यवसाय जारी रखने के लिए आवश्यक हो और मौजूदा परिस्थितियों के अंतर्गत कंपनी के वर्तमान व्यवसाय के साथ सुविधापूर्वक अथवा लाभकारिता के लिए संयोजित किया जा सके।

विद्युत परियोजनाओं और संबंधित ढाँचागत विकास के वित्त पोषण में भविष्य में चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा का प्रभावी तरीके से मुकाबला करने के लिए निदेशक मंडल कंपनी द्वारा इस समय आरंभ किए जा रहे कार्य-कलापों के कार्य क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रस्ताव करता है। इस प्रयोजनार्थ, बैठक के नोटिस में लिखित के अनुसार मौजूदा उप खंड(9) के बाद एक नया उपखंड (10) शामिल करते हुए कंपनी के संस्था ज्ञापन के मौजूदा उद्देश्य खंड III (क) में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

निदेशक मंडल ने कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 126(III) के अंतर्गत अपेक्षित के अनुसार राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करने के शर्ताधीन और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17 के अंतर्गत अपेक्षित के अनुसार महासभा में विशेष संकल्प पारित करते हुए कंपनी के अनुमोदन के शर्ताधीन उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए दिनांक 9 जुलाई, 2008 को आयोजित अपनी 338वीं बैठक में एक संकल्प पारित किया है और इस संबंध में आगे कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्राधिकृत्त किया है।

कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 126(III) के अंतर्गत राष्ट्रपति के अनुमोदन के संबंध में विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 11 अगस्त, 2008 के पत्र संख्या 46/8/2007–आरई द्वारा सूचित कर दिया है।

तदनुसार, निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17 (1)(घ) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार विशेष संकल्प के रूप में पारित कंपनी के सदस्यों द्वारा विशेष कार्य-संचालन के अधीन नोटिस की मद सं.-7 में शमिल संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

किसी भी निदेशक का प्रस्तावित विशेष संकल्प में कोई हित या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

बी.आर.रघुनंदन

(बी.आर.रघुनंदन)
महाप्रबंधक (विधि) एवं सीएस

पंजीकृत कार्यालयः
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांक 11 अगस्त, 2008

इस वार्षिक महासभा में पुनः नियुक्ति का प्रयास कर रहे निदेशकों का संक्षिप्त इतिवृत्त

नाम	जन्म-तिथि तथा आयु	नियुक्ति की तिथि	योग्यता	विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	सभी सरकारी कंपनियों की समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता
श्री बाल मुकंद	5 नवम्बर, 1948 59 वर्ष	24 मई, 2004	मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक की उपाधि	श्री मुकंद को विद्युत/ औद्योगिक क्षेत्र में 36 वर्ष का और विशेष रूप से विद्युत एवं अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में तीन वर्षो का अनुभव प्राप्त है। उन्होंने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान जिंक्स स्मेलट र्स प्रोजेक्ट्स, एनएचपीसी में कार्य किया है तथा वे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के निर्माण तथा अनुरक्षण से भी संबद्ध रहे हैं।	शून्य	शून्य
श्री देवेन्द्र सिंह	20 जुलाई, 1962 46 वर्ष	29 अगस्त, 2007	दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज से इंजीनियरी में स्नातक की उपाधि और भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि	श्री देवेन्द्र सिंह, वर्ष 1987 से हरियाणा संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं तथा लगभग 20 वर्ष से सिविल सेवा में हैं। वर्तमान में वे विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, जहां वे ग्रामीण विद्युतीकरण, ऊर्जा संरक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के प्रभारी हैं। उन्होंने सचिव, हरियाणा विद्यालयी शिक्षा बोर्ड तथा उपायुक्त, गुड़गांव, हरियाणा के रूप में भी कार्य किया है। वे पहले हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं।	शून्य	अध्यक्ष - शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति

निदेशकों का विवरण

श्री पी. उमा शंकर *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*

श्री पी. उमा शंकर, जिनकी आयु 54 वर्ष है, हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने आईआईटी मद्रास से गणित में विज्ञान की स्नातकोत्तर उपाधि तथा लंदन स्कूल ऑफ इकानॉमिक्स से विकासशील देशों में सामाजिक नीति तथा आयोजना में एमएससी की उपाधि प्राप्त की है। वे उत्तर प्रदेश संवर्ग में वर्ष 1976 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं। उनके पास सरकार में राजस्व, विधि तथा व्यवस्था, विकास कार्य, ग्रामीण अवसंरचना, वित्त, आवास तथा शहरी विकास, उद्योग, नगरपालिका कार्यों तथा राहत के क्षेत्रों में लगभग 30 वर्ष का नेतृत्व अनुभव है। हमारे बोर्ड में नियुक्त किए जाने से पूर्व, श्री उमा शंकर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के प्रबंध निदेशक थे, जहां वे कृषि उत्पादन तथा अधिसूचित वस्तुओं के विपणन, भंडारण तथा प्रसंस्करण में लगी हुई सहकारिताओं की विश्वव्यापी आयोजना, संवर्धन तथा वित्तपोषण में रत थे। पहले वे भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय में संयुक्त सचिव (चीनी एवं चीनी प्रशासन) थे। इससे पूर्व, ग्रेटर नोएडा के अपर सीईओ के रूप वे ग्रेटर नोएडा के लिए शहरी अवसंरचना के विकास, प्रबंधन तथा अनुरक्षण लगे हुए थे। अनेक सेवाओं के निजीकरण में उनके अग्रणी प्रयासों के कारण ग्रेटर नोएडा आधुनिकतम सेवाओं के साथ एक उच्च प्रोफाइल शहर के रूप में उभरा है। राज्य स्तर पर सहकारी क्षेत्र में वे वर्ष 1994-96 के दौरान सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के रूप में उत्तर प्रदेश में उनके विकास तथा वृद्धि के लिए उत्तरदायी थे। इस कार्य में निविष्टियों की व्यवस्था करने तथा उनकी बिक्री किसानों को करने, विपणन समितियों के माध्यम से उत्पाद का क्रय करने के लिए भावी तथा भूतपूर्व संपर्कों के जरिए 8000 से अधिक ग्रामीण ऋण समितियों तथा 60 जिला सहकारी बैंकों का विकास शामिल है। वे उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के प्रबंध निदेशक भी रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्रक उपक्रम है।

श्री उमा शंकर द्वारा लिखे गए प्रलेखों में सहकारी परिप्रेक्ष्य, अप्रैल-जून, 99 में "एन्हेंसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ को-आपरेटिव्स : मेजर प्राबलम्स एण्ड पॉलिसी इम्पलीकेशन्स" तथा नगरलोक में "हाऊसिंग दि अर्बन पूअर : प्राब्लम्स एण्ड प्रास्पेक्टस" शामिल हैं।

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार श्री पी. उमा शंकर के पास अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कंपनी के 121 इक्विटी शेयर तथा भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में 100 इक्विटी शेयर धारित थे।

श्री हरिदास खुंटेटा *निदेशक (वित्त)*

श्री हरिदास खुंटेटा, जिनकी आयु 55 वर्ष है, हमारे निदेशक (वित्त) हैं। उनके पास राजस्थान विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की उपाधि है। वे आईसीएआई के सदस्य भी हैं। श्री खुंटेटा को वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में 30 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है, जिसमें घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, से संसाधन संग्रहण निवेशक सेवा तथा कारपोरेट अभिशासन शामिल हैं। हमारे बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व, वे नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड ("एनएचपीसी") में कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) के पद पर नियुक्त थे तथा साथ ही मध्य प्रदेश में एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम नामतः नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन के बोर्ड में एक गैर-कार्यपालक निदेशक भी थे। वे हमारे बोर्ड में 5 मई, 2004 को शामिल हुए। वे हमारी कंपनी में वित्त एवं लेखा के सभी पहलुओं के प्रभारी हैं।

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, श्री हरिदास खुंटेटा के पास कंपनी में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 23760 इक्विटी शेयर तथा भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में 100 इक्विटी शेयर हैं।

श्री बाल मुकंद *निदेशक (तकनीकी)*

श्री बाल मुकंद जिनकी आयु 59 वर्ष है, हमारे निदेशक (तकनीकी) हैं। उन्होंने कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। श्री मुकंद को विद्युत/ औद्योगिक क्षेत्र में 36 वर्ष का और विशेष रूप से विद्युत अवंसरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में चार वर्षों का अनुभव प्राप्त है। पानीपत में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और विशाखापट्टम में हिन्दुस्तान जिंक्स स्मेल्टर्स परियोजना जैसी प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं से जुड़े रहने के अलावा वे जम्मू एवं कश्मीर के सलाल और दुल्हस्ती में तथा मणिपुर के लोकतक में हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं के निर्माण और सफल प्रवर्त्तन, प्रचालन और अनुरक्षण से भी जुड़े रहे हैं। हमारे बोर्ड में शामिल होने से पहले वे एनएचपीसी में कार्यकारी निदेशक (आयोजना और परामर्श) थे। वह हमारे बोर्ड में 24 मई, 2004 को शामिल हुए। वे विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण सेक्टरों में विभिन्न परियोजनाओं के सभी तकनीकी और प्रचालनात्मक पहलुओं और आरजीजीवीवाई स्कीम के अधीन ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के प्रभारी हैं।

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार श्री बाल मुकंद के पास कंपनी में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 23760 इक्विटी शेयर तथा भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में 100 इक्विटी शेयर धारित थे।

श्री देवेन्द्र सिंह *निदेशक* - सरकारी नामिती

श्री देवेन्द्र सिंह, जिनकी आयु 45 वर्ष है, वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, जहां वे ग्रामीण विद्युतीकरण, ऊर्जा संरक्षण, मांग पक्ष प्रबंधन तथा वितरण के प्रभारी हैं। उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज, दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातक और भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। वह वर्ष 1987 से हरियाणा संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं और लगभग 20 वर्ष से सिविल सेवा में हैं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने उपायुक्त गुड़गांव, हरियाणा, उपायुक्त करनाल, निदेशक उद्योग तथा प्रबंध निदेशक, हरियाणा आपूर्ति और विपणन परिसंघ के पद पर भी कार्य किया है। वह हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। आपने निदेशक, मंडल में 29 अगस्त, 2007 को कार्यभार ग्रहण किया।

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार श्री देवेन्द्र सिंह के पास कंपनी में भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में 100 इक्विटी शेयर धारित थे।

श्री वेणुगोपाल एन. धूत *स्वतंत्र निदेशक*

श्री वेणुगोपाल एन. धूत, जिनकी आयु 56 वर्ष है, हमारी कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह 30 वर्ष से अधिक समय से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों के कारोबार से जुड़े हुए हैं। वह वीडियोकॉन कंपनी समूह के संप्रवर्त्तकों में से एक हैं और उन्होंने वीडियोकॉन समूह की उन्नति तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वह भारत के एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष थे तथा उड़ीसा में औद्योगिक विकास के मुद्दों के संबंध में उड़ीसा सरकार के सलाहकार हैं। उन्होंने मराठवाड़ा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद भी संभाला हुआ है। वे हमारे बोर्ड में 20 दिसम्बर, 2007 को शामिल हुए थे।
31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार श्री वेणुगोपाल एन. धूत के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर धारित थे।

डॉ0 एम.गोविन्द राव *स्वतंत्र निदेशक*

डॉ0 एम.गोविन्द राव, जिनकी आयु 60 वर्ष है, हमारी कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने संबलपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा से अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। उनके विगत पदों में निदेशक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर (1998-2002) तथा अध्येता, रिसर्च स्कूल ऑफ पेसिफिक एंड एशियन स्टडीज, आस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी, केनबरा, आस्ट्रेलिया (1995-1998) के पद शामिल हैं। इस समय वह राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक हैं। वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। उनके पास मेरीलैंड विश्वविद्यालय कॉलेज पार्क, मेरीलैंड, टोरोंटो विश्वविद्यालय तथा मोंटरियल विश्वविद्यालय, मोंटरियल, कनाडा के अभ्यागत समनुदेशन भी हैं। डॉ0 गोविन्द राव के पास अनेक परामर्शी भूमिकाएं हैं, जिनमें अध्यक्ष, वैट संबंधी तकनीकी विशेषज्ञ समिति (2005-06), अध्यक्ष, सेवाओं के कराधान संबंधी विशेषज्ञ समूह (2000-01), सदस्य, बहुस्तरीय आयोजना संबंधी विशेषज्ञ समिति, योजना आयोग, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार तथा अध्यक्ष, वित्तीय संसाधन समूह, बिहार विकास परिषद, बिहार सरकार की भूमिकाएं शामिल हैं। वे साऊथ एशिया नेटवर्क ऑफ इकानॉमिक रिसर्च इंस्टीटयूशन्स (सनेई) की संचालन समिति के सदस्य भी हैं। डॉ0 गोविन्द राव, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक तथा यूएनडीपी के परामर्शदाता रहे हैं। वह भारतीय रिजर्व बैंक के दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। उन्होंने बोर्ड में अपना कार्यभार 20 दिसम्बर, 2007 को संभाला।
31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, डॉ0 एम. गोविन्द राव के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर धारित थे।

श्री पी. आर. बालसुब्रामणियन *स्वतंत्र निदेशक*

श्री पी. आर. बालसुब्रामणियन, जिनकी आयु 64 वर्ष है, हमारी कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह फैलो ऑफ दी इंडियन काउंसिल ऑफ आरबिट्रेशन, नई दिल्ली के सदस्य भी हैं। श्री बालसुब्रामणियन को विद्युत और औद्योगिक क्षेत्र में 38 वर्ष का अनुभव प्राप्त है तथा इन्होंने नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड में पांच वर्ष तक निदेशक (ऊर्जा) के पद पर कार्य किया है। हमारे बोर्ड में शामिल होने से पहले वह फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। उन्होंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक के रूप में तथा एटॉमिक एनर्जी एस्टेबलिशमेंट तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में भी कार्य किया है। वह हमारे बोर्ड में 20 दिसम्बर, 2007 को शामिल हुए। वह इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड (जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम है) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं।

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, श्री पी.आर. बालसुब्रामणियन के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर धारित थे।

डॉ0 देवी सिंह *स्वतंत्र निदेशक*

डॉ0 देवी सिंह, जिनकी आयु 55 वर्ष है, हमारी कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। वह भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में अध्येता रह चुके हैं। उनके पास अंतर्राष्ट्रीय वित्त, वित्त प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विशेषज्ञ के रूप में अनुभव सहित कुल 30 वर्ष का कार्य अनुभव प्राप्त है। वह भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के निदेशक हैं। उन्होंने प्रबंधन विकास संस्थान, गुड़गांव के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वह प्रबंधन संकाय, मैकगिल विश्वविद्यालय मान्ट्रियल में और विकासशील देशों, लजुबलियाना, सलोवेनिया में अंतर्राष्ट्रीय लोक उद्यम केन्द्र में अभ्यागत प्राचार्य रहे हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में भी प्राचार्य रहे हैं। उन्हें वर्ष 2000 में अमरीकन बायोग्राफिकल इंस्ट्रीटयूट, यूएसए में "मैन ऑफ दि मिलेनियम अवार्ड" से सम्मानित किया गया था। वह हमारे बोर्ड में 07 जनवरी, 2008 को शामिल हुए।

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, डॉ0 देवी सिंह के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर धारित थे।

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारक

निदेशक मंडल को लेखापरीक्षित लेखा विवरणों सहित 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी अर्थात ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) की उनतालीसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है।

आरईसी द्वारा फरवरी, 2008 में इक्विटी शेयरों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) आरंभ करने के पश्चात शेयरधारकों के लिए यह प्रथम रिपोर्ट है।

1. कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य बातें

1.1 रिकार्ड तोड़ ऋण स्वीकृतियां, संवितरण, वसूलियां, प्रचालनात्मक आय और लाभ:

विगत दशक में आपकी कंपनी ने लगभग सभी प्रमुख निष्पादन मापदंडों में सतत् वृद्धि की है तथा वर्ष 2007-08 के लिए निष्पादन इसके आरंभण से सभी विगत रिकार्डों को तोड़ते हुए सर्वोत्कृष्ट रहा है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :-

मापदंड	2007-08 (करोड़ रूपए)	2006-07 (करोड़ रूपए)	प्रतिशत वृद्धि
स्वीकृत ऋण	46770.00	28630.00	+63 %
संवितरण	16304.00	13733.00	+19 %
वसूलियां	9042.00	6584.67	+37 %
प्रचालनात्मक आय	3378.21	2651.70	+27 %
कर-पूर्व लाभ	1312.42	1006.19	+30 %
कर-पश्च लाभ	860.15	660.26	+30 %

1.2 लाभांश

कर के लिए प्रावधान करने और सांविधिक आरक्षित राशि में आवश्यक विनियोजन के पश्चात वर्ष 2007-08 के लिए 30 की दर पर (10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर 3 रुपए) लाभांश के भुगतान की सिफारिश करते हुए आपके निदेशकों को हर्ष हो रहा है।

2. स्वीकृत ऋण

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत अनुदानों को छोड़ कर आरईसी ने विगत वर्ष में 28630 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 46770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए। स्थापना से 31.3.2008 तक की गई स्वीकृतियों की संचयी राशि 179525.76 करोड़ रुपए थी।

3. संवितरण

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत अनुदानों सहित विगत वर्ष में 13733 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 16304 करोड़ रुपए की कुल राशि संवितरित की गई। स्थापना से लेकर 31.3.2008 तक संवितरित संचयी राशि 75243.31 करोड़ रुपए थी।

4. वसूलियां

विगत वर्ष के दौरान 6629.59 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान वसूली के लिए देय राशि 9002.73 करोड़ रुपए थी। इस आंकड़े में चूककर्ता राज्य बिजली बोर्डों से देय राशि शामिल थी। वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी ने 9041.99 करोड़ रुपए की कुल राशि वसूल की। 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार चूककर्ता उधारकर्ताओं से अतिदेय राशि, वर्ष 2007-08 के दौरान वसूलनीय कुल देयताएं तथा वर्ष 2007-08 के दौरान की गई वसूलियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

	कुल राशि (करोड़ रुपए)
01.04.2007 की स्थिति के अनुसार अतिदेयताएं	339.60
घटाइए: पुनःनिर्धारित की गई मणिपुर की अतिदेयताएं	90.57
शेष राशि	249.03
वर्ष 2007-08 के दौरान वसूलनीय देयताएं	9002.73
वर्ष 2007-08 के दौरान प्राप्त की गई देयताएं	9041.99
31.03.2008 की स्थिति के अनुसार अतिदेयताएं	209.77

कंपनी ने इनकी वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।

5. वित्तीय समीक्षा

5.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपए)

विवरण	2007-08	2006-07
सकल आय	3537.66	2854.00
कर-पूर्व लाभ	1312.42	1006.19
मूल्यह्रास	1.38	1.13
आयकर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान	452.27	345.93
निवल लाभ/कर-पश्च लाभ	860.14	660.26
विशेष आरक्षित कोष में अंतरण	255.00	345.00
अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित कोष में अंतरण	58.00	34.00
सामान्य आरक्षित कोष में अंतरण	140.00	72.00
प्रस्तावित लाभांश	257.59	177.00
लाभांश कर	43.78	30.08`
अग्रेनीत शेष	105.77	2.18

5.2 शेयरों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ)

फरवरी, 2008 में कंपनी ने 100% बही निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से 10 रुपए प्रत्येक के 15,16,20,000 इक्विटी शेयरों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की, जिसमें मूल्य वर्ग 90 से 105 रुपए प्रति शेयर था। निर्गम की कीमत 105 रुपए प्रति शेयर निर्धारित की गई। निर्गम में 7,80,60,000 इक्विटी शेयरों तक का नया निर्गम तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा 7,80,60,000 इक्विटी शेयरों तक की बिक्री पेशकश शामिल थी। निर्गम

को उद्भुत अनुक्रिया प्राप्त हुई तथा यह लगभग 27 गुणा अति अभिदत्त रहा। अर्हक सांस्थानिक क्रेताओं (क्यूआईबी) का हिस्सा 39.31 गुणा अभिदत्त रहा, गैर-सांस्थानिक हिस्से को 21.88 गुणा अभिदान मिला, खुदरा हिस्से को 7.52 गुणा अभिदान मिला तथा कर्मचारी प्रारक्षित हिस्सा 0.9 गुणा अभिदत्त रहा। प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 7,53,768 थी। निर्गम की कीमत 105 रुपए प्रति शेयर निर्धारित की गई जिसमें 95 रुपए प्रति शेयर का प्रीमियम शामिल था। नए इक्विटी शेयरों का आवंटन 5 मार्च, 2008 को किया गया तथा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से कंपनी द्वारा जुटाई गई कुल राशि 819.63 करोड़ रुपए थी। इक्विटी शेयरों के नए निर्गम की आय का प्रयोग कंपनी के कारोबार के प्रयोजनार्थ किया गया है, जैसा कि विवरणिका में उल्लेख किया गया है। कंपनी के इक्विटी शेयरों को 12 मार्च, 2008 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया तथा इनमें से प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को अपेक्षित सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।

आईपीओ-पश्च परिदृश्य में, भारत सरकार की शेयरधारिता 100% से घटकर 81.82% हो गई है तथा शेष 18.18% शेयरधारिता अन्यों द्वारा धारित है।

5.3 प्रदत्त-शेयर पूंजी

1200 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी की तुलना में, आईपीओ के पश्चात 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार निर्गमित तथा प्रदत्त शेयरपूंजी 780.60 करोड़ रुपए से बढ़कर 858.66 करोड़ रुपए हो गई है तथा 719.81 करोड़ रुपए की राशि को (21.76 करोड़ रुपए के निर्गम व्यय घटाकर) प्रतिभूति प्रीमियम खाते में ले जाया गया है।

5.4 संसाधन जुटाना

कंपनी ने वर्ष 2007-08 के दौरान बाजार से 8377.23 करोड़ रुपए की राशि जुटाई। इसमें वाणिज्यिक बैंकों से समूह ऋणों के रूप में 2228 करोड़ रुपए, पूंजी लाभ कर छूट प्राप्त बांडों के रूप में 3402.74 करोड़ रुपए तथा प्राथमिकता-भिन्न क्षेत्रक बांडों के रूप में 2568.30 करोड़ रुपए तथा क्रेडिटांसटैट फर वीडरऑफ्ब (केएफडब्ल्यू)/ जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी) से सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण के रूप में 178.19 करोड़ रुपए शामिल हैं। आरईसी की घरेलू ऋण लिखतों को "एएए" क्रेडिट रेटिंग अर्थात क्रिसिल, केयर, फिच और आईसीआरए क्रेडिट रेटिंग अभिकरणों द्वारा समनुदेशित उच्चतम श्रेणी-निर्धारण मिलना जारी रहा।

5.5 विदेशी वाणिज्यिक उधार

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2006-07 में एलटी लाइनों का उच्च वोल्टेज वितरण लाइन में रूपांतरण के प्रयोजनार्थ परियोजना के लिए, जिसे राज्य डिस्कॉमों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है, 3.73% की नियत दर पर 70 मिलियन यूरो के लिए केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ एक सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण करार निष्पादित किया है। इस ऋण की अवधि 12 वर्ष है जिसमें 3 वर्ष की अनुग्रह अवधि शामिल है। इस सुविधा के प्रति 31.3.2008 तक 7,585,496.76 यूरो आहरित किए जा चुके हैं।

कंपनी ने उप-पारेषण प्रणाली को सुधारने, पारेषण और वितरण (टी एवं डी) हानियों को कम करने तथा अविद्युतीकृत आवासों तथा अन्य ग्रामीण भारों के लिए बिजली पहुंच को विस्तारित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2006-07 में 0.75% प्रति वर्ष की नियत दर पर 20.63 अरब जापानी येन के लिए जेबीआईसी, जापान के साथ एक ओडीए ऋण करार को भी निष्पादित किया है। 5 वर्ष की आस्थगन अवधि के साथ ऋण की अवधि 15 वर्ष है। 31.3.2008 तक इस सुविधा के प्रति 3,251,751,977.77 जापानी येन की राशि आहरित की जा चुकी है।

5.6 सावरेन रेटिंग

आरईसी को मूडी तथा फिच जैसी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट श्रेणी-निर्धारण अभिकरणों से भारत की सरकारी श्रेणी-निर्धारण के समतुल्य अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट श्रेणी-निर्धारण प्राप्त है (जो क्रमशः "बीएए3" तथा "बीबीबी" है)।

5.7 उधार की निम्न लागत बनाए रखना

वित्त अधिनियम, 2006 के अनुसार केवल आरईसी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के अंतर्गत बांड जारी करने के माध्यम से धन जुटाने के लिए पात्र थे। इसने उधार की लागत को निम्न स्तर पर बनाए रखने में सहायता की। वर्ष 2007-08 के दौरान निधियों की समग्र लागत 7.65% थी। परिणामस्वरूप, आरईसी प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्तपोषण प्रदान करने में समर्थ है।

5.8 मोचन तथा पूर्व-भुगतान

वर्ष के दौरान कंपनी ने भारत सरकार को 18.56 करोड़ रुपए की राशि लौटाई। इसने गैर-प्राथमिकता/प्राथमिकता क्षेत्र बांड धारकों को देय 655 करोड़ रुपए की कुल राशि भी विमोचित की। इसके अलावा, 2635.09 करोड़ रुपए के पूंजी लाभ कर छूट वाले तथा 202.97 करोड़ रुपए के अवसंरचना बांड भी विमोचित किए गए। कंपनी ने बैंकों से 462 करोड़ रुपए के दीर्घावधि तथा अल्पावधि ऋण भी विमोचित किए।

5.9 विदेशी मुद्रा अर्जन परिरक्षण तथा बहिर्प्रवाह संबंधी ब्यौरे

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा बहिर्प्रवाह संबंधी विवरण अनुसूची 17 की लेखा टिप्पणियों की मद 16 में दिए गए हैं, जो वार्षिक लेखों का भाग हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की गई।

5.10 वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष 2007-08 की समाप्ति पर कंपनी के कुल संसाधन 40467.57 करोड़ रुपए थे। इसमें 858.66 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर पूंजी, 4509.04 करोड़ रुपए की प्रारक्षित एवं अधिशेष राशि, 34282.79 करोड़ रुपए के भारतीय जीवन बीमा निगम तथा वाणिज्यिक बैंकों से ऋण तथा बाजार उधार और 817.08 करोड़ रुपए का आस्थगित कर प्रावधान शामिल हैं। इन निधियों को 39316.51 करोड़ रुपए के दीर्घ/लघु अवधि ऋण एवं 77.90 करोड़ रुपए की अचल परिसंपत्तियों में, 1147.39 करोड़ रुपए के निवेश तथा शेष को (74.23 करोड़ रुपए के) निवल चालू परिसंपत्तियों के रूप में नियोजित किया गया।

6. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2एए) के अनुसरण में आपके निदेशक प्रमाणित करते हैं कि :-

(i) वार्षिक खाते तैयार करने में लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया तथा महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दे दिए गए हैं;

(II) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया तथा उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया और ऐसे फैसले एवं आकलन किए, जो उपयुक्त और विवेकपूर्ण हों, ताकि कंपनी की उक्त अवधि के लाभ एवं हानि खाते तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कामकाज के बारे में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(III) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखेबाजी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप यथेष्ट लेखा रिकार्ड के अनुसरण के लिए यथोचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है;

(IV) निदेशकों ने कंपनी के वार्षिक खाते कार्यरत प्रतिष्ठान के आधार पर (गोइंग कंसर्न बेसिस) तैयार किए हैं।

7. वित्तीय क्रियाकलाप

आरईसी गांवों के विद्युतीकरण के अतिरिक्त, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करता रहा है। इस संबंध में की गई विभिन्न पहलों का वर्णन नीचे किया गया है :-

7.1 उत्पादन

वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी ने 26 नवीन उत्पादन/आर एवं एम ऋण तथा 4 अतिरिक्त ऋण सहायता स्वीकृत की, जिनका कुल वित्तीय परिव्यय 27274.66 करोड़ रुपए था, जिसमें अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ समूह वित्तपोषण शामिल है। वर्ष 2002-03 से तथा 31.3.2008 तक, आरईसी ने आर एवं एम, ताप विद्युत तथा जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए 58001 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। आरईसी ने चल रही उत्पादन परियोजनाओं के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान 4308 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है।

अतिरिक्त ऋण सहायता सहित स्वीकृत ऋणों का क्षेत्रवार विभाजन नीचे दिया गया है :-

	ऋणों की संख्या	ऋण राशि (करोड़ रुपए)
राज्य क्षेत्र		
नया ऋण अतिरिक्त ऋण	16 1	21845.66
निजी क्षेत्र		
नया ऋण अतिरिक्त ऋण	10 3	5429.00
जोड़	26+4=30	27274.66

चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान (30.6.2008 तक) कंपनी ने चार परियोजनाओं के लिए 6560 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की है तथा चल रही उत्पादन परियोजनाओं के लिए लगभग 978 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है।

7.2 पारेषण तथा वितरण

आरईसी ने अपने (टी एंड डी) पारेषण एवं वितरण पोर्टफोलियो के अंतर्गत देश में नवीन अवसंरचना का सृजन करने तथा पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के अंतर्गत पहले से विद्यमान अवसंरचना में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी जारी रखी। वर्ष 2012 तक सभी के लिए विद्युत की व्यवस्था करने तथा साथ ही एटी एवं सी हानियों को कम करने के देश के लक्ष्य के समनुरूप, आरईसी पारेषण नेटवर्क के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के लिए तथा और भी महत्वपूर्ण, वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की योजनाओं का वित्तपोषण करती आ रही है।

वर्ष 2007-08 के दौरान आरईसी ने 494 पारेषण तथा वितरण परियोजनाओं के लिए 15033.19 करोड़ रुपए के ऋण संस्वीकृत किए तथा 7063 करोड़ रुपए के ऋण संवितरित किए, जो विगत वर्ष 2006-07 में 4784 करोड़ रुपए की तुलना में 48% की वृद्धि है।

चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान (30.6.2008 तक) कंपनी ने पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए 5182.52 करोड़ रुपए के ऋण संस्वीकृत किए है तथा 1168.55 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

7.3 तंत्र सुधार:

देश में पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा उसमें सुधार लाने तथा पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए आरईसी अपने तंत्र सुधार पोर्टफोलियो के अंतर्गत विद्युत संगठनों को ऋण सहायता उपलब्ध कराती है। परम्परा के समनुरूप, विद्युत आपूर्ति की गुणत्ता में सुधार लाने तथा पारेषण और वितरण हानियां कम करने के लिए विद्युत पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सुधार हेतु ऐसी योजनाओं के वित्तपोषण पर जोर दिया जाना वर्ष के दौरान भी जारी रहा।

7.4 बल्क ऋण वित्तपोषण:

प्रणाली सुधार परियोजनाओं के अतिरिक्त, आरईसी अपेक्षित विभिन्न उपस्करों की अधिप्राप्ति और संस्थापना/प्रतिस्थापन के लिए वित्तपोषण भी करती है। उदाहरणार्थ, अधिकांश विद्युत संगठन सरकार द्वारा निर्धारित 100% मीटरीकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर मीटरों के संस्थापन/प्रतिस्थापन का कार्य हाथ में ले रहे हैं, ताकि प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह का यथार्थत पैमाना हो, जिसके लिए आरईसी इन अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु वित्तपोषण करता है। इसी प्रकार,आरईसी ने ट्रांसफॉर्मरों, कैपेसिटरों, खंभों, कंडक्टरों आदि की संस्थापना और प्रतिस्थान के लिए वित्तपोषण की निरंतर बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन मदों की थोक अधिप्राप्ति की योजनाओं का वित्तपोषण जारी रखा है।

7.5 तंत्र सुधार तथा बल्क ऋण:

वर्ष 2007-08 के दौरान, कुल 363 तंत्र सुधार योजनाएं तथा बल्क ऋण योजनाएं स्वीकृत की गई, जिनमें 14131.67 करोड़ रुपए का ऋण परिव्यय शामिल था। इसमें ये शामिल थे : (i) विद्युत मंत्रालय के त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्ग्रत प्रतिपक्षी वित्तपोषण जिसमें 180.55 करोड़ रुपए का ऋण परिव्यय अंतर्ग्रस्त था, (ii) ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर तथा मीटर जैसे अनिवार्य उपकरणों की संस्थापना द्वारा वितरण प्रणाली में निवेश का वित्तपोषण करने के लिए 921.53 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की अंतर्ग्रस्तता वाली 27 योजनाएं, (iii) निम्न वोल्टेज वितरण को उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) में रूपांतरित करने के लिए 1668.20 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की अंतर्ग्रस्तता वाली 64 योजनाएं, और (iv) पारेषण नेटवर्क को सुधारने के लिए 7584.83 करोड़ रुपए की 135 योजनाएं।

7.6 पम्पसेट ऊर्जायन:

आरईसी ऋण पोर्टफोलियो में कृषि पम्पसेटों के ऊर्जायन के लिए ऋण सहायता का विस्तार भी शामिल है। 31.3.2008 तथा देश में ऊर्जायन किए जाने के लिए सूचित कुल लगभग 154.71 लाख पम्पसेटों में से लगभग 57% पम्पसेट आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अंतर्गत ऊर्जायित किए गए हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 181244 वैद्युत सिंचाई पम्पसेटों का ऊर्जायन किया

गया। इस श्रेणी के अंतर्गत वर्ष के दौरान 618.59 करोड़ रुपए की ऋण सहायता वाली 89 नई योजनाएं स्वीकृत की गई।

7.7 पूर्वोत्तर राज्यों में क्रियाकलाप

पारेषण एवं वितरण कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को विगत वर्ष के दौरान 16.21 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 41.27 करोड़ रुपए की ऋण सहायता संवितरित की गई। तंत्र सुधार श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान 38.42 करोड़ रुपए की ऋण सहायता के लिए 11 योजनाएं नागालैंड के लिए संस्वीकृत की गईं।

8. गांवों का विद्युतीकरण

8.1 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

अप्रैल, 2005 में भारत सरकार ने दिनांक 18 मार्च, 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं0 44/19/2004-डी(आरई) के तहत "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवावाई) ग्रामीण विद्युत संरचना और आवास विद्युतीकरण योजना" प्रारंभ की, जिसका लक्ष्य पांच वर्षों में सभी आवासों को विद्युत की अभिगम्यता प्रदान करने के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनएमसीपी) का लक्ष्य प्राप्त करना था। यह योजना आरईसी के जरिए क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत, परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए भारत सरकार द्वारा नब्बे प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह अनुमोदन 10वीं योजना अवधि के दौरान 5000 करोड़ रुपए की पूंजीगत आर्थिक सहायता के लिए योजना के चरण-I के क्रियान्वयन के लिए है।

10वीं योजना अवधि में विद्युत मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए 9696 करोड़ रुपए की कुल स्वीकृत परियोजना लागत वाली 235 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं, जिनमें 178948 गांव (67012 अविद्युतीकृत तथा 111936 विद्युतीकृत गांव) शामिल थे।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009 तक सभी आवासों को बिजली की अभिगम्यता उपलब्ध कराने, लगभग 1.15 लाख अविद्युतीकृत ग्रामों का अविद्युतीकृत करने तथा गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे 2.34 करोड़ आवासों को बिजली का कनेक्शन देने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 11वीं योजना में स्कीम को जारी रखने के लिए संस्वीकृति विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं0 44/37/07-डी(आरई) के तहत संसूचित की गई है।

वर्ष 2007-08 के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा 11वीं योजना अवधि में क्रियान्वयन के लिए 15553.22 करोड़ रूपए की कुल स्वीकृत परियोजना लागत से 282164 गांवों (47658 अविद्युतीकृत तथा 234506 अविद्युतीकृत गांव) को शामिल करते हुए 316 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।

योजना के अंतर्गत, यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2007-08 के दौरान 38262 गांवों (9301 अविद्युतीकृत तथा 28961 विद्युतीकृत गांवों सहित) के लिए निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 16.21 लाख परिवारों सहित 20.41 लाख ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं।

संचयी रूप से, योजना के अंतर्गत 31.03.2008 तक 88,664 गांवों (47826 अविद्युतीकृत तथा 40838 विद्युतीकृत गांव) में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 22.93 लाख परिवारों सहित 27.71 लाख ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन दे दिए गए हैं।

8.2 विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी)

आरजीजीवीवाई उन ग्रामों के लिए, जहां ग्रिड संयोजकता या तो व्यवहार्य नहीं है अथवा लागत प्रभावी नहीं है, बायोमास, बायोगैस, मिनी हाइड्रो तथा सौर इत्यादि से डीडीजी की व्यवस्था करती है।

माननीय विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा दिनांक 28.05.2008 को आरजीजीवीवाई वेब पोर्टल का शुभारंभ

डीडीजी तंत्र स्थानीय वितरण प्रणाली वाली लघु विद्युत उत्पादन इकाइयां हैं।

योजना के अंतर्गत डीडीजी परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 90% पूंजीगत आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें राज्य या स्थानीय करों की राशि शामिल नहीं है, जिसका वहन संबंधित राज्य/राज्य संगठन द्वारा किया जाएगा। परियोजना की 10% लागत का अंशदान राज्यों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों/वित्तीय संस्था से ऋण द्वारा किया जाएगा।

11वीं योजना के अंतर्गत डीडीजी परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 540 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत डीडीजी परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आरजीजीवीवाई के तहत डीडीजी परियोजनाओं को इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया जाने के पश्चात शुरू किया जाएगा।

8.2.1 डीडीजी ग्रुप द्वारा प्रशासित नवीकरणीय परियोजनाओं के ब्यौरे

अभी तक आरईसी ने विभिन्न नवीकरणीय परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है, दिनांक 31.3.2008 के अनुसार जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्रियान्वयनाधीन परियोजनाएं तथा आरंभ की गई परियोजनाएं

क्रम सं0	विवरण	क्रियान्वयनाधीन परियोजनाएं	आरंभ की गई परियोजनाएं	कुल
(i)	स्वीकृत ऋण का मूल्य (करोड़ रुपए)	365.21	80.73	445.94
(ii)	अभी तक किया गया संवितरण (करोड़ रुपए)	188.75	78.34	267.09
(iii)	स्वीकृत परियोजनाओं का मूल्य (करोड़ रुपए)	633.85	180.11	813.96
(iv)	परियोजनाओं से मेगावाट बिजली	104.7	36.60	145.30

9. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास

9.1 जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी)

(i) आरईसी ने आरईसी की ग्रामीण बिजली वितरण बैकबोन (आरईडीबी) परियोजना के लिए सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण पैकेज के अंतर्गत 20.629 अरब जापानी येन (31.03.2006 की स्थिति के अनुसार 100 येन = 38.01 रुपए की विनिमय दर से लगभग 784 करोड़ रुपए) की ऋण सहायता के लिए 31.03.2006 को जेबीआईसी के साथ एक ऋण करार निष्पन्न किया है। परियोजना को आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस ऋण के संबंध में जेबीआईसी से निधियों का आहरण वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान आरंभ हुआ है। उप-उधारकर्ताओं को 140.03 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि संवितरित कर दी गई है और 124.91 करोड़ रुपए (लगभग) की ऋण राशि के समतुल्य राशि वित्तीय वर्ष 2007-08 में जीबीआईसी से आहरित की गई है। परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित 33/11 केवी के 749 नए उपकेन्द्रों तथा 510 उपकेन्द्रों के संवर्धन में से कुल 113 उपकेन्द्र तथा 97 उपकेन्द्रों का उन्नयन वित्तीय वर्ष 2007-08 में पूरा कर लिया गया है।

(ii) आरईसी ने हरियाणा राज्य में अंतर-राज्य पारेषण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य में पारेषण प्रणाली परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 20.902 अरब जापानी येन (10.03.2008 की स्थिति के अनुसार 100 येन = 39.86 रुपए की विनिमय दर से लगभग 833 करोड़ रुपए) के ओडीए ऋण के लिए 10.03.2008 को जेबीआईसी के साथ एक द्वितीय ऋण करार निष्पादित किया है। इस ऋण के संबंध में जेबीआईसी से निधियों का आहरण वित्तीय वर्ष 2008-09 में आरंभ होने की आशा है।

9.2 भारत-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम

(i) आरईसी ने आन्ध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर तथा कडापा जिलों में केएफडब्ल्यू- ऊर्जा किफायती कार्यक्रम-I के तहत उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) के क्रियान्वयन के लिए 70 मिलियन यूरो (08.08.2006 की स्थिति के अनुसार 1 यूरो = 59.74 रुपए की विनिमय दर पर लगभग 418 करोड़ रुपए) के ओडीए ऋण के लिए 8.8.2006 को केएफडब्ल्यू के साथ एक ऋण करार निष्पादित किया है। इस ऋण के संबंध में केएफडब्ल्यू से निधियों का आहरण वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान आरंभ हुआ है। उप-उधारकर्ताओं को 78.91 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि संवितरित कर दी गई है तथा समतुल्य राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2007-08 में केएफडब्ल्यू से किया गया है। परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार हो रहा है। इसके अतिरिक्त, केएफडब्ल्यू ऊर्जा किफायत कार्यक्रम-I के वित्तपोषण करार के अनुसार विभिन्न तकनीकी सहायता (टीए) अनुदान संघटक का क्रियान्वयन तथा केएफडब्ल्यू से निधियों का आहरण वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान आरंभ हो गया है।

(ii) केएफडब्ल्यू ने अपने ऊर्जा किफायती कार्यक्रम-II के अंतर्गत आरईसी को 70 मिलियन यूरो के लिए एक द्वितीय ऋण श्रृंखला की वचनबद्धता की है। कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण के विचारार्थ आरईसी द्वारा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) का एक एचवीडीएस परियोजना प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है तथा परियोजना का केएफडब्ल्यू मिशन द्वारा मूल्यांकन किया गया है। इस संबंध में ऋण करार पर जर्मन सरकार द्वारा ऋण की प्रतिबद्धता करने के पश्चात चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में हस्ताक्षर किए जाने की आशा है।

10. मानकीकरण एवं परामर्शी सेवा

आरईसी राज्य विद्युत संगठनों को वितरण प्रणालियों में लगातार तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है। आरईसी द्वारा जारी विनिर्देशों और मानकों का सभी राज्य विद्युत संगठनों में द्वारा व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए आरईसी विद्युत वितरण के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान एवं विकास का प्रयोग करते हुए नए परिवर्तनों की लगातार खोज करता रहा है। आरईसी ने हाल ही में एकल चरण वितरण ट्रांसफॉर्मरों, बैटरी एवं बैटरी चार्जर, आंतरिक वायरिंग और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (वीसीबी) संबंधी तकनीकी विनिर्देश जारी किए हैं/उन्हें अद्यतन किया है।

आरजीजीवीवाई के क्रियान्वयन में उचित गुणता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 3-स्तरीय गुणता नियंत्रण संहिता तैयार की गई है तथा उसे अंतिम रूप दिया गया है।

11. ईआरपी आधारित एकीकृत सूचना प्रणाली

आरईसी ने पूरी कंपनी में कार्यात्मक प्रक्रियाओं की कार्यकुशलता और प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए कंपनी-व्यापी ईआरपी प्रणाली का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया है। इसका उद्देश्य कंपनी के विभिन्न कार्यालयों से आंकड़ों के निर्बाध प्रवाह के साथ सभी कार्यों हेतु एक मजबूत एमआईएस प्रणाली स्थापित करना और सभी स्तरों पर प्रबंध सहायता प्रदान करना है। कंपनी-व्यापी ईआरपी प्रणाली का क्रियान्वयन इस वर्ष के दौरान अग्रिम चरण पर पहुंच गया है।

12. केन्द्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान (सायर)

केन्द्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान (सायर) की स्थापना विद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्र के इंजीनियरों तथा प्रबंधकों एवं विद्युत और ऊर्जा से संबंधित अन्य संगठनों की प्रशिक्षण और विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरईसी के तत्वावधान में वर्ष 1979 में हैदराबाद में की गई थी। सायर बंगलौर की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के मार्ग पर आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय के समीप सांस्थानिक क्षेत्र में अवस्थित है। संस्थान परिसर लगभग 14 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है जिसमें प्रशासन, अध्यापन, पुस्तकालय तथा होस्टल ब्लॉक हैं।

सायर विद्युत क्षेत्र के पारेषण एवं वितरण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में नियमित कार्यक्रम संचालित करता है; इसके अतिरिक्त यह ड्रम सुधार उन्नयन तथा प्रबंधन (ड्रम) जैसे प्रायोजित कार्यक्रम तथा आवश्यकतानुसार निर्धारित कार्यक्रमों का संचालन भी विद्युत कंपनियों के अनुरोध पर करता है। यह संस्थान भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) तथा विशेष राष्ट्र मंडल अफ्रीका सहायता योजना (स्कैप) के अंतर्गत अफ्रीकी-एशियाई देशों में विद्युत क्षेत्र के अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा बनाए गए पैनल में शामिल है। यह विशेषीकृत कार्यक्रमों का संचालन करने तथा साथ ही विषयगत क्षेत्रों पर संगोष्ठियां तथा वर्कशॉप संचालित करने के लिए अन्य प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थाओं/अभिकरणों के साथ सहयोग करता है।

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार संस्थान ने 785 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए तथा राज्य बिजली बोर्डों, विद्युत वितरण कंपनियों, बिजली विभागों, ग्रामीण विद्युत सहकारिताओं, बैंकों, विनियामक आयोगों, विद्युत संगठनों, विद्युत कंपनियों तथा ग्रामीण विकास अभिकरणों इत्यादि से 16213 अधिकारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया।

13. आरईसी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है

कंपनी को वर्ष 1997-98 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं0 डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं0 12/डी2.01/99/2000 दिनांक 13.1.2000 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 का अनुपालन करने वाली सरकारी कंपनियों को नकद आस्तियों के अनुरक्षण तथा प्रारक्षित निधियों के सृजन से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों तथा सार्वजनिक जमाराशियों की स्वीकृति तथा विवेकपूर्ण मानदंडों से जुड़े निर्देशों की प्रयोज्यता से छूट दे दी गई है। उक्त अधिसूचना आरईसी पर भी प्रयोज्य है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के तहत एक सरकारी कंपनी है।

14. विवेकपूर्ण मानदंड

आरईसी के निदेशक मंडल ने 13 दिसम्बर, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों का एक सेट अनुमोदित किया। विवेकपूर्ण मानदंडों में यथा-उल्लिखित क्रेडिट/निवेश के संकेन्द्रण हेतु मानदंड 13 दिसम्बर, 2006 से ही प्रभावी बना दिए गए थे। अन्य विवेकपूर्ण मानदंड पहली अप्रैल, 2007 से प्रभावी किए गए थे। तदनुसार, वर्ष 2007-08 के लिए आरईसी ने इन विवेकपूर्ण मानदंडों को प्रयोज्य करते हुए अपने लेखे तैयार किए है। इन मानदंडों की प्रमुख विशिष्टताएं लेखा विवरण के साथ संलग्न महत्वपूर्ण मानदंडों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई आस्तियों के संबंध में भी व्यवस्था की जानी अपेक्षित है। वर्ष 2007-08 के लिए लेखापरीक्षित लेखा विवरण में राज्य सरकार के गारंटीशुदा ऋणों के संबंध में ऐसी व्यवस्था के लिए किए गए ऐसे परिवर्तन के प्रभाव की सीमा 3999.39 लाख रुपए है।

15. जोखिम प्रबंधन

15.1 आस्ति देयता प्रबंधन

कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें अन्य बातों के अलावा आस्ति देयता प्रबंधन, व्युत्पन्न तथा अतिशेष निधियों का निवेश शामिल है। वर्तमान में एक आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) सीएमडी के नेतृत्वाधीन कार्य कर रही है, जो बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी है। आल्को में निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) तथा वित्त, उत्पादन तथा टी एवं डी प्रभागों के महाप्रबंधक भी शामिल हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) नकदी ब्याज दरों तथा मुद्रा दरों से जुड़े जोखिम की मानीटरिंग करती है। नकदी जोखिम को नकदी अंतर विश्लेषण की सहायता से मानीटर किया जाता है। रोकड़ अंतर विश्लेषण के आधार पर, समिति ने विभिन्न कार्यनीतियों के सम्मिश्र के माध्यम से नकदी जोखिम का प्रबंधन किया, जैसे अनुमोदिते संवितरण तथा परिपक्वता देयताओं पर आधारित भावी संसाधन संग्रहण कार्यक्रम। ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन भी ब्याज दर संवेदनीयता विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है।

15.2 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने विदेशी मुद्रा उधारों से सहबद्ध जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एक व्युत्पाद नीति सुव्यवस्थित की है। कंपनी विनिमय दर तथा ब्याज दर को शामिल करने के लिए विभिन्न लिखतों के जरिए व्युत्पन्न लेनदेन करती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 6.50% की नियत दर पर अर्द्ध-वार्षिक रूप से संदेय 200 मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष अपने जापानी येन ऋण को पूर्ण रूप से सुरक्षित (मूलधन + ब्याज) कर लिया है। 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, कुल बकाया विदेशी मुद्रा देयताएं 26822 मिलियन जापानी येन तथा 7.59 मिलियन यूरो है, जिसमें से जापानी येन ऋण आज की तिथि के अनुसार पूर्णतया सुरक्षित कर लिए गए हैं।

16. आईएसओ-9001: 2000 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन

आरईसी ने अखिल भारत स्तर पर नौ प्रमुख परियोजना कार्यालयों और निगम कार्यालय के छह प्रमुख प्रभागों में आईएसओ-9001: 2000 मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंध प्रणालियों को क्रियान्वित कर लिया है। इसे यू.के.ए.एस. (यूनाइटेड किंगडम प्रमाणन सेवा) गुणवत्ता प्रबंधन यू.के. के प्रमाणन के अधीन बीएसआई मैनेजमेंट सिस्टम्स द्वारा प्रमाणित किया गया। निगम की गुणवत्ता नीति ग्राहक संतुष्टि एवं गुणवत्ता कार्य संस्कृति में सतत सुधार के लिए वचनबद्धता को दर्शाती है।

17. उचित व्यवहार संहिता

सभी एनबीएफसी को उचित व्यवहार संहिता तैयार करने का निदेश देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28 सितम्बर, 2006 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में, आरईसी के निदेशक मंडल ने मार्च 2007 में उचित व्यवहार संहिता को अनुमोदित किया, जिसमें शिकायत निवारण प्रक्रम भी शामिल है। संहिता का लक्ष्य कंपनी की उधार देने वाली पद्धतियों को एक पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करना है, जिसमें उत्पादन, पारेषण तथा वितरण परियोजनाओं के लिए ऋण आवेदनपत्रों के प्रसंस्करण की जांच-पड़ताल, ऋण मूल्यांकन तथा उसकी स्वीकृति, ऋण संवितरण की शर्तों तथा निबंधनों, पश्च संवितरण पर्यवेक्षण इत्यादि से जुड़े मामलों को विस्तार में शामिल किया गया है। 26 मई, 2008 को आयोजित बोर्ड की बैठक में संहिता के कार्यक्षेत्र में अल्पावधि ऋण के लिए ऋण आवेदनों की जांच-पड़ताल को भी शामिल कर लिया गया है। जैसाकि बोर्ड द्वारा निदेश दिया गया है, उचित व्यवहार संहिता तथा शिकायत निवारण प्रक्रम के अनुपालन संबंधी अर्द्ध-वार्षिक प्रास्थिति रिपोर्टें आवधिक समीक्षा हेतु बोर्ड को प्रस्तुत की जानी हैं।

18. धोखाधड़ी निवारण हेतु नीति

आरईसी में या उसके विरूद्ध धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने में सहायक नियंत्रणों का विकास सुविधाकारी बनाने के लिए निदेशक मंडल के अनुमोदन से आरईसी में धोखाधड़ी निवारण की एक नीति तैयार की गई है। उक्त नीति में धोखाधड़ी का पता लगाने और उसका निवारण करने, पता लगाए गए अथवा किसी संदिग्ध धोखाधड़ी की सूचना देने तथा धोखाधड़ी से जुड़े मामलों संबंधी उचित संव्यवहार की व्यवस्था की गई है।

19. निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार-संहिता

जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित सूचीबद्धता करार के तहत अपेक्षित है, आरईसी के निदेशक मंडल ने 10 जुलाई, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार-संहिता अनुमोदित की। आचार-संहिता को कंपनी की वेबसाइट पर प्रविष्ट कर दिया गया है। निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए उनपर यथा प्रयोज्य संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

20. आरईसी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए संहिता

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम, 1992 के अनुसार, कंपनी ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना की गोपनीयता का परिरक्षण करने तथा उसके दुरूपयोग को रोकने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध हेतु व्यापक संहिता का निरूपण किया है। कंपनी के प्रत्येक निदेशक, अधिकारी तथा नामनिर्दिष्ट कर्मचारी का यह कर्त्तव्य है कि वह कंपनी में अपने कार्य के दौरान प्राप्त ऐसी समस्त सूचना की गोपीयता की सुरक्षा करे तथा कंपनी में अपने कार्य का दुरूपयोग न करे तथा वैयक्तिक लाभ प्राप्त करने अथवा किसी तृतीय पक्षकार को लाभ प्रदान करने के लिए अपने पद का अथवा कंपनी के संबंध में किसी सूचना का दुरूपयोग न करें। संहिता में कंपनी के शेयरों संबंधी संव्यवहार करते समय अनुसरित किए जाने वाले दिशानिर्देश तथा प्रक्रियाविधियां तथा किए जाने वाले प्रकटन एवं अननुपालन के परिणाम निर्धारित किए गए हैं। कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा वह "भीतरी कारोबार की निषेध संहिता" के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है। संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट पर प्रविष्ट कर दी गई है।

उक्त संहिता की अपेक्षा के समनुरूप, जब भी कोई मूल्यसंवेदी सूचना बोर्ड को दी जाती थी, कारोबार खिड़की को बंद कर दिया जाता था। कारोबार मार्ग को बंद करने की सूचना सभी कर्मचारियों को काफी पहले दे दी जाती थी तथा खिड़की बंद होने के दौरान कंपनी के शेयरों में संव्यवहार न करने के लिए सभी कर्मचारियों को रोकते हुए उचित घोषणाएं भी की जाती थीं।

21. मानव संसाधन प्रबंधन

संगठन के बढ़ते व्यवसाय तथा चुनौतियों के संदर्भ में मानव संसाधन प्रबंधन का पर्याप्त महत्व है। संगठन को अपने व्यवसाय कार्यकलाप हासिल करने में समर्थ बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों के अधिग्रहण, प्रतिधारण तथा विकास पर काफी अधिक महत्व दिया जा रहा है। तंत्रशाही में व्यावसायिक रूप से अर्हकता प्राप्त कार्मिक सन्निविष्ट करने का कार्य समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जारी रहा, जिससे संपूर्ण तंत्र में प्रबंधन वर्ग सुदृढ़ हो गया। 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, मानव संसाधनों की कुल सूची में 699 कार्मिक शामिल थे, जिनमें 364 कार्यपालक तथा 335 कार्यपालक-भिन्न कार्मिक थे। वर्ष के दौरान संपूर्ण तंत्र में खुले विज्ञापन के माध्यम से 28 कार्यपालक नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त, कैम्पस भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से 5 कार्यपालक सन्निविष्ट किए गए, इस प्रक्रिया को अब संगठन में युवा व्यवसायी सन्निविष्ट करने के माध्यम के रूप में शुरू किया गया है।

21.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए सरकार द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन किया गया। 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के समूहवार विवरण नीचे दिए गए हैं।

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	294(284)	28(27)	6(6)
ख	183(187)	22(23)	4(6)
ग	115(116)	20(21)	1(1)
घ	107(111)	33(34)	5(5)
कुल जोड़	699(698)	103(105)	16(18)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष में सादृश स्थिति को दर्शाते हैं)

21.2 प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

कर्मचारियों को अपने उत्तरदायित्व निष्पादित करने में समर्थ बनाने के लिए अनेक कौशलों, जिनमें उनका नवीकरण शामिल है, से सुसज्जित करने के माध्यम के रूप में, प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास को वर्ष के दौरान प्राथमिक स्थान दिया जाना जारी रहा। आकलित आवश्यकताओं के आधार पर तथा उन्हें पूरा करने के माध्यम के रूप में, कंपनी ने देश में तथा विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशाला इत्यादि के लिए 280 कर्मचारियों को प्रायोजित किया। इसके अतिरिक्त 14 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संस्थान में ही संचालन किया गया, जिनमें 293 कर्मचारियों ने भाग लिया। इनमें सायर हैदराबाद में अनन्य रूप से आरईसी कर्मचारियों के लिए संचालित 5 कार्यक्रम शामिल थे। कुल मिलाकर, इन पहलों ने कंपनी को समझौता ज्ञापन लक्ष्यों से कहीं अधिक उपलब्धि हासिल करने में समर्थ बनाया (360 श्रम दिवसों की तुलना में हमने वर्ष के लिए 1709 का आंकड़ा हासिल किया)। वैश्विक उद्भासन विकसित करने में समर्थ बनाने के लिए अनेक अधिकारियों को विभिन्न देशों में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विदेश भेजा गया जिनमें जापान, सिंगापुर, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड इत्यादि शामिल थे।

21.3 कर्मचारी कल्याण

कंपनी ने वर्ष के दौरान कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए। इनमें बेहतर तथा विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य देखभाल परिदाय के लिए तथा चिकित्सा व्ययों की न्यूनतम सीमा को सर गंगाराम अस्पताल के समकक्ष बढ़ाने के लिए सूची में शामिल अस्पतालों की सूची का विस्तार करना शामिल था।

21.4 महिला एकक

महिला कर्मचारियों से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए एक महिला एकक प्रचालनरत है। इसके अलावा, यौन शोषण एवं लिंग भेदभाव संबंधी एक शिकायत समिति भी आरईसी में कार्यरत है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि भी शामिल है।

21.5 औद्योगिक संबंध

निगम में सभी स्तरों पर औद्योगिक संबंध स्वस्थ, सद्भावना और मैत्रीपूर्ण बने रहे। मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए आरईसी कर्मचारी यूनियन और आरईसी अधिकारी संघ की भूमिका सराहनीय रही है। सभी संवर्गों के प्रेरित कर्मचारियों ने टीम भावना से कार्य किया और वर्ष के दौरान सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण मार्जिन द्वारा अपने व्यवसाय लक्ष्यों का अधिक निष्पादन करने में संगठन को समर्थ बनाया।

21.6 लोक शिकायत निवारण तंत्र

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों को निपटारा करने हेतु एक शिकायत निवारण समिति गठित की है। लोक शिकायतों को भी इस तंत्र के अंतर्गत लाकर समिति का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया है।

22. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अंतर्गत कर्मचारियों के विवरण

निगम में संपूर्ण वर्ष के लिए अथवा आंशिक अवधि के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नियोजित नहीं था, जिसकी परिलब्धियां कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के प्रयोजनार्थ 24,00,000/-रुपए प्रतिवर्ष अथवा 2,00,000/-रुपए प्रतिमाह से अधिक हो।

23. सतर्कता क्रियाकलाप

मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में कंपनी के सतर्कता स्कंध ने कर्मचारियों में प्रणालियों तथा प्रक्रियाविधियों के अनुपालन की आदतें डालने के अलावा संगठन के प्रति एक निष्ठा का अनुरक्षण करने में अपनी भूमिका निभाई। सतर्कता प्रभाग ने उचित तरीके /सुव्यवस्थित ढंग से व्यवसाय संचालन के लिए नीति निर्माण/उचित दिशानिर्देशों के निरूपण का परिशीलन किया। इसने यह भी सुनिश्चित किया कि सीवीसी अनुदेशों को कंपनी द्वारा कड़ाई से क्रियान्वित किया जाए।

कंपनी ने नीतिगत मामलों तथा प्रबंधन कार्यों में पारदर्शिता के अतिरिक्त निवारक सतर्कता, प्रणालियों तथा प्रक्रियाविधियों के सुप्रवाहीकरण तथा सुदृढ़ीकरण पर प्रमुख बल देना जारी रखा। ग्राहकोन्मुखी कार्यक्रमों में दक्षता तथा पारदर्शिता वर्धन के लिए उपायों के बारे में पदाधिकारियों को अवगत कराने का संदेश सतर्कता जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान भी दोहराया गया।

ग्राहकोन्मुखी कार्यक्रमों में दक्षता तथा पारदर्शिता बढ़ाने के संबंध में सीवीसी के अनुदेशों के अनुसार आरंभ किए गए उपायों में अन्यों के अलावा ये शामिल हैं (I) शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए ऑन-लाइन शिकायत करने की प्रणाली (II) धोखाधड़ी रोधी नीति अपनाना (III) उचित व्यवहार संहिता अपनाना इत्यादि।

सीबीआई की स्थानीय शाखाओं के साथ सन्निकट अंतःक्रिया के पश्चात दिल्ली स्थित इसके कार्यालय के अतिरिक्त सभी परियोजना कार्यालयों/सायर के संबंध में वर्ष 2007 के लिए सम्मत सूची को अंतिम रूप दिया गया।

24. राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा विभाग के निदेशों और राजभाषा अधिनियम के अनुपालन में सतत प्रयास किए गए और अधिकतर लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिन्दी में रूचि दिखाई है, जिसके परिणामस्वरूप पत्राचार एवं टिप्पण-आलेखन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

वर्ष 2007-08 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया गया।

शासकीय कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आठ हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 126 कर्मचारियों ने भाग लिया। हिन्दी में पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी प्रारूप इंट्रानेट पर भी उपलब्ध कराए गए हैं। द्विभाषी कार्य सुविधाएं सभी कम्प्यूटरों पर उपलब्ध कराई गई हैं।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2008 को आरईसी का निरीक्षण दौरा

वर्ष के दौरान, तकनीकी एवं वित्तीय शब्दावली तथा आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली को सभी कर्मचारियों के प्रयोग हेतु द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया गया, ताकि वे हिन्दी में अधिक सुविधाजनक रूप तथा प्रभावी तरीके से कार्य कर सकें। लगभग 95% पुस्तकालय बजट का प्रयोग हिन्दी पुस्तकों के क्रय के लिए किया गया। कंपनी का मासिक हाऊस जरनल "ई-दर्पण" अंकीय रूपांतर में ऑन-लाइन प्रकाशित किया गया, जिसमें कंपनी के कार्यकलापों तथा हिन्दी कार्य में हुई प्रगति शामिल है।

राजभाषा संसदीय समिति ने जुलाई 2007 में हैदराबाद में तथा अक्तूबर 2007 में बंगलौर में आरईसी परियोजना कार्यालयों का निरीक्षण किया। राजभाषा प्रभाग ने भी वर्ष के दौरान 12 (बारह) आंतरिक प्रभागों के साथ-साथ 7(सात) परियोजना कार्यालयों का निरीक्षण किया। मंत्रालय के पदाधिकारी भी कुछ निरीक्षणों के साथ संबद्ध थे। चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम के परियोजना कार्यालयों को हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य के लिए नगर राजभाषा समिति से क्रमशः प्रथम और तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए। परियोजना कार्यालय, लखनऊ को भी हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए एक प्रमाणपत्र मिला।

वर्ष के दौरान, आंचलिक कार्यालय/परियोजना कार्यालय हैदराबाद, सायर एवं बेंगलूरू को राजभाषा नियमावली के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित किया गया।

कंपनी ने 14.9.2007 से 28.9.2007 तक हिन्दी पखवाड़ा के दौरान महाप्रबंधकों/ कार्यपालक निदेशकों, मध्यस्तरीय प्रबंधकों तथा गैर-कार्यपालकों के लिए पृथक-पृथक नौ हिन्दी प्रतियोगिताओं तथा श्रेणी-IV कर्मचारियों के लिए सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया। 57 अधिकारियों तथा 45 कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। 45 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र दिए गए तथा 10 पुरस्कार पूरे वर्ष के दौरान मूल नोटिंग/ड्राफ्टिंग करने के लिए प्रदान किए गए। एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि - माननीय संसद सदस्य तथा संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री रंजीत इस्सर, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय इस समारोह में सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर संगीत और नाटक प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने "विविधता में एकता" के सार-विषय पर भारत के लोकनृत्य प्रस्तुत किए।

आरईसी की वेबसाइट हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है तथा इसे समय-समय पर नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। आईपीओ, ईआरपी इत्यादि से संबंधित सभी प्रकाशन, रिपोर्टें, ज्ञापन, प्रेस विज्ञाप्तियां, मेलर, निविदाएं, विज्ञापन द्विभाषी जारी किए गए।

25. विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संदर्भ में उपलब्धियां

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के साथ वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार निगम के कार्यनिष्पादन को "उत्कृष्ट" की श्रेणी प्रदान की गई है। वर्ष 1993-94 से, जब सरकार के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, कंपनी को लगातार 14वें वर्ष "उत्कृष्ट" की श्रेणी प्रदान की गई है।

आरईसी द्वारा विद्युत मंत्रालय के साथ वर्ष 2008-09 के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

वर्ष 2007-08 के लिए कंपनी ने संस्वीकृति तथा संवितरणों में नई उपलब्धियां हासिल की हैं तथा यह पुनः उत्कृष्ट श्रेणी-निर्धारण के लिए तत्पर है।

26. नवरत्न प्रास्थिति

सरकारी क्षेत्र को अधिक दक्ष तथा प्रतिस्पर्धी बनाने के राष्ट्रीय नीतिगत उद्देश्य के अनुसरण में, भारत सरकार ने वर्ष 1997 में निर्णय लिया था कि कतिपय पात्रता मानदंडों तथा दिशानिर्देशों के अध्याधीन लाभार्जक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को वर्धित स्वायत्तता प्रदान की जाए तथा शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएं और निर्धारित मानदंड को पूरा करने वाले चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को नवरत्न/मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया जाए। निर्धारित मानदंड पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने पहले सितम्बर, 2002 में आरईसी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया था।

आरईसी ने अपने सतत् उत्कृष्ट निष्पादन तथा लाभकारिता को अनुवर्ती वर्षों में भी जारी रखा तथा नवरत्न दर्जा प्रदान किए जाने के लिए प्रयोज्य निम्नलिखित वर्धित मानदंडों को पूरा किया :-

(क) विद्यमान मिनी रत्न ग्रेड-I दर्जा तथा एक अनुसूची "क" पीएसयू;

(ख) पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों में "उत्कृष्ट" अथवा "बहुत अच्छी" समझौता ज्ञापन श्रेणी-निर्धारित;

(ग) छः विशिष्ट निष्पादन संकेतकों अर्थात (I) निवल मूल्य पर निवल लाभ, (II) सेवाओं की कुल लागत पर जनशक्ति लागत, (III) नियोजित पूंजी पर पीबीडीआईटी, (IV) कुल कारोबार पर पीबीआईटी, (V) प्रति शेयर अर्जन; और (VI) अंतर क्षेत्रक निष्पादन को शामिल करते हुए मूल्यांकन मानदंड के अनुसार 60 या उससे अधिक के संयुक्त अंक प्राप्त करना।

उत्कृष्ट समग्र निष्पादन तथा समस्त निर्धारित मानदंडों को पूरा करने तथा भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास के इसके सतत् महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकारते हुए भारत सरकार ने हाल ही में 5 मई, 2008 को आरईसी को "नवरत्न दर्जा" प्रदान किया है। नवरत्न का यह प्रतिष्ठित दर्जा उच्चतम मान्यता है, जिसके लिए कोई भी पीएसयू प्रयास कर सकता है तथा भारत में केवल कुछेक पीएसयू को ही यह दर्जा प्राप्त है। कंपनी के सभी हितधारकों के लिए यह अत्यधिक गौरव तथा प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि यह वर्धित दर्जा आरईसी को निवेश करने तथा प्रचालनात्मक निर्णय करने में अपेक्षाकृत अधिक नम्यता और स्वायत्तता प्रदान करता है तथा इसकी स्थिति को आगे और समेकित करने में भी सहायक होगा और यह भारतीय विद्युत क्षेत्र की सदैव बढ़ती आवश्यकताओं के वित्तपोषण में अपनी संचालन भूमिका को जारी रखेगी।

27. निगमित सुशासन का अनुपालन

मार्च, 2008 तक, निगमित सुशासन संहिता आरईसी के लिए अधिदेशात्मक नहीं थी, क्योंकि निजी स्थापन पर निर्गमित केवल इसकी ऋण प्रतिभूतियों/बांडों को ही स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाता था तथा कंपनी को केवल सेबी द्वारा यथा अधिसूचित आदर्श सूचीकरण करार के सीमित प्रावधानों का अनुपालन करना ही आवश्यक था। तब भी, आरईसी अच्छे निगमित सुशासन मानदंडों को क्रियान्वित करने तथा उनका अनुरक्षण करने के लिए प्रयासरत है,भले ही वे अनिवार्य नहीं थे।

तथापि, इक्विटी शेयरों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश तथा मार्च, 2008 में स्टॉक एक्सचेंजों में कंपनी के इक्विटी शेयरों के परिणामी सूचीकरण के पश्चात सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार निगमित अभिशासन संहिता अनिवार्य हो गई है। इसके अतिरिक्त, आरईसी के एक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी की 88.12% शेयरधारिता वर्तमान में भारत सरकार द्वारा धारित हैं, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित निगमित अभिशासन से जुड़े अतिरिक्त प्रावधान भी आरईसी पर प्रयोज्य हैं।

सूचीकरण करार के प्रावधानों के अनुपालन में, प्रबंध परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है, निगमित सुशासन के अनुपालन संबंधी कंपनी की रिपोर्ट **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है तथा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी निगमित सुशासन संबंधी प्रमाणपत्र **अनुबंध-III** के रूप में सलंग्न हैं।

28. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी एक नीति कंपनी द्वारा अपनाई गई है। नीति के ब्यौरे आरईसी की वेबसाइट पर प्रविष्ट कर दिए गए हैं।

29. निदेशक मंडल

27.09.2007 को आयोजित कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक की तिथि के अनुसार निदेशक मंडल में निम्नलिखित पांच निदेशक शामिल थे :-

1) श्री ए.के. लखीना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2) श्री एच. डी. खुंटेटा, निदेशक (वित्त)
3) श्री बाल मुकंद, निदेशक (तकनीकी)
4) श्री राजेश वर्मा, अंशकालिक सरकारी नामिती निदेशक/संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
5) श्री देवेन्द्र सिंह, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंशकालिक सरकारी नामिती निदेशक/संयुक्त सचिव

इक्विटी शेयरों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश से पूर्व, कंपनी से यह अपेक्षित था कि वह अपने निदेशक मंडल के संघटन के मामले में सेबी द्वारा यथा निर्धारित निगमित अभिशासन संहिता का अनुपालन करने अर्थात यदि कंपनी का अध्यक्ष एक कार्यपालक/पूर्णकालिक निदेशक है तो कम से कम आधा निदेशक मंडल स्वतंत्र निदेशकों से संघटित होगा, जैसाकि सूचीकरण करार के खंड 49 में परिभाषित किया गया है।

तदनुसार, कंपनी के संस्था अन्तर्नियमों के अनुसार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने निम्नलिखित अंशकालिक गैर-

सरकारी/स्वतंत्र निदेशकों को तीन वर्ष की अवधि के लिए आरईसी के बोर्ड पर नियुक्त किया :-

1. श्री वेणुगोपाल एन. धूत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वीडियोकॉन ग्रुप ऑफ कम्पनीज, मुंबई (20.12.2007 से)।
2. डॉ0 एम. गोविन्द राव, निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली (20.12.2007 से)।
3. श्री पी.आर. बालासुब्रामणियन, सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, फैक्ट, बंगलौर (20.12.2007 से)।
4. डॉ0 देवी सिंह, निदेशक, आईआईएम, लखनऊ (7.1.2008 से)।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आरईसी के बोर्ड से सरकारी नामित निदेशक के रूप में विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्री राजेश वर्मा की सेवाएं 9.1.2008 से वापस ले ली।

आरईसी के निदेशक मंडल की बैठक का दृश्य

श्री ए.के. लखीना ने 29.2.2008 को सेवानिवृत्ति पर आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया। आरईसी के संस्था अन्तर्नियमों के अनुसार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 1.3.2008 से श्री पी. उमाशंकर को आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

आरईसी के निदेशक मंडल में वर्तमान में आठ निदेशक हैं अर्थात तीन पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शामिल है, एक अंशकालिक सरकारी नामिति निदेशक तथा चार अंशकालिक गैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशक।

30. आईडीएफसी के साथ आरईसी का संयुक्त उद्यम

25 फरवरी, 2008 को आरईसी के निदेशक मंडल ने विद्युत वितरण तथा परामर्श के क्षेत्र में प्रवेश करने के उद्देश्य से 50:50 इक्विटी प्रतिभागिता के आधर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फायनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया।

31. सहायक कंपनियां

विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में नए अवसर और चुनौतियां प्रदान करते हैं और विद्युत मंत्रालय में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन मुख्य संघटकों में से एक है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पारेषण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए ढांचा समर्थ बनाते हुए दिनांक 13.04.2006 को "पारेषण सेवा के लिए टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली देने के दिशानिर्देश" अधिसूचित किए। दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य पारेषण सेवाओं की प्रतिस्पर्धी अधिप्राप्ति को बढ़ावा देना और पारेषण लाइनों में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना है।

इस योजना के अधीन विकास हेतु परियोजनाओं का पता लगाने के लिए सदस्य, के.वि.वि.आ. की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है। इस समिति ने "निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन करें (बीओओ) " आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से निर्माण हेतु टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धा बोली देने के माध्यम से विकास के लिए 14 परियोजनाओं का पता लगाया है। इन 14 पारेषण प्रणालियों में से दो परियोजनाएं यथा, (I) नॉर्थ कर्णपुरा के लिए इक्वैक्युएशन (निकासी) प्रणाली और (II) तालचर अभिवृद्धि प्रणाली प्रतिस्पर्धी बोली देने के माध्यम से विकास के चयन के लिए आरईसी को आवंटित की गई थी। इन नए अवसरों का लाभ लेने और विद्युत क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के लिए आरईसी ने निम्नलिखित सहायक कंपनियां गठित की हैं:-

31.1 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसी टीपीसीएल)

आरईसी टीपीसीएल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में दिनांक 8 जनवरी, 2007 को निगमित की गई थी। इसने व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र दिनांक 5 फरवरी, 2007 को प्राप्त किया। आरईसी टीपीसीएल का मुख्य उद्देश्य भारत और विदेशों में विद्युत के पारेषण और वितरण से संबंधित कार्यकलाप के किसी भी क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं और/अथवा परियोजना कार्यान्वयन के व्यवसाय का संवर्धन, आयोजन और व्यवसाय प्रारंभ करना है।

आरईसी टीपीसीएल ने आरईसी को सौंपी गई दो पारेषण परियोजनाओं के लिए विकासकर्ता के चयन का कार्य पहले ही प्रारंभ कर दिया है। आरईसी टीपीसीएल को प्रक्रिया में सहायता करने के लिए तकनीकी परामर्शदाता और बोली प्रक्रिया परामर्शदाता नियुक्त किए जा चुके हैं। तत्पश्चात, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के अधीन दो परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) नामतः (I) नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, और (II) तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड भी बाद में स्थापित किए गए हैं। इन एसपीवी का के.वि.वि.आ. द्वारा विकासकर्ता को लाइसेंस प्रदान करने के बाद पारेषण प्रणाली के पारेषण सेवा प्रदायक (टीएसपी) में विलय कर दिया जाएगा।

31.1.1 2007-08 के दौरान वित्तीय निष्पादन :

चूंकि, आरईसी टीपीसीएल तथा इसकी दो सहायक कंपनियों नामतः एनकेटीसीएल तथा टीटीसीएल ने अभी वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है, इन कंपनियों के लिए लाभ और हानि लेखा 31 मार्च, 2008 को समाप्त प्रथम वित्तीय वर्ष के लिए तैयार नहीं किए गए हैं। उसके स्थान पर, निर्माण अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय विवरण तैयार किए गए।

31.3.2008 को समाप्त वर्ष के लिए इन कंपनियों के अनुषंगी व्यय के विवरण के अनुसार कुल व्यय निम्नानुसार है :-

क्रम सं0	कंपनी का नाम	31.3.2008 को समाप्त अवधि के लिए निर्माण के दौरान कुल अनुषंगी व्यय	अभ्युक्ति
1	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसी टीपीसीएल)		आरईसी टीपीसीएल द्वारा उपगत 20,24,909 रुपए का कुल व्यय इसकी दो सहायक कंपनियों एनकेटीसीएल तथा टीपीसीएल को समानानुपात में आवंटित किया गया है।
2	नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनकेटीसीएल)	10,37,030	इसमें आरईसी टीपीसीएल द्वारा आवंटित 10,12,455 रुपए शामिल हैं।
3	तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीटीसीएल)	10,23,786	इसमें आरईसी टीपीसीएल द्वारा आवंटित 10,12,455 रुपए शामिल हैं।
	जोड़	**20,60,816**	

31.2 आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरपीडीसीएल)

आरईसीपीडीसीएल को आरईसी लिमिटेड की एक पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के रूप में दिनांक 12 जुलाई, 2007 को निगमित किया गया था। इसने अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र दिनांक 31 जुलाई, 2007 को प्राप्त किया। सहमति ज्ञापन में यथा निर्धारित कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं --

1. 66 केवी और कम वोल्टता वर्ग की विद्युतीकरण, वितरण, विद्युत आपूर्ति लाइनों/वितरण प्रणालियों का संवर्धन, विकास, निर्माण करना, स्वामित्व लेना, प्रचालित, वितरित और अनुरक्षण करना।
2. विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन तथा संबद्ध वितरण प्रणाली का संवर्धन, विकास, निर्माण करना, स्वामित्व लेना तथा प्रबंधन करना।
3. भारत तथा विदेशों में अन्य अभिकरणों/सरकारी निकायों के लिए उक्त क्षेत्रों में परामर्श/निर्माण कार्यों का निष्पादन करना।

31.2.1 वर्ष 2007-08 के दौरान व्यवसाय

आरईसी पीडीसीएल ने निम्नलिखित राज्य विद्युत उपयोगिताओं के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं :-

1) कंपनी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत जेडीवीवीएनएल द्वारा टर्नकी आधार पर प्रदत्त ग्राम विद्युतीकरण कार्य, जिसके अंतर्गत 84.88 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर 7 जिलों में 4399 ग्राम शामिल हैं; के लिए तृतीय पक्ष गुणता अनुवीक्षण, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण के लिए 1.10.2007 को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। आरईसीपीडीसीएल को जेडीवीवीएनएल से परियोजना लागत का 2% परामर्शी शुल्क मिलेगा।

2) कंपनी ने एमओपी दिशानिर्देशों के मामला-1 के अंतर्गत प्रशुल्क आधारित बोली के माध्यम से पीएसईबी को 1800 मेगावाट ±10% विद्युत की आपूर्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए विकासकर्ता के चयन हेतु परामर्शी सेवाओं के लिए 10.12.2007 को पंजाब राज्य बिजली बोर्ड (पीएसईबी) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। आरईसीपीडीसीएल को पीएसईबी से 12.5 करोड़ रुपए का परामर्शी शुल्क प्राप्त होगा।

3) कंपनी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत एवीवीएनएल द्वारा टर्नकी आधार पर प्रदत्त ग्राम विद्युतीकरण कार्य, जिसके अंतर्गत 127.63 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर 5 जिलों में 4693 ग्राम शामिल हैं, तथा निष्पादनाधीन 1783 फीडरों तथा 651 पूर्ण हो चुके फीडरों, जिनकी परियोजना लागत क्रमशः 850.38 करोड़ रुपए तथा 323.01 करोड़ रुपए हैं, के तृतीय पक्ष गुणता अनुवीक्षण, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण के लिए दिनांक 4.3.2008 को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। आरईसीपीडीसीएल को एवीवीएनएल से आरजीजीवीवाई तथा एफआरपी (निष्पादनाधीन फीडर) निर्माण कार्यों के लिए 2% परामर्शी शुल्क प्राप्त होगा तथा एफआरपी (पूर्ण हो चुके फीडर) निर्माण कार्यों के लिए परियोजना लागत का 1% परामर्शी शुल्क प्राप्त होगा।

31.2.2 वर्ष 2007-08 के दौरान वित्तीय निष्पादन

31 मार्च,2008 को समाप्त प्रथम लेखाकरण अवधि के दौरान, आरईसीपीडीसीएल 3.59 करोड़ रुपए की आय सृजित करने में समर्थ रहा है तथा कर-पूर्व तथा कर-पश्च लाभ क्रमशः 2.70 करोड़ रुपए तथा 1.78 करोड़ रुपए है।

32 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरईसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सूचना हेतु अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए एक स्वतंत्र आरटीआई प्रकोष्ठ का सृजन किया गया है। आरईसी वेबसाइट को अद्यतन किया गया है तथा उसमें आरटीआई अधिनियम, 2005 के खंड 4.1 (ख) के तहत यथापेक्षित सभी 17 मदों संबंधी जानकारी निहित है।

32.1 आरईसी में आरटीआई तंत्र

निगम कार्यालय:

(क) विभागीय अपीलीय प्राधिकरण
श्री रमा रमण
कार्यकारी निदेशक (पारेषण एवं वितरण)

(ख) जन-सूचना अधिकारी
श्री बी.आर. रघुनंदन
महाप्रबंधक (विधि) तथा कपंनी सचिव

(ग) सहायक जन-सूचना अधिकारी
श्री ए.के. अरोड़ा
महाप्रबंधक (आरटीआई/पीएंडसी)

33. सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स जी.एस.माथुर एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों को तीसरे निरंतर वर्ष वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों की लेखापरीक्षा की है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए गए हैं :-

(क) 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण ;

(ख) एनबीएफसी कंपनियों के लिए लेखापरीक्षित तुलनपत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अनुबंध;

(ग) 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण;

(घ) 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट;

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट;

(च) कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट।

34. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने सूचित किया है, कि लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना उनकी जानकारी में नहीं आई है जिसके लिए उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी करनी पड़े अथवा अनुपूरक रिपोर्ट बनानी पड़े।

35. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अंतर्गत वित्तीय विवरण/दस्तावेज

सहायक कंपनियों के संबंध में वित्तीय विवरण तथा अन्य दस्तावेज कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में सम्मिलित किए गए हैं।

36. आभार

निदेशक मंडल, विशेष रूप से विद्युत एवं वित्त मंत्रालय, योजना आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक से कंपनी के कार्यों तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में प्राप्त उनके सतत् सहयोग, सहायता और मागदर्शन के लिए आभारी है।

निदेशकगण, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत संगठनों और अन्य उधारकर्ताओं को कंपनी में उनके द्वारा लगातार रूचि और विश्वास प्रकट करने के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण, विनिवेश विभाग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक सहित विद्युत एवं वित्त मंत्रालय को कपंनी द्वारा शेयरों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की सफल संपूर्ति में उनके सामयिक सहयोग तथा सहायता के लिए भी विशेष धन्यवाद देते हैं।

निदेशक सभी सम्मानित निवेशकों को पूंजी बाजार के अस्थिर होने पर भी उनके द्वारा कंपनी में दर्शाए गए विश्वास के लिए तथा इसकी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश को अत्यंत सफल बनाने तथा आईपीओ को लगभग 27 गुणा अति अभिदत्त करने के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक आरईसी बांडों में सम्मानित निवेशकों, कंपनी के निधि संग्रहण कार्यक्रमों में बैंकों, जीवन बीमा निगम, जर्मनी के केएफडब्ल्यू तथा जापान के जीबीआईसी की सतत् सहायता तथा सद्भाव की भी सराहना करते हैं।

निदेशकगण, सांविधिक लेखापरीक्षक मैसर्स जी.एस. माथुर एंड कंपनी तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण, उत्कृष्ट निष्पादन के विगत रिकार्डों को पार करने तथा अपेक्षाकृत अधिक सफलता हासिल करने और भारत सरकार द्वारा कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिलाने में समर्थ बनाने के लिए कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी प्रशंसा और सराहना करते हैं तथा उन्हें धन्यवाद देते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

नई दिल्ली
28 जुलाई, 2008

(पी. उमा शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुबंध-I

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

(स्टॉक एक्सचेंज के साथ आदर्श सूचीकरण करार के खंड 49.IV (च) के अनुसरण में)

1. औद्योगिक ढांचा एवं घटनाक्रम

हाल के वर्षों में, विगत वर्षों की तुलना में देश में विद्युत उत्पादन क्षमता में उच्चतर वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2008 में विद्युत उत्पादन में 6.33% की वृद्धि हुई है। तथापि, ऊर्जा की कमी बनी रही है जो कि मांग में अधिक वृद्धि के कारण गत वर्षों के दौरान बढ़ती रही है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008 के दौरान उच्चतम कमी 16.6% थी, जबकि ऊर्जा कमी 9.8% बनी रही। दोनों ही आंकड़े 5 वर्षों से उच्चतम स्तर पर थे।

10वीं वर्षीय योजना के अंत में अर्थात वित्तीय वर्ष 2007 के अंत में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 132330 मेगावाट थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि का लक्ष्य 78577 मेगावाट निर्धारित किया गया है।

विद्युत उद्योग के तीन महत्वपूर्ण संघटकों में विद्युत उत्पादन, पारेषण और संवितरण शामिल हैं।

विद्युत उत्पादन

11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2008 को 143061 मेगावाट की कुल अधिष्ठापित क्षमता के साथ वित्तीय वर्ष 2008 के दौरान कुल 9263 मेगावाट की अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता आरंभ की गई।

(मेगावाट)

क्षेत्र	10वीं योजना के अंत (2007) में अधिष्ठापित क्षमता	क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य (2012)	31.03.2008 को अधिष्ठापित क्षमता
राज्य	70096	27952	74615.0
केन्द्रीय	45121	39865	19835.0
निजी	17113	10760	48611.0
जोड़	132330	78577	143061

*स्रोत : सीईए रिपोर्ट

भारत में विद्युत आपूर्ति उद्योग की एक विशेषता भारी मात्रा में आबद्ध विद्युत उत्पादन है, जिसकी स्थापना इस्पात और अल्युमीनियम जैसे ऊर्जा गहन उद्योगों द्वारा की गई है। विद्युत अधिनियम के अंतर्गत आबद्ध विद्युत उत्पादक अतिरिक्त विद्युत ग्राहकों को बेच सकते हैं।

11वीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए कुल धनराशि की आवश्यकता का अनुमान 11वीं योजनावधि के लिए 4108960 मिलियन रुपए का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 2020670 मिलियन रुपए, राज्य क्षेत्र के 1237920 मिलियन रुपए और निजी क्षेत्र के लिए 850370 मिलियन रुपए की आवश्यकता होगी। आरंभ की जाने वाली विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए 1891950 मिलियन रुपए की अनुमानित निधि आवश्यकता कुल वित्तपोषण आवश्यकता में शामिल है, जिससे 12वीं योजना में लाभ प्राप्त होगा।

पारेषण

विद्युत पारेषण की सामान्य परिभाषा सापेक्ष उच्च वोल्टता पर लंबी दूरी के लिए विद्युत के बल्क अंतरण के रूप में की जाती है। भारत में पारेषण एवं वितरण व्यवस्था का 3-स्तरीय ढांचा है, जिसमें वितरण नेटवर्क, राज्य ग्रिड और क्षेत्रीय ग्रिड शामिल हैं। ये वितरण नेटवर्क और राज्य ग्रिड मुख्यतया राज्य बिजली बोर्डों अथवा अन्य राज्य संस्थाओं अथवा राज्य सरकारों (राज्य बिजली विभागों के माध्यम से) के स्वामित्व में और उनके द्वारा प्रचालित हैं। इस समय भारत में पांच क्षेत्रीय ग्रिड उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में प्रचालनरत हैं। क्षेत्रीय अथवा अंतर्राज्यीय ग्रिड अधिशेष वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में विद्युत के अंतरण की सुविधा प्रदान करते हैं।

वर्ष 1991 में भारत सरकार ने विद्युत उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना आरंभ किया था। विद्युत अधिनियम में विद्युत क्षेत्र के विकास में निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी की अनुमति दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप यह उद्योग एकल क्रेता बाजार की ओर से बहु-क्रेता और बहु-विक्रेता प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की राज्य बिजली बोर्ड पारेषण ग्रिडों तक पहुंच करना है, जिससे निजी विद्युत उत्पादकों को बढ़े औद्योगिक ग्राहकों को सीधे बिजली बेचने की अनुमति दी जा सके।

वित्तीय वर्ष 2007 में विद्युत अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ने एक स्कीम आरंभ की ताकि प्रमुख पारेषण परियोजनाओं में निजी क्षेत्र से निवेश आमंत्रित किए जा सकें, जिसके परिणामस्वरूप निजी विकासकर्ताओं को "निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन" के आधार पर पारेषण सेवा प्रदाता बनाने का प्रस्ताव है। भारत सरकार ने निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन आधार पर क्रियान्वित की जाने वाली 14 पारेषण संबद्ध परियोजनाओं की पहचान की है।

विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग को इष्टतम करने के लिए भारत सरकार ने 1981 में एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना करने की योजना अनुमोदित की थी। विद्युत मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार की पारेषण परिदृश्य योजना वर्ष 2012 तक 60,000 हजार सीकेएम पारेषण नेटवर्क जोड़कर क्रमिक रूप से राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने पर केन्द्रित है। यह आशा है कि वर्ष 2012 तक एकीकृत ग्रिड से 100000 मेगावाट अतिरिक्त की निकासी होगी और देना में उत्पादित 60% विद्युत वहन की जाएगी। मौजूदा 9000 मेगावाट की अंतर-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता को "ट्रांसमिशन सुपर हाइवेज" की स्थापना द्वारा वित्त वर्ष 2012 तक और बढ़ाकर 30000 मेगावाट किया जाना है। विद्युत विनिमय को बढ़ावा देने और विद्युत बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता है।

ग्यारहवीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार पारेषण प्रणाली विकास और संबंधित स्कीमों के लिए

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कुल निधि आवश्यकता के रूप में 1,400,000 मिलियन रुपए का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 7,50,000 मिलियन रुपए और राज्य क्षेत्र के लिए 6,50,000 मिलियन रुपए की आवश्यकता होगी।

वितरण

तकनीकी रूप में दक्ष और वित्तीय रूप में व्यवहार्य वितरण खंड संपूर्ण विद्युत क्षेत्र सुधार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए, वितरण सुधारों की भारत सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण ध्यान देने के क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। राज्य बिजली बोर्डों और राज्यों के सरकारी संगठनों की खराब आर्थिक स्थिति तथा वितरण नेटवर्क का उन्नयन करने की उनकी परिणामी अक्षमता के कारण इस खंड में सुधार सीमित रह गए हैं।

ग्यारहवीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली विकास हेतु ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कुल निधि आवश्यकता के रूप में 2,870,000 मिलियन रुपए का अनुमान लगाया गया है, जिसमें त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) स्कीमें शामिल हैं।

प्रगतिशील नीतियां

हाल के वर्षों में भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन करने और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार पैकेज बिजली अधिनियम, 2003 लागू करना है, जिसने बिजली क्षेत्र को शासित करने वाले विधायी ढांचे को संशोधित कर दिया है और जिसे भारत के विद्युत क्षेत्र के सामने आ रही अनेक समस्याओं का उन्मूलन करने और बड़े स्तर की विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजी आकर्षित करने के लिए बनाया गया है।

फरवरी, 2005 में अधिसूचित की गई राष्ट्रीय बिजली नीति में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं: (I) अगले पांच वर्षों में सभी आवासों के लिए बिजली तक पहुंच; (II) ऊर्जा और व्यस्ततम कमी पर काबू पाना तथा वर्ष 2012 तक विद्युत की मांग पूर्णतया पूरी करना; (III) विनिर्दिष्ट मानकों की विश्वसनीय एवं गुणवत्ता वाली विद्युत की दक्ष तरीके से तथा तर्कसंगत दरों पर आपूर्ति; (IV) वर्ष 2012 तक यूनिट/आवास/दिन की न्यूनतम आवश्यक खपत की एक अच्छी उपलब्धता प्राप्त करना; (V) बिजली क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता; और (VI) उपभोक्ता हितों की सुरक्षा।

जनवरी, 2006 के प्रथम सप्ताह में अधिसूचित राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति के उद्देश्य विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना, निवेश आकर्षित करना, उपभोक्ताओं को उचित दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना और प्रशुल्क निर्धारण हेतु विनियामक दृष्टिकोण में निरंतरता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। बिजली के लिए जुलाई, 2005 में एक अपीलीय न्यायाधिकरण भी आरंभ किया गया है।

विद्युत क्षेत्र में दक्षता लाने और इसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए विद्युत वितरण सुधारों की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई थी। भारत सरकार ने अन्य विभिन्न पहलों के साथ-साथ मुख्यतः सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) क्षतियों में कमी लाने और विद्युत क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता लाने के उद्देश्य से वितरण क्षेत्र में सुधारों में तेजी लाने के लिए मार्च, 2003 में "त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) " नामक एक योजना अनुमोदित की थी। 11वीं योजना के लिए कार्यदल ने 11वीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम को जारी रखने की सिफारिश की है।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति 23 अगस्त, 2006 को अधिसूचित की गई थी। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की पहुंच एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। ग्रामीण विद्युतीकरण नीति का मूल उद्देश्य कृषि, ग्रामीण उद्योगों इत्यादि में उत्पादक लाभों हेतु एक निवेश के रूप में बिजली उपलब्ध करवा कर तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। सभी गांवों में ग्रामीण आवासों, दुकानों, सामुदायिक केन्द्रों और सार्वजनिक स्थानों इत्यादि में प्रकाश व्यवस्था हेतु बिजली आपूर्ति द्वारा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। इससे ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) सभी आवासों को पांच वर्षों में बिजली तक पहुंच प्रदान करने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2005 में आरंभ की गई थी। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत विद्युत संवितरण ढांचे में (I) कम से कम एक 33/11 केवी उप-केन्द्र के साथ ग्रामीण बिजली वितरण आधार (आरईडीबी); (II) किसी भी गांव अथवा पुरवा में कम से कम एक वितरण ट्रांसफॉर्मर के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण, ढांच (वीईआई); और (III) जहां ग्रिड आपूर्ति व्यवहार्य नहीं है, वहां पर विद्युत उत्पादन के साथ अकेले ग्रिड की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। पूंजी व्यय के लिए 90% तक आर्थिक-सहायता आरईसी के माध्यम से सारणीबद्ध की गई है, जोकि इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एक नोडल एजेंसी है। अविद्युतीकृत गरीबी रेखा से नीचे वाले (बीपीएल) आवासों का विद्युतीकरण सभी ग्रामीण वासस्थलों में 1500/- रुपए प्रति कनेक्शन की दर पर 100% पूंजीगत आर्थिक-सहायता के साथ वित्तपोषित किया गया है। ग्रामीण वितरण का प्रबंध फ्रैंचाइजियों के माध्यम किया जाता है।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2009 तक अनुमानित लगभग 1.25 लाख अविद्युतीकृत गांवों और लगभग 2.34 करोड़ बीपीएल आवासों का विद्युतीकरण तथा सभी ग्रामीण आवासों तक बिजली की पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य था। आरजीजीवीवाई का मूल अनुमानित परिव्यय 16,000 करोड़ रुपए था। दसवीं परियोजना के अंतिम दो वर्षों अर्थात 2005-06 और 2006-07 के लिए 5000 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए थे। बाद में, 11वीं योजना तक जारी रखते हुए वर्ष 2009 तक के लिए 28000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

आरजीजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत 114670 अविद्युतीकृत गांवों सहित 461112 गांवों को शामिल करते हुए 27 राज्यों के 539 जिलों में 551 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन गांवों में कुल मिलाकर 241.1 लाख बीपीएल आवास शामिल हैं।

वर्ष 2005 में आरजीजीवीवाई स्कीम की शुरूआत से कुल 88664 गांवों में विद्युतीकरण किया गया है, जिनमें से 47826 गांव अविद्युतीकृत थे। तदनुसार, इस स्कीम की शुरूआत से 27.71 लाख ग्रामीण आवासों को कनेक्शन जारी किए गए हैं, जिनमें से बीपीएल आवासों की संख्या 22.93 लाख कनेक्शन है। वर्ष 2007-08 के दौरान उपलब्धि के संदर्भ में 9301 अविद्युतीकृत गांवों सहित कुल 38262 गांव विद्युतीकृत किए

गए हैं। इनमें 16.61 लाख बीपीएल आवासों सहित लगभग 20.41 लाख ग्रामीण आवास शामिल हैं।

2. विद्युत क्षेत्र में अवसर

"सभी के लिए बिजली" सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अगले पांच वर्षों में विद्युत क्षेत्र में 10,00,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की परिकल्पना की गई है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वर्ष 2009 तक 100% गांवों का विद्युतीकरण और वर्ष 2012 तक 100% आवासों का विद्युतीकरण करने पर बल दिया गया है। इन कार्यक्रमों ने आरईसी के लिए वित्तपोषण के भारी व्यावसायिक अवसर प्रदान किए हैं।

"राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" (आरजीजीवीवाई) के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होने के नाते आरईसी ग्रामीण भारत में बिजली की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक उत्तदायित्व का निर्वाह कर रहा है।

निगम ने अपने कार्यकलापों के विस्तारण के लिए परम्परागत क्षेत्रों के अलावा वित्तपोषण हेतु नए क्षेत्रों का पता लगाने के उद्देश्य से व्यवसाय विकास के लिए एक अलग से यूनिट की स्थापना की है। व्यवसाय विकास प्रभाग ने भावी व्यवसाय के अवसरों के दोहन हेतु एक पंचवर्षीय व्यवसाय विकास योजना तैयार की है। जेबीआईसी, केएफडब्ल्यू, एडीबी जैसे विदेशी ऋणदाता अभिकरणों और अन्यों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण जुटाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

3. उत्पादवार कार्यनिष्पादन

आरईसी एक वित्तीय संस्थान के रूप में राज्य बिजली बोर्डों/राज्य विद्युत संगठनों/राज्य विद्युत विभागों को वित्तीय सहायता देने के लिए ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के विभिन्न घटकों समेत स्कीमों के लिए ब्याज पर ऋण प्रदान करके संसाधनों में योगदान करता है। आरईसी ने कई ऋण वर्ग पहले ही शुरू किए हैं तथा ऋण लेने वाले विद्युत संगठनों की उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल वह उनमें लगातार संशोधन, नवीकरण और विस्तार भी करता रहता है। वर्ष के दौरान, आरईसी के प्रचालन क्षेत्रों का विस्तार करते हुए सरकार द्वारा दिए गए समादेश के अनुरूप विद्युत क्षेत्र की सभी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए निगम ने 46770 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की और 16304 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया। आरईसी की स्वीकृतियों का मुख्य घटक उत्पादन स्कीमों के लिए था, जिसमें 27275 करोड़ रुपए शामिल थे। इसके अलावा, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 15553 करोड़ रुपए, पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) योजना के अंतर्गत 15033 करोड़ रुपए और अल्पावधि ऋण के अंतर्गत 2685 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। संवितरण में विद्युत उत्पादन के लिए 4308 करोड़ रुपए, आरजीजीवीवाई के अधीन 3751 करोड़ रुपए और पारेषण एवं वितरण स्कीमों के लिए 6662 करोड़ रुपए तथा अल्पावधि ऋण हेतु 1582 करोड़ रुपए शामिल हैं।

4. चुनौतियां, जोखिम एवं चिन्ताएं

राज्य बिजली बोर्डों की लगातार कमजोर वित्तीय हालत उनके सुधारों के बावजूद चिन्ता का विषय बनी हुई है, हालांकि वे लगातार विवेकपूर्ण उधार लेने में सक्षम बन रहे हैं और सभी देय राशि का भुगतान कर रहे हैं।

5. दृष्टिकोण

प्रति व्यक्ति आधार पर अन्य विकासशील देशों सहित शेष विश्व की तुलना में भारत में ऊर्जा खपत तुलनात्मक रूप से कम है। विद्युत मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दीर्घावधि में अगले 25 वर्षों के दौरान भारत के लिए 8% से 9% की वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखने के लिए भारत को मूल ऊर्जा आपूर्ति में 3 से 4 गुना और विद्युत उत्पादन क्षमता में 6 गुना वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, उन्नत पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के साथ-साथ विद्युत उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए भारी निवेश करना होगा। इसलिए, इस क्षेत्र के लिए यह दृष्टिकोण काफी सख्त है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

निगम ने प्रबंधन की नीतियों का पालन करने, परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, धोखेबाजी और त्रुटियों को रोकने एवं उनका पता लगाने, लेखा रिकार्डों की सत्यता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने सहित, जहां तक संभव हो सके अपने व्यवसाय का व्यवस्थित एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के एक भाग के रूप में विभिन्न नीतियां एवं पद्धतियां तैयार की हैं।

निगम में एक अलग आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग है, जोकि प्रबंधन द्वारा तैयार नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार प्रचालनों के व्यापक क्षेत्र कवर करता है। यह प्रभाग भुगतान और व्यय की जांच-पड़ताल करने, गलतियों का पता लगाने और उन्हें रोकने और निगम के वित्तीय तथा तकनीकी रिकार्डों की जांच करने, लेनदेन और प्रचालनों की परिशुद्धता तथा दक्षता में सुधार लाने में सहायता करता है।

देश के विभिन्न भागों में स्थित आंचलिक कार्यालयों/परियोजना कार्यालयों, सीआईआरई और निगम मुख्यालय में निगम के विभिन्न प्रभागों की द्विवार्षिक, वार्षिक और अर्द्धवार्षिक आधार पर लेखा परीक्षा की जाती है।

आंतरिक लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण जांचों को निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को सूचनार्थ और लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियों के अनुपालन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाता है। लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षाएं भी की जाती हैं।

7. प्रचालनात्मक कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्यनिष्पादन पर परिचर्चा

वर्ष 2007-08 के दौरान स्वीकृत ऋण वर्ष 2006-07 के दौरान 28630 करोड़ रुपए की तुलना में 46770 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष के दौरान संवितरण भी वर्ष 2006-07 के 13733 करोड़ रुपए के मुकाबले इस कार्य 16304 करोड़ रुपए बढ़ा। वर्ष 2007-08 के दौरान वसूली दर 98.42% थी।

वित्तीय वर्ष के दौरान निगम ने प्रचालन आय में 726 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की, जो कि वर्ष 2006-07 के दौरान 2652 करोड़ रुपए से बढ़कर 2007-08 में 3378 करोड़ रुपए हो गई। कर-पूर्व लाभ वर्ष 2006-07 के 1006 करोड़ रुपए की तुलना में 1312 करोड़ रुपए था। वर्ष 2007-08 में कंपनी का निवल लाभ 860 करोड़ रुपए था, जोकि गत वर्ष की तुलना में 200 करोड़ रुपए अधिक है। दिनांक 31 मार्च, 2008 के अनुसार कंपनी की निवल परिसंपत्ति 5368 करोड़ रुपए है।

8. नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण घटनाएं

निगम के व्यवसाय में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ-साथ उत्पादकता और लाभकारिता में वृद्धि के लिए चुनौतियों में भी कई गुना

वृद्धि हुई है। चुनौतियों का सामना करने और व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिग्रहण, प्रतिधारण और गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों के विकास पर काफी जोर दिया गया है। निगम की व्यावसायिक जन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान सभी वर्गों में व्यावसायिक तौर पर योग्य व्यक्तियों को शामिल किया गया, जिनमें खुले विज्ञापन के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर 28 कार्यपालक और कैंपस भर्ती के माध्यम से 5 कार्यपालक नियुक्त किए गए।

कर्मचारियों की कार्यकुशलता और प्रबंध की क्षमता के विकास हेतु वर्ष के दौरान प्रशिक्षण एवं मानव विकास को प्राथमिकता दी गई, जब कंपनी ने देश और विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के लिए 573 कर्मचारियों को प्रायोजित किया था। सुशासन और कार्य प्रणाली की वैश्विक पद्धतियों से कार्यपालकों का परिचय कराने की दृष्टि से अनेक अधिकारियों को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विदेश भेजा गया।

कर्मचारी कल्याण को भी काफी महत्व दिया गया और दिल्ली, एनसीआर तथा देश के अन्य राज्यों में अपोलो, फोर्टिस और मैक्स समूह के अस्पतालों जैसे अधिकाधिक अस्पतालों को पैनल में शामिल करने जैसे कर्मचारियों के लाभ हेतु अनेक कदम उठाए गए। निजी अस्पतालों में कराए गए इलाज संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति को एम्स, नई दिल्ली से बदलकर सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली हेतु संशोधित कर दिया गया है।

संगठन में औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण था और सहयोग तथा आपसी समझ-बूझ का वातावरण विद्यमान रहा है।

9. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

दिनांक 26 मई, 2008 को आयोजित निदेशक मंडल की 337वीं बैठक में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों संबंधी नीति अनुमोदित की गई है। इस नीति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :-

नीति

आरईसी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निम्नलिखित है :-

"एक उत्तरदायी निगमित संस्था बने रहना, जोकि उपभोक्ताओं, शेयरधारकों, कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और समग्र समाज सहित सभी हितधारकों के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का ध्यान रखता है।"

उद्देश्य और लक्ष्य

एक उत्तरदायी निगमित संस्था के रूप में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन निम्नलिखित बातों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सतत् विकास की अवधारणा का अनुसरण करते हुए अपने हितधारकों की आशाओं को पूरा करने के लिए लगातार अवसरों की खोज करता रहेगा:-

1) उचित हस्तक्षेप और चुनिंदा आधार पर सहायता से वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य ग्रामीण विद्युत सुपुर्दगी मॉडलों के प्रदर्शन की सुविधा प्रदान करना ताकि उन्हें कहीं भी पुनः दोहराया जा सके।
2) कार्यकुशलता विकास और प्रशिक्षण सहित ग्रामीण उद्यमों और आजीविका का संवर्धन।
3) ग्रामीण क्षेत्रों में साझा सुविधा केन्द्रों/उत्पादन केन्द्रों को विकास सहायता प्रदान करना।
4) लघु उद्यम संवर्धन के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का संवर्धन एवं विकास।
5) पर्यावरण सुरक्षा के लिए सतत् प्रयास करना।
6) खेल-कूद को बढ़ावा देना।
7) कर्मचारियों और उनके परिवारों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देना।
8) संबंधित समुदाय विकास कार्यक्रम आरंभ करना।
9) समाज के अत्यंत पिछड़े और सीमांत वर्गों की व्यावसायिक, तकनीकी और उच्चतर शिक्षा के प्रयासों में सहायता देना।
10) प्राकृतिक संकट/आपदाओं के समय राहत/पुनर्वास प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय/ स्थानीय प्रयासों का हिस्सा बनना।

अनिवार्य निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलाप

(i) समय-समय पर लागू भारत सरकार से प्राप्त विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।

(ii) समय-समय पर लागू भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न अनिवार्य दिशानिर्देशों के अनसार शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों (दृष्टिहीनता, विकलांगता आदि जैसी विभिन्न अशक्तता से पीड़ित) को रोजगार के अवसर प्रदान करना।

(iii) विभिन्न सांविधिक प्रावधानों अथवा अन्यथा कंपनी की नीतियों के अंतर्गत समय-समय पर यथा लागू अनुसार निगम के कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि योजना, उपदान के भुगतान के अंतर्गत लाभों के रूप में आवश्यक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना।

(iv) कंपनी की विभिन्न नीतियों अथवा विभिन्न कानूनों के अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों में उद्दिल्लिखित के अनुसार विभिन्न रोगों, अशक्तता के निवारण सहित कर्मचारियों और उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा के क्षेत्र में आवश्यक सुविधा प्रदान करना।

(v) विभिन्न सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत लागू अथवा कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्मित के अनुसार मातृत्व लाभ देने के संदर्भ में निगम की महिला कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के आवश्यक उपाय प्रदान करना।

अनुबंध-II

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

पृष्ठभूमि

किसी भी व्यावसायिक उद्यम के मामले में सुशासन पदानुक्रम में शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल होता है। कंपनी के निदेशक मंडलों का उनकी संरचना, सोचने की शैली और कार्य पद्धतियों के संबंध में एक समान होना आवश्यक नहीं है। वस्तुतः, उनकी शक्ति उनकी विविधता में निहित होती है। सोचने की शैली और संरचना में कठोरता से निदेशक मंडलों के मात्र सजावटी संगठन रह जाने की संभावना रहती है। ऐसे निदेशक मंडल उभरते हुए व्यवसाय-आर्थिक परिवेश द्वारा उनसे की गई बहुआयामी मांगों को पूरा करने में असफल रहते हैं। व्यावसायिक उद्यम जैसे-जैसे अपने क्षितिज का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विस्तार करते हैं, तैसे-तैसे उनके लिए अपने शासकीय अंगों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की अपेक्षाओं के अनुसार अनुकूल बनाना आवश्यक हो जाता है। उदारीकरण और वैश्वीकरण के प्रयासों ने भारतीय निगमित जगत के लिए अपने निदेशक मंडलों और अपनी सुशासन पद्धतियों में उपयुक्त परिवर्तन करना आवश्यक कर दिया है।

बाजार-स्थलों के वैश्वीकरण ने एक ऐसे युग में प्रवेश कर लिया है, जहां पर निगमित सुशासन की गुणवत्ता निगमों के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण निर्धारक बन गई है। वैश्विक मानकों के साथ निगम सुशासन पद्धतियों की संगतता निगमित सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक बन गई है। इसलिए, वैश्विक बाजार में प्रभावी तरीके से प्रबंध करने के लिए अच्छे निगमित शासन की पद्धति किसी भी कंपनी के लिए एक आवश्यक पूर्वापेक्षा है।

निगमित सुशासन के लक्ष्य

अच्छा शासन किसी भी कंपनी के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। यह उच्चतर विकास और लाभों के प्रति कंपनी की वचनबद्धता सुनिश्चित करते हुए निवेशकों को प्रेरित करता है और उनके विश्वास को मजबूत बनाता है। यह निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है :

() उपयुक्त रूप से गठित और उच्चतम स्तर पर स्वतंत्र तथा निष्पन्न निर्णय लेने में सक्षम निदेशक मंडल सही रहता है;

(II) उपयुक्त संख्या में गैर-प्रकार्यात्मक और स्वतंत्र निदेशकों के प्रतिनिधित्व वाला निदेशक मंडल संतुलित होता है, जोकि सभी हितधारकों के हितों और कल्याण का ध्यान रखेगा;

(III) निदेशक मंडल पारदर्शी प्रक्रियाएं और पद्धतियां अपनाता है तथा पर्याप्त सूचना की शक्ति के बल पर निर्णय करता है;

(IV) निदेशक मंडल के पास हितधारकों की चिन्ताओं को दूर करने के लिए कारगर तंत्र होता है;

(V) निदेशक मंडल कंपनी को प्रभावित करने वाली संगत घटनाओं से शेयरधारकों को अवगत कराता रहता है;

(VI) निदेशक मंडल प्रबंधन दल के कार्यचालन को कारगर और नियमित रूप से मानीटर करता है; और

(VII) निदेशक मंडल सदैव कंपनी के मामलों का प्रभावी नियंत्रण करता है।

निदेशक मंडल का यह समग्र प्रयास होना चाहिए कि वह संगठन को आगे ले जाए, दीर्घावधिक मूल्य और शेयरधारकों के धन को उच्चतम स्तर तक ले जाए।

आरईसी पर निगमित सुशासन की संहिता की प्रयोज्यता

आरईसी इसकी ऋण प्रतिभूतियों और इक्विटी शेयरों, दोनों के कारण एक सूचीबद्ध कंपनी है। पिछले वर्ष तक निगमित सुशासन की संहिता अनिवार्य नहीं थी, क्योंकि केवल ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध थीं और आदर्श सूचीकरण करार के अनुसार संहिता अनिवार्य नहीं थी। तथापि, आरईसी के निदेशक मंडल ने संहिता की अपेक्षाओं का चरणबद्ध तरीके से पालन करने का प्रयास किया था।

इस प्रकार, आरईसी निगमित सुशासन मानदंडों के उच्च मानकों को क्रियान्वित करने और बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है और अच्छे निगमित शासन के सिद्धांतों का पालन करता रहा है, जबकि वे अनिवार्य नहीं थे। तथापि, हाल ही में सम्पन्न आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के अनुसरण में आरईसी के इक्विटी शेयरों के बाद में सूचीबद्ध होने पर संहिता आरईसी के लिए अनिवार्य हो गई है। इसके अतिरिक्त, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों हेतु निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश भी इसे अनिवार्य बनाते हैं।

निगम विवेक, पारदर्शिता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और उत्तरदायित्व पर आधारित ठोस निगमित पद्धतियों के प्रति वचनबद्ध है, जोकि सतत दीर्घावधिक विकास और लाभकारिता प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों में विश्वास करने का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

सूचीकरण करार की अपेक्षाओं के अनुसार, एक रिपोर्ट नीचे दी गई है और निगमित सुशासन के प्रावधानों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र भी अलग से संलग्न है :

1. सुशासन संहिता पर निगम की विचारधारा

आरईसी अपने सभी शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा करने, उनको प्रोन्नत करने एवं उनका संरक्षण करने तथा उपयुक्त पारदर्शी प्रणाली द्वारा समर्थित अच्छे निगमित सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है।

आरईसी ग्रामीण और शहरी जनता के रहन-सहन को समृद्ध बनाने एवं उनके विकास में तेजी लाने के लिए बिजली पहुंचाने में मदद करने हेतु भी प्रतिबद्ध है।

आरईसी देशभर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और वितरण तंत्र संबंधी परियोजनाओं को प्रोन्नत करने तथा वित्तपोषित करने के लिए ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखने वाले प्रतिस्पर्धात्मक एवं विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. निदेशक मंडल

(क) निदेशक मंडल की संरचना :

आरईसी के निदेशक मंडल में 8(आठ) सदस्य हैं, जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 3(तीन) प्रकार्यात्मक निदेशक हैं और पांच गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक हैं, जिनमें से एक भारत सरकार का नामिती है।

सूचीकरण करार के खंड 49 में उल्लिखत के अनुसार निदेशक मंडल के आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होते हैं।

रिपोर्ट की तारीख के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना निम्नलिखित है:-

प्रकार्यात्मक निदेशक

श्री पी. उमा शंकर	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एच.डी. खुंटेटा	-	निदेशक (वित्त)
श्री बाल मुकंद	-	निदेशक (तकनीकी)

गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक

श्री देवेन्द्र सिंह	-	निदेशक (सरकारी नामिती)
डॉ0 एम. गोविन्द राव	-	स्वतंत्र निदेशक
श्री पी.आर. बालासुब्रामणियन	-	स्वतंत्र निदेशक
श्री वेणुगोपाल एन. धूत	-	स्वतंत्र निदेशक
डॉ0 देवी सिंह	-	स्वतंत्र निदेशक

(ख) गैर-प्रकार्यात्मक निदेशकों को प्रतिपूर्ति और प्रकटीकरण:

दिनांक 18 जनवरी, 2008 को आयोजित अपनी 328वीं बैठक में निदेशक मंडल ने गैर-प्रकार्यात्मक/ स्वतंत्र निदेशक को निम्नलिखित बैठक शुल्क का भुगतान करने का निर्णय किया था :-

निदेशक मंडल की बैठकों के लिए 12,000/-रुपए

समिति बैठकों के लिए 10,000/-रुपए

(ग) निदेशक मंडल और समितियों से संबंधित अन्य प्रावधान

(I) वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान निदेशक मंडल की 23 बैठकें आयोजित की गई थीं (स्थगित बैठकों सहित) और बैठकों की तारीखों, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या और प्रत्येक बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या का ब्योरा नीचे दिया गया है :-

बैठक की तारीख	निदेशक मंडल की सदस्य सं0	उपस्थित निदेशकों की संख्या
17 अप्रैल, 2007	5	5
7 मई, 2007 (आपात बोर्ड बैठक)	5	4
30 मई, 2007	5	4
13 जून, 2007	5	4
10 जुलाई, 2007	5	3
31 जुलाई, 2007	5	5
6 अगस्त, 2007	5	5
13 अगस्त, 2007	5	5
22 अगस्त, 2007	5	5
7 सितम्बर,2007	5	4
10 सितम्बर, 2007 (स्थगित बैठक)	5	5
25 अक्तूबर, 2007	5	4
30 अक्तूबर, 2007	5	4
13 नवम्बर, 2007	5	4
14 दिसम्बर, 2007	5	5
18 जनवरी, 2008	8	8
25 जनवरी, 2008	8	7
27 जनवरी, 2007 (आपात बैठक)	8	6
1 फरवरी, 2008	8	6
25 फरवरी, 2008	8	6
28 फरवरी, 2008	8	5
5 मार्च, 2008	8	5
31 मार्च, 2008	8	7

सूचीकरण करार में उल्लिखित के अनुसार सूचना सहित विस्तृत कार्यसूची टिप्पणियां निदेशक मंडल को अग्रिम तौर पर परिचालित की गई थीं। इस अवधि के दौरान दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल चार माह से भी कम था।

(II) वर्ष 2007-08 के दौरान निदेशकों के पद, श्रेणी का ब्यौरा, निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की संख्या, पिछली एजीएम में उपस्थिति, आरईसी से भिन्न अन्य निदेशक पदों की संख्या (पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में)/समिति सदस्यता (यथा; लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक शिकायत समिति) का ब्योरो नीचे तालिका में दिया गया है : -

क्र. सं.	निदेशक (श्रेणी)	निदेशक मंडल की बैठकें (स्थगित बैठकों सहित)		पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति (27.09.2007) को आयोजित	31.3.2008 के अनुसार अन्य निदेशक पदों की सं0	31.3.2008 के अनुसार अन्य समितियों की सदस्यता की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1.	श्री ए.के. लखीना (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) (टिप्पणी-1 देखें)	21	21	हां	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
2	श्री पी. उमा शंकर (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) (टिप्पणी-2 देखें)	2	2	भाग नहीं लिया	2	शून्य	शून्य
3.	श्री एच.डी. खुंटेटा (निदेशक-वित्त)	23	22	हां	शून्य	शून्य	शून्य
4.	श्री बाल मुकंद (निदेशक-तकनीकी)	23	21	हां	शून्य	शून्य	शून्य
5.	श्री एम. साहू (टिप्पणी-3 देखें)	5	1	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
6.	श्री जयंत कावले (टिप्पणी-4 देखें)	9	9	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
7.	श्री राजेश वर्मा (सरकारी निदेशक) (टिप्पणी-5 देखें)	10	9	हां	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया

8.	श्री देवेन्द्र सिंह (सरकारी निदेशक) (टिप्पणी-6 देखें)	14	12	हां	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
9.	श्री वेणुगोपाल एन. धूत, (स्वतंत्र निदेशक) (टिप्पणी-7 देखें)	8	1	भाग नहीं लिया	10	1	शून्य
10.	डॉ0 एम. गोविन्द राव (स्वतंत्र निदेशक) (टिप्पणी-8 देखें)	8	3	भाग नहीं लिया	शून्य	शून्य	शून्य
11.	श्री पी.आर. बालासुब्रामणियन (स्वतंत्र निदेशक) (टिप्पणी-9 देखें)	8	8	भाग नहीं लिया	शून्य	शून्य	शून्य
12.	डॉ0 देवी सिंह (स्वतंत्र निदेशक) (टिप्पणी-10 देखें)	8	7	भाग नहीं लिया	2	1	शून्य

टिप्पणी-1 : श्री ए.के. लखीना ने सेवानिवृत्त होने पर दिनांक 29 फरवरी, 2008 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार छोड़ दिया।
टिप्पणी-2 : श्री पी. उमा शंकर को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 29 फरवरी, 2008 के कार्यालय आदेश द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2008 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
श्री पी. उमा शंकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के दूसरे निदेशक पद के ब्यौरे :
(I) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड - अध्यक्ष एवं निदेशक
(II) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड - अध्यक्ष एवं निदेशक
टिप्पणी-3 : विद्युत मंत्रालय के दिनांक 18 जुलाई, 2007 के कार्यालय आदेश के अनुसार श्री एम. साहू 18 जुलाई, 2007 से निदेशक के पद पर नहीं रहे।
टिप्पणी-4 : विद्युत मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त, 2007 के कार्यालय आदेश के अनुसार श्री जयंत कावले 29 अगस्त, 2007 से निदेशक के पद पर नहीं रहे।
टिप्पणी-5 : श्री राजेश वर्मा को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 18 जुलाई, 2007 के आदेश द्वारा श्री एम. साहू के स्थान पर 18 जुलाई, 2007 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और विद्युत मंत्रालय के दिनांक 9 जनवरी, 2008 के कार्यालय आदेश द्वारा वे 9 जनवरी, 2008 से निदेशक के पद पर नहीं रहे।
टिप्पणी-6 : श्री देवेन्द्र सिंह को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय आदेश द्वारा श्री जयंत कावले के स्थान पर 29 अगस्त, 2008 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
टिप्पणी-7 : विद्युत मंत्रालय के दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 के कार्यालय आदेश द्वारा श्री वेणुगोपाल एन. धूत को 20 दिसम्बर, 2007 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
श्री वेणुगोपाल एन. धूत द्वारा धारित निदेशक के पद/समितियों की सदस्यता का ब्यौरा :
निदेशक का पदः
(I) वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (II) ट्रेंड इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (III) वीडियोकॉन एप्लायंसेज लिमिटेड (IV) किचन एप्लायंसेज लिमिटेड (V) उत्तरांचल एप्लायंसेज लिमिटेड (VI) श्री धूत ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड (VII) नेक्सट रिटेल इंडिया लिमिटेड (VIII) वीडियोकॉन रियल्टी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (IX) वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (X) भारत होटल्स लिमिटेड
समिति की सदस्यता
(I) किचन एप्लायंसेज इंडिया लिमिटेड - अध्यक्ष -लेखापरीक्षा समिति।
टिप्पणी-8 : विद्युत मंत्रालय के दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 के कार्यालय आदेश द्वारा डॉ0 एम. गोविन्द राव को 20 दिसम्बर, 2007 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
टिप्पणी-9 : विद्युत मंत्रालय के दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 के कार्यालय आदेश द्वारा श्री पी.आर. बालासुब्रामणियन को 20 दिसम्बर, 2007 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
टिप्पणी-10: विद्युत मंत्रालय के दिनांक 7 जनवरी, 2008 के कार्यालय आदेश द्वारा डॉ0 देवी सिंह को 7 जनवरी, 2008 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
निदेशक का पदः
(I) राइट्स लिमिटेड (II) सनबीम ऑटो लिमिटेड
समिति की सदस्यता :
(I) राइट्स लिमिटेड - अध्यक्ष - लेखापरीक्षा समिति

निदेशक मंडल में शामिल कोई भी निदेशक, जिन सभी कंपनियों में वे निदेशक हैं, उनकी 10 से अधिक समितियों (खंड 49 में विनिर्दिष्ट के अनुसार) का सदस्य नहीं है।

निदेशक मंडल को उपलब्ध सूचना

निदेशक मंडल की कपंनी के भीतर सभी संबंधित जानकारी तक पूरी पहुंच होती है। निदेशक मंडल को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी में विशिष्ट तौर पर निम्नलिखित सूचनाएं शामिल होती हैं :

- वार्षिक प्रचालन योजना, बजट और उसमें शामिल अन्य अद्यतन सूचनाएं।
- पूंजीगत बजट और उसमें शामिल अन्य अद्यतन सूचनाएं।
- कंपनी और इसके प्रचालन प्रभागों अथवा व्यवसाय खंडों के तिमाही परिणाम।
- लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठक के कार्यवृत्त।
- बोर्ड स्तर से अगले निचले स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती/ पारिश्रमिक संबंधी सूचना।
- कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और दंडित करने संबंधी नोटिस, यदि कोई हो, जोकि अत्यंत महत्वपूर्ण हो।
- घातक अथवा गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, महत्वपूर्ण निस्सरण अथवा प्रदूषण संबंधी कठिनाइयां, यदि कोई हों।
- कंपनी के प्रति और कंपनी द्वारा वित्तीय वचनबद्धता में भारी चूक अथवा कंपनी द्वारा की गई सेवा के लिए बड़ी राशि का भुगतान न होना।
- महत्वपूर्ण किस्म के, यदि कोई हों, कोई भी मुद्दे जिनमें संभावित सार्वजनिक अथवा उत्पाद देयता के दावे निहित हों।
- किसी संयुक्त उद्यम अथवा सहयोग करार के ब्यौरे।
- साख, ब्रांड इक्विटी अथवा बौद्धिक संपदा के संदर्भ में भारी भुगतानों का लेनदेन।
- महत्वपूर्ण श्रमिक समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान, यदि कोई हों।
- मानव संसाधन में कोई महत्वपूर्ण घटना अथवा मजूरी करार पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के क्रियान्वयन जैसे औद्योगिक संबंधों के मुद्दे इत्यादि।
- सामग्री की बिक्री, निवेशों का स्वरूप, सहायक कंपनियां, परिसंपत्तियां जोकि व्यवसाय का सामान्य हिस्सा नहीं है।
- विदेशी मुद्रा प्रकटीकरण के तिमाही ब्योरे और प्रतिकूल विनिमय दर घटबढ़, यदि महत्वपूर्ण हो, के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए उपाय।
- किसी विनियामक, सांविधिक किस्म की अथवा सूचीकरण अपेक्षा और शेयरधारक सेवा का अनुपालन न किया गया हो।
- अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना।

(III) लागू कानूनों का अनुपालन

निदेशक मंडल ने दिनांक 29 मार्च, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी पर लागू कानूनों और ऐसे लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की एक निर्देशक सूची की पहचान की थी। निदेशक मंडल उसे प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट के आधार पर लागू कानूनों के अनुपालन की समीक्षा करता है और 31.3.2008 के अनुसार अनुपालन न करने का कोई भी मामला नहीं है।

(घ) आचरण संहिता

निगमित सुशासन की संहिता के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ स्तर के प्रबंधकों के लिए आरईसी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2007 को एक आचार-संहिता तैयार एवं अनुमोदित की गई थी। उक्त आचार संहिता कंपनी के दैनिक कार्य संचालन में निष्ठा, पारदर्शिता और नैतिक व्यवहार के उच्च मानकों का अनुपालन सुनिश्चित

करने के लिए तैयार की गई है और इससे कंपनी को अपने व्यवसाय संचालन के बारे में अपने शेयरधारकों, हितधारकों और अन्य बाहरी पार्टियों को सार्वजनिक तौर पर सूचित करने में सहायता मिलती है। इस संहिता के प्रावधान प्रकार्यात्मक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और सरकारी निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों सहित निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए अनिवार्य हैं, जिससे निगम के हित में संहिता के अनुपालन हेतु उत्तरदायित्व उन्हें सौपा गया है।

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त सहमति के आधार पर आचरण संहिता के अनुपालन से संबंधित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई घोषणा नीचे दी गई है:

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित आचरण संहिता के अनुपालन की सहमति दी है।

श्री पी. उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(ङ) इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए संहिता

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार) विनियम, 1992 के अनुसार कंपनी ने गोपनीयता बनाए रखने और अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के दुरूपयोग को रोकने के लिए एक व्यापक इनसाइडर ट्रेडिंग अवरोधन संहिता तैयार की है। कंपनी के प्रत्येक निदेशक अधिकारी और पदनामित कर्मचारी का यह कर्त्तव्य है कि वह कंपनी में अपने कार्यचालन के दौरान प्राप्त ऐसी सूचना की गोपनीयता की सुरक्षा करे और कंपनी में अपने कार्य का दुरूपयोग न करे तथा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने अथवा किसी तीसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए कंपनी से संबंधित सूचना अथवा अपनी स्थिति का दुरूपयोग न करे। संहिता में कंपनी के शेयरों से संबंधित कार्य करने और अनुपालन न करने के परिणामों के संबंध में अपनाए जाने वाले और प्रकटीकरणों के संबंध में दिशानिर्देश तथा प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और आंतरिक व्यापार को रोकने संबंधी संहिता का पालन करने के लिए उत्तरदायी है। इस संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

उक्त संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार, जब भी कोई मूल्य संवेदी सूचना निदेशक मंडल को प्रस्तुत की गई थी, तब व्यापार खिड़की (ट्रेडिंग विंडो) समय-समय पर बंद कर दी गई थी। व्यापार खिड़की बंद करने के बारे में सभी कर्मचारियों को सूचना समय से पहले जारी कर दी गई थी और जब खिड़की बंद हो जाए, तब कंपनी के शेयरों का कार्य करने से रोकने के लिए उपयुक्त घोषणाएं भी की गई थीं।

3. लेखापरीक्षा समिति

संरचना एवं विचारार्थ विषय

आरईसी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से पूर्व लेखापरीक्षा समिति का गठन इस प्रकार था :

श्री देवेन्द्र सिंह, सरकारी नामिती निदेशक, अध्यक्ष
श्री राजेश वर्मा, सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य
श्री बाल मुकंद, निदेशक (तकनीकी), सदस्य

निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के उपरांत कंपनी ने सूचीकरण करार की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए दिनांक 18 जनवरी, 2008 को आयोजित निदेशक मंडल की 328वीं बैठक में लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया था।

तदनुसार लेखापरीक्षा समिति की वर्तमान संरचना निम्नलिखित है:

1. डॉ0 एम. गोविन्द राव, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष
2. श्री पी. आर. बालासुब्रामणियन स्वतंत्र, निदेशक, सदस्य
3. डॉ0 देवी सिंह, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :

(क) कंपनी अधिनियम की धारा 292ए के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

(ख) आदर्श सूचीकरण करार के खंड 2.18 और सूचीकरण करार के खंड 49 में उल्लिखित लेखापरीक्षा समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना और लोक उद्यम विभाग के निगमित सुशासन (सीपीएसईज), 2007 के दिशानिर्देशों का चरणबद्ध रूप में अनुपालन करना।

(ग) कंपनी की लेखापरीक्षा न की गई/लेखापरीक्षित तिमाही/छमाही/ वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करना/रिकार्ड में शामिल करना।

बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2007-08 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 5 बैठकें दिनांक 30 मई, 2007, 31 जुलाई, 2007, 7 सितम्बर, 2007, 30 अक्तूबर,2007 और 31 मार्च, 2008 को आयोजित की गई थीं।

वर्ष 2007-08 के दौरान बैठकों में अलग-अलग सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

नाम	पदनाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. साहू (दिनांक 18.07.2007 से निदेशक नहीं रहे)	निदेशक (सरकारी नामिती)	1	1
श्री जयंत कावले (दिनांक 29.08.2007 से निदेशक नहीं रहे)	निदेशक (सरकारी नामिती)	2	1
श्री बाल मुकंद (दिनांक 18.01.2008 से निदेशक नहीं रहे)	निदेशक (तकनीकी)	4	4
श्री राजेश वर्मा (दिनांक 09.01.2008 से निदेशक नहीं रहे)	निदेशक (सरकारी नामिती)	3	2
श्री देवेन्द्र सिंह (दिनांक 18.01.2008 से निदेशक नहीं रहे)	निदेशक (सरकारी नामिती)	2	1
डॉ0 एम. गोविन्द राव		1	1
श्री पी.आर. बालासुब्रामणियन	स्वतंत्र निदेशक	1	1
डॉ0 देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक	1	1

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए में उल्लिखित के अनुसार निदेशक (वित्त), कार्यपालक निदेशक (आंतरिक लेखापरीक्षा) और सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं।

लेखापरीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री देवेन्द्र सिंह, दिनांक 27 सितम्बर, 2007 को आयोजित पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थित थे।

पारिश्रमिक समिति

वर्तमान में आरईसी की संस्था अंतर्नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि निदेशक को दिए जाने वाले पारिश्रमिक और/या अन्य भत्ते भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अतः इस प्रयोजनार्थ कोई समिति गठित नहीं की गई है।

तथापि, निगम सुशासन संहिता के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार निदेशक के पारिश्रमिक से संबंधित अनिवार्य प्रकटीकरण निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशक के पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए)

नाम	वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ	बोनस/ कमीशन	कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन *	जोड़
श्री ए.के. लखीना (भूतपूर्व- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) 29.02.2008 को सेवानिवृत्त)	836102	642239	शून्य	457244	1935585
श्री पी. उमा शंकर (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) (01.03.2008 को नियुक्त)	-	7544	शून्य	-	7544
श्री एच.डी खुंटेटा, निदेशक (वित्त)	980384	383510	शून्य	400536	1764430
श्री बाल मुकंद निदेशक (तकनीकी)	1000308	608625	शून्य	412896	2021829

*कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान आरईसी की कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन योजना के अनुसार किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के भुगतान का ब्योरा नीचे दिया गया है :

(रुपए)

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		जोड़
	निदेशक मंडल की बैठक	समिति की बैठक	
श्री पी.आर. बालासुब्रामणियन	96000	10000	106000
डॉ० देवी सिंह	84000	10000	94000
डॉ० एम. गोविन्द राव	36000	10000	46000
श्री वेणुगोपाल एन. धूत	शून्य	भाग नहीं लिया	शून्य

श्री देवेन्द्र सिंह, सरकारी नामित निदेशक होने के नाते कंपनी से किसी प्रकार के पारिश्रमिक और बैठक शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं।

निवेशक शिकायत समिति

शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन

वर्ष 2007-08 के दौरान निवेशक शिकायत समिति 18 जनवरी, 2008 को पुनर्गठित की गई थी और इसका नाम बदल कर "शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति" कर दिया गया था, जिसका विशिष्ट कार्य शेयरों के हस्तांतरण, तुलन-पत्र प्राप्त न होने, घोषित लाभांश के प्राप्त न होने इत्यादि जैसी शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के समाधान को देखना था। इस समिति के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र सिंह, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

1. श्री देवेन्द्र सिंह, अध्यक्ष ,(सरकारी नामिती, गैर-कार्यपालक निदेशक)
2. श्री एच.डी. खुंटेटा- सदस्य (निदेशक (वित्त), कार्यपालक निदेशक)
3. श्री बाल मुकंद - सदस्य (निदेशक (तकनीकी), कार्यपालक निदेशक)

निवेशकों की शिकायतों पर निगम द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) द्वारा नियमित आधार पर कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2007-08 के दौरान निवेशक शिकायत समिति की एक बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2008 को आयोजित की गई थी, ताकि शिकायत प्रक्रिया और निवेशकों की लंबित शिकायतों की समीक्षा की जा सके।

निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में निवेशकों की शिकायतों की सूचना निम्नलिखित है:-

दिनांक 12.03.2008 (अर्थात स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी शेयरों के सूचीकरण की तारीख) से 31.03.2008 तक की अवधि के लिए इक्विटी शेयरों से संबंधित शेयरधारकों की शिकायतों/पूछताछ की स्थिति निम्नलिखित है:-

वर्ष के आरंभ में लंबित	दिनांक 12.03.2008 को शेयरों के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के कारण लागू नहीं।
12.03.2008 से 31.03.2008 की अवधि के लिए प्राप्त	6697
उपर्युक्त अवधि के दौरान निपटाए गए	6697
31.03.2008 के अनुसार समाधान न किए गए	शून्य

शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति का गठन प्रति व्यक्ति प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर से अधिक शेयरों के वास्तविक अंतरण हेतु शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और अनुमोदन करने तथा शेयरों के विभाजन/समेकन के लिए प्राप्त अनुरोधों का अनुमोदन करने के लिए किया गया है।

शेयर अंतरण समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :-

श्री बी.आर. रघुनंदन - महाप्रबंधक (विधि) एवं कंपनी सचिव

श्री अजीत अग्रवाल - महाप्रबंधक (वित्त) (संसाधन)

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट प्रति व्यक्ति प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर से अधिक शेयरों के वास्तविक अंतरण हेतु शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और अनुमोदन

करने तथा शेयरों के विभाजन/समेकन के लिए प्राप्त अनुरोधों का अनुमोदन करने के लिए किया गया है।

डिबेंचरों को छोड़कर उधारों संबंधी उप-समिति

निदेशक मंडल ने डिबेंचरों को छोड़कर उधारों के अनुमोदन हेतु एक उप-समिति गठित की है। इस उप-समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त); और निदेशक (तकनीकी) शामिल हैं। वर्ष के दौरान उप-समिति की सात बैठकें क्रमशः28 जून, 2007, 3 सितम्बर, 2007, 24 सितम्बर, 2007, 18 अक्तूबर, 2007, 20 नवम्बर,2007, 11 दिसम्बर,2007 और 25 फरवरी,2008 को आयोजित की गई थीं।

उधार दरों की समीक्षा हेतु उप-समिति

निदेशक मंडल के अल्पावधि और दीर्घावधि, दोनों प्रकार की उधार दरों की समीक्षा करने के लिए एक उप-समिति गठित की है। इस उप-समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) शामिल हैं। वर्ष के दौरान उप-समिति की चार बैठकें क्रमशः 19 अप्रैल, 2007, 24 सितम्बर,2007, 11 दिसम्बर,2007 और 25 मार्च, 2008 को आयोजित की गई थीं।

आईपीओ समिति

निदेशक मंडल ने कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए वर्ष के दौरान एक आईपीओ समिति का गठन किया है। आईपीओ समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) शामिल हैं। वर्ष के दौरान आईपीओ समिति की सात बैठकें क्रमशः 21 जून, 2007, 8 अगस्त,2007, 13 अगस्त, 2007, 17 जनवरी, 2008, 23 जनवरी, 2008, 31 जनवरी, 2008 और 25 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई थीं।

4. सहायक कंपनियां

सूचीकरण करार के खंड 49 में परिभाषित के अनुसार कंपनी की कोई "महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी" नहीं है। गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त आरईसी के निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए थे।

5. वार्षिक महासभा

संख्या	वर्ष	अवस्थिति	तारीख एवं समय	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है
36th	2004-05	पंजीकृत कार्यालय : कोर-4,, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	22 सितम्बर, 2005 अपराह्न 3.00 बजे	हां
37th	2005-06	पंजीकृत कार्यालय : कोर-4,, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	22 सितम्बर, 2006 अपराह्न 4.00 बजे	नहीं
38th	2006-07	पंजीकृत कार्यालयः कोर-4,, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	27 सितम्बर, 2007 अपराह्न 3.00 बजे	नहीं

6. प्रकट की गई बातें

(I) संबंधित पार्टियों अर्थात प्रवर्त्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन से संबंधित कोई अत्यंत महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हैं, जिनसे कंपनी के हितों के साथ कोई भारी विवाद उत्पन्न हो सकता हो।

(II) विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अनुपालन न किए जाने वाले पूंजीगत बाजार से संबंधित कोई मामले नहीं थे। इस संबंध में सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा कंपनी के विरूद्ध न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही कोई भर्त्सना की गई है।

(III) व्हिसल ब्लोअर नीति अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। कंपनी ने इस संबंध में नीति अभी तैयार करनी है।

(IV) कंपनी ने निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट में शामिल सभी सुझाई गई मदें अपनाई हैं। गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं को अपनाने/न अपनाने संबंधी सूचना यहां नीचे दी गई है :-

गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं

1. निदेशक मंडल : कंपनी के प्रमुख एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं। कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल सभी स्वतंत्र निदेशक पहली बार दिसम्बर, 2007/जनवरी, 2008 में नियुक्त किए गए थे और कुल मिलाकर नौ वर्ष की अवधि से आगे इसमें वृद्धि होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
2. पारिश्रमिक समिति : निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्णय कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कंपनी की इस संबंध में कोई पारिश्रमिक समिति नहीं है।
3. लेखापरीक्षा आपत्ति : कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं है।
4. निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण देना : यह आवश्यकता आधारित है।
5. निदेशक मंडल के गैर-कार्यपालक सदस्यों के मूल्यांकन की प्रणाली : इस समय ऐसी कोई प्रणाली नहीं है।
6. व्हिसल ब्लोअर नीति : कंपनी द्वारा अभी तैयार नहीं की गई है।

(V) वरिष्ठ प्रबंध स्तर के सभी सदस्यों ने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेनों के संबंध में निदेशक मंडल को सूचनाएं प्रस्तुत कर दी हैं, जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिससे कंपनी के हित से बड़े स्तर पर भारी विवाद उत्पन्न होता हो (उदाहरणार्थ : कंपनी शेयरों का कार्य करना, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक कार्य-व्यवहार करना, जिनकी प्रबंधन में शेयरधारिता हो और उनके रिश्तेदार इत्यादि हों)।

(VI) प्राप्त घोषणा-पत्रों के अनुसार कंपनी के निदेशकों के बीच परस्पर संबंध नहीं हैं।

7. संप्रेषण के साधन

निगम के तिमाही एवं छमाही वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किए जाते हैं और दि इकनोमिक टाइम्स, दि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स (हिन्दी) इत्यादि जैसे वित्तीय एवं राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। ये परिणाम निगम की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

कंपनी निवेशक सम्मेलनों के माध्यम से भी अपने संस्थागत निवेशकों के साथ संपर्क बनाए रखती है।

कंपनी के संबंध में सारी महत्वपूर्ण सूचना का कंपनी

की वार्षिक रिपोर्ट में भी उल्लेख किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षित लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट शामिल होती हैं, जिसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सभी सदस्यों और अन्य पात्र व्यक्तियों को परिचालित किया जाता है।

8. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सूचीकरण करार के संशोधित खंड 49 के अनुसार अपेक्षित श्री पी. उमा शंकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री एच. डी. खुंटेटा, निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र दिनांक 26 मई, 2008 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

9. सामान्य शेयरधारक सूचना

(i) वार्षिक महासभा

दिनांक	समय	स्थान
24 सितम्बर, 2008	पूर्वाह्न 11.00 बजे	एअर फोर्स ऑडिटोरियम सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली

(ii) वित्तीय वर्ष : 2007-08

(iii) बहियां बंद करने की तारीख

सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण बहियां दिनांक 10 सितंबर, 2008 से 24 सितंबर, 2008 तक दोनों दिनों सहित बंद रहेंगी।

(iv) लाभांश भुगतान की तारीख

वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए लाभांश के भुगतान हेतु रिकार्ड तारीख 9 सितंबर, 2008 है।

(v) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण

आरईसी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

स्क्रिप कोड : आरईसी लिमिटेड

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

स्क्रिप कोड : 532955

(vi) स्टॉक कोड : आईएनई 020 बी 01018

(vii) बाजार मूल्य आंकड़े (चूंकि शेयर 12 मार्च, 2008 को ही सूचीबद्ध किए गए थे, इसलिए आंकड़े मार्च, 2008 के लिए प्रस्तुत हैं)।

एनएसई		
महीना मार्च,2008	उच्चतम (रुपए) 129.90	न्यूनतम (रुपए) 92.65
बीएसई		
महीना मार्च, 2008	उच्चतम 128.40	न्यूनतम (रुपए) 92.65

(viii) सूचकांकों की तुलना में कार्यनिष्पादन

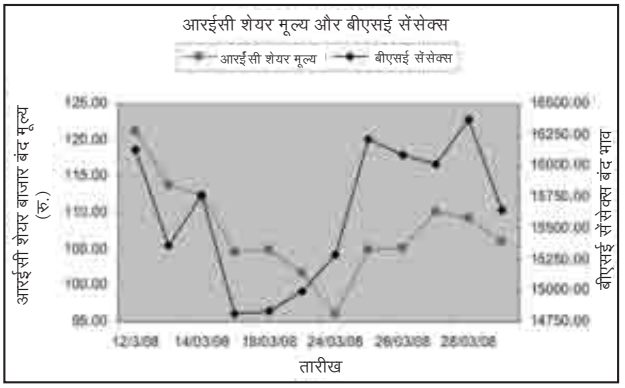

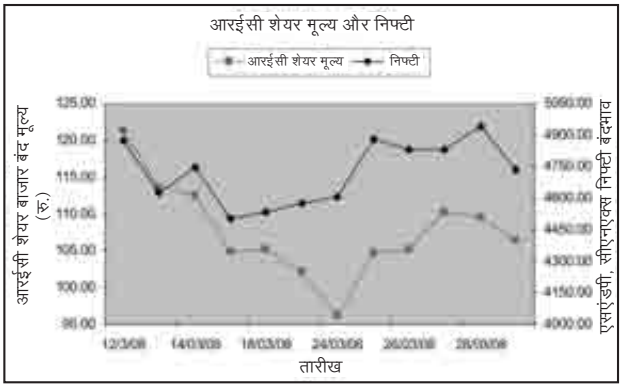

(ix) **रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स**

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
प्लाट 17 से 24, विट्ठलराव नगर, माधापुर,
हैदराबाद-500081, भारत, दूरभाष: 9140 23420815-824
फैक्स: 91 40 23420814, ई-मेल: einward.ris@karvy.com
वेबसाइट: www.karvycomputershare.com

(x) **शेयर अंतरण प्रणाली**

वास्तविक खंड के अंतर्गत शेयर कर्वे कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अंतरित किए जाते हैं। कर्वे अंतरिती से अंतरण विलेख के साथ अंतरित किए जाने वाले शेयर प्राप्त करता है, सत्यापन करता हूं और अंतरण ज्ञापन तैयार करता है। 500 शेयरों तक के अंतरण हेतु अनुरोध मैसर्स कर्वे कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीधे ही अनुमोदित किए जाते हैं।

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में, प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के वास्तविक अंतरण हेतु शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उनका अनुमोदन करने तथा शेयरों के विभाजन/समेकन हेतु अनुरोध के अनुमोदन के लिए शेयर अंतरण एवं निवेशक सेवा समिति भी गठित की गई है।

एक योग्य तथा अनुभवी कंपनी सचिव ने नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास प्राप्त कुल पूंजी और कुल जारी तथा सूचीबद्ध का मिलान करने के लिए सचिवालय लेखापरीक्षा का कार्य किया है। सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि कुल जारी/चुकता पूंजी वास्तविक रूप से शेयरों की कुल संख्या और 31 मार्च, 2008 के अनुसार एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास धारित डीमेटिरियलाइजड़ शेयरों की कुल संख्या से मिलती है।

(xi) **शेयरधारिता का वितरण**

- **31 मार्च, 2008 के अनुसार शेयरधारिता का वितरण**

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की कुल संख्या	राशि	शेयरों का प्रतिशत
1-5000	402090	99.21 %	35898492`	358984920	4.18 %
5001-10000	1260	0.31 %	982674	9826740	0.11 %
10001-20000	598	0.15 %	873830	8738300	0.10 %
20001-30000	250	0.06 %	623409	6234090	0.07 %
30001-40000	125	0.03 %	438451	4384510	0.05 %
40001-50000	163	0.04 %	747439	7474390	0.09 %
50001-100000	305	0.08 %	2241265	22412650	0.26 %
100001 और उससे अधिक	482	0.12 %	816854440	8168544400	95.13 %
जोड़	**405273**	**100%**	**858660000**	**858600000**	**100%**

- **31 मार्च, 2008 के अनुसार शेयरधारिता का पैटर्न**

श्रेणी	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी की तुलना में प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति*	702540000	81.82 %
बैंक	3095502	0.36 %
एचयूएफ	2449394	0.29 %
विदेशी संस्थागत निवेशक	63423515	7.39 %
निकाय निगम	15359965	1.79 %
अनिवासी भारतीय	293227	0.03 %
बीमा कंपनियां	4187931	0.49 %
निवासी व्यक्ति	42514500	4.95 %
न्यास	82318	0.01 %
समाशोधन सदस्य	892721	0.10 %
म्यूचुअल फंड्स	23643565	2.75 %
भारतीय वित्तीय संस्थाएं	177362	0.02 %
जोड़	**858660000**	**100.00%**

(*भारत के राष्ट्रपति के 7 नामितियों द्वारा धारित 700 शेयरों सहित)

(xii) **शेयरों का डीमैटिरियलाइजेशन**

दिनांक 31 मार्च, 2008 के अनुसार डीमैटिरियलाइजड़ और वास्तविक रूप में धारित शेयरों की संख्या

श्रेणी	धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	जारी कुल पूंजी का प्रतिशत
वास्तविक	7	700	नगण्य
एनएसडीएल	282059	843714035	98.26 %
सीडीएसएल	123207	14945265	1.74 %
जोड़	405273	858660000	100 %

(xiii) **बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा अन्य परिवर्तनीय दस्तावेज, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव**

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय दस्तावेज जारी नहीं किए गए हैं।

(xiv) **संयंत्र की अवस्थिति:- लागू नहीं**

(xv) **पत्राचार के लिए पता**

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

(xvi) **कंपनी सचिव**

श्री बी.आर. रघुनंदन
दूरभाष: 91 11 24367305 फैक्स : 91 11 24362039
ई-मेल : brraghu@recl.nic.in
सार्वजनिक प्रवक्ता
श्री अजीत अग्रवाल महाप्रबंधक (वित्त)
दूरभाष: 911124365161/41757035

अनुबंध-III

निगमित सुशासन पर प्रमाण-पत्र

सदस्यगण,

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,

हमने 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जैसाकि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ उक्त कंपनी के सूचीकरण करार के खंड 49 में उल्लेख किया गया है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच निगम द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

हमारी राय में और हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने उपर्युक्त सूचीकरण करार के खंड 49 में उल्लिखित निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन टिप्पणी के अपेक्षानुसार हमने समीक्षा की है और यह देखा गया है कि निगम द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार किसी भी निवेशक की कोई शिकायत एक माह से अधिक की अवधि के लिए लंबित नहीं थी।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता अथवा दक्षता या कारगरता के लिए कोई आश्वासन नहीं है, जिसके अनुसार प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

के.के. गंगोपाध्याय
भागीदार,
सदस्यता सं0 13442
दिनांकः 27 जून, 2008

31 मार्च, 2008 के अनुसार तुलन-पत्र

(लाख रुपए में)

	अनुसूची सं.	31.03.2008 के अनुसार	31.03.2007 के अनुसार
निधियों का स्रोत			
शेयरधारकों की निधियां			
पूंजी	1	**85,866.00**	78,060.00
आरक्षित तथा अधिशेष	2	**450,904.80**	323,211.09
		536,770.80	401,271.09
ऋण निधियां			
प्रतिभूत ऋण	3	**2,942,195.13**	2,653,397.19
अप्रतिभूत ऋण	4	**486,083.51**	374,702.94
		3,428,278.64	3,028,100.13
विलंबित कर देयता	8	**81,707.82**	73,966.79
जोड़		**4,046,757.26**	3,503,338.01
निधियों का उपयोग			
अचल परिसंपत्तियां	5		
सकल ब्लाक		**8,383.36**	6,755.42
घटाएं मूल्यह्रास		**1,357.78**	1,218.46
निवल ब्लाक		**7,025.58**	5,536.96
चालू पूंजीगत कार्य		**764.49**	826.01
निवेश	6	**114,739.70**	119,453.88
ऋण	7	**3,931,651.18**	3,209,910.10
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	9		
नकदी तथा बैंक शेष		**125,303.79**	229,726.89
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		**49,911.99**	31,235.87
ऋण तथा अग्रिम		**62,038.29**	23,648.97
		237,254.07	284,611.73
घटाएं - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	10		
देयताएं		**148,656.92**	71,446.93
प्रावधान		**96,020.84**	45,553.74
		244,677.76	117,000.67
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां		**(7,423.69)**	167,611.06
कुल		**4,046,757.26**	3,503,338.01

लेखा पर टिप्पणियां 17
अनुसूची 1 से 17 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, जो लेखे का एक अभिन्न भाग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी.एस.माथुर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस

कृते तथा बोर्ड की ओर से

	बी.आर. रघुनन्दन	एच.डी. खुंटेटा	पी.उमा शंकर
	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

राजीव वधावन
भागीदार
सदस्यता सं.91007

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2008

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एव हानि लेखा

(लाख रुपए में)

	अनुसूची सं.	31.03.2008 के अनुसार	31.03.2007 के अनुसार
आय			
प्रचालन आय (निवल)	11	**337,821.94**	265,169.55
अन्य आय	12	**15,944.16**	20,230.38
कुल		**353,766.10**	285,399.93
व्यय			
ब्याज तथा अन्य प्रभार	13	**206,240.38**	174,272.09
स्थापना व्यय	14	**9,230.01**	4,981.57
प्रशासन व्यय	15	**1,823.77**	1,435.04
बॉण्ड/ऋण उपकरण जारी करने के व्यय	16	**1,035.07**	2,206.33
अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान		**3,999.34**	2,104.45
मूल्यह्रास		**138.55**	112.89
कुल		**222,467.12**	185,112.37
पूर्वावधि मदों से पूर्व वर्ष हेतु लाभ		**131,298.98**	100,287.56
पूर्वावधि समायोजन - व्यय/(आय) (निवल)		**56.65**	(331.68)
कर पूर्व लाभ		**131,242.33**	100,619.24
कर हेतु प्रावधान			
कर - वर्तमान वर्ष		**37,380.10**	21482.25
कर - पूर्व वर्ष		**-**	1,414.60
विलंबित कर - वर्तमान वर्ष		**7,741.03**	11,629.12
विलंबित कर - पूर्व वर्ष		**-**	44,817.00
घटाएं - सामान्य आरक्षित से अंतरित		**-**	(44,817.00)
अनुषंगी लाभ कर		**106.55**	67.18
कुल		**45,227.68**	34,593.15
कर पश्चात तथा विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		**86,014.65**	66,026.09
विनियोजन -			
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(8) के अंतर्गत विशेष आरक्षित को स्थानांतरित		**25,500.00**	34,500.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(7ए) के अंतर्गत अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु आरक्षित		**5,800.00**	3,400.00
प्रस्तावित लाभांश		**25,759.80**	17,700.00
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर		**4,377.88**	3,008.12
सामान्य आरक्षित को अंतरित		**14,000.00**	7,200.00
तुलन-पत्र को ले जाया गया अधिशेष		**10,576.97**	217.97
कुल		**86,014.65**	66,026.09
10/- रुपए प्रत्येक के प्रति शेयर पर आधारभूत तथा कम किया गया अर्जन - राशि रुपए में (लेखे पर टिप्पणी देखें (अनुसूची-17)		**10.94**	8.46
लेखा पर टिप्पणियां	**17**		

अनुसूची 1 से 17 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां लेखे का अभिन्न भाग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी.एस.माथुर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस

राजीव वधावन
भागीदार
सदस्यता सं.91007

कृते तथा बोर्ड की ओर से

बी.आर. रघुनन्दन	एच.डी. खुंटेटा	पी. उमा शंकर
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक 26 मई, 2008

अनुसूची '1' शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 के अनुसार	31.03.2007 के अनुसार
प्राधिकृत 10 रुपए प्रत्येक के 1200,000,000 (पिछले वर्ष 1200,000,000) इक्विटी शेयर	**120,000.00**	120,000.00
निर्गत, अंशदत्त तथा प्रदत्त 10 रुपए प्रत्येक के 858,660,000 (पिछले वर्ष 780,600,000) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**85,866.00**	78,060.00
जोड़	**85,866.00**	78,060.00

अनुसूची '2' आरक्षित तथा अधिशेष

(लाख रुपए में)

	01.04.2007 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान वर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31.03.2008 को अंतिम शेष
(क) पूंजीगत आरक्षित (यूएसएआईडी से अनुदान)	10,500.00	-	-	**10,500.00**
(ख) प्रतिभूति प्रीमियम**	-	74,157.00	2,176.47	**71,980.53**
(ग) वित्त वर्ष 1996-97 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(8) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित	5,173.77	-	-	**5,173.77**
(घ) वित्त वर्ष 1997-98 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(8) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित	219,106.00	25,500.00	-	**244,606.00**
(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(7ए) के अंतर्गत अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु आरक्षित	20,569.13	5,800.00	-	**26,369.13**
(च) सामान्य आरक्षित	65,551.17	14,000.00	163.79	**79,387.38**
(छ) अधिशेष	2,311.02	10,576.97	-	**12,887.99**
जोड़	**323,211.09**	**130,033.97**	**2,340.26**	**450,904.80**

**** जारी किए जाने वाले व्यय हेतु 2176.47 लाख रुपए की राशि की कटौती की गई है (लेखे पर टिप्पणी देखें (अनुसूची-17)**

अनुसूची '3' प्रतिभूत ऋण

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 के अनुसार	31.03.2007 के अनुसार
बैंक/संस्थानों से सावधि ऋण (राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत निगमों से प्राप्य के प्रति प्रतिभूत)	**232,200.00**	192,200.00
सावधि जमा के प्रति ओवरड्राफ्ट	**-**	10,000.00
बैंक में रखी गई 110 करोड़ रुपए की एफडीआर से प्रतिभूत		
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से ऋण	**350,000.00**	350,000.00
(विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत निगमो से प्राप्य के प्रति प्रतिभूत)		
बॉण्ड के माध्यम से ऋण		
(संचयी तथा गैर-संचयी)		
(एसईबी, राज्य विद्युत निगमों आदि को दिए गए ऋण, महाराष्ट्र तथा दिल्ली में अचल संपत्ति के प्रति प्रभार द्वारा प्रतिभूत जोकि निजी स्थापन की शर्तों और संबंधित न्यासियों की संतुष्टि के अनुसार है).		
I. करमुक्त प्रतिभूत बॉण्ड		
क) दीर्घावधि		
41वीं श्रृंखला - 22.2.2010 को सममूल्य पर 8.25% विमोच्य	**7,500.00**	7,500.00

53वीं श्रृंखला - 23.3.2011 को सममूल्य पर 7.10% विमोच्य	**5,000.00**	5,000.00
II. कर योग्य प्रतिभूत बॉण्ड		
76वीं श्रृंखला - 15.03.2008 को सममूल्य पर 6.00% विमोच्य	**-**	32,000.00
दीर्घावधि		
64वीं श्रृंखला - 27.09.2009 को सममूल्य पर 6.90% विमोच्य	**15,000.00**	24,000.00
66वीं श्रृंखला - 31.01.2010 को सममूल्य पर 6.00% विमोच्य	**13,900.00**	27,400.00
69वीं श्रृंखला - 23.01.2014 को सममूल्य पर 6.05% विमोच्य	**66,920.00**	66,920.00
72वीं श्रृंखला - 18.08.2011 को सममूल्य पर 6.60% विमोच्य	**38,570.00**	38,570.00
73वीं श्रृंखला - 08.10.2014 को सममूल्य पर 6.90% विमोच्य	**23,390.00**	23,390.00
75वीं श्रृंखला - 17.03.2015 को सममूल्य पर 7.20% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
77वीं श्रृंखला - 30.06.2015 को सममूल्य पर 7.30% विमोच्य	**98,550.00**	98,550.00
78वीं श्रृंखला - 31.01.2016 को सममूल्य पर 7.65% विमोच्य	**179,570.00**	179,570.00
79वीं श्रृंखला - 14.03.2016 को सममूल्य पर 7.85% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
80वीं श्रृंखला - 20.03.2016 को सममूल्य पर 8.20% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
81वीं श्रृंखला - 20.01.2017 को सममूल्य पर 8.85% विमोच्य	**31,480.00**	31,480.00
82वीं श्रृंखला - 28.09.2017 को सममूल्य पर 9.85% विमोच्य	**88,310.00**	-
83वीं श्रृंखला - 28.02.2018 को सममूल्य पर 9.07% विमोच्य	**68,520.00**	-
पूंजीगत लाभ बॉण्ड		
श्रृंखला-1 - सममूल्य पर विमोच्य पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड	**3,349.70**	43,295.30
श्रृंखला-2 - सममूल्य पर विमोच्य पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड	**6,969.70**	22,121.10
श्रृंखला-3 - सममूल्य पर विमोच्य पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड	**15,425.70**	24,971.10
श्रृंखला-4 - सममूल्य पर विमोच्य पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड	**35,930.90**	228,949.80
श्रृंखला-5 - सममूल्य पर विमोच्य पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड	**333,474.18**	339,321.78
श्रृंखला-6 - सममूल्य पर विमोच्य पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड	**449,421.30**	449,421.30
श्रृंखला-6ए - सममूल्य पर विमोच्य पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड	**285,867.00**	285,868.00
श्रृंखला-7 - सममूल्य पर विमोच्य पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड	**340,274.40**	-
इन्फ्रास्ट्रक्चर ढांचा बॉण्ड		
श्रृंखला-1 तथा 2 - सममूल्य पर विमोच्य आधारभूत ढांचा बॉण्ड	**1,503.00**	3,215.25
श्रृंखला-3 - सममूल्य पर विमोच्य आधारभूत ढांचा बॉण्ड	**649.25**	806.00
श्रृंखला-4 - सममूल्य पर विमोच्य आधारभूत ढांचा बॉण्ड	**420.00**	18,847.56
बॉण्ड आवेदन राशि - 84वीं श्रृंखला	**100,000.00**	-
प्रतिभूत ऋण का जोड़	**2,942,195.13**	2,653,397.19
अगले वर्ष के भीतर पुनर्भुगतान/विमोचन हेतु नियत	**397,302.46**	110,631.60

अनुसूची - 3 की टिप्पणियां -

(क) बॉण्ड श्रृंखला 76 को निगम द्वारा 15.3.2008 को विमोचित किया गया था।

(ख) 64वीं, 66वीं तथा 72वीं श्रृंखला के बॉण्ड में 5 वर्षों के अंत में अर्थात क्रमशः 27.9.2007, 31.1.2008 तथा 18.8.2009 को पुट/कॉल का विकल्प था। 64वीं तथा 66वीं श्रृंखला से क्रमशः 27.9.2007 तथा 31.1.2008 को बॉण्ड धारकों द्वारा पुट विकल्प का उपयोग करते हुए 90 करोड़ रुपए तथा 135 करोड़ रुपए की बॉण्डों को विमोचित किया गया था।

(ग) 69वीं, 73वीं तथा 77वीं श्रृंखलाएं क्रमशः 6ठें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 10वें वर्ष में सममूल्य पर 5 समान किश्तों पर विमोच्य हैं।

(घ) 75वीं श्रृंखला के बॉण्ड 5½ वर्ष से 10 वर्ष तक एसटीआरआरपी के द्वारा 10 अर्धवार्षिक समान किश्तों पर विमोच्य होंगे।

(ङ) 78वीं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं तथा 83वीं श्रृंखला 10 वर्षों की समाप्ति पर क्रमशः 31.1.2016, 14.3.2016, 20.3.2016, 20.1.2017, 28.9.2017 और 28.2.2018 को सममूल्य पर विमोच्य हैं।

(च) बॉण्ड आवेदन राशि में 4.4.2008 की आवंटन तारीख वाले 84वीं श्रृंखला (4.4.2013 को सममूल्य पर 9.45% विमोच्य) के प्रति प्राप्त 1000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(छ) 220 लाख रुपए के बॉण्ड 31.3.2008 को न्यास आरईसी सीपी फंड द्वारा धारित हैं।

(ज) पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड को 3/5/7 की अवधि हेतु अर्धवार्षिक/वार्षिक रूप से देय 5.15% से 8.70% की दर पर तथा संचित विकल्पों के साथ जारी किया जाता है। इन बॉण्डों में 3/5 वर्ष के अंत में पुट/कॉल का विकल्प होता है। वर्तमान वर्ष (07-08) में क्रम 7 पर जारी पूंजीगत लाभ छूट बॉण्ड की अवधि 3 वर्ष है जो 5.5% की वार्षिक दर से देय है। आधारभूत ढांचा बॉण्ड को 6.00% से 9% की वार्षिक दर पर देय विभिन्न ब्याज दरों के मध्य 3 से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी किया गया है। इन बॉण्ड में आवंटन की तिथि से 3/5 वर्ष की समाप्ति पर पुट विकल्प होता है। पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड और आधारभूत ढांचा बॉण्ड न्यासियों की संतुष्टि के अनुसार 4305.09 करोड़ रुपए हेतु क्रमशः आरईसी की अचल संपत्तियों और बही ऋण (ऋण) पर कानूनी रेहन द्वारा प्रतिभूत हैं। इन अचल संपत्तियों का बही मूल्य 52.58 लाख रुपए है। न्यासियों के पक्ष में आरओसी के साथ एक प्रभार का सृजन किया गया है।

अनुसूची '4' अप्रतिभूत ऋण

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 के अनुसार	31.03.2007 के अनुसार
भारत सरकार से ऋण	**8,192.48**	10,048.44
सावधि ऋण		
(क) बैंको से दीर्घावधि ऋण	**211,280.00**	187,480.00
(1 वर्ष के भीतर चुकौती के लिए देय 23,821 लाख रुपए; पिछले वर्ष 5,000 लाख रुपए)		
(ख) बैंकों से अल्पावधि ऋण	**112,800.00**	-
नकद ऋण सीमाएं	**-**	30,000.00
विदेशी मुद्रा ऋण		
(क) दीर्घावधि		
ईसीबी - बैंकों से सिंडिकेट किया गया ऋण	**87,026.32**	87,209.00
जेबीआईसी ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	**13,033.02**	-
केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	**4,785.69**	-
बॉण्ड के माध्यम से ऋण		
(गैर-संचयी, भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(क) अल्पावधि		
18वीं श्रृंखला 12.12.2008 को सममूल्य पर 11.5% विमोच्य	**6,858.00**	6,858.00
24वीं श्रृंखला 17.02.2008 को सममूल्य पर 13.0% विमोच्य	**-**	5,502.00
35वीं श्रृंखला 26.03.2008 को सममूल्य पर 12.3% विमोच्य	**-**	5,497.50
(ख) दीर्घावधि		
21वीं श्रृंखला 29.12.2009 को सममूल्य पर 11.5% विमोच्य	**6,908.00**	6,908.00
22वीं श्रृंखला 27.12.2010 को सममूल्य पर 11.5% विमोच्य	**4,900.00**	4,900.00
23वीं श्रृंखला-1 05.12.2011 को सममूल्य पर 12.0% विमोच्य	**2,265.00**	2,265.00
23वीं श्रृंखला-2 21.02.2012 को सममूल्य पर 12.0% विमोच्य	**3,035.00**	3,035.00
74वीं श्रृंखला 31.12.2014 को सममूल्य पर 7.22% विमोच्य	**25,000.00**	25,000.00
कुल अप्रतिभूत ऋण	**486,083.51**	374,702.94
अगले वर्ष के भीतर चुकौती/विमोचन हेतु देय	**6,858.00**	45,999.50

टिप्पणी :

2.00 लाख रुपए के बॉण्ड 31.3.2008 को आरईसी लिमिटेड सीपी फण्ड ट्रस्ट द्वारा धारित हैं।

अनुसूची '5' 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु अचल परिसंपत्तियों का सार

(लाख रुपए में)

अचल परिसंपत्ति	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास ब्लाक				निवल ब्लाक	
	01.04.2007 के अनुसार	वर्ष के दौरान वर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	**31.03.2008 के अनुसार**	31.03.2007 के अनुसार	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान निपटान की गई/बट्टे खाते में डाली गई	**31.03.2008 के अनुसार**	**31.03.2008 के अनुसार**	31.03.2007 के अनुसार
फ्रीहोल्ड भूमि	3,246.95	1,426.92	-	**4,673.87**	-	-	-	**-**	**4,673.87**	3,246.95
पट्टे वाली भूमि	145.51	-	-	**145.51**	11.32	1.47	-	**12.79**	**132.72**	134.18
भवन	2,173.09	20.83	-	**2,193.93**	428.31	35.84	-	**464.15**	**1,729.78**	1,744.78
फर्नीचर एवं फिक्सचर	386.74	17.19	0.77	**403.16**	231.15	24.51	0.10	**255.56**	**147.60**	155.59
ईडीपी उपकरण	442.25	97.00	0.24	**539.01**	311.91	36.18	-	**348.09**	**190.92**	130.34
कार्यालय उपकरण	260.07	54.11	1.72	**312.45**	164.03	17.31	0.93	**180.42**	**132.03**	96.04
वाहन	97.27	-	2.89	**94.38**	70.44	9.01	2.18	**77.27**	**17.11**	26.83
कम मूल्य वाली परिसंपत्तियां - फर्नीचर	-	7.41	-	**7.41**	-	7.41	-	**7.41**	**-**	-
कम मूल्य वाली परिसंपत्तियां - ईडीपी	-	0.96	-	**0.96**	-	0.96	-	**0.96**	**-**	-
कम मूल्य वाली परिसंपत्तियां - कार्यालय उपकरण	-	9.15	-	**9.15**	-	9.15	-	**9.15**	**-**	-
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (कम्प्यूटर साफ्टवेयर)	3.54	-	-	**3.54**	1.30	0.68	-	**1.98**	**1.56**	2.25
सकल जोड़	6,755.42	1,633.57	5.63	**8,383.36**	1,218.46	142.52	3.21	**1,357.78**	**7,025.58**	5,536.96
गत वर्ष	3,480.87	3,287.39	12.84	**6,755.42**	1,105.56	112.89	-	**1,218.46**	**5,536.96**	2,375.29
पूंजीगत डब्ल्यूआईपी	826.01	180.59	242.11	**764.49**	-	-	-	**-**	**764.49**	826.01
गत वर्ष	4,063.82	4.31	3,242.12	**826.01**	-	-	-	**-**	**826.01**	4,063.82

टिप्पणी - (1) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों में बाहर से खरीदे गए कम्प्यूटर साफ्टवेयर शामिल हैं और एएस-26 के अनुसार इन्हें 5 वर्षों में परिशोधित किया गया है।

(2) कम मूल्य वाली परिसंपत्तियां वे है जिनका मूल्य 5000 रूपए से कम है।

(3) वर्तमान वर्ष के मूल्यह्रास में 3.97 लाख रूपए का पिछली अवधि का मूल्यह्रास भी शामिल है।

अनुसूची '6' निवेश

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 के अनुसार	31.03.2007 के अनुसार
दीर्घावधि (अनउद्धृत)		
गैर-व्यापार निवेश		
8% वाले मध्य प्रदेश सरकार के पावर बॉण्ड - 2, जो 1.4.2005 से 30 समान अर्धवार्षिक किश्तों में परिपक्व होंगे। (4716 लाख रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 24 बॉण्ड) (पिछले वर्ष 4716 लाख रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 25 बॉण्ड)	**113,184.00**	117,900.00
केएसके एलर्जी वेन्चर्स लिमिटेड 9.818 रुपए प्रति यूनिट के निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" फंड की 1,44,70,381 यूनिट पिछले वर्ष 9.686 रुपए प्रति यूनिट के निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" फंड की 1,59,90,381 यूनिट (अंकित मूल्य प्रति यूनिट 10 रुपए है)	**1,420.70**	1,548.88
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में निवेश 10 रुपए प्रत्येक के 12,50,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - शून्य)	**125.00**	-
अनुषंगी कम्पनी आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड में निवेश 10 रुपए प्रत्येक के प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर	**5.00**	5.00
अनुषंगी कम्पनी आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड में निवेश 10 रुपए प्रत्येक के प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - शून्य)	**5.00**	-
जोड़	**114,739.70**	119,453.88

अनुसूची '7' ऋण

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 के अनुसार		31.03.2007 के अनुसार	
(1) राज्य विद्युत बोर्ड/निगम, सहकारी तथा राज्य सरकारें				
(क) अप्रतिभूत, अच्छा माना गया और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत		**1,907,561.52**		1,786,639.61
(ख) संदेहास्पद माना गया	**15,564.37**			
घटाएं - अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	**3,999.39**	**11,564.98**		
(2) राज्य विद्युत बोर्ड/निगम (संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड/ निगम के साथ सामग्रियों के रेहन द्वारा प्रतिभूत)				
(क) अच्छा माना गया		**1,639,950.32**		1,087,506.85
(ख) संदेहास्पद माना गया	-		140.99	
घटाएं - अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	-	-	70.50	70.49
(3) अन्य (मूर्त परिसंपत्तियों के रेहन द्वारा प्रतिभूत) अच्छा माना गया				
(क) अच्छा माना गया		**125,481.68**		44,837.74
(ख) संदेहास्पद माना गया	**16,054.05**		15,349.57	
घटाएं - अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	**4,174.90**	**11,879.15**	4,104.45	11,245.12
(4) अन्य (अप्रतिभूत) - अच्छे माने गए		**156,870.93**		191,743.45
(5) ऋणों पर उपचित तथा देय ब्याज		**2,523.59**		1,196.94
(6) पुनः अनुसूचीबद्ध ऋणों पर उपचित ब्याज		**75,819.01**		86,669.90
जोड़		**3,931,651.18**		3,209,910.10

अनुसूची '8' विलंबित कर देयता / (परिसंपत्तियां)

(लाख रुपए में)

		31.03.2008 के अनुसार		31.03.2007 के अनुसार
प्रारम्भिक शेष	**73,966.79**		(1,542.20)	
जोड़ें - वर्ष दौरान वर्धन				
- पिछले वर्ष के सामान्य आरक्षित से			63,879.87	
- वर्तमान वर्ष के लाभ से	**7,741.03**		11,629.12	
		81,707.82		73,966.79
जोड़		**81,707.82**		73,966.79

अनुसूची '9' वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 के अनुसार		31.03.2007 के अनुसार	
1. वर्तमान परिसंपत्तियां				
(क) नकदी तथा बैंक शेष -				
(1) हस्तगत/ट्रांजिट में नकदी/ चैक (डाक तथा पेशगी सहित)		**0.26**		0.12
(2) चालू खातों में				
- आरबीआई के साथ		**78.96**		67.86
- अधिसूचित बैंकों के साथ		**24,913.49**		11,228.19
- अधिसूचित बैंकों के साथ (आरजीजीवीवाई योजना हेतु)		**58,752.76**		63.80
- अधिसूचित बैंकों के साथ (एजी तथा एसपी योजनाओं हेतु निधि)		**3,719.06**		6,329.57
(3) अधिसूचित बैंकों के साथ जमा खातों में		**37,839.26**		211,850.00
(4) ट्रांजिट में प्रेषितियां		**-**		187.35
कुल (क)		**125,303.79**		229,726.89
(ख) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां				
(2) सावधि जमा पर उपचित किंतु देय नहीं ब्याज		**80.71**		1,792.46
(3) उपचित किंतु देय नहीं ब्याज				
- ऋण पर		**45,249.76**		28,977.91
- सरकारी प्रतिभूतियों पर		**4,014.41**		-
- कर्मचारियों को ऋण पर		**208.18**		209.22
(4) एसईबी/सरकारी विभागों से प्राप्य	**330.20**		197.45	
घटाएं - अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	**180.20**	**150.00**	180.20	17.25
(5) भारत सरकार से प्राप्य		**208.93**		239.03
कुल (ख)		**49,911.99**		31,235.87
2. ऋण तथा अग्रिम				
(क) ऋण				
(1) कर्मचारी (प्रतिभूत)		**271.01**		233.45
(2) कर्मचारी (अप्रतिभूत)		**117.77**		155.63
(ख) अग्रिम				
(अच्छे माने गए अप्रतिभूत)				
(1) नकदी अथवा वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य		**982.82**		175.30
(2) अग्रिम आयकर तथा टीडीएस		**60,666.40**		23,084.30
(4) प्राप्य आयकर (बॉण्ड)		**0.29**		0.29
जोड़ (ग)		**62,038.29**		23,648.97
जोड़ (क+ख+ग)		**237,254.07**		284,611.73

अनुसूची '10' वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 के अनुसार		31.03.2007 के अनुसार	
(क) वर्तमान देयताएं				
(क) अग्रिम प्राप्तियां		**934.36**		1,356.99
(ख) अन्य देयताएं		**8,548.32**		4,480.01
- लघु औद्योगिक उपक्रमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के देय				
(ग) संवितरण हेतु भारत सरकार से अनुदान	**919,899.56**		529,609.65	
घटाएं - लाभग्राहियों को संवितरित	**(848,044.01)**	**71,855.55**	512,102.55	17,507.10
(घ) उपचित किंतु देय नहीं ब्याज				
- बॉण्ड पर	**54,009.44**		35,288.95	
- सरकारी /एलआईसी ऋणों पर	**12,488.16**	**66,497.60**	12,255.03	47,543.98
(ङ) बॉण्ड तथा सरकारी ऋणों पर दावा न किया गया ब्याज तथा मूलधन				
- ब्याज	**709.52**		488.89	
- मूलधन	**111.57**	**821.09**	69.96	558.85
जोड़ (क)		**148,656.92**		71,446.93
(ख) प्रावधान				
(क) आयकर		**58,993.44**		21,613.44
(ख) स्टाफ लाभ		**3,643.43**		2,170.48
(ग) उपदान		**207.88**		49.70
(घ) प्रोत्साहन तथा अनुग्रह राशि हेतु प्रावधान		**2,204.37**		1,011.75
(ङ) धन कर		**0.20**		0.25
(च) छुट-पुट लाभ कर		**17.00**		-
(छ) प्रस्तावित लाभांश		**25,759.80**		17,700.00
(ज) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर		**4,377.88**		3,008.12
(झ) वेतन संशोधन		**816.84**		-
जोड़ (ख)		**96,020.84**		45,553.74
जोड़ (क+ख)		**244,677.76**		117,000.67

अनुसूची '11' प्रचालन आय

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 को समाप्त वर्ष		31.03.2007 को समाप्त वर्ष	
क. ऋण देने के प्रचालनों में				
ऋणों पर ब्याज				
- दीर्घावधि वित्त-पोषण	307,560.77		221,452.39	
घटाएं - समय पर भुगतान/पूर्णता आदि हेतु छूट	1,799.56	305,761.21	2,156.00	219,296.39
- अल्पावधि वित्त पोषण		30,290.22		35,825.94
ख. ऋणों के पुनः निर्धारण पर आय		-		8,777.30
		336,051.43		263,899.63
ग. प्रसंस्करण शुल्क, एकमुश्त शुल्क, सेवा प्रभार आदि		1,310.38		1,223.58
घ. पूर्व भुगतान प्रीमियम		-		46.34
ङ आरजीजीवीवाई क्रियान्वयन हेतु एजेंसी प्रभार		460.13		-
जोड़		**337,821.94**		265,169.55

अनुसूची'12' अन्य आय

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 को समाप्त वर्ष		31.03.2007 को समाप्त वर्ष	
क. निवेश/जमा प्रचालनों पर				
जमा पर ब्याज	6,449.97		8,664.78	
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	9,243.36	15,693.33	9,997.92	18,662.70
(टीडीएस 1,047.27 लाख रुपए, पिछले वर्ष 1,085.20 लाख रुपए)				
ख. अन्य आय				
- आयकर				
वापस दिया गया अधिक प्रावधान		18.35		
आयकर			1,305.28	
अन्य			37.15	1,342.43
स्टाफ अग्रिमों पर ब्याज		28.31		31.90
जोखिम निधि में निवेश पर लाभ		33.02		106.45
विविध आय		146.86		82.35
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		0.41		3.76
वापस डाली गई जोखिम निधि में निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान		23.88		0.79
जोड़		**15,944.16**		20,230.38

अनुसूची '13' ब्याज तथा अन्य प्रभार

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 को समाप्त वर्ष	31.03.2007 को समाप्त वर्ष
निम्न पर ब्याज		
- सरकारी ऋण	660.84	807.20
- आरईसी बॉण्ड	137,112.06	120,388.31
- बैंक/वित्तीय संस्थान	62,434.99	49,510.10
- बाहरी वाणिज्यिक ऋण	4,898.71	19.85
- अन्य	-	-
	205,106.60	170,725.46
विनिमय दरों में अन्तर	959.53	182.68
एआरईपी आर्थिक सहायता पर ब्याज	148.60	201.45
गारंटी शुल्क	25.65	3,162.50
जोड़	206,240.38	174,272.09

अनुसूची '14' स्थापना व्यय

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 को समाप्त वर्ष	31.03.2007 को समाप्त वर्ष
वेतन तथा भत्ते	6,566.87	3,500.36
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा व्यय	1,233.47	575.70
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	435.48	224.79
स्टाफ कल्याण व्यय	994.19	680.72
जोड़	9,230.01	4,981.57

अनुसूची '15' प्रशासन व्यय

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 के अनुसार		31.03.2007 के अनुसार	
किराया - कार्यालय		210.62		98.70
दरें तथा कर		22.48		24.96
विद्युत तथा जल प्रभार		48.29		47.87
बीमा प्रभार		2.79		4.00
मरम्मत तथा अनुरक्षण				
भवन	292.92		168.66	
अन्य	37.06	329.98	40.38	209.04
प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी		73.70		46.83
यात्रा तथा वाहन				
- निदेशक	44.99		46.48	
- अन्य	430.96	475.95	301.91	348.39
डाक, तार तथा टेलीफोन		108.59		93.32
प्रचार एवं संवर्धन व्यय		146.73		255.08
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		15.25		18.14
विविध व्यय		264.47		228.77
परामर्शी प्रभार		113.50		58.44
दान तथा धर्मार्थ		10.20		1.50
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		1.22		-
जोड़		1,823.77		1,435.04

अनुसूची '16' बॉण्ड/ऋण उपकरण जारी करने का व्यय

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 के अनुसार	31.03.2007 के अनुसार
बॉण्ड हैण्डलिंग प्रभार	535.77	202.37
बॉण्ड ब्रोकरेज खाता	102.99	1,161.76
प्रतिबद्धता शुल्क	97.75	40.70
बॉण्ड स्टम्प शुल्क	6.01	6.01
ईसीबी हेतु व्यवस्था शुल्क	-	632.48
अन्य	292.55	163.01
जोड़	1,035.07	2,206.33

अनुसूची '17' लेखाओं पर टिप्पणियां

1. निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है -

(लाख रुपए में)

		31.03.2008 को	31.03.2007 को
(क)	निगम के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है (31.3.2008 को विभिन्न अदालतों में लंबित 5153.60 लाख रुपए सहित) (पिछले वर्ष 463.19 लाख रुपए)	6,331.37	1,631.15
(ख)	संविदाओं की अनुमानित राशि जिसे अभी पूंजी खाते में निष्पादित नहीं किया गया है एवं जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया।	360.21	671.46
(ग)	अन्य	56,489.00	8,777.00

आकस्मिक देयताएं क्रमशः/ न्यायालय/न्यायालय से बाहर मामले के निपटान के परिणाम, मांगी गई राशि, संविदात्मक वचनबद्धताओं की शर्तों घटनाओं और संबंधित पार्टियों द्वारा मांग करने, अपीलों के निपटान पर निर्भर करती हैं।

1(ग) के अंतर्गत राशि उन उत्पादन परियोजनाओं हेतु ऋण लेने वालों के बैंकरों द्वारा जारी एलसी का निगम का भाग है जिनके लिए निगम ने इन बैंकरों को लेटर ऑफ कम्फर्ट्स जारी किए हैं।

2. वर्ष 1997-98 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगम को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एन.बी.एफ.सी.) के रूप में पंजीकृत किया गया था। आरबीआई की दिनांक 31.1.2000 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं.12/डी2 01/99-2000 के अनुसार जो सरकारी कंपनियां कंपनी अधिनियम की धारा 617 का अनुपालन करती हैं, उनको तरल परिसंपत्तियों के रख-रखाव, आरक्षित निधियां स्थापित करने,सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू होती है। आरक्षित निधियों को सृजित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (आई)सी के प्रावधानों के लागू न होने की बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित कोष सृजित नहीं किया गया है।

निदेशक मंडल ने 13.12.2006 को हुई अपनी बैठक में निगम हेतु 1.4.2007 से लागू होने वाले विवेकसम्मत मानदण्डों का एक सेट अनुमोदित किया है। विवेकसम्मत मानदण्डों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई परिसंपत्तियों के संबंध में भी प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा गांरटी दिए गए ऋणों के संबंध में प्रावधानों हेतु ऐसे परिवर्तन का प्रभाव 3999.39 लाख रुपए तक का है और जिसके अतिरिक्त आय की पहचान पर लेखांकन नीति में एक अल्पवर्धन है जो स्पष्टकारी प्रकृति का

है। इसके अतिरिक्त, कुछ लेखांकन नीतियां जिनकी आवश्यकता नहीं थी उन्हें हटा दिया गया है और उनका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं हुआ है।

3. कुछ आरई सहकारी समितियों द्वारा विशेष आरक्षित कोष के सृजन में 501.18 लाख रुपए की राशि (पिछले वर्ष - 31.3.2007 को 731.98 लाख रुपए) की कमी आई है और समितियों द्वारा विशेष निधि के सृजन पर संपर्क किया जा रहा है।

4 कुछ कर्जदारों से शेष की पुष्टि प्राप्त हो गई है।

5. बॉण्डों पर अर्जित ब्याज के संबंध में लागू आयकर बॉण्डधारकों को ब्याज के वास्तविक भुगतान के समय स्रोत पर काट लिया जाता है, क्योंकि ऐसे बॉण्ड मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होते हैं।

6. निगम द्वारा लिए गए कुछ परिसर आदि के संबंध में 5792.70 लाख रुपए (पिछले वर्ष 4192.83 लाख रुपए) की राशि हेतु हस्तांतरण विलेख की औपचारिकताएं पूर्णता की प्रक्रिया में है।

7. 31.3.2008 को चूककर्ता कर्जदारों से वसूलीयोग्य बकाया राशि 20977 लाख (गत वर्ष 33960 लाख रुपए) थी और इसे वसूल करने के लिए कारगर उपाय किए जा रहे हैं। चूककर्ता विंड फार्म उधारकर्ताओं और सहकारी समितियों के विरूद्ध देय राशियों की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में दायर मुकदमें सुनवाई/कानूनी कार्रवाई के विभिन्न स्तरों पर हैं। कुछ चूककर्ता समितियों के संबंध में न्यायालय के आदेश जारी किए जा चुके हैं और उन पर अमल की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और जम्मू एवं कश्मीर की कुछ समितियों देय राशियों के संबंध में राज्य सरकार की गारंटियों को भी भुनाया गया है और ऐसी गारंटियों को अस्वीकार नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की 5 सहकारी समितियों के देयों के प्रति 1816 लाख रुपए का भुगतान किया और शेष समितियों के देयताओं का भी निपटान करने का आश्वासन दिया है।

8. लेखा नीति सं.11.2 के अनुसार 31..3.2008 को विनिर्दिष्ट बैंकों के ब्याज वारंटस खातों में शेष राशि 12045.48 लाख रुपए (विगत वर्ष 52754.29 लाख रुपए)।

9. प्रबंधन की राय के अनुसार तुलन-पत्र में शामिल चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशियां दिखाए गए मूल्य के बराबर हैं, बशर्ते कि उन्हें सामान्य तरीके से वसूल कर लिया जाए और सभी ज्ञात देनदारियों के भुगतान के लिए व्यवस्था कर दी गई हो।

10. परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक-28 के अंतर्गत यथाअपेक्षित क्षति हानि हेतु प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रबंधन के मतानुसार लेखांकन मानक-28 के अनुसार निगम की परिसंपत्तियों में कोई क्षति नहीं हुई है।

11. कंपनी की सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठानों की ओर कोई बकाया देयताएं नहीं हैं।

12. इस वर्ष कोई बॉण्ड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं रखा गया है, क्योंकि भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 18.4.2002 को जारी स्पष्टीकरण सं.6/3/2001-सीएल-5 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 1997 की धारा 45-आईए के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा जारी प्राइवेट प्लेसमेंट वाले डिबेंचरों के मामले में बीआरआर सृजित करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

13. निगम ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ अमेरिकी डॉलर से संबद्ध 250 करोड़ रुपए के और एक्सिस बैंक, येस बैंक, एबीएन एमरो तथा बैंक ऑफ अमेरिका के साथ जापानी येन से संबद्ध 500 करोड़ रुपए के दो व्युत्पन्न कारोबार किए हैं। 31.3.2008 के अनुसार उक्त दोनों व्युत्पन्न कारोबारों के संबंध में मार्क से बाजार लाभ/(हानि) निम्नानुसार है -

बैंक का नाम	नामितिक राशि (रुपए)	एमटीएम लाभ/ (हानि)
आईसीआईसीआई बैंक	**25000 लाख**	**1408.63 लाख**
एक्सिस - येस - एमरो बैंक तथा बीओए	**50000 लाख**	**(484.64) लाख**
निवल लाभ		**923.99 लाख**

वर्ष के दौरान कंपनी ने अदला-बदली स्वैप (केवल कूपन) कारोबार के कारण 953.32 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1049.59 लाख रुपए) अर्जित किए हैं जिसे उस सीमा तक लेनदारी की लागत में कमी करके प्राप्त किया गया है।

14. निदेशकों का पारिश्रमिक -

(लाख रुपए में)

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष	31.3.2007 को समाप्त वर्ष
वेतन तथा भत्ते	**40.87**	32.51
अनुलाभ/प्रतिपूर्ति	**14.97**	17.56
सेवानिवृत्ति लाभ	**1.45**	1.54
जोड़	**57.29**	51.61

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार मासिक प्रभार के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रतिमाह की सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति भी दी गई है।

ऋण तथा अग्रिमों में निगम के निदेशकों से देय 0.81 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1.90 लाख रुपए) है, जिनकी ओर वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि 1.89 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2.62 लाख रुपए) थी।

15. लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैं -

(लाख रुपए में)

		31.3.2008 को समाप्त वर्ष	31.3.2007 को समाप्त वर्ष
(क)	लेखापरीक्षा शुल्क - वर्तमान वर्ष	**13.14**	8.78
(ख)	कर लेखापरीक्षा शुल्क	**0.25**	2.24
(ग)	व्ययों की प्रतिपूर्ति	**1.29**	2.10
(घ)	अन्य सेवाओं हेतु भुगतान (आईपीओ प्रमाणीकरण हेतु भुगतान सहित)	**15.57**	5.01
	जोड़	**30.25**	18.13

16. विदेशी मुद्रा में व्यय -

(लाख रुपए में)

विवरण	31.3.2008 को समाप्त वर्ष	31.3.2007 को समाप्त वर्ष
रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक परामर्शी शुल्क	**1.06**	शून्य
ब्याज	**241.08**	17.77
वित्त प्रभार	**97.75**	746.61
आईपीओ प्रभार	**86.40**	10.13
अन्य प्रभार	**17.39**	--
जोड़	**443.68**	774.51

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 के भाग-2 के पैरा 4(ग) और पैरा 4(घ) के अंतर्गत अपेक्षित अन्य सभी सूचना या तो शून्य है अथवा लागू नहीं होती है।

17. आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-27 के अंतर्गत संयुक्त उद्यम में कंपनी के हित के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी

निवेश में 1447.04 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1599.09 लाख रुपए) शामिल हैं जोकि केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित स्मॉल इज ब्यूटीफुल फंड (एसआईबी फंड) जोखिम पूंजीगत निधि की यूनिटों में कंपनी के योगदान को दर्शाता है।

कम्पनी का नाम	निधि में योगदान	निवास का देश	स्वामित्व का अनुपात
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	1447.04 लाख रुपए	भारत	9.74%

वर्ष के दौरान निगम ने "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" की यूनिटों में 194.80 लाख रुपए का निवेश किया है जिससे 2250 लाख रुपए के हमारे प्रतिबद्ध पूंजीगत योगदान के प्रति वर्ष के दौरान यूनिटों में जोड़कर निवेश 2250 लाख रुपए हो गया है। निवेश के इस भाग में से 31.3.2008 तक 802.95 लाख रुपए का विनिवेश भी किया जा चुका है।

18. संबंधित पक्ष प्रकटन

क. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री पी.उमा शंकर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.03.2008 से)
श्री अनिल कुमार लखीना	अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक (29.02.2008 तक)
श्री एच.डी.खुंटेटा	निदेशक (वित्त)
श्री बाल मुकन्द	निदेशक (तकनीकी)
श्री देवेन्द्र सिंह	सरकार द्वारा नामित निदेशक (29.08.2007 से)
श्री राजेश वर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक (08.01.2008 से)
श्री जयन्त कवाले	सरकार द्वारा नामित निदेशक (29.08.2007 तक)
श्री एम.साहू	सरकार द्वारा नामित निदेशक (17.07.2007 तक)
श्री वेणुगोपाल एन.धूत	स्वतंत्र निदेशक (20.12.2007 से)
डा. एम.गोविन्द राव	स्वतंत्र निदेशक (20.12.2007 से)
श्री पी.आर.बालासुब्रामणियन	स्वतंत्र निदेशक (20.12.2007 से)
डा. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक (07.01.2008 से)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक टिप्पणी संख्या 14 में दर्शाया गया है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों से देय अग्रिम को टिप्पणी संख्या 14 में दर्शाया गया है।

ख. अन्य संबंधित पक्ष जिनके साथ कारोबार विद्यमान है -

अनुषंगी कम्पनी	संबंध
1. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कम्पनी लिमिटेड	अनुषंगी
2. आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	अनुषंगी

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कम्पनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी

1. नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	फेलो अनुषंगी
2. तलचर-II ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	फेलो अनुषंगी

ग. अनुषंगियों से देय ऋण तथा अग्रिम

(लाख रुपए में)

अनुषंगी का नाम	31.3.2008 को बकाया शेष	31.3.2007 को अधिकतम राशि
1. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कम्पनी लिमिटेड	**30.80**	**30.80**
2. आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	**71.85**	**71.85**

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कारोबार

(लाख रुपए में)

कारोबार की प्रकृति	अनुषंगी	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
1. ऋण तथा अग्रिम	71.85	
2. अप्रतिभूत ऋण	30.80	0.81
3. व्यय (वेतन)		
श्री ए.के.लखीना		19.36
श्री पी.उमा शंकर		.07
श्री एच.डी.खुंटेटा		17.64
श्री बाल मुकन्द		20.22
3. सिटिंग फीस		2.46
4. निवेश (शेयर पूंजी)	5.00	

19. त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत आर्थिक सहायता

निगम एक ब्याज आर्थिक सहायता निधि लेखे का अनुरक्षण कर रहा है और दिनांक 23.9.1997 के भारत सरकार के पत्र संख्या अ.शा.सं.32024/17/97-पीएफसी तथा दिनांक 7.3.2003 के का.ज्ञा.सं. 32024/23/2001-पीएफसी के अनुसार वास्तविक पुनर्भुगतान कार्यक्रम, स्थगन अवधि तथा (चुकौती की अवधि कुछ भी हो) निर्दिष्ट दरों पर गणना किए गए निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से आर्थिक सहायता का दावा कर रहा है। निर्दिष्ट दर और आहरण के समय ली गई अवधि तथा वास्तविक के मध्य अंतर के प्रभाव का पता संबंधित योजना के अंत में ही लगाया जा सकता है। वर्ष के दौरान निगम ने 2015 लाख रुपए की धन वासी की जिस पर ब्याज देयता 171.44 लाख रुपए की थी जोकि एनपीवी तथा औसत अर्जित ब्याज के मध्य अंतर मुहैया कराए जाने के कारण थी।

20. लेखांकन मानक-26 "अमूर्त परिसंपत्तियां" में यथाअपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटीकरण -

1. परिशोधन दर	20% यदि परिसंपत्ति का मूल्य 5000 रूपए अथवा कम है तो 100%।
2. परिशोधन पद्धति	सीधी रेखा।

(लाख रुपए में)

मिलान वक्तव्य	**31.3.2008 के अनुसार**	31.3.2007 के अनुसार
3. सकल कैरिंग राशि	**3.54**	3.54
4. संचित मूल्यह्रास	**1.98**	1.30
5. सकल कैरिंग राशि - प्रारम्भिक शेष	**3.54**	1.83
घटाएं - संचित मूल्यह्रास	**1.98**	0.89
कैरिंग राशि	**1.56**	.94
वर्ष के दौरान वर्धन	NIL	1.71
घटाएं - वर्ष के दौरान परिशोधन	**0.68**	0.41
तुलन-पत्र की तिथि को कैरिंग राशि	**1.56**	2.24

21. निगम आय पर करों हेतु लेखांकन पर लेखांकन मानक संख्या 22 के अनुसार विलंबित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के लिए प्रावधान कर रहा है। वर्ष के दौरान निगम ने विलंबित कर देयता के रूप में 7741.03 लाख रुपए (पिछले वर्ष 11629.12 लाख रुपए) का प्रावधान किया है।

31.3.2008 को विलंबित कर देयता के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं -

(लाख रुपए में)

विवरण	**31.03.2008 के अनुसार**	1.03.2007 के अनुसार
विलंबित कर परिसंपत्तियां		
वीआरएस व्यय हेतु प्रावधान	**शून्य**	3.86
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	**427.96**	208.89
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	**263.28**	458.96
निवेश में गिरावट हेतु प्रावधान	**8.95**	17.06
अन्य व्ययों हेतु प्रावधान	**2,802.60**	1,039.13
	3,502.79	1,727.90
विलंबित कर देयताएं		
मूल्यह्रास	**310.46**	301.37
आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(8) के अंतर्गत आरक्षित	**84,900.14**	115 13.45
निवल विलंबित कर (देयता)/ परिसंपत्ति	**(81,707.82)**	(10,086.92)
31.3.2007 को विलंबित कर परिसंपत्ति / (देयता)	**(73,966.79)**	1,542.20
लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित वर्ष हेतु निवल देयता	**(7,741.03)**	(11,629.12)

22. सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक संख्या 20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना निम्नानुसार की गई है -

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 के अनुसार	1.03.2007 के अनुसार
अंश		
लाभ एवं हानि लेखे के अनुसार कर पश्चात लाभ	**86,014.18**	66,026.09
हर		
इक्विटी शेयरों की संख्या	**780,600,000**	780,600,000
वर्ष के दौरान आवंटित नए शेयर	**78,060,000**	शून्य
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**786,374,301**	780,600,000
प्रति शेयर आधारभूत तथा कम किया गया अर्जन (रुपए प्रति शेयर)	**10.94**	8.46

23. कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) जिन पर ऋण बकाया थे अथवा जिनकी ओर से राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई थी, की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पुनर्संरचना की गई थी और उनके स्थान पर नए निकायों का गठन किया गया था। परिणामस्वरूप पूर्व एसईबी की देयताएं निगमों, नए निकायों और/अथवा राज्य सरकारों के मध्य अंतरण समझौतों के निष्पादन पर नए निकायों को अंतरित की गई हैं। ऐसे समझौतों का क्रियान्वयन लंबित होने पर पूर्व एसईबी नामतः एपीएसईबी, केईबी और जीईबी के प्रति बकाया ऋणों को क्रमशः एपीट्रांसको, केपीटीसीएल और जीयूवीएनएल को हस्तांतरित किए गए हैं जिनकी राशि 31.3.2008 को क्रमशः 2337.66 करोड़ रुपए, 662.52 करोड़ रुपए और 612.90 करोड़ रुपए होती है।

24. पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन पर आरईसी की देयताओं के निपटान का मुद्दा एमपीएसईबी और सीएसईबी के मध्य होने पर उनके मध्य देयताओं को बांटने के संबंध में एक कानूनी विवाद है, जिसके परिणामस्वरूप सीएसईबी लगभग 16000 लाख रुपए जमा उपचित होने वाले ब्याज की धन वापसी का दावा कर रहा है जो एमपीएसईबी द्वारा अदा किया जाएगा। यद्यपि, इस संबंध में भारत संघ तथा अन्य के विरूद्ध एमपीएसईबी की समीक्षा याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर मूल मुकदमा माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है, जिसके परिणामस्वरूप वे इस मामले को न्यायानिर्णयाधीन मान रहे हैं। अंतिम निपटान पर सीएसईबी को यदि कोई राशि अदा की जाने होगी तो वह एमपीएसईबी द्वारा अदा की जाएगी।

25. 31.3.2007 तक आरजीजीवीवाई क्रियान्वयन पर व्यय किए गए 643.98 लाख रुपए को उसके अनुदान से किए गए जमा पर प्राप्त ब्याज से समायोजित कर लिया गया है और विद्युत मंत्रालय को तदनुसार सूचित किया गया है। तथापि, निगम ने 31 मार्च, 2007 तक की अवधि हेतु संवितरण पर एजेंसी शुल्क को प्रभारित करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए विद्युत मंत्रालय से संपर्क किया है। उचित समायोजन, यदि कोई हो, को तदनुसार किया जाएगा।

26. लेखांकन मानक-29 में यथापेक्षित प्रावधानों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 को	31.03.2007 को
(क) सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य योजना		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**1350.27**	774.57
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**576.68**	633.25
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**91.52**	57.55
अंतिम शेष	**1835.43**	1350.27
(ख) अवकाश नकदीकरण		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**820.21**	711.78
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**713.66**	159.23
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**69.17**	50.80
अंतिम शेष	**1464.70**	820.21
(ग) चिकित्सा अवकाश		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**0**	-
सामान्य आरक्षित से परिवर्तन प्रावधान *	**74.63**	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**51.76**	-
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**-**	-
अंतिम शेष	**126.39**	
(घ) उपदान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**49.70**	98.76
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**169.9**	0
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**11.73**	49.06
अंतिम शेष	**207.87**	49.70
(ङ) सेवानिवृत्ति पर निपटान भत्ता		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**0**	-
सामान्य आरक्षित से परिवर्तन प्रावधान *	**9.63**	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**11.53**	-
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**5.86**	-
अंतिम शेष	**15.30**	-
(च) अवकाश यात्रा रियायत		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**0**	-
सामान्य आरक्षित से परिवर्तन प्रावधान *	**79.53**	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**273.61**	-
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**151.56**	-
अंतिम शेा	**201.58**	-
(छ) वेतन संशोधन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**0**	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**816.84**	-
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**0**	-
अंतिम शेष	**816.84**	-
(ज) प्रोत्साहन/अनुग्रह राशि हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**1011.75**	523.00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**2204.37**	1011.75
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**1011.75**	523.00
अंतिम शेष	**2204.37**	1011.75
(झ) आयकर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**21613.44**	98167.72
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**37380.00**	21482.00
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**0**	98036.28
अंतिम शेष	**58993.44**	21613.44
(ञ) अनुषंगी लाभ कर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**0**	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**17.00**	-
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**0**	-
अंतिम शेष	**17.00**	-
(ट) धन कर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**0.25**	0.23
वर्ष के दौरान वर्धन	**0.10**	0.25
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**0.15**	0.23
अंतिम शेष	**0.20**	0.25
(ठ) प्रस्तावित लाभांश		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**17700.00**	10126.00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**25759.80**	17700.00
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**17700.00**	10126.00
अंतिम शेष	**25759.80**	17700.00
(ड) निगमित लाभांश कर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**3008.12**	1420.17
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**4377.88**	3008.12
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**3008.12**	1420.17
अंतिम शेष	**4377.88**	3008.12

* विलंबित कर

27. निगम ने एएस-15(संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" को अपनाया है। परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं निम्नानुसार हैं -

(क) भविष्य निधि -

निगम पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक न्यास को देता है जो उस निधि का निवेश अनुमेय प्रतिभूतियों में करता है। इस न्यास द्वारा न्यास के सदस्यों के अंशदान पर एक न्यूनतम दर से ब्याज दिया जाना अपेक्षित होता है। 31 मार्च, 2008 को तत्संबंधी परिसंपत्तियों पर प्रति लाभ सहित भविष्य निधि की परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत देयता से अधिक है।

(ख) उपदान

निगम की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपदान का पात्र है। इस योजना का वित्त-पोषण निगम द्वारा और प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) सेवानिवृत्ति के बाद सुविधा

निगम की एक सेवानिवृत्ति के बाद चिकितसा सुविधा और निपट ान लाभ हैं जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (जीवन साथी सहित) को निगम के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है।

28. लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्त-पोषण की स्थिति निम्नानुसार है -

(लाख रुपए में)

	उपदान	निपटान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा लाभ
1. कर्मचारी व्यय के घटक			
क. वर्तमान सेवा लागत	112.34	0.67	35.05
ख. ब्याज लागत	104.19	1.17	108.02
ग. योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(110.00)	0.00	0.00
घ. बीमांकित (लाभ)/ हानि	111.36	4.74	433.61
ङ कुल व्यय/(लाभ)			
च. लाभ एवं हानि लेखे में पहचान किया गया	217.89	6.57	576.69
2. 31 मार्च, 2008 के अनुसार तुलन-पत्र में पहचान की गई निवल परिसंपत्ति/(देयता)			
क. 31 मार्च, 2008 के अनुसार वचनबद्धता का वर्तमान मूल्य	1,577.53	15.30	1,835.43
ख. 31 मार्च, 2008 के अनुसार योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	1,368.88	शून्य	शून्य
ग. तुलन-पत्र में पहचान की गई परिसंपत्तियां/ (देयता)	(208.65)	15.30	1,835.43
3. 31 मार्च, 2008 के अनुसार वचनबद्धता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन			
31 मार्च, 2007 को वचनबद्धता का वर्तमान मूल्य	1,302.43	14.58	1,350.27
वर्तमान सेवा लागत	112.34	0 .67	35.05
ब्याज लागत	104.19	1.17	108.02
बीमांकित (लाभ)/हानि	111.36	4.74	433.61
अदा किए गए लाभ	(52.80)	(5.86)	(91.51)
31 मार्च, 2008 को वचनबद्धता का वर्तमान मूल्य	1,577.53	15.29	1,835.43
4. योजनागत परिसंपत्तियों के स्पष्ट मूल्य में परिवर्तन			
31.03.2007 के अनुसार योजनागत परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य	1,302.43	शून्य	शून्य
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	110.00	शून्य	शून्य
वास्तविक कंपनी अंशदान	9.24	शून्य	शून्य
अदा किए गए लाभ	(52.80)	शून्य	शून्य
31.03.2008 को योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	1,368.88	शून्य	शून्य
5. बीमांकित संकल्पनाएं			
छूट दर (प्रति वर्ष)	8.00	8.00	8.00
परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर (प्रति वर्ष)	8.45	0.00	0.00
भविष्य की लागत वृद्धि	5.50	5.50	5.50
बीमांकित मूल्यांकन में लिए गए भविष्य की वेतन वृद्धि, के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य संगत कारक जैसेकि रोजगार बाजार में आपूर्ति तथा मांग को ध्यान में रखा गया है।			
6. 31.3.2008 को लागत पर योजनागत परिसंपत्तियों के ब्यौरे			
भारत सरकार प्रतिभूति	685.32		
कारपोरेट बॉण्ड	567.20		
अन्य	20.15		
जोड़	1,272.67		

29. निगम के पास भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक-17 के अनुसार एक से अधिक सूचना योग्य खंड नहीं है।

30. निगम ने फरवरी, 2008 में 10/- रुपए प्रत्येक के 156,120,000 इक्विटी शेयरों वाला एक प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) निकाला था जिसमें प्रति इक्विटी शेयर का मूल्य 105 रुपए था। इस इश्यू में 7,80,60,000 इक्विटी शेयरों तक का एक नया इश्यू शामिल है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 7,80,60,000 इक्विटी शेयरों तक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। नए इक्विटी शेयर मार्च, 2008 में आवंटित किए गए थे। तदनुसार, जारी और प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि होकर यह 78060 लाख रुपए से बढ़कर 85866 लाख रुपए हो गई है 71981 लाख रुपए (2176.47 लाख रुपए के इश्यू व्यय का निवल) की एक राशि को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में डाला गया

है। इक्विटी शेयरों के नए इश्यू से प्राप्तियों का उपयोग निगम के व्यापार के प्रयोजन हेतु किया गया है।

31. पिछले वर्ष के आंकड़ो को जहाँ-कहीं आवश्यक हो वर्तमान आंकड़ों के साथ तुलना योग्य बनाने के लिए उन्हें पुनः समूहबद्ध/ पुनः व्यवस्थित / पुनः दर्ज किया गया है।

32. आंकड़ों को निकटतम लाख तक पूर्णांकित (राउंड आफ) किया गया है।

33. अनुसूची 1 से 17 तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखें का एक अभिन्न भाग है और उसे विधिवत अभिप्रमाणित किया गया है।

34. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 के भाग-4 के अनुसार तुलन-पत्र सार और कंपनी के सामान्य व्यापार की प्रोफाइल।

1. पंजीकरण ब्यौरे

पंजीकरण संख्या	005095	राज्य कोड	55
तुलन-पत्र तिथि	31	03	2008
	दिनांक	माह	वर्ष

राशि (लाख रुपए में)

2. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी 7,806.00

3. निधियों को जुटाने तथा नियोजन की स्थिति

कुल देयताएं	4,046,757.26
कुल परिसंपत्तियां	4,046,757.26
निधियों के स्रोत	
प्रदत्त पूंजी	85,866.00
आरक्षित तथा अधिशेष	450,904.80
प्रतिभूत ऋण	2,942,195.13
अप्रतिभूत ऋण	486,083.51
विलंबित कर देयता	81,707.82
निधियों का उपयोग	
निवल अचल परिसंपत्तियां (पूंजीगत डब्ल्यूआईपी सहित)	7,790.07
निवेश	114,739.70
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां	(7,423.69)
ऋण	3,931,651.18
विलंबित कर परिसंपत्तियां	शून्य
विविध व्यय	शून्य
संचित हानि	शून्य

4. कंपनी का कार्य-निष्पादन

	(लाख रुपए में)
कारोबार (टर्न-ओवर)	353,766.10
कुल व्यय	222,523.77
कर पूर्व लाभ	131,242.33
कर पश्चात लाभ	86,014.65
ईपीएस रुपए में	10.94
लाभांश दर	30%

(10/- रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर पर)

5. कंपनी के प्रमुख उत्पाद/सेवाओं का जेनरिक नाम

मद कोड संख्या	लागू नहीं	वित्तीय सेवाएं
--		1 से 17 तक सभी अनुसूचियों पर हस्ताक्षर

तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियों और उक्त टिप्पणियों पर हस्ताक्षर

बी.आर.रघुनन्दन	**एच.डी.खुंटेटा**	**पी.उमा शंकर**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस

(राजीव वधावन)
भागीदार
सदस्यता सं.91007

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 26 मई, 2008

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

(क) लेखांकन परम्परा - वित्तीय विवरण को लेखांकन की प्रोदभवन पद्धति पर ऐतिहासिक लागत अवधारणा आधार पर तैयार किया जाता है और ये भारत में सामान्यतः स्वीकार्य तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं। वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 की संगत प्रस्तुतिकरण आवश्यकता का अनुपालन करते हैं।

(ख) अनुमानों का उपयोग - वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप तैयार किए जाने में प्रबंधन के द्वारा इस आशय के अनुमान तथा मान्यताएं लगाए जाने की आवश्यकता होती है कि वे वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा प्रकटीकरण और विवरणी की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की सूचित राशि, विशेषकर ऋण तथा बॉण्ड पर ब्याज, बकाया देयताओं हेतु प्रावधान, मूल्यह्रास संदेहास्पद ऋण तथा अग्रिम, आकस्मिक देयताएं आदि दर्शाएं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व मान्यता

01.04.2007 से निगम ने अपने स्वयं के विस्तृत विवेकसम्मत मानदंडों का निरूपण किया है जोकि व्यापक रूप से एनबीएफसी हेतु आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकसम्मत मानदंडों पर आधारित हैं। लेखांकन आरईसी के इन विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार ही किया जाता है और आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान किए जाने हेतु इनकी मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

2.1 आय मान्यता

ऐसी गैर-निष्पादन परिसंपत्तियां पर आय को, जहाँ ब्याज/मूलधन दो तिमाही अथवा उससे अधिक के लिए अतिदेय हो गया हो, मान्यता तब दी जाती है जब वह प्राप्त एवं विनियोजित हो गया हो। कोई आय जिसे संपत्ति के गैर-निष्पादनशील होने से पहले यदि मान्यता दी गई हो और वह वसूल न हो पाए तो उसे उलट दिया जाता।

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो लेनदारों से वसूली को (1) आरईसी की लागत तथा व्यय, (2) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित दण्डात्मक ब्याज (3) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अतिदेय ब्याज और (4) मूलधन की चुकौती, सबसे पुराने को पहले समायोजित किया जाता है, इस क्रम में विनियोजित किया जाता है।

ऐसे ऋणों के संबंध में जहाँ शर्तों पर पुनः बातचीत/पुनः निर्धारण/पुनः संरचना चल रही हो, आय की पहचान प्रोदभवन आधार पर तब की जाती है जब संगत रूप से यह आशा की जाती है कि कर्जदार से देयों की प्राप्ति में कोई अनिश्चितता नहीं है और एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जा चुका है तथा तदनुरूपी समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रभावी तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक पुनर्विचार-विमर्श अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनर्संरचना शर्तों के अनुसार कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है।

आरजीजीवीवाई योजनाओं पर एजेंसी प्रभारों की आय की संवितरित राशि के अनुपात में आर्थिक सहायता/ऋण के संवितरण के समय पहचान की जाती है।

परिसंपत्ति वर्गीकरण /प्रावधान के मानदंड

2.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण

ऋण तथा अग्रिम और ऋण की किसी अन्य रूप को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, नामतः -

(1) मानक परिसंपत्ति
(2) उप मानक परिसंपत्ति
(3) संदेहास्पद परिसंपत्ति
(4) हानि परिसंपत्ति

विवेकसम्मत मानदंडों तथा प्रावधान किए जाने के मानदंडों के उपयोग के प्रयोजन हेतु -

1. राज्य/केंद्रीय क्षेत्र के निकायों को प्रदान की गई सुविधाओं को ऋण-वार लिया जाता है।
2. अन्य निकायों को प्रदान की गई सुविधाओं को कर्जदार-वार लिया जाता है।

2.3 ऋण के प्रति प्रावधान

खरीदे गए तथा छूट दिए गए बिलों सहित ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता निम्नानुसार होगी -

(i) हानि परिसंपत्तियां - समूची परिसंपत्ति को बट्टेखाते में डाला जाएगा। यदि किसी कारण से ऐसी परिसंपत्ति को बही में रखे जाने की अनुमति दी जाती है तो 100% बकाया दिया जाएगा।

(ii) संदेहास्पाद परिसंपत्तियां

(क) सुरक्षा के रूप में जिस वसूले जा सकने वाले मूल्य पर आरईसी का एक विधिक अधिकार है उस पर 100% प्रावधान जोकि अग्रिम द्वारा उस वस्तु के वसूले न जा सकने वाले मूल्य जितना होना चाहिए। वसूले जाने वाले मूल्य का अनुमान एक वास्तविक आधार पर लगाया जाना चाहिए; केन्द्र/राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार की गारंटी से कवर अथवा केंद्रीय योजना आवंटन में से कटौती हेतु राज्य सरकार के उपक्रम अथवा किसी राज्य सरकार को दिया गया ऋण प्रतिभूत माना जाएगा।

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त जिस अवधि हेतु परिसंपत्ति संदेहास्पद रहती है उसके लिए प्रतिभूत भाग के 20% से 50% की सीमा तक (अर्थात बकाया का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य) को निम्नलिखित आधार पर प्रावधान किया जाना चाहिए:-

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति के प्रावधान को संदेहास्पद माना गया है	प्रावधान का प्रतिशत
1 वर्ष तक	20%
1 से 3 वर्ष	30%
3 वर्ष से अधिक	50%

(iii) **उप मानक परिसंपत्तियां** - 10% का प्रावधान किया जाना चाहिए

कोई परिसंपत्ति जिसे पुनः विचार-विमर्श अथवा पुनः निर्धारित अथवा पुनः संरचित किया गया है वह एक उप मानक परिसंपत्ति होगी अथवा उसी श्रेणी में बनी रहेगी जिसमें वह पुनः विचार-विमर्श अथवा पुनः निर्धारण या पुनः संरचना से पूर्व थी, एक संदेहास्पद परिसंपत्ति अथवा एक हानि परिसंपत्ति के रूप में, जैसा भी मामला हो। उक्त परिसंपत्ति पर उसे अद्यतन किए जाने तक आवश्यक प्रावधान को लागू किए जाने की आवश्यकता होती है।

3. अचल परिसंपत्ति

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए आरोप्य लागत शामिल होती है।

4. मूल्यह्रास

4.1 मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रोराटा आधार पर मुहैया कराया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प के रूप में 16.12.1993 से पूर्व पूंजीकृत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को तब प्रचलित दरों पर सीधी रेखा पद्धति द्वारा प्रभारित किया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान क्रय/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति का उपयोग 15 दिन से अधिक होने पर बजाए उसे क्रय/बिक्री की तिथि से प्रो-राटा आधार पर प्रभारित करने के संपूर्ण माह के लिए किया जाता है।

4.3 वर्ष के दौरान क्रय की गई 5000 रुपये तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर से मुहैया करवाया जाता है।

4.4 पटटेवाली भूमि को पटटे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

एक अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान तब की जाती है जब यह सम्भावना हो कि ऐसी परिसंपत्तियों के भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को आएंगे। इन परिसंपत्तियों को 5 वर्ष की अवधि हेतु परिशोधित किया जाता है।

6. निवेश

दीर्घावधि निवेशों को लागत रहित प्रावधान, यदि कोई हो, पर ऐसे निवेश के मूल्य में कमी के लिए किया जाता है। वर्तमान निवेश को लागत अथवा स्पष्ट मूल्य, जो कोई भी हो, पर किया जाता है।

7. वर्तमान कर तथा विलंबित कर

आयकर व्यय में वर्तमान आयकर जिसमें छुट-पुट लाभ कर शामिल है (निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि को आयकर कानून के अनुसार निर्धारित किया जाता है) और विलंबित कर प्रभार अथवा ऋण (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा कर योग्य आय के मध्य समय अंतरों के कर प्रभावों को दर्शाने वाला) को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक-22 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। विलंबित कर प्रभार अथवा ऋण और तदनुरूपी विलंबित कर देयता अथवा परिसंपत्तियों की पहचान उन कर दरों का उपयोग करते हुंए की जाती है जिन्हें तुलन-पत्र तिथि को अधिनिर्गमित अथवा व्यापक रूप से स्थापित किया गया है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक माना तथा आगे ले जाया जाता है जहाँ तक इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसमें से उक्त विलंबित कर परिसंपत्ति को वसूला जा सकता हो।

8. परिसंपत्तियों को क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को कम्पनी यह पता लगाने के लिए कि उसकी परिसंपत्तियों में क्षति से हानि तो नहीं हुंई है, अचल परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है तो क्षति हानि की सीमा के निर्धारण हेतु परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के निवल बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक होती है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

एक प्रावधान की पहचान तब की जाती है जब कंपनी में किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता हो और यह सम्भव है कि संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता उस देयता के निपटान हेतु तथा देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए हो। प्रावधानों को तुलन-पत्र तिथि पर बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

10. बॉण्ड निर्गम

10.1 बॉण्ड द्वारा निधियों को जुटाने पर व्यय को ऐसे बॉण्ड जारी किए जाने के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10.2 निगम बॉण्ड के संबंध में ब्याज वारंट के भुगतान के प्रति अपनी बाध्यता को नामित ब्याज वारंट बैंक खातों में राशि जमा कराकर पूरा करता है। तदनुसार, भुगतान को अंतिम भुगतान माना जाता है और ये नामित लेखे बहियों में प्रदर्शित नहीं होते बल्कि तत्संबंधी खातों का मिलान कर लिया जाता है।

11. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुंए सूचित किया जाता है जिसमें कर पूर्व लाभ को एक गैर-नकदी प्रकृति के कारोबार और विगत अथवा भविष्य की नकदी प्राप्तियों अथवा भुगतान के किसी विलंब अथवा प्रोदभवन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

12. पूर्वावधि समायोजन

12.1 व्यापार की प्रकृति को देखते हुए पहले के वर्षों हेतु पता लगाई गई ब्याज आय/मूलधन की चुकौती और वर्ष के दौरान निर्धारित राशि को, पता लगाए गए/निर्धारित किए गए वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

12.2 प्रत्येक मामले में 10,000/- रुपए से अधिक न होने वाले व्यय को लेखे के प्राकृतिक शीर्षों में लेखांकित किया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

13.1 उपदान के संबंध में कर्मचारी लाभ की देयता का पता बीमांकित मूल्यांकन पर लगाया जाता है और इसका वित्त-पोषण पृथक रूप से किया जाता है।

13.2 अल्पावधि कर्मचारी लाभ को संबंधित सेवा प्रदान किए जाने वाले वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में गैर-छूट वाली राशि पर एक प्रभार के रूप में माना जाता है।

13.3 नियोजन के बाद तथा अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभों की पहचान किसी कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने वाले लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में की जाती है। इस व्यय की पहचान बीमांकन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करते हुए निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर की जाती है। रोजगार के बाद और अन्य दीर्घावधि लाभों को बीमांकित लाभ एवं हानि के संबंध में लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित किया जाता है।

14. विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेन-देन को प्रारम्भ में कारोबार की तारीख के दिन विद्यमान विनिमय दर में दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण/देयताओं को वर्ष के अंत में विद्यमान विनियम दर के संदर्भ में परिवर्तित किया जाता है।

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष में नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2008 को समाप्त वर्ष		31.03.2007 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ	**131,242.33**		100,619.24	
निम्नलिखित हेतु समायोजन :				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**0.81**		(3.76)	
2. सामान्य आरक्षित से अंतरण	**(163.79)**			
3. मूल्यह्रास	**138.55**		112.89	
4. निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	**(23.88)**		(0.79)	
5. अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	**3,994.34**		2,104.45	
6. बटटेखाते में डाला गया अधिक प्रावधान	**(18.35)**		(1305.28)	
7. "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" की यूनिटों में निवेश की बिक्री/आय पर लाभ	**(33.02)**		(106.45)	
8. विनिमय दर अंतर में हानि	**959.53**			
कार्यशील पूंजी प्रभारों से पूर्व प्रचालन लाभ	**136,096.52**		101,420.30	
वृद्धि/कमी :				
1. ऋण	**(725,735.42)**		(679,453.62)	
2. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	**(18,676.12)**		(669.26)	
3. अन्य ऋण तथा अग्रिम	**(807.25)**		(89.05)	
4. वर्तमान देयताएं	**63,917.48**		14,210.89	
प्रचालनों से नकदी बाह्य प्रवाह	**(545,204.79)**		(564,580.73)	
1. अदा किया गया अग्रिम आयकर	**(74,962.20)**		(21,968.38)	
2. अदा किया गया धन कर	**(0.15)**		(0.23)	
3. अदा किया गया छुट-पुट लाभ कर	**(106.55)**		(67.18)	
प्रचालन क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(620,273.69)**		(586,616.52)
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**1.61**		16.59	
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद (पूंजीगत व्यय हेतु अदा किए गए अग्रिम सहित	**(1,567.94)**		(49.58)	
3. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पावर बॉण्ड-2 का विमोचन	**4,716.00**		14,148.00	
4. "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" फंड की यूनिटों में निवेश	**(194.81)**		(1,553.09)	
5. "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" फंड की यूनिटों में निवेश की बिक्री	**379.86**		562.54	
6. अनुषंगी कम्पनी "आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि." के शेयरों में निवेश	**(5.00)**		-	
7. अनुषंगी कम्पनी "आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कम्पनी लि." के शेयरों में निवेश	**0.00**		(5.00)	
8. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयरों में निवेश	**(125.00)**		-	
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		**3,204.72**		13,119.46
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. बॉण्ड निर्गम	**607,392.38**		872,091.18	
2. बॉण्डों का विमोचन	**(359,593.94)**		(386,652.81)	
3. सावधि ऋण/बैंकों /एफआई से एसटीएल जुटाना	**437,250.00**		119,980.00	
4. बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण/एसटीएल की चुकौती	**(300,650.00)**		(66,500.00)	
5. विदेशी मुद्रा ऋण को जुटाना	**16,676.53**		87,209.00	
6. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (धन वापसी का निवल)	**390,289.91**		300,167.09	
7. अनुदानों का संवितरण	**(335,941.46)**		(300,940.07)	
8. सरकारी ऋण की चुकौती	**(1,855.96)**		(1,948.72)	
9. अदा किया गया लाभांश	**(17,700.00)**		(10,126.00)	
10. अदा किया गया निगमित लाभांश कर	**(3,008.12)**		(1,420.17)	
11. शेयरों निर्गम	**79,786.53**			
वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी अंतर प्रवाह		**512,645.87**		611,859.50
नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/कमी		**(104,423.10)**		38,362.43
1 अप्रैल, 2007 को नकदी तथा नकदी तुल्य		**229,726.89**		191,364.46
31 मार्च, 2008 को नकदी तथा नकदी तुल्य		**125,303.79**		229,726.89
नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/कमी		**(104,423.10)**		38,362.43

टिप्पणी - पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनः व्यवस्थित तथा पुनः समूहबद्ध किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस.माथुर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

राजीव वधावन
भागीदार
सदस्यता सं. 91007.

कृते तथा बोर्ड की ओर से

बी.आर. रघुनन्दन
कंपनी सचिव

एच.डी.खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 26 मई, 2008

31 मार्च, 2008 के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध

(आरबीआई द्वारा यथाविहित)

(ब्यौरे गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां विवेकसम्मत मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 के पैराग्राफ 9बीबी के सम्बन्ध में अपेक्षित हैं जहाँ तक वे आरईसी लिमिटेड पर लागू हों)

(लाख रुपए में)

विवरण	बकाया राशि	अतिदेय राशि	
देयता पक्ष :			
एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण तथा अग्रिम, उन पर प्रोदभूत किन्तु अदा न किए गए ब्याज सहित			
(क) ऋण-पत्र/बॉण्ड			
(1) प्रतिभूत	2,359,995.13	-	
(2) अप्रतिभूत	48,966.00	-	
(ख) विदेशी मुद्रा ऋण	104,845.03		
(ग) भारत सरकार से सावधि ऋण	8,192.48	-	
(घ) वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण	350,000.00	-	
(ङ) बैंकों से सावधि ऋण	556,280.00	-	
(च) बैंक से ओवर ड्राफ्ट	-	-	
(छ) बैंकों से नकदी ऋण	-	-	
परिसंपत्ति पक्ष :			
प्राप्य बिल सहित ऋण तथा अग्रिमों के ब्यौरे			
(क) प्रतिभूत	1,777,311.15		
(ख) अप्रतिभूत	2,154,340.03		

सभी पटटेवाली परिसंपत्तियों, किराए पर लिए गए स्टाक और ऋण तथा अग्रिम का कर्जदार समूह-वार वर्गीकरण

	प्रावधानों की निवल राशि		
श्रेणी	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्ष के अतिरिक्त	1,777,311.15	2,154,340.03	3,931,651.18
कुल	1,777,311.15	2,154,340.03	3,931,651.18

अन्य जानकारी	
विवरण	राशि
(i) सकल गैर-निष्पादन परिसंपत्तियां	
(क) संबंधित पक्ष	-
(ख) संबंधित पक्ष के अतिरिक्त	31,618.00
(ii) निवल गैर-निष्पादन परिसंपत्तियां	
(क) संबंधित पक्ष	-
(ख) संबंधित पक्ष के अतिरिक्त	23,444.00
(iii) ऋण की संतुष्टि में अधिप्राप्त परिसंपत्ति	-

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस.माथुर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस

राजीव वधावन
भागीदार
सदस्यता सं. 91007.

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 26 मई, 2008

कृते तथा बोर्ड की ओर से

बी.आर. रघुनन्दन
कंपनी सचिव

एच.डी.खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

1. हमने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2008 के संलग्न तुलन पत्र और 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व इनकी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः अपनाए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम योजनानुसार लेखापरीक्षा में आश्वस्त करें कि हमारे वित्तीय विवरण में गलत बयानी न हो। लेखापरीक्षा मे परख के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य की जाँच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धान्तों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा यह मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है।

3. कम्पंनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) के अनुसार यथावांछित तथा केंन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) के आदेश, 2003 की अपेक्षा के अनुसार निगम पर जितना लागू हो सकता है उसके अनुरूप उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम एक विवरण अनुलग्नक में संलग्न कर रहे हैं।

4. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में उल्लिखित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों से आगे हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:-

   (i) अपनी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;

   (ii) हमारी राय में और जहाँ तक इन बहियों की जाँच से पता चलता है कि कंपनी द्वारा कानूनी अपेक्षा के अनुसार लेखा की उपयुक्त खाता बहियां ठीक ढंग से रखी गई हैं;

   (iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण निगम की लेखा बहियों से मेल खाते हैं;

   (iv) हमारी राय में इस रिपोर्ट में तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण कपंनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में दिए गए लेखा मानकों के अनुसार हैं;

   (v) भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग की दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना सं.2/5/2001-सीएलV द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है;

   (vi) हमारी राय में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त खाते, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार आवश्यक सूचनाएं अपेक्षित तरीके से तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार एक सही और वास्तविक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा निम्नलिखित बातें इन पर लागू हैं :

      (क) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार निगम के कार्यकलाप।

      (ख) लाभ एवं हानि खाते के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ और,

      (ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह।

कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(राजीव वधावन)
भागीदार
सदस्यता सं. 91007

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 26.05.2008

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(31 मार्च, 2008 को रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के खातों के विवरण पर उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित)

1. अचल परिसंपत्तियों के संबंध में -
   (क) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए अचल परिसंपत्तियों का रिकार्ड रखा है।
   (ख) 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है; और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार ऐसे भौतिक सत्यापन में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है।
   (ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के कोई बड़े हिस्से नहीं बेचे हैं।
2. माल-सूची के संबंध में -
   गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी की कोई माल-सूची नहीं है।
3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन दिए गए अथवा प्राप्त किए गए ऋणों के संबंध में -
   (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध अपनी 2 अनुषंगी कम्पनियों में गैर-जमानती ऋण प्रदान किया है। ऐसी कम्पनियों को दिए गए ऋण की वर्ष के दौरान अधिकतम राशि 102.65 लाख और वर्ष के अंत में ऐसे ऋणों का शेष 102.65 लाख रुपए था। मूलधन पर ब्याज तथा चुकौती के संबंध में कोई शर्त नहीं है।
   (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सामान्यतः उन कंपनियों, फर्मों और अन्य पार्टियों को कोई जमानती या गैर-जमानती ऋण नहीं लिया है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4(iii) (च) और (छ) लागू नहीं हैं।
4. इसके आंतरिक नियंत्रण के सम्बन्ध में -
   हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कुछ क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण कंपनी के आकार और व्यवसाय के अनुरूप हैं। तथापि, कुछ क्षेत्रों में, जहाँ पर आंतरिक नियंत्रण मजबूत किया जाना आवश्यक है, जैसे कि वित्तीय लेखाकरण, दर्जा निर्धारण सेवा नीतियों से संबंधित ऋण मूल्य निर्धारण, उचित ऋण इक्विटी अनुपात निर्धारित करते हुए टी एंड डी उधार मानकों की समीक्षा करना, ऋण दस्तावेजों की स्थिति के संबंध में नियंत्रण रिकार्ड अपनाना, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों का संवितरण एवं उपयोग; दिए गए ऋणों पर लगाए गए प्रभारों हेतु खोज रिपोर्ट प्राप्त करने सहित विभिन्न एसईबी/ डिस्कॉम/ ट्रांसकोस/ जेनकोस को प्रदत्त ऋण का परीवीक्षण।
5. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन कारोबार के संबंध में -
   हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन कंपनियों या संस्थाओं के साथ कोई कारोबार संबंधी लेन-देन नहीं किया है।
6. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए एवं 58एए और कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियमावली, 1975 के अधीन जनता से इसके निक्षेपों के संबंध में -
   कंपनी ने ऐसे बाँड जारी किए हैं जो जारी किए जाने के समय आंशिक रूप से गैर-जमानती थे और सार्वजनिक निक्षेप की परिभाषा के अंतर्गत कवर होते थे और इस प्रकार उन पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां जमा की स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1(बीबी) के साथ पढ़ा जाता है, के प्रावधान लागू होते हैं। बाद में इन्हें वर्ष के दौरान प्राप्य के प्रति प्रभार का सृजन करके और बाँड धारकों के लिए न्यासियों के पक्ष में बही ऋण के द्वारा प्रतिभूत बना दिया गया था।
7. इसकी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के संबंध में -
   निगम का एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है, जो मुख्यालय और परियोजना कार्यालयों में विभिन्न विभागों की अनुमोदित लेखापरीक्षा योजना के अनुसार समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा अनुमोदित योजना के अनुसार की गई और इसमें पूर्व वर्षों की तुलना में काफी सुधार हुआ है। कंपनी के व्यवसाय में वृद्धि के मद्देनजर और लेखाकरण संबंधी कमियों को शामिल करते हुए जोखिम आधारित लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा को और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।
8. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (डी) के अधीन इसके लागत रिकार्ड के संबंध में -
   गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (डी) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते।
9. इसकी सांविधिक देयताओं के संबंध में -
   (क) कंपनी, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, धन कर तथा उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक राशि उपर्युक्त प्राधिकारी के पास नियमित रूप से जमा कर रही है, सिवाय निम्नलिखित के -
   पृष्ठांकन एवं सुपुर्दगी द्वारा अंतरणीय कुछ बाँडों के संबध में उपचित ब्याज पर टीडीएस की कटौती न करना और परिणामतः जमा न कराना
   (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर तथा धन कर के संबंध में देय ऐसी कोई अविवादित राशि, 31 मार्च, 2008 को बकाया नहीं थी, जो देय तारीख से छह महीने से अधिक बकाया हो।
   (ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार बिक्रीकर, आयकर, सीमा शुल्क, धन कर, उत्पाद शुल्क एवं उपकर से संबंधित ऐसी कोई भी राशि नहीं थी जिसे विवाद के

कारण जमा न करवाया गया हो।

10. कंपनी की संचयी हानियों और नकद हानियों के संबंध में -
कंपनी को कोई संचयी हानि नहीं हुई है। हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष एवं निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को नकद हानि नहीं हुई है।
11. वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों को देय चुकौतियों में इसकी चूक के संबंध में -
हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या बांडधारियों को देय राशि की चुकौती करने में चूक नहीं की।
12. इसके प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों के संबंध में -
कम्पनी ने विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों, ट्रांसमिशन, वितरण तथा उत्पादन कम्पनियों जिसमें स्वतंत्र विद्युत उत्पादक शामिल हैं, को शेयर अथवा अन्य किसी प्रतिभूति को रेहन रखकर बन्धक प्रतिभूति सहित प्रतिभूति के आधार पर दिए गए ऋण के सम्बन्ध में अभिलेखों तथा दस्तावेजों का अनुरक्षण किया है।
13. चिट फंड/निधि कंपनी पर लागू विशेष कानून के संबंध में -
हमारी राय में कपंनी चिट फंड या निधि म्युचुअल बेनिफिट फंड/ सोसायटी नहीं है। अतः कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4 (XIII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
14. शेयर सिक्युरिटी, डिबेंचर और अन्य निवेश में लेन-देन/व्यापार करने के सबंध में -
हमारी राय में कंपनी ने शेयर प्रतिभूतियों एवं ऋण पत्रों तथा अन्य निवेशों से किसी प्रकार का लेन-देन या व्यापार नहीं कर रही है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड (XIV) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

15 अन्यों द्वारा लिए गए ऋण के लिए इसकी गारंटी के संबंध में -
हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से किसी अन्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. इसके द्वारा सावधि ऋण के अंतिम उपयोग के संबंध में -
हमारी राय में जिस प्रयोजन के लिए सावधि ऋण लिया गया उसी के लिए इसका प्रयोग किया गया।
17. इसके द्वारा निधियों के उपयोग के संबंध में -
हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच करने पर हम यह सूचित करते हैं कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का उपयोग दीर्घावधि नियोजन/निवेश के लिए नहीं किया गया है।
18. इसके शेयरों के अधिमानी आबंटन के संबंध में -
हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर शामिल पार्टियों तथा कंपनियों को अधिमानी शेयर आबंटित नहीं किए हैं।
19. जारी डिबेंचरों के लिए इसकी प्रतिभूति के गठन के संबंध में -
हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान कम्पनी ने 10 लाख रुपए प्रत्येक के 15683 संस्थागत बॉण्ड और 10,000/- रुपए प्रत्येक के 3402744 पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड जारी किए थे। कम्पनी ने संस्थागत तथा पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड के सम्बन्ध में प्रतिभूति को वर्तमान परिसंपत्तियों (बही ऋण) पर प्रभार और मुम्बई तथा दिल्ली में कम्पनी की अचल संपत्तियों पर कानूनी रेहन के रूप में सृजित किया है।

20 सार्वजनिक निर्गम के जरिए जुटाई गई राशि के इसके अंतिम प्रयोग के संबंध में -
हमने वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किए अनुसार सार्वजनिक निर्गम के द्वारा जुटाई गई राशि के अंतिम उपयोग का सत्यापन किया है।

21. कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा इसकी धोखाधड़ी के संबंध में -
हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा की गई कोई धोखाधड़ी की घटना जानकारी में नहीं आई और न ही उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है।

कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 26.05.2008

(राजीव वधावन)
भागीदार
सदस्यता सं. 91007

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
स्कोप काम्प्लेक्स,
कोर-4, लोदी रोड,
नई दिल्ली - 110003

प्रिय महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 द्वारा अपेक्षित के अनुसार निगम पर लागू सीमा तक उक्त निर्देशों के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम निम्नलिखित रिपोर्ट देते हैं:

1. निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-1ए मे प्रावधान के अनुसार पंजीकरण हेतु आवेदन किया था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 10.2.1998 को पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया गया है और जिसका पंजीकरण संख्या 14000011 है।
2. दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना संख्या 134 से 140 के अनुसार एनबीएफसी विनियमों में संशोधन के अनुसार सरकारी कंपनियों को नकदी परिसंपत्तियों और आरक्षित निधियों के अनुसरण से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों तथा सार्वजनिक निक्षेपों को स्वीकार करने एवं विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित निर्देशों की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की गई है।
3. कंपनी ने वर्ष 2007-08 के दौरान कोई लोक जमा स्वीकार नहीं की है। तथापि, पहले के वर्षों में निगम ने ऐसे बॉंड जारी किए थे जो जारी किए जाने के समय आंशिक रूप से अप्रतिभूत थे और लोक जमा की परिभाषा के अंतर्गत आते थे और इस प्रकार उन पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां जमा की स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1(बीबी) के साथ पढ़ा जाता है, के प्रावधान लागू होते हैं। बाद में इन्हें वर्ष के दौरान प्राप्य के प्रति प्रभार का सृजन करके और बॉंडधारकों के लिए न्यासियों के पक्ष में बही ऋण के द्वारा प्रतिभूत बना दिया गया था।

   लेकिन, निगम के निदेशक मंडल ने 23.02.2006 को हुई अपनी 299वीं बोर्ड बैठक में लोक जमा स्वीकार करने, कंपनी को लोक जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी से बदलकर लोक जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को बनाने और तदनुसार तत्संबंधी अनुमति प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यक आवेदन करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था।
4. दिनांक 31.03.2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित एनबीएफसी पर लागू लेखाकरण मानकों और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन किया है तथा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया है। आय की मान्यता निगम की लेखांकन नीतियों के अनुसार है, जोकि लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उससे संबद्ध अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अधीन है।

कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(राजीव वधावन)
भागीदार
सदस्यता सं. 91007

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26.05.2008

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार **दिनांक 31 मार्च, 2008** को समाप्त वर्ष के लिए **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा और उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षक के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के उत्तरदायी हैं। इसे उनकी दिनांक 26.05.2008 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया जाता है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन **31.03.2008** को समाप्त वर्ष के लिए **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकरण कागजात (कार्यकरण कागजात की समीक्षा न किए जाने के मामले में) तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखाकरण रिकार्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित होती है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने का कारण बनती है।

भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक के लिए
और उसकी ओर से

(सरोज पुन्हानी)
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09.07.2008

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में सहायक कंपनियों के संबंधित विवरण

सहायक कंपनियों का नाम	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड#	तालचर –II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड#
1. को समाप्त सहायक कंपनी का वित्तीय वर्ष	31.03.2008	31.03.2008	31.03.2008	31.03.2008
2. तारीख जिस दिन से वे सहायक कंपनी बनी	08.01.2007	12.07.2007	23.04.2007	01.05.2007
3. दिनांक 31 मार्च, 2008 को कंपनी द्वारा धारित सहायक कंपनी के शेयर				
(क) संख्या और अंकित मूल्य	प्रत्येक 10/- रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक 10/- रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक 10/- रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक 10/- रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर
(ख) धारण की सीमा	100 %	100 %	100 %	100 %
4. जहां तक धारक कंपनी के सदस्यों का संबंध है सहायक कंपनियों के लाभ/ (हानि) की निवल कुल राशि				
(क) धारक कंपनी के लेखे में नहीं लिया गया				
i) 31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं *	Rs.1,77,88,587	कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं *	कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं *
ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष तक	यह कंपनी का पहला वित्तीय वर्ष है ।	यह कंपनी का पहला वित्तीय वर्ष है ।	यह कंपनी का पहला वित्तीय वर्ष है ।	यह कंपनी का पहला वित्तीय वर्ष है ।
(ख) धारक कंपनी के लेखे में लिया गया				
i) 31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के लिए क्योंकि वे धारक कंपनी की सहायक कंपनियां बन गई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

***चूकि कंपनी ने अभी तक अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया है इसलिए इसने वर्ष के लिए कोई लाभ अर्जित नहीं किया है ।**

 # इन कंपनियों के 100% शेयर आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा धारति है, जोकि सीधे इस निगम की सहायक कंपनी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4(1) के प्रावधन के अनुसरण में ये कंपनियां रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनियां हैं।

बी.आर. रघुनंदन
महाप्रबंधक (विधि) और कंपनी सचिव

एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सहायक कंपनियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को दिनांक 8 जनवरी, 2007, जो निगमन की तारीख है, से 31 मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षित लेखे के साथ कंपनी की पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

प्रचालन की समीक्षा

चूंकि, यह पहला वित्तीय वर्ष है, कंपनी का व्यवसाय अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी ने वर्ष के लिए कोई लाभ अर्जित नहीं किया है।

वित्तीय परिणाम

- पूंजी संरचना

पूंजी	राशि (रुपए)
प्राधिकृत पूंजी	500,000
निर्गमित, अभिदत्त और चुकता पूंजी	500,000

- वर्ष 2007-08 के दौरान वित्तीय कार्यनिष्पादन

  चूंकि, कंपनी ने अभी तक अपना वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है इसलिए दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त पहले वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभ और हानि लेखा तैयार नहीं किया गया था। इसके स्थान पर निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय का विवरण तैयार किया गया था। दिनांक 31.03.2008 को समाप्त अवधि के दौरान कुल 20,24,909/-रुपए का व्यय किया गया था, जिसे दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों यथा, नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को बराबर समानुपात में आवंटित किया गया था।

- लाभांश का भुगतान

  आपके निदेशक दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश करने में अपनी असमर्थता के लिए खेद व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल

क्रम सं0	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	अधिवर्षिता की तारीख
1.	श्री ए. के. लखीना	भूतपूर्व अध्यक्ष	08.01.2007	29.02.2008
2.	श्री पी. उमाशंकर	अध्यक्ष	01.03.2008	पद पर बने हुए हैं
3.	श्री रमा रमन	निदेशक	08.01.2007	पद पर बने हुए हैं
4.	श्री गुलजीत कपूर	निदेशक	08.01.2007	पद पर बने हुए हैं
5.	श्री पी. जे. ठक्कर	निदेशक	08.01.2007	पद पर बने हुए हैं

श्री रमा रमन, श्री गुलजीत कपूर एवं श्री पी. जे. ठक्कर पहले निदेशक प्रथम वार्षिक महासभा में सेवानिवृत्त हो जाएंगे और क्रमावर्तन में सेवानिवृत्त होने के लिए निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स रतन विनोद अनिल एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स को पहले वित्तीय वर्ष अर्थात 8 जनवरी, 2007 से 31 मार्च, 2008 के लिए भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(1ख) के अधीन उनसे प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उपर्युक्त अवधि के लिए कंपनी के लेखे, रोकड़ प्रवाह विवरण और इस रिपोर्ट से संलग्न लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ अपेक्षित अनुबंध की लेखापरीक्षा की है।

लेखे पर टिप्पणियां

लेखापरीक्षकों का अवलोकन और लेखे पर टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं। इसलिए कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

कर्मचारियों का विवरण

संपूर्ण वित्तीय वर्ष में प्रतिवर्ष 24,00,000/-रुपए अथवा अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला अथवा वर्ष के भाग के लिए नियोजित, जो प्रति माह 2,00,000/-रुपए अथवा अधिक की दर से पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था, कोई कर्मचारी नहीं था और इसलिए कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अधीन कोई विवरण नहीं दिया गया है।

जमाराशियां

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

धारा 217(2कक) के अधीन निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2कक) के अनुसरण में प्रचालनात्मक प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

(क) कि वार्षिक लेखा की तैयारी में लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और उससे कोई वास्तविक विपथन नहीं किया गया है;

(ख) कि उन्होंने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया और उन्हें सतत रूप से लागू किया हैं तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं, जो उचित और विवेकसम्मत हैं ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की संपूर्ण स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि का सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर सकें;

(ग) कि उन्होंने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

(घ) कि उन्होंने चालू प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

कार्मिक

कंपनी में कोई स्थायी कर्मचारी नियुक्त नहीं किए गए हैं, आरईसी, इसकी धारक कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी के दिन-प्रतिदिन का कार्य करने के लिए अतिरिक्त कर्त्तव्य दिए गए थे।

सराहना

निदेशकगण भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री अनिल कुमार लखीना द्वारा कंपनी के गठन में दिए गए सभी बहुमूल्य योगदान के लिए हार्दिक सराहना व्यक्त करना चाहते हैं।

भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणी इसके साथ संलग्न है।

आभार

निदेशकगण अपने कर्मचारियों के लिए सराहना और अपने बैंकरों तथा सदस्यों द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए बहुमूल्य समर्थन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं।

निदेशकगण सांविधिक लेखापरीक्षक रतन विनोद अनिल एण्ड कंपनी और भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक का भी उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02/07/2008

(पी. उमाशंकर)
अध्यक्ष

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार **दिनांक 31 मार्च,** 2008 को समाप्त वर्ष के लिए **आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा और उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षक के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के उत्तरदायी हैं। इसे उनकी दिनांक 16.05.2008 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया जाता है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन 31.07.2008 को समाप्त वर्ष के लिए **आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड** के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकरण कागजात (कार्यकरण कागजात की समीक्षा न किए जाने के मामले में) तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखाकरण रिकार्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित होती है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने का कारण बनती है।

भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक के लिए
और उसकी ओर से

(सरोज पुन्हानी)
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25/06/2008

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में सहायक कंपनियों के संबंधित विवरण

सहायक कंपनियों का नाम	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड#	तालचर –II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड#
1. को समाप्त सहायक कंपनी का वित्तीय वर्ष	31.03.2008	31.03.2008
2. तारीख जिस दिन से वे सहायक कंपनी बनी	23.04.2007	01.05.2007
3. दिनांक 31 मार्च, 2008 को कंपनी द्वारा धारित सहायक कंपनी के शेयर		
(क) संख्या और अंकित मूल्य	प्रत्येक 10/- रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक 10/- रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर
(ख) धारण की सीमा	100%	100%
4. जहां तक धारक कंपनी के सदस्यों का संबंध है सहायक कंपनियों के लाभ/ (हानि) की निवल कुल राशि		
(क) धारक कंपनी के लेखे में नहीं लिया गया		
i) 31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं *	कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं *
ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष तक	यह कंपनी का पहला वित्तीय वर्ष है।	यह कंपनी का पहला वित्तीय वर्ष है।
(ख) धारक कंपनी के लेखे में लिया गया		
i) 31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	शून्य	शून्य
ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के लिए क्योंकि वे धारक कंपनी की सहायक कंपनियां बन गई	शून्य	शून्य

*चूकि कंपनी ने अभी तक अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया है इसलिए इसने वर्ष के लिए कोई लाभ अर्जित नहीं किया है ।

 # इन कंपनियों के 100% शेयर आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा धारति है, जोकि सीधे इस निगम की सहायक कंपनी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4(1) के प्रावधन के अनुसरण में ये कंपनियां रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन की सहायक कंपनियां हैं।

सुबोध गर्ग
मु.का.अ.

गुलजीत कपूर
निदेशक

प्रकाश जे. ठक्कर
निदेशक

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

1. हमने **आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड** के दिनांक 31 मार्च, 2008 की यथास्थिति संलग्न तुलनपत्र, उस तारीख को समाप्त निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय के विवरण तथा उससे संलग्न उस अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। चूंकि कंपनी ने अपना प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है, इसलिए 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए कोई लाभ और हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है।
   ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन के उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम इस बारे में कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं, उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाते और निष्पादन करते हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का आकलन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।
   हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।
3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4क) के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथापेक्षित हम अनुबंध में कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न करते हैं।
4. ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित अनुबंध में दी गई अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ii) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां कंपनी द्वारा रखी गई है जैसाकि हमें उन बहियों की जांच से पता चलता है।

(iii) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय और रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(iv) हमारी राय में तुलनपत्र, निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय और रोकड़ प्रवाह विवरण कपंनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

(v) कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार के दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना सं0 2/5/2001-सीएलV द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(छ) के उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार टिप्पणियों और लेखाकरण नीतियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण यथा अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं :
   (क) दिनांक 31 मार्च, 2008 की यथास्थिति कंपनी के कार्यकलाप के तुलनपत्र के मामले में ;
   (ख) उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए किए गए व्यय हेतु निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय दर्शाते हुए विवरण के मामले में; और
   (ग) उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते रतन विनोद अनिल एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(अनिल कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं० 084295

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16/05/2008

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए लेखे पर हमारी समतारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित)

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारें द्वारा जांच की गई बहियों और रिकार्ड के अनुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में हम निम्नानुसार वर्णन करते हैं :

1(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन यथाशामिल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को अरक्षित ऋण दिया था। वर्षांत में बकाया राशि और वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि क्रमशः 7,12,455/- रुपए और 8,12,454/-रुपए थी।

(ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल के अनुसार धारक कंपनी से अप्रतिभूत ऋण लिया । वर्ष के अंत में बकाया राशि और वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि 30,79,832/- रुपए थी।

1(ख) हमारी राय में ब्याज की दरें और अन्य शर्तें, जिनपर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध पार्टियों को ऋण दिए/से ऋण लिए गए थे, प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के लिए हानिकारक नहीं हैं।

2. कंपनी के आकार के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि है।

3(क) जैसा हमें स्पष्ट किया गया कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, उपकर और अन्य कोई सांविधिक बकाए सहित अविवादित सांविधिक बकाया अपनी धारक कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के माध्यम से उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा कर रही है।

3(ख) जैसा हमें स्पष्ट किया गया है, 31 मार्च, 2008 की यथास्थिति उपर्युक्त सांविधिक बकाए के संबंध में देय कोई अविवादित राशि उनके देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

4. लेखापरीक्षा के दौरान हमारी जानकारी में कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं आया। इसके अतिरिक्त हमें जैसा सूचित किया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं देखा/सूचित किया है।

5. दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के दौरान पैरा i, ii, v, vi, vii, viii, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, और xx, के उपबंध लागू नहीं हैं।

कृते रतन विनोद अनिल एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(अनिल कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं० 084295

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16/05/2008

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2008 की यथास्थिति तुलनपत्र

आंकड़े रुपए में

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2008 की यथास्थिति
निधियों का स्रोत		
शेयरधारक निधि :		
शेयर पूंजी	1	500,000
ऋण निधियां :		
अरक्षित ऋण	2	3,079,832
जोड़		**3,579,832**
निधियों का प्रयोग		
स्थायी परिसंपत्तियां :		
सकल ब्लॉक		-
घटाएं : मूल्यह्रास		-
निवल ब्लॉक		-
चालू पूंजीगत कार्य		-
निवेश	3	1,000,000
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	4	
रोकड़ और बैंक शेष		999,275
ऋण और अग्रिम		1,524,909
		2,524,184
घटाएं : चालू देयताएं और प्रावधान	5	
देयताएं		11,236
निवल चालू परिसंपत्तियां		**2,512,948**
विविध व्यय		66,884
(बट्टे खाते नहीं डाले गए अथवा समायोजित नहीं की गई सीमा तक)		
जोड़		**3,579,832**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	**6**	
लेखे पर टिप्पणियां	**7**	

अनुसूची 1 से 7 लेखे का अभिन्न भाग हैं।

हमारी समतारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते रतन विनोद अनिल एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(अनिल कुमार)
भागीदार
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.05.2008

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

सुबोध गर्ग	गुलजीत कपूर	प्रकाश जे. ठक्कर
मु.का.अ. और प्र.नि.	निदेशक	निदेशक

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 को समाप्त अवधि
व्यय	
प्रशासन व्यय	
आरईसी द्वारा आवंटित वेतन और अन्य स्थापना व्यय	927,710
प्रशासन व्यय	
बैठक और सम्मेलन	697,758
मुद्रण और लेखन-सामग्री	5,650
बैंक प्रभार	725
उप-जोड़	1,854,497
ब्याज	159,176
सांविधिक लेखापरीक्षकों की फीस	11,236
उप-जोड़	**2,024,909**
घटाएं : निम्नलिखित को आवंटित :	
- नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	1,012,455
- तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	1,012,454
उप-जोड़	**2,024,909**
तुलनपत्र को ले जाया गया शेष (सीडब्ल्यूआईपी)	-

अनुसूची 1 से 7 लेखे का अभिन्न भाग हैं।

हमारी समतारीख की रिपोर्ट के अनुसार — निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृते रतन विनोद अनिल एण्ड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स — सुबोध गर्ग मु.का.अ. और प्र.नि. — गुलजीत कपूर निदेशक — प्रकाश जे. ठक्कर निदेशक

(अनिल कुमार)
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.05.2008

अनुसूची 1 - असुरक्षित ऋण

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 की यथास्थिति
प्राधिकृत	
प्रत्येक 10/-रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर	500,000
निर्गमित, अभिदत्त और चुकता	
प्रत्येक 10/-रुपए के पूर्णतः चुकता 50,000 इक्विटी शेयर	500,000
जोड़	**500,000**

अनुसूची 2 - शेयर पूंजी

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 की यथास्थिति
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (धारक कंपनी)	3,079,832
जोड़	**3,079,832**

अनुसूची 3 - निवेश

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 की यथास्थिति
दीर्घावधिक (अनउद्धृत)	
गैर-व्यापार निवेश	
सहायक कंपनी-नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	500,000
प्रत्येक 10/-रुपए के चुकता 50,000 इक्विटी शेयर	
सहायक कंपनी- तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	500,000
प्रत्येक 10/-रुपए के चुकता 50,000 इक्विटी शेयर	
जोड़	**1,000,000**

अनुसूची 4 - चालू परिसंपत्तियां,ऋण और अग्रिम

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 को समाप्त अवधि
I चालू परिसंपत्तियां	
(क) रोकड़ और बैंक शेष :	
चालू खाते में	
- अनुसूचित बैंकों के पास	999,275
जोड़ (क)	**999,275**
II ऋण और अग्रिम	
(क) अग्रिम :	
(अरक्षित, अच्छे माने गए)	
- सहायक कंपनियों से बकाया	
- नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	712,455
- तालचर-II ट्रांसमिशन कपंनी लिमिटेड	812,454
जोड़ (ख)	**1,524,909**
जोड़	**2,524,184**

अनुसूची 5 - चालू देयताएं और प्रावधान

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 की यथास्थिति
अन्य देयताएं	
जोड़	**11,236**

अनुसूची सं० 6 : महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार**
   लेखाकरण परंपरा - वित्तीय विवरण बीमांकिक आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के अधीन और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों और लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की संगत प्रस्तुतिकरण अपेक्षाओं का पालन करते हैं।
2. **अचल परिसंपत्तियां**
   स्थायी परिसंपत्तियां संग्रहित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाई जाती हैं। लागत में परिसंपत्तियों को उसके अभिप्रेत प्रयोग के लिए कार्य दशा में लाने के लिए हुई कोई लागत शामिल है।
3. **मूल्यह्रास**
   3.1 परिसंत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIV के अधीन निर्धारित दरों पर सीधी रेखा विधि पर यथानुपात आधार पर प्रदान किया जाता है।
   3.2 वर्ष के दौरान खरीदी/बिक्री की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास खरीद//बिक्री की तारीख से यथानुपात आधार पर उसे प्रभारित करने की बजाय पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है अगर परिसंपत्ति 15 दिन से अधिक के लिए प्रयोग में हो।
   3.3 वर्ष के दौरान 5,000/-रुपए तक की खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर पर प्रदान किया जाता है।
4. **चालू पूंजीगत निर्माण कार्य**
   सर्वेक्षण/अध्ययन/अन्वेषण/परामर्श/प्रशासन/मूल्यह्रास/ब्याज पर किए गए व्यय को चालू पूंजीगत निर्माण कार्य माना गया है।
5. **ऋण**
   परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का वित्तपोषण धारक कंपनी द्वारा किया जाता है और इसे अरक्षित ऋण माना जाता है। उनके द्वारा लगाई गई निधियों पर ब्याज प्रभारित किया गया है।
6. **रोकड़ प्रवाह विवरण**
   रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए सूचित किया जाता है, जिसके द्वारा निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय गैर-रोकड़ प्रकृति के लेन-देनों और पूर्व अथवा भावी रोकड़ प्राप्तियों और भुगतान की किसी आस्थगन अथवा प्रोद्भवन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नियमित प्रचालन, वित्तपोषण और निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाहों को पृथक्कृत किया जाता है।

अनुसूची सं० 7 : लेखे पर टिप्पणियां

1. कंपनी दिनांक 8 जनवरी, 2007 को निगमित की गई थी और व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र दिनांक 05 फरवरी, 2007 को जारी किया था। तदनुसार, निगमन की तारीख 8 जनवरी, 2007 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2008 तक यह

कंपनी की पहली लेखाकरण अवधि होने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़े लागू नहीं है।

2. कंपनी, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के मुख्य प्रबंध कार्मिक अंशकालिक आधार पर तैनात धारक कंपनी (आरईसी लिमिटेड) के कर्मचारी हैं। कंपनी द्वारा ऐसे प्रतिनिधियों को कोई प्रबंध पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता है।
ऐसे मुख्य प्रबंध कार्मिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम सं0	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	त्यागपत्र की तारीख
1.	श्री पी. उमाशंकर	अध्यक्ष एवं निदेशक	01.03.2008	पद पर बने हुए हैं
2.	श्री ए. के. लखीना	भूतपूर्व अध्यक्ष	08.01.2007	29.02.2008
3.	श्री रमा रमण निदेशक	निदेशक	08.01.2007	पद पर बने हुए हैं
4.	श्री गुलजीत कपूर	निदेशक	08.01.2007	पद पर बने हुए हैं
5.	श्री पी.जे. ठक्कर	निदेशक	08.01.2007	पद पर बने हुए हैं

कंपनी के लिए कार्यरत अन्य कार्मिक भी धारक कंपनी से हैं। श्री गुलजीत कपूर, निदेशक और कंपनी के लिए कार्यरत अन्य कार्मिकों को धारक कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है और उसे धारक कंपनी के प्रशासन व्यय के भाग के रूप में सहायक कंपनी को आवंटित किया जाता है।

3. कंपनी से संबंधित सभी भुगतान धारक कंपनी द्वारा किए जाते हैं और स्रोत पर कर की कटौती और सीमांत लाभ कर और यथा लागू उसे जमा करने से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का पालन कंपनी की ओर से धारक कंपनी द्वारा किया जाता है।

4. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड उसके द्वारा किए गए व्यय पर आरईसी को ब्याज अदा करेगा। आरईसी लिमिटेड द्वारा दिए गए अरक्षित ऋण पर देय ब्याज का हिसाब पारेषण और वितरण स्कीम के लिए लागू रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की सामान्य ऋणदाय दर के आधार पर रखा जाता है।

5. धारक कंपनी के साझा कर्मचारी/स्थापना लागत और प्रशासन व्यय का हिसाब धारक कंपनी द्वारा यथा विभाजित रखा गया है।

6. कंपनी ने अभी तक अपना वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है इसलिए कोई लाभ और हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है। निर्माण अवधि के दौरान किए गए व्यय को निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय माना गया है और आगे चूंकि कंपनी अपनी दो सहायक कंपनियों, नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए ये व्यय कर रही है इसलिए व्यय को इसकी दो सहायक कंपनियों को वर्ष के अंत में 50:50 के अनुपात में आवंटित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, कंपनी के गठन से संबंधित दाखिल करने/विधिक फीस पर किए गए व्यय और कंपनी के निगमन के पूर्व किए गए सभी व्यय को प्रारंभिक व्यय के रूप में माना गया है। वर्ष के दौरान प्रारंभिक व्यय को बट्टे खाते डालने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उसे पांच वर्षों में कंपनी का व्यवसाय प्रारंभ होने के बाद बट्टे खाते डाला जाएगा।

7. कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लागू सभी लेखाकरण मानकों का पालन किया है।

8. कंपनी की ओर से लघु उद्योगों/उपक्रमों को देय कोई भी देयता बकाया नहीं है।

9. कंपनी के पास लघु उद्योगों/उपक्रमों की कोई बकाया देयता नहीं है।

10. आंकड़ों को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया गया है।

11. लेखाकरण मानक-18 के अनुसार प्रकटन-संबद्ध पार्टी प्रकटन
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सभी मुख्य निर्णय आरईसी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं, जहां ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नामिती नियंत्रण रखते हैं।
संबद्ध पाटी लेन-देन केवल धारक कंपनी के साथ किया गया था, ब्यौरे निम्नानुसार हैं :
देय ऋण -- 30,79,832/-रुपए (1,59,176/-रुपए के ब्याज सहित)

31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 को समाप्त अवधि
क. प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह	
निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय	-
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	
- मूल्यह्रास	-
ख. निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह :	
- स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	-
- चालू पूंजीगत निर्माण कार्य	-
- निवेश	-1,000,000
- प्रारंभिक व्यय	-66,884
ग. वित्तपोषण कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह :	
- शेयर पूंजी	500,000
- चालू देयताएं	11,236
- अरक्षित ऋण	3,079,832
- ऋण और अग्रिम तथा चालू परिसंपत्तियां	-1,524,909
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	999,275
8 जनवरी, 2007 की यथास्थिति रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	-
31 मार्च, 2008 की यथास्थिति रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	999,275
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि	999,275

तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को दिनांक 1 मई, 2007, जो निगमन की तारीख है से 31 मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षित लेखे के साथ कंपनी की पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

प्रचालन की समीक्षा

जैसाकि आप सभी जानते हैं कंपनी ने अभी तक अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया है, इसलिए कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

भावी रूपरेखा

आपके निदेशकों ने निर्णय लिया है और कंपनी का व्यवसाय शुरू करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है।

वित्तीय परिणाम

- **पूंजी संरचना**

विवरण	राशि (रुपए)
प्राधिकृत पूंजी	500,000
निर्गमित, अभिदत्त और चुकता पूंजी	500,000

- **वर्ष 2007-08 के दौरान वित्तीय कार्यनिष्पादन**

  चूंकि, कंपनी ने अभी तक अपना वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है इसलिए दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त पहले वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभ और हानि लेखा तैयार नहीं किया गया था। इसके स्थान पर निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय का विवरण तैयार किया गया था। दिनांक 31.03.2008 को समाप्त अवधि के दौरान कुल 10,23,786/-रुपए का व्यय किया गया था।

- **लाभांश का भुगतान**

  चूंकि, कंपनी को अभी भी व्यवसाय प्रारंभ करना तथा लाभ अर्जित करना है इसलिए लाभांश की कोई राशि नहीं है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल में तीन निदेशक अर्थात प्रकाश जे. ठक्कर, अध्यक्ष, श्रीमती वल्ली नटराजन, निदेशक, श्रीमती हरिन्दर कौर चानी, निदेशक शामिल हैं। सभी निदेशकों की नियुक्ति निगमन की तारीख को की गई थी।

सभी पहले निदेशक प्रथम वार्षिक महासभा में सेवानिवृत्त हो जाएंगे और क्रमावर्तन में सेवानिवृत्त होने के लिए निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स अकिल एण्ड शर्मा एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स को पहले वित्तीय वर्ष अर्थात 1 मई, 2007 से 31 मार्च, 2008 के लिए भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(1ख) के अधीन उनसे प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उपर्युक्त अवधि के लिए कंपनी के लेखे, रोकड़ प्रवाह विवरण और इस रिपोर्ट से संलग्न लेखापरीक्षक की दिनांक 19 मई, 2008 को रिपोर्ट के साथ अपेक्षित अनुबंध की लेखापरीक्षा की है।

लेखे पर टिप्पणियां

लेखापरीक्षकों का अवलोकन और लेखे पर टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं। इसलिए कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के आधिक्य में पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है।

जमाराशियां

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

(क) वार्षिक लेखा की तैयारी में लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और उससे कोई वास्तविक विपथन नहीं किया गया है;

(ख) उन्होंने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया और उन्हें सतत रूप से लागू किया हैं तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं, जो उचित और विवेकसम्मत हैं ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की संपूर्ण स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि का सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर सकें;

(ग) उन्होंने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

(घ) उन्होंने चालू प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणी इसके साथ संलग्न है।

आभार

निदेशकगण अपने कर्मचारियों के लिए सराहना और अपने बैंकरों तथा सदस्यों द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए बहुमूल्य समर्थन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं।

निदेशकगण सांविधिक लेखापरीक्षक अकिल एण्ड शर्मा एसोसिएट्स और भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक का भी उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : नई दिल्ली (पी. जे. ठक्कर)
दिनांक : 30.06.2008 अध्यक्ष

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए तालचर-II ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार **31 मार्च, 2008** को समाप्त वर्ष के लिए **तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा और उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षक के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के उत्तरदायी हैं। इसे उनकी दिनांक 16.05.2008 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया जाता है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन 31.07.2008 को समाप्त वर्ष के लिए **तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड** के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकरण कागजात (कार्यकरण कागजात की समीक्षा न किए जाने के मामले में) तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखाकरण रिकार्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित होती है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने का कारण बनती है।

भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक के लिए
और उसकी ओर से

(सरोज पुन्हानी)
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28/06/2008

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

1. हमने **तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड** के 31 मार्च, 2008 की यथास्थिति संलग्न तुलनपत्र, उस तारीख को समाप्त निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय के विवरण तथा उससे संलग्न उस अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। चूंकि कंपनी ने अपना प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है, इसलिए 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए कोई लाभ और हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है।

   ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन के उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम इस बारे में कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं, उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाते और निष्पादन करते हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का आकलन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

   हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4क) के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003

द्वारा यथापेक्षित हम अनुबंध में कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न करते हैं।

4. ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित अनुबंध में दी गई अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ii) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां कंपनी द्वारा रखी गई है जैसाकि हमें उन बहियों की जांच से पता चलता है।

(iii) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय और रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(iv) हमारी राय में तुलनपत्र, निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय और रोकड़ प्रवाह विवरण कपंनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

(v) कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार के दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना सं0 2/5/2001-सीएलV द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(छ) के उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार टिप्पणियों और लेखाकरण नीतियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण यथा अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं :

(क) दिनांक 31 मार्च, 2008 की यथास्थिति कंपनी के कार्यकलाप के तुलनपत्र के मामले में ;

(ख) उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए किए गए व्यय हेतु निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय दर्शाते हुए विवरण के मामले में; और

(ग) उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते अकिल एण्ड शर्मा एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(आदित्य कुमार शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं० 085805

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19/05/2008

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए लेखे पर हमारी समतारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित)

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारें द्वारा जांच की गई बहियों और रिकार्ड के अनुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में हम निम्नानुसार वर्णन करते हैं :

1(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन यथा शामिल आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (धारक कंपनी) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की धारक कंपनी) से अरक्षित ऋण लिया था। वर्षांत में बकाया राशि और वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि क्रमशः 8,12,454/-रुपए और 39,754/-रुपए थी।
हमारी राय में ब्याज की दरें और अन्य शर्तें, जिनपर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध पार्टियों को ऋण दिए/से ऋण लिए गए थे, प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के लिए हानिकारक नहीं हैं।

2. कंपनी के आकार के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि है।

3(क) जैसा हमें स्पष्ट किया गया कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, उपकर और अन्य कोई सांविधिक बकाए सहित अविवादित सांविधिक बकाया अपनी धारक कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के माध्यम से उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा कर रही है।

3(ख) जैसा हमें स्पष्ट किया गया है, 31 मार्च, 2008 की यथास्थिति उपर्युक्त सांविधिक बकाए के संबंध में देय कोई अविवादित राशि उनके देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

4. लेखापरीक्षा के दौरान हमारी जानकारी में कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं आया। इसके अतिरिक्त हमें जैसा सूचित किया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं देखा/सूचित किया है।

5. दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के दौरान पैरा i, ii, v, vi, vii, viii, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, और xx, के उपबंध लागू नहीं हैं।

कृते अकिल एण्ड शर्मा एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(आदित्य कुमार शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं० 085805

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19/05/2008

तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2008 की यथास्थिति तुलनपत्र

आंकड़े रुपए में

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2008 की यथास्थिति
निधियों का स्रोत		
शेयरधारक निधि:		
शेयर पूंजी	1	500,000
ऋण निधियां:		
अरक्षित ऋण	2	852,208
जोड़		**1,352,208**
निधियों का प्रयोग		
स्थायी परिसंपत्तियां:		
सकल ब्लॉक		-
घटाएं : मूल्यह्रास		-
निवल ब्लॉक		-
चालू पूंजीगत कार्य		1,023,786
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	3	
रोकड़ और बैंक शेष		499,700
		499,700
घटाएं : चालू देयताएं और प्रावधान	4	
देयताएं		208,427
निवल चालू परिसंपत्तिया		**291,273**
विविध व्यय		37,149
(बट्टे खाते नहीं डाले गए अथवा समायोजित नहीं की गई सीमा तक)		
जोड़		**1,352,208**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	**5**	
लेखे पर टिप्पणियां	**6**	

अनुसूची 1 से 6 लेखे का अभिन्न भाग हैं।

हमारी समतारीख की रिपोर्ट के अनुसार — निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृते अकिल एण्ड शर्मा एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(आदित्य कुमार शर्मा) साझेदार — (हरिन्दर कौर चानी) निदेशक — (वल्ली नटराजन) निदेशक — (प्रकाश जे. ठक्कर) निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2008

तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 को समाप्त अवधि
व्यय	
प्रशासन व्यय	
आरईसी-टीपीसीएल द्वारा आवंटित वेतन, स्थापना और प्रशासन व्यय	1,012,454
मुद्रण और लेखन-सामग्री	550
बैंक प्रभार	300
उप-जोड़	1,013,304
ब्याज	2,055
सांविधिक लेखापरीक्षकों का शुल्क	8,427
तुलनपत्र में ले जाया गया शेष (सीडब्ल्यूआईपी)	**1,023,786**

अनुसूची 1 से 6 लेखे का अभिन्न भाग हैं।

हमारी समतारीख की रिपोर्ट के अनुसार — निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृते अकिल एण्ड शर्मा एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(आदित्य कुमार शर्मा) भागीदार — हरिन्दर कौर चानी निदेशक — वल्ली नटराजन निदेशक — प्रकाश जे. ठक्कर निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2008

अनुसूची 1 - शेयर पूंजी

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 की यथास्थिति
प्राधिकृत	
प्रत्येक 10/-रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर	500,000
निर्गमित, अभिदत्त और चुकता	
प्रत्येक 10/-रुपए के पूर्णतः चुकता 50,000 इक्विटी शेयर	500,000
जोड़	**500,000**

अनुसूची 2 - अरक्षित ऋण

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 की यथास्थिति
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (धारक कंपनी)	812,454
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की धारक कंपनी)	39,754
जोड़	**852,208**

अनुसूची 3 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 की यथास्थिति
चालू परिसंपत्तियां	
रोकड़ और बैंक शेष:	
चालू खाते में	
- अनुसूचित बैंकों के पास	499,700
जोड़	**499,700**

अनुसूची 4 - चालू देयताएं और प्रावधान

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 की यथास्थिति
अग्रिम राशि	200,000
अन्य देयताएं	8,427
जोड़	**2,08,427**

अनुसूची 5 : महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार**
लेखाकरण समझौता - वित्तीय विवरण बीमांकिक आधार पर ऐतिहासिक लागत समझौता के अधीन और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों और लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम,1956 की संगत प्रस्तुतिकरण अपेक्षाओं का पालन करते हैं।

2. **स्थायी परिसंपत्तियां**
स्थायी परिसंपत्तियां संग्रहित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाई जाती हैं। लागत में परिसंपत्तियों को उसके अभिप्रेत प्रयोग के लिए कार्य दशा में लाने के लिए हुई कोई लागत शामिल है।

3. **मूल्यह्रास**

3.1 परिसंत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम,1956 की अनुसूची-XIV के अधीन निर्धारित दरों पर सीधी रेखा विधि पर यथानुपात आधार पर प्रदान किया जाता है।

3.2 वर्ष के दौरान खरीदी/बिक्री की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास खरीद//बिक्री की तारीख से यथानुपात आधार पर उसे प्रभारित करने की बजाय पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है अगर परिसंपत्ति 15 दिन से अधिक के लिए प्रयोग में हो।

3.3 वर्ष के दौरान 5,000/-रुपए तक की खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर पर प्रदान किया जाता है।

4. **चालू पूंजीगत निर्माण कार्य**
सर्वेक्षण/अध्ययन/अन्वेषण/परामर्श/प्रशासन/मूल्यह्रास/ब्याज पर किए गए व्यय को चालू पूंजीगत निर्माण कार्य माना गया है।

5. **ऋण**
परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय को आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, जो इसके बाद तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की धारक कंपनी है, की कंपनी धारक रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और इसे अरक्षित ऋण माना जाता है। उनके द्वारा लगाई गई निधियों पर ब्याज प्रभारित किया गया है।

6. **रोकड़ प्रवाह विवरण**
रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए सूचित किया जाता है, जिसके द्वारा निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय गैर-रोकड़ प्रकृति के लेन-देनों और पूर्व अथवा भावी रोकड़ प्राप्तियों और भुगतान की किसी आस्थगन अथवा प्रोद्भवन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नियमित प्रचालन, वित्तपोषण और निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाहों को पृथक्कृत किया जाता है।

अनुसूची 6 : लेखे पर टिप्पणियां

1. कंपनी 1 मई, 2007 को निगमित की गई थी और व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र दिनांक 06 अगस्त, 2007 को जारी किया था। तदनुसार, निगमन की तारीख 1 मई, 2007 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2008 तक यह कंपनी की पहली लेखाकरण अवधि होने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़े लागू नहीं है।
2. कंपनी आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आईसी-टीपीसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका पूर्ण स्वामित्व आगे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के पास है। कंपनी के मुख्य प्रबंध कार्मिक अंशकालिक आधार पर तैनात आरईसी के कर्मचारी हैं। कंपनी द्वारा ऐसे प्रतिनिधियों को कोई प्रबंध पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता है।

ऐसे मुख्य प्रबंध कार्मिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं0	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	त्यागपत्र की तारीख
1.	श्री प्रकाश जे. ठक्कर	अध्यक्ष एवं निदेशक	01.05.2007	पद पर बने हुए हैं
2.	सुश्री वल्ली नटराजन	निदेशक	01.05.2007	पद पर बनी हुई हैं
3.	सुश्री हरिन्दर कौर चानी	निदेशक	01.05.2007	पद पर बनी हुई हैं

कंपनी के लिए कार्यरत अन्य कार्मिक भी आरईसी से हैं। कंपनी के लिए कार्यरत अन्य कार्मिकों और सुश्री वल्ली नटराजन, निदेशक से संबद्ध व्यय का भुगतान आरईसी द्वारा किया जाता है और धारक कंपनी के प्रशासन व्यय के रूप में सहायक कंपनी (आरईसी-टीपीसीएल) को आवंटित किया जाता है, जिसे आगे आरईसी-टीपीसीएल द्वारा अपनी दो सहायक कंपनियों नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को बराबर समानुपात में आवंटित किया जाता है।

3. कंपनी से संबंधित सभी भुगतान आरईसी द्वारा किए जाते हैं और स्रोत पर कर की कटौती और सीमांत लाभ कर और यथा लागू उसे जमा करने से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का पालन कंपनी की ओर से आरईसी द्वारा किया जाता है।
4. तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड उसके द्वारा किए गए व्यय पर आरईसी को ब्याज अदा करेगा। आरईसी द्वारा दिए गए अरक्षित ऋण पर देय ब्याज का हिसाब पारेषण और वितरण स्कीम के लिए लागू आरईसी की ऋणदाय दर के आधार पर रखा जाता है।
5. कंपनी ने अभी तक अपना वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है इसलिए कोई लाभ और हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है। निर्माण अवधि के दौरान किए गए व्यय को निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय माना गया है। इसके अतिरिक्त, आरईसी-टीपीसीएल के खाते में वर्षांत में आने वाले निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय को वर्ष के अंत में इसकी दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को बराबर समानुपात में आवंटित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के गठन से संबंधित दाखिल करने/विधिक फीस पर किए गए व्यय और कंपनी के निगमन के पूर्व किए गए सभी व्यय को प्रारंभिक व्यय के रूप में माना गया है। वर्ष के दौरान प्रारंभिक व्यय को बट्टे खाते डालने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उसे पांच वर्षों में कंपनी का व्यवसाय प्रारंभ होने के बाद बट्टे खाते डाला जाएगा।
6. कंपनी के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लागू सभी लेखाकरण मानकों का पालन किया है।
7. कंपनी के पास लघु उद्योगों/उपक्रमों की कोई बकाया देयता नहीं है।

8. आंकड़ों को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया गया है।
9. लेखाकरण मानक 18 के अनुसार प्रकटन-संबद्ध पार्टी प्रकटन
तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, जो आगे रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है; की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सभी मुख्य निर्णय आरईसी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं, जहां आरईसी के नामिती नियंत्रण का प्रयोग करते हैं।
आरईसी-टीपीसीएल और आरईसी के साथ किया गया संबद्ध पाटी लेन-देन निम्नानुसार है:
आरईसी
देय ऋण - 39,754/-रुपए (2,055/-रुपए के ब्याज सहित)
आरईसी-टीपीसीएल
देय ऋण - 8,12,454/-रुपए (79,588/-रुपए के ब्याज सहित)

31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

आंकड़े रुपए में

विवरण	1.03.2008 को समाप्त अवधि
क. प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह	
निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय	--
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	
- मूल्यह्रास	--
ख. निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह :	
- स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	--
- चालू पूंजीगत निर्माण कार्य	-1,023,786
- अरक्षित ऋण	-37,149
ग. वित्तपोषण कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह :	
- शेयर पूंजी	500,000
- चालू देयताएं	2,08,427
- अरक्षित ऋण	8,52,208
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	4,99,700
1 मई, 2007 की यथास्थिति रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	
31 मार्च, 2008 की यथास्थिति रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	4,99,700
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि	4,99,700

नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को दिनांक 23 अप्रैल, 2007 से, जो निगमन की तारीख है से 31 मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षित लेखे के साथ कंपनी की पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

प्रचालन की समीक्षा

जैसा आप सभी जानते हैं कंपनी ने अपना व्यवसाय अभी तक प्रारंभ नहीं किया है। कंपनी का कोई लाभ नहीं है इसलिए कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

भावी रूपरेखा

आपके निदेशकों ने निर्णय लिया है और कंपनी का व्यवसाय शुरू करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है।

वित्तीय परिणाम

- **पूंजी संरचना**

पूंजी	राशि (रुपए)
प्राधिकृत पूंजी	5,00,000
निर्गमित, अभिदत्त और चुकता पूंजी	5,00,000

- **वर्ष 2007-08 के दौरान वित्तीय कार्यनिष्पादन**
चूंकि कंपनी ने अभी तक अपना वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है इसलिए दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त पहले वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभ और हानि लेखा तैयार नहीं किया गया था। इसके स्थान पर निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय का विवरण तैयार किया गया था। दिनांक 31.03.2008 को समाप्त अवधि के दौरान कुल 10,37,030/-रुपए का व्यय किया गया था।
- **लाभांश का भुगतान**
चूंकि कंपनी को अभी भी अपना व्यवसाय प्रारंभ करना तथा लाभ अर्जित करना है निदेशकगण वर्ष के लिए लाभांश प्रस्तावित करने में अपनी असमर्थता के लिए खेद व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल में तीन निदेशक अर्थात श्री गुलजीत कपूर, अध्यक्ष, श्रीमती वल्ली नटराजन, निदेशक, श्रीमती हरिन्दर कौर चानी, निदेशक शामिल हैं। सभी निदेशकों की नियुक्ति निगमन की तारीख को की गई थी।
सभी पहले निदेशक प्रथम वार्षिक महासभा में सेवानिवृत्त हो जाएंगे और क्रमावर्तन में सेवानिवृत्त होने के लिए निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.एस.ए.एस. एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स को पहले वित्तीय वर्ष अर्थात 23 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 के लिए भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(1ख) के अधीन उनसे प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।
सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उपर्युक्त अवधि के लिए कंपनी के लेखे, रोकड़ प्रवाह विवरण और इस रिपोर्ट से संलग्न लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ अपेक्षित अनुबंध की लेखापरीक्षा की है।

लेखे पर टिप्पणियां

लेखापरीक्षकों का अवलोकन और लेखे पर टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं। इसलिए कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के आधिक्य में पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है।

जमाराशियां

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक पुष्टि करते हैं कि :
(क) कि वार्षिक लेखा की तैयारी में लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और उससे कोई वास्तविक विपथन नहीं किया गया है;
(ख) कि उन्होंने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया और उन्हें सतत रूप से लागू किया हैं तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं, जो उचित और विवेकसम्मत हैं ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की संपूर्ण स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि का सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर सकें;
(ग) कि उन्होंने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;
(घ) कि उन्होंने चालू प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणी इसके साथ संलग्न है।

आभार

निदेशकगण अपने कर्मचारियों के लिए सराहना और अपने बैंकरों तथा सदस्यों द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए बहुमूल्य समर्थन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। निदेशकगण सांविधिक लेखापरीक्षक एस.एस.ए.एस. एण्ड एसोसिएट्स और भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक का भी उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

(गुलजीत कपूर)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 30/06/2008

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार **दिनांक 31 मार्च, 2008** को समाप्त वर्ष के लिए **नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा और उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षक के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के उत्तरदायी हैं। इसे उनकी दिनांक 16.05.2008 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया जाता है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन 31.07.2008 को समाप्त वर्ष के लिए **नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड** के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकरण कागजात (कार्यकरण कागजात की समीक्षा न किए जाने के मामले में) तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखाकरण रिकार्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित होती है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने का कारण बनती है।

भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक के लिए
और उसकी ओर से

(सरोज पुन्हानी)
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29/06/2008

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

1. हमने **नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड** के दिनांक 31 मार्च, 2008 की यथास्थिति संलग्न तुलनपत्र, उस तारीख को समाप्त निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय के विवरण तथा उससे संलग्न उस अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। चूंकि कंपनी ने अपना प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है, इसलिए 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए कोई लाभ और हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है।
   ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन के उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम इस बारे में कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं, उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाते और निष्पादन करते हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का आकलन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।
3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4क) के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथापेक्षित हम अनुबंध में कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न करते हैं।
4. ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित अनुबंध में दी गई अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ii) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां कंपनी द्वारा रखी गई है जैसाकि हमें उन बहियों की जांच से पता चलता है।

(iii) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय और रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(iv) हमारी राय में तुलनपत्र, निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय और रोकड़ प्रवाह विवरण कपंनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

(v) कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार के दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना सं0 2/5/2001-सीएलV द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(छ) के उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार टिप्पणियों और लेखाकरण नीतियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण यथा अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं :
   (क) दिनांक 31 मार्च, 2008 की यथास्थिति कंपनी के कार्यकलाप के तुलनपत्र के मामले में ;
   (ख) उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए किए गए व्यय हेतु निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय दर्शाते हुए विवरण के मामले में; और
   (ग) उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते एस.एस.ए.एस. एण्ड एसोसिएट्स,
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(अल्पना सक्सेना)
भागीदार
सदस्यता सं० 095837

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13/05/2008

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए लेखे पर हमारी समतारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित)

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांच की गई बहियों और रिकार्ड के अनुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में हम निम्नानुसार वर्णन करते हैं :

1(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन यथा शामिल आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (धारक कंपनी) और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेडा(आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की धारक कंपनी) से अरक्षित ऋण लिया था। वर्षांत में बकाया राशि और वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि क्रमशः 7,12,455/-रुपए और 2,95,997/-रुपए थी।
   हमारी राय में ब्याज की दरें और अन्य शर्तें, जिनपर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध पार्टियों को ऋण दिए/से ऋण लिए गए थे, प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के लिए हानिकारक नहीं हैं।

2. कंपनी के आकार के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि है।

3(क) जैसा हमें स्पष्ट किया गया कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, उपकर और अन्य कोई सांविधिक बकाए सहित अविवादित सांविधिक बकाया अपनी धारक कंपनी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा कर रही है।

3(ख) जैसा हमें स्पष्ट किया गया है, 31 मार्च, 2008 की यथास्थिति उपर्युक्त सांविधिक बकाए के संबंध में देय कोई अविवादित राशि उनके देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

4. लेखापरीक्षा के दौरान हमारी जानकारी में कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं आया। इसके अतिरिक्त हमें जैसा सूचित किया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं देखा/सूचित किया है।

5. दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के दौरान पैरा i, ii, v, vi, vii, viii, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, और xx, के उपबंध लागू नहीं हैं।

कृते एस.एस.ए.एस. एण्ड एसोसिएट्स,
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(अल्पना सक्सेना)
भागीदार
सदस्यता सं० 095837

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13/05/2008

नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च, 2008 की यथास्थिति तुलनपत्र

आंकड़े रुपए में

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2008 की यथास्थिति
निधियों का स्त्रोत		
शेयरधारक निधि :		
शेयर पूंजी	1	500,000
ऋण निधियां :		
अरक्षित ऋण	2	1,008,452
जोड़		**1,508,452**
निधियों का प्रयोग		
स्थायी परिसंपत्तियां :		
सकल ब्लॉक		-
घटाएं : मूल्यह्रास		-
निवल ब्लॉक		-
चालू पूंजीगत कार्य		1,037,030
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	3	
रोकड़ और बैंक शेष		499,700
ऋण और अग्रिम		243,000
		742,700
घटाएं : चालू देयताएं और प्रावधान	4	
देयताएं		308,427
निवल चालू परिसंपत्तियां		**434,273**
विविध व्यय		37,149
(बट्टे खाते नहीं डाले गए अथवा समायोजित नहीं की गई सीमा तक)		
जोड़		**1,508,452**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	5	
लेखे पर टिप्पणियां	6	

अनुसूची 1 से 6 लेखे का अभिन्न भाग हैं।

हमारी समतारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एस.ए.एस. एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(अल्पना सक्सेना) भागीदार | हरिन्दर कौर चाना निदेशक | वल्ली नटराजन निदेशक | गुलजीत कपूर निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13/05/2008

नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 को समाप्त अवधि
व्यय	
प्रशासन व्यय	
आरईसी-टीपीसीएल द्वारा आवंटित वेतन, स्थापना और स्थापना व्यय	1,012,455
मुद्रण और लेखन-सामग्री	550
बैंक प्रभार	300
उप-जोड़	1,013,305
ब्याज	15,298
सांविधिक लेखापरीक्षकों की फीस	8,427
तुलनपत्र को ले जाया गया शेष (सीडब्ल्यूआईपी)	**1,037,030**

अनुसूची 1 से 6 लेखे का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एस.ए.एस. एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(अल्पना सक्सेना) भागीदार | हरिन्दर कौर चानी निदेशक | वल्ली नटराजन निदेशक | गुलजीत कपूर निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13/05/2008

अनुसूची 1 - शेयर पूंजी

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 की यथास्थिति
प्राधिकृत	
प्रत्येक 10/-रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर	500,000
निर्गमित, अभिदत्त और चुकता	
प्रत्येक 10/-रुपए के पूर्णतः चुकता 50,000 इक्विटी शेयर	500,000
जोड़	**500,000**

अनुसूची 2 - अरक्षित ऋण

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 की यथास्थिति
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (धारक कंपनी)	712,455
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की धारक कंपनी)	295,997
जोड़	**1,008,452**

अनुसूची 3 - चालू परिसंपत्तियां,ऋण और अग्रिम

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 की यथास्थिति
I चालू परिसंपत्तियां	
(क) रोकड़ और बैंक शेष:	
चालू खाते में	
- अनुसूचित बैंकों के पास	499,700
जोड़ (क)	**499,700**
II ऋण और अग्रिम	
(क) अग्रिम :	
(अरक्षित, अच्छे माने गए)	
- नकद अथवा वस्तु में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम	243,000
जोड़ (ख)	**243,000**
जोड़	**742,700**

अनुसूची 4 - चालू देयताएं और प्रावधान

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 की यथास्थिति
अग्रिम राशि	300,000
अन्य देयताएं	8,427
जोड़	**308,427**

अनुसूची सं० 5 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार**

लेखाकरण समझौता - वित्तीय विवरण बीमांकिक आधार पर ऐतिहासिक लागत समझौता के अधीन और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों और लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम,1956 की संगत प्रस्तुतिकरण अपेक्षाओं का पालन करते हैं।

2. **स्थायी परिसंपत्तियां**

स्थायी परिसंपत्तियां संग्रहित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाई जाती हैं। लागत में परिसंपत्तियों को उसके अभिप्रेत प्रयोग के लिए कार्य दशा में लाने के लिए हुई कोई लागत शामिल है।

3. **मूल्यह्रास**

3.1 परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम,1956 की अनुसूची-XIV के अधीन निर्धारित दरों पर सीधी रेखा विधि पर यथानुपात आधार पर प्रदान किया जाता है।

3.2 वर्ष के दौरान खरीदी/बिक्री की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास खरीद//बिक्री की तारीख से यथानुपात आधार पर उसे प्रभारित करने की बजाय पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है अगर परिसंपत्ति 15 दिन से अधिक के लिए प्रयोग में हो।

3.3 वर्ष के दौरान 5,000/-रुपए तक की खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर पर प्रदान किया जाता है।

4. चालू पूंजीगत निर्माण कार्य

सर्वेक्षण/अध्ययन/अन्वेषण/परामर्श/प्रशासन/मूल्यह्रास/ब्याज पर किए गए व्यय को चालू पूंजीगत निर्माण कार्य माना गया है।

5. ऋण

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, जो इसके बाद नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की धारक कंपनी है, की धारक कंपनी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वित्तपोषण किया जाता है, और इसे अरक्षित ऋण माना जाता है। उनके द्वारा लगाई गई निधियों पर ब्याज प्रभारित किया गया है।

6. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए सूचित किया जाता है, जिसके द्वारा निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय गैर-रोकड़ प्रकृति के लेन-देनों और पूर्व अथवा भावी रोकड़ प्राप्तियों और भुगतान की किसी आस्थगन अथवा प्रोद्भवन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नियमित प्रचालन, वित्तपोषण और निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाहों को पृथक्कृत किया जाता है।

अनुसूची सं० 6 : लेखे पर टिप्पणियां

1. कंपनी आरईसी दिनांक 23 अप्रैल, 2007 को निगमित की गई थी और व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र दिनांक 06 अगस्त, 2007 को जारी किया था। तदनुसार, निगमन की तारीख 23 अप्रैल, 2007 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2008 तक यह कंपनी की पहली लेखाकरण अवधि होने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़े लागू नहीं है।
2. कंपनी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसी-टीपीसीएल)की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका पूर्ण स्वामित्व आगे रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के पास है। कंपनी के मुख्य प्रबंध कार्मिक अंशकालिक आधार पर तैनात आरईसी के कर्मचारी हैं। कंपनी द्वारा ऐसे प्रतिनिधियों को कोई प्रबंध पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता है।

ऐसे मुख्य प्रबंध कार्मिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम सं0	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	त्यागपत्र की तारीख
1.	श्री गुलजीत कपूर	अध्यक्ष एवं निदेशक	23.04.2007	पद पर बने हुए हैं
2.	सुश्री वल्ली नटराजन	निदेशक	23.04.2007	पद पर बनी हुई हैं
3.	सुश्री हरिन्दर कौर चानी	निदेशक	23.04.2007	पद पर बनी हुई हैं

कंपनी के लिए कार्यरत अन्य कार्मिक भी आरईसी से हैं। श्री गुलजीत कपूर और सुश्री वल्ली नटराजन, निदेशकों तथा कंपनी के लिए कार्यरत अन्य कार्मिकों को आरईसी द्वारा भुगतान किया जाता है और धारक कंपनी के प्रशासन व्यय के भाग के रूप में सहायक कंपनी (आरईसी-टीपीसीएल) को आवंटित किया जाता है जिसे आगे आरईसी-टीपीसीएल द्वारा अपनी दो सहायक कंपनियों नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को बराबर समानुपात में आवंटित किया जाता है।

3. कंपनी से संबंधित सभी भुगतान धारक कंपनी द्वारा किए जाते हैं और स्रोत पर कर की कटौती और सीमांत लाभ कर और यथा लागू उसे जमा करने से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का पालन कंपनी की ओर से धारक कंपनी द्वारा किया जाता है।
4. नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड उसके द्वारा किए गए व्यय पर आरईसी को ब्याज अदा करेगा। आरईसी द्वारा दिए गए अरक्षित ऋण पर देय ब्याज का हिसाब पारेषण और वितरण स्कीम के लिए लागू आरईसी की ऋणदाय दर के आधार पर रखा जाता है।
5. कंपनी ने अभी तक अपना वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है इसलिए कोई लाभ और हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है। निर्माण अवधि के दौरान किए गए व्यय को निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय माना गया है। इसके अतिरिक्त, आरईसी-टीपीसीएल के खाते में वर्षांत में आने वाले निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय को वर्ष के अंत में इसकी दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को बराबर समानुपात में आवंटित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के गठन से संबंधित दाखिल करने/विधिक फीस पर किए गए व्यय और कंपनी के निगमन के पूर्व किए गए सभी व्यय को प्रारंभिक व्यय के रूप में माना गया है। वर्ष के दौरान प्रारंभिक व्यय को बट्टे खाते डालने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उसे पांच वर्षों में कंपनी का व्यवसाय प्रारंभ होने के बाद बट्टे खाते डाला जाएगा।
6. कंपनी के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लागू सभी लेखाकरण मानकों का पालन किया है।
7. कंपनी के पास लघु उद्योगों/उपक्रमों की कोई बकाया देयता नहीं है।
8. आंकड़ों को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया गया है।
9. लेखाकरण मानक 18 के अनुसार प्रकटन-संबद्ध पार्टी प्रकटन

नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड जो आगे रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायकं कंपनी है। सभी मुख्य निर्णय आरईसी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं,जहां आरईसी के नामिती नियंत्रण रखते हैं।

आरईसी-टीपीसीएल और आरईसी के साथ किया गया संबद्ध पाटी लेन-देन निम्नानुसार हैं :

आरईसी

देय ऋण -- 2,95,997/-रुपए (15,298/-रुपए के ब्याज सहित)

आरईसी-टीपीसीएल

देय ऋण -- 7,12,455/-रुपए (79,588/-रुपए के ब्याज सहित)

31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 को समाप्त अवधि
क. प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह	
निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय	-
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	
- मूल्यह्रास	-
ख. निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह :	
- स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	-
- चालू पूंजीगत निर्माण कार्य	-1,037,030
- प्रारंभिक व्यय	-37,149
ग. वित्तपोषण कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाहः	
- शेयर पूंजी	500,000
- चालू देयताएं	308,427
- अरक्षित ऋण	1,008,452
- ऋण और अग्रिम तथा चालू परिसंपत्तियां	-243,000
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	499,700
23 अप्रैल, 2007 की यथास्थिति रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	-
31 मार्च, 2008 की यथास्थिति रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	499,700
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि	499,700

आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
निदेशक की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष (निगमन की तारीख अर्थात 12 जुलाई, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक) के लिए लेखापरीक्षित लेखे के साथ कंपनी की पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

प्रचालन की समीक्षा

चूंकि यह कंपनी का पहला वित्तीय वर्ष है, आपके निदेशकों को यह वर्णन करते हुए हर्ष हो रहा है कि कंपनी ने कुल 35,932,882/-रुपए की आय अर्जित की है। तथापि, वर्ष की समाप्ति पर निवल लाभ 17,788,587/-रुपए था। यह वर्णन करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कुछ अच्छी संविदाएं प्राप्त की हैं। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित करार निम्नानुसार थे :

1. 84.88 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाले 7 जिलों में 4399 गांवों को शामिल करते हुए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अधीन जेडीवीवीएनएल द्वारा टर्नकी आधार पर ठेका दिए गए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के तीसरी पार्टी अनुवीक्षण, पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए दिनांक 1.10.2007 को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) के साथ करार किया गया। कंपनी परियोजना लागत के 2% की दर पर परामर्शी फीस प्राप्त करेगी।
2. विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मामला-1 के अधीन टैरिफ-आधारित बोली देने पर पीएसईबी को 1800 मेगावाट ± 10% विद्युत की आपूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली देने की प्रक्रिया के माध्यम से प्रवर्त्तकों के चयन हेतु परामर्शी सेवाओं के लिए दिनांक 10.12.2007 को पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी) के साथ एक करार किया गया। कंपनी को पीएसईबी से 12.5 करोड़ रुपए की परामर्शी फीस प्राप्त होगी।
3. 127.63 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाले 5 जिलों में 4693 गांवों को शामिल करते हुए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण (आरजीजीवीवाई) के अधीन एवीवीएनएल द्वारा टर्नकी आधार पर ठेका दिए गए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के तीसरी पार्टी अनुवीक्षण, पर्यवेक्षण और निरीक्षण तथा पूरे किए गए 651 फीडरों और निष्पादनाधीन 1783 फीडरों के लिए 1173.39 करोड़ रुपए की संयुक्त परियोजना लागत के फीडर नवीकरण कार्यक्रम (एफआरपी) के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) के साथ दिनांक 04.03.2008 को करार किया गया। कंपनी एवीवीएनएल से 22.79 करोड़ रुपए की परामर्शी फीस प्राप्त करेगी।

वित्तीय परिणाम

दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन का सारांश निम्नानुसार है :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2008
सकल आय	35,932,882
कर-पूर्व लाभ	26,948,322
कराधान के लिए प्रावधान	9,159,735
कर-पश्चात लाभ	17,788,587

- **पूंजी संरचना**

पूंजी	राशि (रुपए)
प्राधिकृत पूंजी	200,000,000
निर्गमित, अभिदत्त और चुकता पूंजी	500,000

- **लाभांश का भुगतान**

चूंकि यह कंपनी का पहला वर्ष है इसलिए कई योजनाएं अभी भी निष्पादित और प्रारंभ की जानी हैं; जिसके लिए पूंजी निवेश की भारी मात्रा अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त कंपनी की देयता भी है क्योंकि पूंजी की राशि उसकी धारक कंपनी अर्थात आरईसी द्वारा दी गई थी; इसलिए आपके निदेशक दिनांक 31 मार्च,2008 को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश करने में अपनी असमर्थता के लिए खेद व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल

क्रम सं०	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	त्यागपत्र की तारीख	अभ्युक्ति
1.	श्री ए. के. लखीना	अध्यक्ष	13.07.2007	29.02.2008	अधिवर्षिता
2.	श्री रमा रमण	निदेशक	12.07.2007	पद पर बने हुए हैं	-
3.	श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव	निदेशक	12.07.2007	11.02.2008	त्यागपत्र
4.	श्री ए. अनंथा	निदेशक	12.07.2007	10.08.2007	त्यागपत्र
5.	श्री संजीव गर्ग	निदेशक	10.08.2007	पद पर बने हुए हैं	-
6.	श्री डी.एस. अहलुवालिया	निदेशक	04.04.2008	पद पर बने हुए हैं	-
7.	श्री पी.उमा शंकर	अध्यक्ष	01.03.2008	पद पर बने हुए हैं	-

श्री रमा रमन, श्री संजीव गर्ग और श्री डी.एस. अहलुवालिया, निदेशक प्रथम वार्षिक महासभा में सेवानिवृत्त हो जाएंगे और क्रमावर्तन में सेवानिवृत्त होने के लिए निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स को पहले वित्तीय वर्ष अर्थात 12 जुलाई, 2007 से 31 मार्च, 2008 के लिए भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(1ख) के अधीन उनसे प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उपर्युक्त अवधि के लिए कंपनी के लेखे की लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षित लाभ और हानि तथा तुलनपत्र, रोकड़ प्रवाह विवरण और उस पर दिनांक 24.05.2008 की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ अपेक्षित अनुबंध इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

लेखे पर टिप्पणियां

लेखापरीक्षकों का अवलोकन और लेखे पर टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं। इसलिए कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

कर्मचारियों का विवरण

संपूर्ण वित्तीय वर्ष में प्रति वर्ष 24,00,000/-रुपए अथवा अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला अथवा वर्ष के भाग के लिए नियोजित, जो प्रति माह 2,00,000/-रुपए अथवा अधिक की दर से पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था, कोई कर्मचारी नहीं था और इसलिए कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अधीन कोई विवरण नहीं दिया गया है।

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 217(1)(ङ) के अधीन अपेक्षित अतिरिक्त सूचना

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियम, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 217(1)(ङ) के अधीन प्रकटन के संबंध में अपेक्षित विवरण दर्शाते हुए विवरण इसके साथ संलग्न है और इस रिपोर्ट का भाग है।

जमाराशियां

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है (जैसाकि लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध की बिन्दु संख्या vi में उल्लिखित है)।

धारा 217(2कक) के अधीन निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 217(2कक) के अनुसरण में प्रचालनात्मक प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

(क) कि वार्षिक लेखा की तैयारी में लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और उससे कोई वास्तविक विपथन नहीं किया गया है;

(ख) कि उन्होंने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया और उन्हें सतत रूप से लागू किया हैं तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं, जो उचित और विवेकसम्मत हैं ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की संपूर्ण स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि का सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर सकें;

(ग) कि उन्होंने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

(घ) कि उन्होंने चालू प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

कार्मिक

कंपनी में किसी स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई थीं, इसकी धारक कंपनी आरईसी के तीन कर्मचारियों को आरईसीपीडीसीएल के लिए कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है। संपूर्ण वर्ष नियोक्ता-कर्मचारी संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण थे। निदेशकगण कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन को दी गई सहायता और व्यक्त किए गए विश्वास के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं। कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण गुणवत्ता और विकास आपके प्रबंधन की शीर्ष प्राथमिकता बनी हुई है।

सराहना

निदेशकगण, भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लखीना, श्री ए. अनंत (निदेशक) और श्री ए. बी.एल. श्रीवास्तव (निदेशक) द्वारा दिए गए सभी योगदान के लिए हार्दिक सराहना व्यक्त करना चाहते हैं।

भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणी वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

आभार

निदेशकगण अपने कर्मचारियों के लिए सराहना और अपने बैंकरों तथा सदस्यों द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए बहुमूल्य समर्थन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। निदेशकगण सांविधिक लेखापरीक्षक सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स और भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक का भी उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/07/2008

(पी. उमा शंकर)
अध्यक्ष

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियम, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ङ) के अनुसरण में विवरण

(क) ऊर्जा का संरक्षण

कंपनी ऊर्जा के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में सदैव सजग रही हैं। ऊर्जा की बचत कंपनी के आर्थिक विकास के कारकों में से एक है, यह कंपनी के लिए उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र बना रहा।

(ख) प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और अभिनव परिवर्तन

कंपनी निरंतर रूप से कंपनी में अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी लागू करने के लिए प्रयास कर रही है और अपने क्षेत्र में होने वाली अद्यतन घटनाओं से अवगत है।

(ग) विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का न तो अर्जन हुआ है और न ही व्यय।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(पी. उमा शंकर)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.07.2008

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए **आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा और उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षक के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के उत्तरदायी हैं। इसे उनकी दिनांक 24.05.2008 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया जाता है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन 31.07.2008 को समाप्त वर्ष के लिए **आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड** के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकरण कागजात (कार्यकरण कागजात की समीक्षा न किए जाने के मामले में) तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखाकरण रिकार्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित होती है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने का कारण बनती है।

भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक के लिए
और उसकी ओर से

(सरोज पुन्हानी)
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25/06/2008

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

हमने **आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड** के 31 मार्च, 2008 की यथास्थिति संलग्न तुलनपत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा तथा उससे संलग्न रोकड़ प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है।

ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन के उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम इस बारे में कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं, उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाते और निष्पादन करते हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का आकलन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4क) के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथापेक्षित हम अनुबंध में कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न करते हैं।

   हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखे पर टिप्पणियों की अनुसूची संख्या 6 के बिन्दु संख्या 7 पर विचार करते हुए, "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" की धारा 22 लागू नहीं है।

   ऊपर उल्लिखित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलनपत्र की अनुसूची 6(लेखे पर टिप्पणियां) के बिन्दु संख्या 8 पर विचार किए बिना उसका प्रबंधन द्वारा मात्राकरण नहीं किया गया है।

(i) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ii) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां कंपनी द्वारा रखी गई है जैसाकि हमें उन बहियों की जांच से पता चलता है।

(iii) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा और रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(iv) हमारी राय में तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा और रोकड़ प्रवाह विवरण कपंनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

(v) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कोई भी निदेशक दिनांक 31 मार्च, 2008 की यथा स्थिति कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के अयोग्य नहीं हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखे यथा अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं।

   (क) दिनांक 31 मार्च, 2008 की यथास्थिति कंपनी के कार्यकलाप के तुलनपत्र के मामले में ;

   (ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के लाभ और हानि लेखा के मामले में; और

   (ग) उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(अनिल कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता सं० 072783

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24/05/2008

मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे पर आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अनुबंध

यह दिनांक 31 मार्च ,2008 की यथास्थिति आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तुलनपत्र पर हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध है।

(i) कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियां नहीं है इसलिए आदेश का पैराग्राफ 4(i) लागू नहीं है।

(ii) कंपनी की कोई मालसूची नहीं है इसलिए आदेश का पैराग्राफ 4(ii) लागू नहीं है।

(iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के अधीन रखे रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को/से कोई रक्षित अथवा अरक्षित ऋण न तो दिया है और न ही लिया है। तथापि, धारक कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न व्यय के कारण उनके नाम में तुलनपत्र पर 7184935 रुपए की चालू देयता मौजूद है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची, स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद और सामग्रियों की बिक्री के संबंध में कंपनी के

आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कार्यविधियां हैं। हमारी राय में, आंतरिक नियंत्रणों में बड़ी कमियों को सुधारने में कोई निरंतर विफलता नहीं है।

(v) प्रत्येक पार्टी के संबंध में वर्ष के दौरान कुल 5,00,000/-रुपए अथवा अधिक राशि का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट करने के लिए किसी संविदा अथवा व्यवस्था के अनुसरण में सामग्रियों, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री का कोई लेन-देन नहीं किया गया है।

(vi) चूंकि कंपनी ने जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है इसलिए आदेश का पैराग्राफ 4(vi) लागू नहीं है।

(vii) चूंकि कंपनी कोई सूचीबद्ध कंपनी नहीं है अथवा न तो इसके पास 50 लाख रुपए से अधिक प्रारक्षित निधि सहित चुकता शेयर पूंजी है और न ही पांच करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक कुल कारोबार है, इसलिए आदेश का पैराग्राफ 4(vii) लागू नहीं है।

(viii) हमें सूचित किया गया था कि कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 209(1) (घ) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा लागत रिकार्ड रखना निर्धारित नहीं किया गया है।

(ix) कंपनी से रिकार्ड के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, धन कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक बकाए सहित अविवादहित सांविधिक बकाए को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने में नियमित है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे सांविधिक बकाए के संबंध में कोई अविवादित देय राशि, जो उनके देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए दिनांक 31 मार्च, 2008 को बकाया रही हो, बकाया नहीं है।

(x) कंपनी की वित्तीय वर्ष के अंत में कोई संग्रहित हानियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वित्तीय वर्ष तथा साथ ही तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानियां नहीं उठाई हैं।

(xi) कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को बकाए की वापसी-अदायगी में कोई चूक नहीं की है।

(xii) चूंकि कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बंधक द्वारा ज-मानत के आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं दिया है इसलिए आदेश का पैराग्राफ 4(xii) लागू नहीं है।

(xiii) चूंकि चिट फंड, निधि अथवा म्यूचुअल लाभ निधि/सोसायटी पर लागू विशेष संविधि के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं है इसलिए आदेश का पैराग्राफ 4(xiii) लागू नहीं है।

(xiv) चूंकि कंपनी किसी शेयर, प्रतिभूति, डिबेंचर अथवा अन्य निवेशों में लेन-देन अथवा व्यापार नहीं कर रही है इसलिए पैराग्राफ 4(xiv) लागू नहीं है।

(xv) हमें जैसा सूचित किया गया है, कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अन्यों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) वर्ष के दौरान बैंक से लिए गए सावधि ऋण का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए उसे लिया गया था।

(xvii) हमारी जांच के आधार पर अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रयोग दीर्घावधि निवेशों अथवा विलोमतः के लिए नहीं किया गया है।

(xviii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को शेयरों का कोई तरजीही आवंटन नहीं किया है।

(xix) चूंकि कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है इसलिए आदेश का पैराग्राफ 4(xix) लागू नहीं है।

(xx) चूंकि कंपनी ने पब्लिक इशू द्वारा कोई राशि नहीं जुटाई है इसलिए आदेश का पैराग्राफ 4(xx) लागू नहीं है।

(xxi) हमें जैसा सूचित किया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं देखा/सूचित किया है।

कृते सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(अनिल कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता सं० 072783

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24/05/2008

आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2008 की यथास्थिति तुलनपत्र

आंकड़े रुपए में

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2008 की यथास्थिति
निधियों का स्रोत		
शेयरधारक निधि :		
शेयर पूंजी	1	500,000
प्रारिक्षित निधियां और अधिशेष	2	17,788,587
ऋण निधियां:		
रक्षित ऋण		-
अरक्षित ऋण		-
जोड़		**18,288,587**
निधियों का प्रयोग		
स्थायी परिसंपत्तियां :		
सकल ब्लॉक		-
घटाएं : मूल्यह्रास		-
निवल ब्लॉक		-
चालू पूंजीगत निर्माण कार्य		**-**
निवेश		-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	3	
रोकड़ और बैंक शेष		24,239,760
अन्य चालू परिसंपत्तियां		226,540
ऋण और अग्रिम		9,816,207
		34,282,507
घटाएं : चालू देयताएं और प्रावधान	4	
चालू देयताएं		8,002,259
प्रावधान		9,159,735
		17,161,994
निवल चालू परिसंपत्तियां		17,120,513
विविध व्यय		
(बट्टे खाते नहीं डाले गए अथवा समायोजित नहीं की गई सीमा तक)		1,168,074
जोड़		**18,288,587**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	5	
लेखे पर टिप्पणियां	6	

अनुसूची 1 से 8 लेखे का अभिन्न भाग हैं।

सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स — निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

अनिल कुमार जैन	बी.पी. यादव	डी.एस. आहलुवालिया	संजीव गर्ग
भागीदार	मु.का.अ.	निदेशक	निदेशक

सदस्यता सं० 072783

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22/05/2008

आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
लाभ और हानि लेखा
दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए

आंकड़े रुपए में

विवरण	अनुसूची संख्या	1.03.2008 को समाप्त अवधि
आय		
प्रचालन आय		35,494,220
(परामर्शी सेवाओं से आय)		
अन्य आय (सावधि जमा पर ब्याज)		438,662
जोड़		**35,932,882**
व्यय		
परामर्शी सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष उपरिव्यय		2,887,897
स्थापना व्यय	7	4,393,362
प्रशासन व्यय	8	1,411,283
बट्टे खाते डाला गया प्रारंभिक व्यय		292,018
जोड़		**8,984,560**
वर्ष के लिए लाभ		26,948,322
कर-पूर्व लाभ		26,948,322
कराधान के लिए प्रावधान		9,159,735
कर-पश्चात लाभ		**17,788,587**

अनुसूची 1 से 8 लेखे का अभिन्न भाग हैं।

हमारी समतारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(अनिल कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता सं० 072783

बी.पी. यादव
मु.का.अ.

डी.एस. अहलुवालिया
निदेशक

संजीव गर्ग
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22/05/2008

अनुसूची 1 - शेयर पूंजी

आंकड़े रुपए में

विवरण		31.03.2008 की यथास्थिति
प्राधिकृत		
प्रत्येक 10/-रुपए के 2000000 इक्विटी शेयर		200,000,000
निर्गमित, अभिदत्त और चुकता		
प्रत्येक 10/-रुपए के पूर्णतः चुकता 50,000 इक्विटी शेयर		500,000
जोड़		**500,000**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां और अधिशेष

आंकड़े रुपए में

विवरण		31.03.2008 की यथास्थिति
लाभ और हानि लेखा		
अवधि के लिए लाभ		17,788,587
जोड़		**17,788,587**

अनुसूची 3 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

आंकड़े रुपए में

विवरण		31.03.2008 की यथास्थिति
I चालू परिसंपत्तियां		
(क) रोकड़ और बैंक शेष :		
(i) चालू खाते में अनुसूचित बैंकों के पास		4,239,760
(ii) अनुसूचित बैंकों के पास जमा खाते में		20,000,000
जोड़ (क)		**24,239,760**
(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां		
(i) सावधि जमाराशियों पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज		226,540
जोड़ (ख)		**226,540**
II ऋण और अग्रिम		
(ग) अग्रिम		
(अरक्षित अच्छे माने गए)		
(i) अग्रिम आय कर	9525000	
(ii) वसूली योग्य आय कर	58776	
(iii) सेवा कर (सेनवेट)	232431	9816207
जोड़ (ग)		**9,816,207**
कुल जोड़:		**34,282,507**

अनुसूची 4 - चालू देयताएं और प्रावधान

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2008 की यथास्थिति
(क) चालू देयताएं	-
(क) व्यय के लिए ऋणदाता	
लघु उद्योग उपक्रमों का बकाया	
लघु उद्योग उपक्रमों को छोड़कर ऋणदाताओं का बकाया	597,778
(ख) अग्रिम राशि जमा	40,000
(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (धारक कंपनी)	7,184,935
(घ) अन्य देयताएं	96,727
(ङ) देय स्रोत पर कर की कटौती	82,819
जोड़-क	**8,002,259**
(ख) प्रावधान	
आय कर	9,159,735
जोड़-ख	**9,159,735**
जोड़ (क + ख)	**17,161,994**

अनुसूची सं० 5 : महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण समझौता

वित्तीय विवरण बीमांकिक आधार पर ऐतिहासिक लागत समझौता के अधीन और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों और लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम,1956 की संगत प्रस्तुतिकरण अपेक्षाओं का पालन करते हैं।

2. स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां संग्रहित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाई जाती हैं। लागत में परिसंपत्तियों को उसके अभिप्रेत प्रयोग के लिए कार्य दशा में लाने के लिए हुई कोई लागत शामिल है।

3. मूल्यह्रास

3.1 परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम,1956 की अनुसूची-XIV के अधीन निर्धारित दरों पर सीधी रेखा विधि पर यथानुपात आधार पर प्रदान किया जाता है।

3.2 वर्ष के दौरान खरीदी/बिक्री की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास खरीद// बिक्री की तारीख से यथानुपात आधार पर उसे प्रभारित करने की बजाय पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है अगर परिसंपत्ति 15 दिन से अधिक के लिए प्रयोग में हो।

3.3 वर्ष के दौरान 5,000/-रुपए तक के मूल्य की खरीदी गई परिसंपत्तियों पर पूर्ण राशि मूल्यह्रास के रूप में प्रदान की जाती है।

4. धारक कंपनी द्वारा किया गया व्यय

हमारी कंपनी की ओर से धारक कंपनी द्वारा किए गए व्यय को प्रोद्भूत आधार पर माना जाता है और उसे धारक कंपनी को देय चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

5. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए सूचित किया जाता है, जिसके द्वारा निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय गैर-रोकड़ प्रकृति के लेन-देनों और पूर्व अथवा भावी रोकड़ प्राप्तियों और भुगतान की किसी आस्थगन अथवा प्रोद्भवन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नियमित प्रचालन, वित्तपोषण और निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाहों को पृथक्कृत किया जाता है।

6. राजस्व मान्यता

6.1 आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

6.2 परामर्शी फीस को परामर्शी संविदा की शर्तों के आधार पर आय के रूप में माना जाता है जहां ऐसी फीस की बकाया और प्राप्ति को पृथक मद के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है और परामर्शी संविदा में परिभाषित कार्य के सीमा क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है। तथापि, संविदा की शर्त के अनुसार प्रदान प्रारंभिक/अग्रिम फीस को परामर्शी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित कार्यक्लापों और संसाधनों को जुटाने पर तत्काल आय के रूप् में माना जाता है।

6.3 एकमुश्त संविदा के मामले में :

(i) संविदात्मक विशिष्टियों के अनुसार दिए गए बीजक (बिल) के अनुसार।

(ii) जहां कार्य की प्रगति पर ध्यान दिए बिना भुगतान अग्रिम रूप से प्राप्त किए जाते हैं; परामर्शी आय को परामर्शी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित कार्यकलापों और संसाधनों को जुटाने पर आय के रूप में माना जाता है।

6.4 वसूली योग्य/समायोज्य संग्रहण अग्रिम को चालू बिल से अग्रिम के समायोजन के समय आय के रूप में माना जाता है।

6.5 परामर्शी फीस को सेवा कर अधिनियम,1994 के अधीन यथा देय संग्रहित सेवा कर की राशि छोड़कर आय के रूप में माना जाता है।

7. प्रारंभिक (प्रचालन-पूर्व व्यय) (बट्टे खाते नहीं डाली गई सीमा तक)

कंपनी के गठन से संबंधित प्रारंभिक और प्रचालन-पूर्व व्यय को विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डाली गई सीमा तक) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और कुल व्यय को कंपनी के निगमन के वर्ष से पांच वर्षों की अवधि में बट्टे खाते डाला जाता है।

अनुसूची सं० 6 : लेखे पर टिप्पणियां

1. कंपनी 12 जुलाई 2007 को निगमित की गई थी और व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र दिनांक 31 जुलाई, 2007 को जारी किया था। तदनुसार, निगमन की तारीख 12 जुलाई, 2007 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2008 तक यह कंपनी की पहली लेखाकरण अवधि होने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़े लागू नहीं है।
2. कंपनी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के मुख्य प्रबंध कार्मिक अंशकालिक आधार पर तैनात धारक कंपनी (आरईसी लिमिटेड) के कर्मचारी हैं। कंपनी द्वारा ऐसे प्रतिनिधियों को कोई प्रबंध पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता है।

ऐसे मुख्य प्रबंध कार्मिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम सं०	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	त्यागपत्र की तारीख
1.	श्री ए. के. लखीना	अध्यक्ष	13.07.2007	29.02.2008
2.	श्री रमा रमन	निदेशक	12.07.2007	पद पर बने हुए हैं
3.	श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव	निदेशक	12.07.2007	11.02.2008
4.	श्री ए. अनंथा	निदेशक	12.07.2007	10.08.2007
5.	श्री संजीव गर्ग	निदेशक	10.08.2007	पद पर बने हुए हैं
6.	श्री डी.एस. अहलुवालिया	निदेशक	04.04.2008	पद पर बने हुए हैं
7.	श्री पी. उमाशंकर	अध्यक्ष	01.03.2008	पद पर बने हुए हैं

3. हमारी कंपनी से संबंधित सभी भुगतान धारक कंपनी द्वारा किए जाते हैं और स्रोत पर कर की कटौती और सीमांत लाभ कर और यथा लागू उसे जमा करने से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का पालन कंपनी की ओर से धारक कंपनी द्वारा किया जाता है।
4. धारक कंपनी के साझा कर्मचारियों/स्थापना लागत तथा प्रशासन व्यय का हिसाब निम्नलिखित आधार पर धारक कंपनी द्वारा यथा विभाजित रखा गया है:

सहायक कंपनी (आरईसीपीडीसीएल) के लिए पूर्णकालिक आधार पर कार्यरत धारक कंपनी के कर्मचारियों के लिए पूर्णकालिक आधार पर कंपनी के कर्मचारियों की कुल लागत को व्यय के रूप में माना जाता है जबकि सहायक कंपनी के लिए आंशिक रूप से कार्यरत धारक कंपनी के कर्मचारियों के लिए इन कर्मचारियों द्वारा व्यतीत किए गए अनुमानित समय के अनुसार अंशकालिक आधार पर कर्मचारियों की कुल लागत की प्रतिशतता को धारक कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लागत अनुपात के ब्यौरे के आधार पर व्यय के रूप में माना गया है।

हमारी कंपनी की ओर से धारक कंपनी द्वारा व्यय किए गए लागत पर ब्याज को उधारों (आय कर अधिनियम की धारा 54ङ ग) के अधीन उधारों को छोड़कर धारक कंपनी का) की औसत लागत के अनुसार प्रदान किया जाता है।

धारक कंपनी के प्रशासनिक उपरिव्यय के आवंटन को हमारी कंपनी में कार्यरत कुल मूल वेतन को कुल उपरिव्यय लागत के अनुपात और धारक कंपनी के कुल मूल वेतन द्वारा गुणा करने के आधार पर माना गया है।

5. कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लागू सभी लेखाकरण मानकों का पालन किया है।
6. कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की कोई बकाया देयता नहीं है।
7. परामर्शी सेवाओं (राजस्व मद) के लिए 4800000/-रुपए की राशि की संविदाएं निष्पादित की जानी हैं।
8. वर्ष 2007-08 के लिए कर लेखापरीक्षाकों की अभी भी नियुक्ति की जानी है और उनकी फीस का अभी भी निर्णय लिया जाना है इसलिए उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।
9. आंकड़ों को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया गया है।
10. एएस-18- संबद्ध पार्टी प्रकटन के अनुसार प्रकटन

आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सभी मुख्य निर्णय आरईसी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं, जहां आरईसी के नामिती नियंत्रण रखते हैं।

संबद्ध पार्टी लेन-देन केवल धारक कंपनी के साथ ही किया गया था, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

देय चालू देयताएं -- 71,84,935/-रुपए (2,77,066/-रुपए के ब्याज सहित)

अनुसूची 7 - स्थापना व्यय

आंकड़े रुपए में

विवरण		31.03.2008 की यथास्थिति
धारक कंपनी द्वारा जनशक्ति लागत आवंटन		4,393,362
जोड़		**4,393,362**

अनुसूची 8 - प्रशासन व्यय

आंकड़े रुपए में

विवरण		31.03.2008 की यथास्थिति
धारक कंपनी द्वारा प्रशासन उपरिव्यय आवंटन		1,054,415
बैंक प्रभार		35,480
विधिक प्रभार		1,000
विविध व्यय		625
लेखापरीक्षा फीस		33,708
परामर्शी फीस		8,989
ब्याज (धारक कंपनी को देय)		277,066
जोड़		**1,411,283**

31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

विवरण	1.03.2008 को समाप्त अवधि
क. प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह	
कर-पूर्व निवल लाभ और असाधारण कार्यकलाप	26,948,322
असाधारण कार्यकलापों के लिए समायोजन	-
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ	26,948,322
वृद्धि/(कमी)	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	-226,540
अन्य ऋण और अग्रिम	-9,816,207
चालू देयताएं	17,161,994
प्रचालनों से रोकड़ अंतर्प्रवाह	34,067,569
आय कर का प्रावधान	-9,159,735
प्रचालन कार्यकलापों से निवल अंतर्प्रवाह	24,907,834
ख. निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह :	
प्रारंभिक व्यय	-1,168,074
ग. वित्तपोषण कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह :	
शेयर पूंजी	500,000
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	24,239,760
दिनांक 12 जुलाई, 2007 की यथास्थिति रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	-
दिनांक 31 मार्च, 2008 की यथास्थिति रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	24,239,760
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि	24,239,760

तुलनपत्र सार और कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग-6 के अनुसार कंपनी की सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

1. पंजीकरण का ब्यौरा :			
पंजीकरण संख्या		यू40101डीएल2007जी0I165779	
तुलनपत्र की तारीख	31	03	2008
	दिनांक	माह	वर्ष
			राशि (लाख रुपए में)
2. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी			5
3. निधियां जुटाने और प्रयोग की स्थिति			
कुल देयताएं	355	कुल परिसंपत्तियां	355
निधियों का स्रोत			
चुकता पूंजी	5	प्रारक्षित निधि और अधिशेष	178
रक्षित ऋण	-	अरक्षित ऋण	-
आस्थगित कर देयता	-		-
निधियों का प्रयोग			
निवल अचल परिसंपतियां (पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित)	-	निवेश	-
निवल स्थायी परिसंपत्तियां	171	ऋण	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			
संग्रहित हानियां	-	विविध व्यय	12
4. कंपनी का कार्यनिष्पादन			
अन्य आय सहित कुल कारोबार	359	कुल व्यय	90
कर-पूर्व लाभ	269	कर-पश्चात लाभ	178
रुपए में प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/- के एक शेयर पर)	930*	लाभांश दर	
5. कंपनी के मुख्य उत्पादों/ सेवाओं का सामान्य नाम	परामर्शी इंजीनियर		
मद कोड संख्या	ला.न.	सभी अनुसूची 1 से 8 पर हस्ताक्षर	

*शेयरों के आवंटन की तारीख 13.11.2007 है।
तुलनपत्र और लाभ एवं हानि तथा उपर्युक्त टिप्पणी का भाग होने वाली अनुसूचियों पर हस्ताक्षर

बी.पी. यादव
मु.का.अ.

डी.एस. आहलुवालिया
निदेशक

संजीव गर्ग
निदेशक

हमारी समतारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(अनिल कुमार जैन)
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
सदस्यता सं0 072783

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22/05/2008

लेखा पर टिप्पणियां, अनुसूची-6 का शुद्धिपत्र

वित्तीय विवरण में तुलन-पत्र सारांश और कंपनी के सामान्य व्यवसाय विवरण से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI (भाग-IV) के अनुसार किए गए प्रकटीकरण में कंपनी अधिनियम, 1956 का भाग-VI को कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI (भाग IV) के रूप में पढा जाए।

बी.पी. यादव
मु.का.अ.

हमारी समतारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(अनिल कुमार जैन)
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
सदस्यता सं० 072783

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19/06/2008

31 मार्च, 2008 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(लाख रुपए में)

	अनुसूची सं.	31.03.2008 के अनुसार
निधियों का स्रोत		
शेयरधारकों की निधियां		
पूंजी	1	85,866.00
आरक्षित तथा अधिशेष	2	451,082.68
		536,948.68
ऋण निधियां		
प्रतिभूत ऋण	3	2,942,195.13
अप्रतिभूत ऋण	4	486,083.51
		3,428,278.64
विलंबित कर देयता	8	81,707.82
जोड़		4,046,935.14
निधियों का उपयोग		
अचल परिसंपत्तियां	5	
सकल ब्लाक		8,383.36
घटाएं मूल्यह्रास		1,357.78
निवल ब्लाक		7,025.58
चालू पूंजीगत कार्य		785.09
निवेश	6	114,729.70
ऋण	7	3,931,651.18
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	9	
नकदी तथा बैंक शेष		125,568.43
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		49,914.42
ऋण तथा अग्रिम		62,030.46
		237,513.31
घटाएं - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	10	
देयताएं		148,670.38
प्रावधान		96,112.44
		244,782.82
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां		(7269.51)
बट्टे खाते में न डाले गए की सीमा तक विविध व्यय		13.10
जोड़		4,046,935.14

लेखा पर टिप्पणियां 17
अनुसूची 1 से 17 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, जो लेखे के अभिन्न भाग हैं ।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस.माथुर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस

कृते तथा बोर्ड की ओर से

राजीव वधावन
भागीदार
सदस्यता सं. 91007.

बी.आर. रघुनन्दन
कंपनी सचिव

एच.डी.खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 26 मई, 2008

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एव हानि लेखा

(लाख रुपए में)

	अनुसूची सं.	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
आय		
प्रचालन आय (निवल)	11	**337,821.94**
अन्य आय	12	**16,303.48**
कुल		**354,125.42**
व्यय		
ब्याज तथा अन्य प्रभार	13	**206,272.18**
स्थापना व्यय	14	**9,273.95**
प्रशासन व्यय	15	**1,837.88**
बॉण्ड/ऋण उपकरण जारी करने के व्यय	16	**1,035.07**
डूबे तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान		**3,999.34**
मूल्यह्रास		**138.55**
कुल		**222,556.97**
पूर्वावधि मदों से पूर्व वर्ष हेतु लाभ		**131,568.45**
पूर्वावधि समायोजन - व्यय/(आय) (निवल)		**56.65**
कर पूर्व लाभ		**131,511.80**
कर हेतु प्रावधान		
कर - वर्तमान वर्ष		**37,471.69**
विलम्बित कर - वर्तमान वर्ष		**7,741.03**
छुट-पुट लाभ कर		**106.55**
कुल		**45,319.27**
कर पश्चात तथा विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		**86,192.54**
विनियोजन -		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(8) के अंतर्गत विशेष आरक्षित को स्थानांतरित		**25,500.00**
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(7ए) के अंतर्गत खराब तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु आरक्षित		**5,800.00**
प्रस्तावित लाभांश		**25,759.80**
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर		**4,377.88**
सामान्य आरक्षित को अंतरित		**14,000.00**
तुलन-पत्र को ले जाया गया अधिशेष		**10,754.86**
जोड़		**86,192.54**
10/- रुपए प्रत्येक के प्रति शेयर पर आधारभूत तथा कम किया गया अर्जन		**10.96**

लेखा पर टिप्पणियां **17**
अनुसूची 1 से 17 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, जो लेखे के अभिन्न भाग हैं ।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस.माथुर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस

राजीव वधावन
भागीदार
सदस्यता सं. 91007.

कृते तथा बोर्ड की ओर से

बी.आर. रघुनन्दन
कंपनी सचिव

एच.डी.खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2008

अनुसूची '1' शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 के अनुसार
प्राधिकृत	
10 रुपए प्रत्येक के 1200,000,000 (पिछले वर्ष 1200,000,000) इक्विटी शेयर	**120,000.00**
निर्गत, अंशदत्त तथा प्रदत्त	**85,866.00**
10 रुपए प्रत्येक के 858,660,000 (पिछले वर्ष 780,600,000) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	
जोड़	**85,866.00**

अनुसूची '2' आरक्षित तथा अधिशेष

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 के अनुसार
(क) पूंजीगत आरक्षित (यूएसएआईडी से अनुदान)	**10,500.00**
(ख) शेयर प्रीमियम	**71,980.53**
(ग) वित्त वर्ष 1996-97 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(8) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित	**5,173.77**
(घ) वित्त वर्ष 1997-98 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(8) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित	**244,606.00**
(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(7ए) के अंतर्गत खराब तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु आरक्षित	**26,369.13**
(च) सामान्य आरक्षित	**79,387.38**
(छ) अधिशेष	**13,065.87**
जोड़	**451,082.68**

अनुसूची '3' प्रतिभूत ऋण

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 के अनुसार
बैंक/संस्थानों से सावधि ऋण	
(राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत निगमों से प्राप्य के प्रति प्रतिभूत)	**232,200.00**
सावधि जमा के प्रति ओवरड्राफ्ट	-
बैंक में रखी गई 110 करोड़ रुपए की एफडीआर से प्रतिभूत	
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से ऋण	**350,000.00**
(विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत निगमो से प्राप्य के प्रति प्रतिभूत)	
बॉण्ड के माध्यम से ऋण	
(संचयी तथा गैर-संचयी)	
(एसईबी, राज्य विद्युत निगमों आदि को दिए गए ऋण, महाराष्ट्र तथा दिल्ली में अचल संपत्ति के प्रति प्रभार द्वारा प्रतिभूत जोकि निजी स्थापन की शर्तों और संबंधित न्यासियों की संतुष्टि के अनुसार है).	
1. **करमुक्त प्रतिभूत बॉण्ड**	
क) दीर्घावधि	
41**वीं श्रृंखला** - 22.02.2010 को सममूल्य पर 8.25% विमोच्य	**7,500.00**
53**वीं श्रृंखला** - 23.03.2011 को सममूल्य पर 7.10% विमोच्य	**5,000.00**
कर योग्य प्रतिभूत बॉण्ड	
76**वीं श्रृंखला** - 15.03.2008 को सममूल्य पर 6.00% विमोच्य	-
दीर्घावधि	
64वीं श्रृंखला - 27.09.2009 को सममूल्य पर 6.90% विमोच्य	**15,000.00**
66वीं श्रृंखला - 31.01.2010 को सममूल्य पर 6.00% विमोच्य	**13,900.00**
69वीं श्रृंखला - 23.03.2014 को सममूल्य पर 6.05% विमोच्य	**66,920.00**
72वीं श्रृंखला - 18.08.2011 को सममूल्य पर 6.60% विमोच्य	**38,570.00**
73वीं श्रृंखला - 08.10.2014 को सममूल्य पर 6.90% विमोच्य	**23,390.00**
75वीं श्रृंखला - 17.03.2015 को सममूल्य पर 7.20% विमोच्य	**50,000.00**
77वीं श्रृंखला - 30.06.2015 को सममूल्य पर 7.30% विमोच्य	**98,550.00**
78वीं श्रृंखला - 31.01.2016 को सममूल्य पर 7.65% विमोच्य	**179,570.00**
79वीं श्रृंखला - 14.03.2016 को सममूल्य पर 7.85% विमोच्य	**50,000.00**
80वीं श्रृंखला - 20.03.2016 को सममूल्य पर 8.20% विमोच्य	**50,000.00**
81वीं श्रृंखला - 20.01.2017 को सममूल्य पर 8.85% विमोच्य	**31,480.00**
82वीं श्रृंखला - 28.09.2017 को सममूल्य पर 9.85% विमोच्य	**88,310.00**

83वीं श्रृंखला - 28.02.2018 को सममूल्य पर 9.07% विमोच्य	**68,520.00**
पूंजीगत लाभ बॉण्ड	
श्रृंखला-1 - सममूल्य पर विमोच्य पूंजीगत लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**3,349.70**
श्रृंखला-2 - सममूल्य पर विमोच्य पूंजीगत लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**6,969.70**
श्रृंखला-3 - सममूल्य पर विमोच्य पूंजीगत लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**15,425.70**
श्रृंखला-4 - सममूल्य पर विमोच्य पूंजीगत लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**35,930.90**
श्रृंखला-5 - सममूल्य पर विमोच्य पूंजीगत लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**333,474.18**
श्रृंखला-6 - सममूल्य पर विमोच्य पूंजीगत लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**449,421.30**
श्रृंखला-6ए - सममूल्य पर विमोच्य पूंजीगत लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**285,867.00**
श्रृंखला-7 - सममूल्य पर विमोच्य पूंजीगत लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**340,274.40**
आधारभूत ढांचा बॉण्ड	
श्रृंखला-1 तथा 2 - सममूल्य पर विमोच्य आधारभूत ढांचा बॉण्ड	**1,503.00**
श्रृंखला-3 - सममूल्य पर विमोच्य आधारभूत ढांचा बॉण्ड	**649.25**
श्रृंखला-4 - सममूल्य पर विमोच्य आधारभूत ढांचा बॉण्ड	**420.00**
बॉण्ड आवेदन राशि - 84वीं श्रृंखला	**100,000.00**
प्रतिभूत ऋण का जोड़	**2,942,195.13**
अगले वर्ष के भीतर पुनर्भुगतान/विमोचन हेतु नियत	**397,302.46**

अनुसूची - 3 की टिप्पणियां :-

(क) बॉण्ड श्रृंखला 76 को निगम द्वारा 15.03.2008 को विमोचित किया गया था।

(ख) 64वीं, 66वीं तथा 72वीं श्रृंखला के बॉण्ड में 5 वर्षों के अंत में अर्थात क्रमशः 27.09.2007, 31.01.2008 तथा 18.08.2009 को पुट/कॉल का विकल्प था। 64वीं तथा 66वीं श्रृंखला से क्रमशः 27.09.2007 तथा 31.01.2008 को बॉण्ड धारकों द्वारा पुट विकल्प का उपयोग करते हुए 90 करोड़ रुपए तथा 135 करोड़ रुपए की बॉण्डों को विमोचित किया गया था।

(ग) 69वीं, 73वीं तथा 77वीं श्रृंखलाएं क्रमशः 6ठें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 10वें वर्ष में सममूल्य पर 5 समान किश्तों पर विमोच्य हैं।

(घ) 75वीं श्रृंखला के बॉण्ड 5-1/2 वर्ष से 10 वर्ष तक एसटीआरआरपी के द्वारा 10 अर्धवार्षिक समान किश्तों पर विमोच्य होंगे।

(ङ) 78वीं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं तथा 83वीं श्रृंखला 10 वर्षों की समाप्ति पर क्रमशः 31.01.2016, 14.03.2016, 20.03.2016, 20.01.2017, 28.09.2017 और 28.02.2018 को सममूल्य पर विमोच्य हैं।

(च) बॉण्ड आवेदन राशि में 04.04.2008 की आवंटन तारीख वाले 84वीं श्रृंखला (04.04.2013 को सममूल्य पर 9.45% विमोच्य) के प्रति प्राप्त 1000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(छ) 220 लाख रुपए के बॉण्ड 31.03.2008 को न्यास आरईसी सीपी फंड द्वारा धारित हैं।

(ज) पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड को 3/5/7 की अवधि हेतु अर्धवार्षिक/वार्षिक रूप से देय 5.15% से 8.70% की दर पर तथा संचित विकल्पों के साथ जारी किया जाता है। इन बॉण्डों में 3/5 वर्ष के अंत में पुट/कॉल का विकल्प होता है। वर्तमान वर्ष (2007-08) में क्रम 7 पर जारी पूंजीगत लाभ छूट बॉण्ड की अवधि 3 वर्ष है जो 5.5% की वार्षिक दर से देय है। आधारभूत ढांचा बॉण्ड को 6.00% से 9% की वार्षिक दर पर देय विभिन्न ब्याज दरों के मध्य 3 से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी किया गया है। इन बॉण्ड में आवंटन की तिथि से 3/5 वर्ष की समाप्ति पर पुट विकल्प होता है। पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड और आधारभूत ढांचा बॉण्ड न्यासियों की संतुष्टि के अनुसार 4305.09 करोड़ रुपए हेतु क्रमशः आरईसी की अचल संपत्तियों और बही ऋण (ऋण) पर कानूनी रेहन द्वारा प्रतिभूत हैं। इन अचल संपत्तियों का बही मूल्य 52.58 लाख रुपए है। न्यासियों के पक्ष में आरओसी के साथ एक प्रभार का सृजन किया गया है।

अनुसूची '4' अप्रतिभूत ऋण

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 के अनुसार
भारत सरकार से ऋण	**8,192.48**
सावधि ऋण	
(क) बैंको से दीर्घावधि ऋण	**211,280.00**
(1 वर्ष के भीतर चुकौती के लिए देय 23,821 लाख रुपए	
(ख) बैंकों से अल्पावधि ऋण	**112,800.00**
नकदी ऋण सीमाएं	-
विदेशी मुद्रा ऋण	
(क) दीर्घावधि	
ईसीबी - बैंकों से सिंडिकेट किया गया ऋण	**87,026.32**
जेबीआईसी ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	**13,033.02**
केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	**4,785.69**
बॉण्ड के माध्यम से ऋण	
(गैर-संचयी, भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)	
(क) अल्पावधि	
18वीं श्रृंखला - 12.12.2008 को सममूल्य पर 11.5% विमोच्य	**6,858.00**
24वीं श्रृंखला - 17.02.2008 को सममूल्य पर 13% विमोच्य	-
35वीं श्रृंखला - 26.03.2008 को सममूल्य पर 12.3% विमोच्य	-
(ख) दीर्घावधि	
21वीं श्रृंखला - 29.12.2009 को सममूल्य पर 11.5% विमोच्य	**6,908.00**
22वीं श्रृंखला - 27.12.2010 को सममूल्य पर 11.5% विमोच्य	**4,900.00**
23वीं श्रृंखला-1 - 05.12.2011 को सममूल्य पर 12% विमोच्य	**2,265.00**
23वीं श्रृंखला-2 - 21.02.2012 को सममूल्य पर 12% विमोच्य	**3,035.00**
74वीं श्रृंखला - 31.12.2014 को सममूल्य पर 7.22% विमोच्य	**25,000.00**
कुल अप्रतिभूत ऋण	**486,083.51**
अगले वर्ष के भीतर चुकौती/विमोचन हेतु देय	**6,858.00**

टिप्पणी : 2.00 लाख रुपए के बॉण्ड 31.3.2008 को आरईसी लिमिटेड सीपी फण्ड ट्रस्ट द्वारा धारित हैं।

अनुसूची '5' 31 मार्च,2008 को समाप्त वर्ष के लिए अचल परिसंपत्तियों का सारांश

(लाख रुपए में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास ब्लाक				निवल ब्लाक	
	01.04.2007 के अनुसार	वर्ष के दौरान वर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	**31.03.2008 के अनुसार**	31.03.2007 के अनुसार	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान निपटान की गई/बट्टे खाते में डाली गई	**31.03.2008 के अनुसार**	**31.03.2008 के अनुसार**	31.03.2007 के अनुसार
फ्रीहोल्ड भूमि	3,246.95	1,426.92	-	**4,673.87**	-	-	-	**-**	**4,673.87**	3,246.95
पट्टे वाली भूमि	145.51	-	-	**145.51**	11.32	1.47	-	**12.79**	**132.72**	134.18
भवन	2,173.09	20.83	-	**2,193.93**	428.31	35.84	-	**464.15**	**1,729.78**	1,744.78
फर्नीचर एवं फिक्सचर	386.74	17.19	0.77	**403.16**	231.15	24.51	0.10	**255.56**	**147.60**	155.59
ईडीपी उपकरण	442.25	97.00	0.24	**539.01**	311.91	36.18	-	**348.09**	**190.92**	130.34
कार्यालय उपकरण	260.07	54.11	1.72	**312.45**	164.03	17.31	0.93	**180.42**	**132.03**	96.04
वाहन	97.27	-	2.89	**94.38**	70.44	9.01	2.18	**77.27**	**17.11**	26.83
कम मूल्य वाली परिसंपत्तियां - फर्नीचर	-	7.41	-	**7.41**	-	7.41	-	**7.41**	**-**	-
कम मूल्य वाली परिसंपत्तियां - ईडीपी	-	0.96	-	**0.96**	-	0.96	-	**0.96**	**-**	-
कम मूल्य वाली परिसंपत्तियां - कार्यालय उपकरण	-	9.15	-	**9.15**	-	9.15	-	**9.15**	**-**	-
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (कम्प्यूटर साफ्टवेयर)	3.54	-	-	**3.54**	1.30	0.68	-	**1.98**	**1.56**	2.25
सकल जोड़	6,755.42	1,633.57	5.63	**8,383.36**	1,218.46	142.52	3.21	**1,357.78**	**7,025.58**	5,536.96
पूंजीगत डब्ल्यूआईपी	826.01	201.19	242.11	**785.09**	-	-	-	**-**	**785.09**	826.01

टिप्पणी - (1) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों में बाहर से खरीदे गए कम्प्यूटर साफ्टवेयर शामिल हैं और एएस-26 के अनुसार इन्हें 5 वर्षों में परिशोधित किया गया है।
(2) कम मूल्य वाली परिसंपत्तियां वे है, जिनका मूल्य 5000 रूपए से कम है।
(3) वर्तमान वर्ष के मूल्यह्रास में 3.97 लाख रूपए का पिछली अवधि का मूल्यह्रास भी शामिल है।

अनुसूची '6' निवेश

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 के अनुसार
दीर्घावधि (अनउद्धृत)	
गैर-व्यापार निवेश	
8% वाले मध्य प्रदेश सरकार के पावर बॉण्ड - 2, जो 1.4.2005 से 30 समान अर्धवार्षिक किश्तों में परिपक्व होंगे। (4716 लाख रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 24 बॉण्ड) (पिछले वर्ष 4716 लाख रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 25 बॉण्ड)	**113,184.00**
केएसके एलर्जी वेन्चर्स लिमिटेड 9.818 रुपए प्रति यूनिट के निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" फंड की 1,44,70,381 यूनिट पिछले वर्ष 9.686 रुपए प्रति यूनिट के निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" फंड की 1,59,90,381 यूनिट (अंकित मूल्य प्रति यूनिट 10 रुपए है)	**1,420.70**
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में निवेश 10 रुपए प्रत्येक के 12,50,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - शून्य)	**125.00**
जोड़	**114,729.70**

अनुसूची '7' ऋण

(लाख रुपए में)

			31.03.2008 के अनुसार
(1)	राज्य विद्युत बोर्ड/निगम, सहकारी तथा राज्य सरकारें		
(क)	अप्रतिभूत, अच्छा माना गया और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत		**1907561.52**
(ख)	संदेहास्पद माना गया	15,564.37	
	घटाएं - अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	3,999.39	**11,564.98**
(2)	राज्य विद्युत बोर्ड/निगम (संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड/ निगम के साथ सामग्रियों के रेहन द्वारा प्रतिभूत)		
(क)	अच्छा माना गया		**1,639,950.32**
(ख)	संदेहास्पद माना गया	-	
	घटाएं - अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	-	**-**
(3)	अन्य (मूर्त परिसंपत्तियों के रेहन द्वारा प्रतिभूत) अच्छा माना गया		
(क)	अच्छा माना गया		**1,25,481.68**
(ख)	संदेहास्पद माना गया	16,054.05	
	घटाएं - अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	4,174.90	**11,879.15**
(4)	अन्य (अप्रतिभूत) - अच्छे माने गए		**1,56,870.93**
(5)	ऋणों पर उपचित तथा देय ब्याज		**2,523.59**
(6)	पुनः अनुसूचीबद्ध ऋणों पर उपचित ब्याज		**75,819.01**
	जोड़		**39,31,651.18**

अनुसूची '8' विलंबित कर देयता / (परिसंपत्तियां)

(लाख रुपए में)

		31.03.2008 के अनुसार
प्रारम्भिक शेष	73966.79	
- पिछले वर्ष के सामान्य आरक्षित से		
- वर्तमान वर्ष के लाभ से	7,741.03	
		81,707.82
जोड़		**81707.82**

अनुसूची '9' वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

(लाख रुपए में)

		31.03.2008 के अनुसार
1.	**वर्तमान परिसंपत्तियां**	
(क)	**नकदी तथा बैंक शेष** -	
	(1) हस्तगत/ट्रांजिट में नकदी/ चैक (डाक तथा पेशगी सहित)	**0.26**
	(2) चालू खातों में	
	- आरबीआई के साथ	**78.96**
	- अधिसूचित बैंकों के साथ	**24,978.13**
	- अधिसूचित बैंकों के साथ (आरजीजीवीवाई योजना हेतु)	**58,752.76**
	- अधिसूचित बैंकों के साथ (एजी तथा एसपी योजनाओं हेतु निधि)	**3,719.06**
	(3) अधिसूचित बैंकों के साथ जमा खातों में	**38,039.26**
	कुल (क)	**125,568.43**

(ख)	**अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां**		
	(1) सावधि जमा पर उपचित किंतु देय नहीं ब्याज		**83.14**
	(2) उपचित किंतु देय नहीं ब्याज		**-**
	- ऋण पर		**45,249.76**
	- सरकारी प्रतिभूतियों पर		**4,014.41**
	- कर्मचारियों को ऋण पर		**208.18**
	(3) एसईबी/सरकारी विभागों से प्राप्य	**330.20**	**-**
	घटाएं - अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	**180.20**	**150.00**
	(4) भारत सरकार से प्राप्य		**-**
	- आरजीजीवीवाई व्यय		**208.93**
	कुल (ख)		**49,914.42**
2.	**ऋण तथा अग्रिम**		
(क)	**ऋण**		
	(1) कर्मचारी (प्रतिभूत)		**271.01**
	(2) कर्मचारी (अप्रतिभूत)		**117.77**
(ख)	अग्रिम		
	(अच्छे माने गए अप्रतिभूत)		
	(1) नकदी अथवा वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य		**876.83**
	(2) अग्रिम आयकर तथा टीडीएस		**60,761.65**
	(4) प्राप्य आयकर (बॉण्ड)		**3.20**
	जोड़ - (ग)		**62,030.46**
	जोड़ - (क+ख+ग)		**237,513.31**

अनुसूची '10' वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

(लाख रुपए में)

		31.03.2008 **के अनुसार**
(क) वर्तमान देयताएं		
(क) व्यय हेतु लेनदार		
- लघु औद्योगिक उपक्रमों के देय		**5.97**
(ख) अग्रिम प्राप्तियां		**934.36**
(ग) अन्य देयताएं		**8,555.81**
(घ) संवितरण हेतु सरकार से अनुदान	**919,899.56**	**-**
घटाएं - लाभग्राहियों को संवितरित	**848,044.01**	**71,855.55**
(ङ) प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज		**-**
- बॉण्ड पर	**54,009.44**	**-**
- सरकारी /एलआईसी ऋणों पर	**12,488.16**	**66,497.60**
बॉण्ड तथा सरकारी ऋणों पर दावा न किया गया ब्याज तथा मूलधन		**-**
- ब्याज	**709.52**	**-**
- मूलधन	**111.57**	**821.09**
जोड़ (क)		**148,670.38**
(ख) प्रावधान		
(क) आयकर		**59,085.04**
(ख) स्टाफ लाभ		**3,643.43**
(ग) उपदान		**207.88**
(घ) प्रोत्साहन तथा अनुग्रह राशि हेतु प्रावधान		**2,204.37**
(ङ) धन कर		**0.20**
(च) छुट-पुट लाभ कर		**17.00**
(छ) प्रस्तावित लाभांश		**25,759.80**
(ज) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर		**4,377.88**
(झ) वेतन संशोधन		**816.84**
जोड़ (ख)		**96,112.44**
जोड़ (क+ख)		**244,782.82**

अनुसूची '11' प्रचालन आय

(लाख रुपए में)

			31.03.2008 को समाप्त वर्ष
क.	**ऋण देने के प्रचालनों में**		
	ऋणों पर ब्याज		
	- दीर्घावधि वित्त-पोषण	307,560.77	
	घटाएं - समय पर भुगतान/पूर्णता आदि हेतु छूट	1,799.56	305,761.21
	- अल्पावधि वित्त पोषण		30,290.22
ख.	**ऋणों के पुनः निर्धारण पर आय**		-
			336,051.43
ग.	**प्रसंस्करण शुल्क, एकमुश्त शुल्क, सेवा प्रभार आदि**		1,310.38
घ.	**पूर्व भुगतान प्रीमियम**		-
ङ	**आरजीजीवीवाई क्रियान्वयन हेतु एजेंसी प्रभार**		460.13
	जोड़		3,37,821.94

अनुसूची '12' अन्य आय

(लाख रुपए में)

			31.03.2008 को समाप्त वर्ष
क.	**निवेश/जमा प्रचालनों पर**		
	जमा पर ब्याज	6,449.97	0
	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	9,243.36	15693.33
	(टीडीएस 1,047.27 लाख रुपए, पिछले वर्ष 1,085.20 लाख रुपए)		
ख.	**अन्य आय**		0
	- आयकर		0
	वापस दिया गया अधिक प्रावधान		18.35
	आयकर		0
	अन्य		28.31
	स्टाफ अग्रिमों पर ब्याज		33.02
	जोखिम निधि में निवेश पर लाभ		506.18
	विविध आय		0.41
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		23.88
	वापस डाली गई जोखिम निधि में निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान		
	जोड़		16,303.48

अनुसूची '13' ब्याज एवं अन्य आय

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
निम्न पर ब्याज	
- सरकारी ऋण	689.72
- आरईसी बॉण्ड	137112.06
- बैंक/वित्तीय संस्थान	62434.99
- बाहरी वाणिज्यिक ऋण	4898.71
- अन्य	2.92
विनिमय दरों में अन्तर	959.53
एआरईपी आर्थिक सहायता पर ब्याज	148.6
गारंटी शुल्क	25.65
जोड़	206,272.18

अनुसूची '14' स्थापना व्यय

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
वेतन तथा भत्ते	6,610.81
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा व्यय	1,233.47
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	435.48
स्टाफ कल्याण व्यय	994.19
जोड़	9,273.95

अनुसूची '15' प्रशासन व्यय

(लाख रुपए में)

		31.03.2008 **को समाप्त वर्ष**
किराया - कार्यालय		**210.62**
दरें तथा कर		**22.48**
विद्युत तथा जल प्रभार		**48.29**
बीमा प्रभार		**2.79**
मरम्मत तथा अनुरक्षण		
भवन	**292.92**	**-**
अन्य	**37.06**	**329.98**
प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी		**73.70**
यात्रा तथा वाहन		**-**
- निदेशक	**44.99**	**-**
- अन्य	**430.96**	**475.95**
डाक, तार तथा टेलीफोन		**108.59**
प्रचार एवं संवर्धन व्यय		**146.73**
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		**15.25**
विविध व्यय		**278.58**
परामर्शी प्रभार		**113.50**
दान तथा धर्मार्थ		**10.20**
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		**1.22**
जोड़		**1,837.88**

अनुसूची '16' बॉण्ड/ऋण लिखत निर्गम व्यय

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 **को समाप्त वर्ष**
बॉण्ड हैण्डलिंग प्रभार	**535.77**
बॉण्ड ब्रोकरेज खाता	**102.99**
प्रतिबद्धता शुल्क	**97.75**
बॉण्ड स्टम्प शुल्क	**6.01**
ईसीबी हेतु व्यवस्था शुल्क	**-**
अन्य	**292.55**
जोड़	**1,035.07**

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	
कर-पूर्व निवल लाभ	**131,511.81**
निम्नलिखित हेतु समायोजन :	**0.00**
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**0.81**
2. सामान्य आरक्षित से अंतरण	**-163.79**
3. मूल्यह्रास	**138.55**
4. निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	**-23.88**
5. डूबे तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	**3,994.34**
6. बटटेखाते में डाला गया अधिक प्रावधान	**-18.35**
7. "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" की यूनिटों में निवेश की बिक्री/आय पर लाभ	**-33.02**
8. विनिमय दर अंतर से हानि	**959.53**
कार्यशील पूंजी प्रभारों से पूर्व प्रचालन लाभ	**136,366.00**
वृद्धि/कमी :	
1. ऋण	**-725,735.42**
2. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	**-18,678.65**
3. अन्य ऋण तथा अग्रिम	**-799.42**
4. वर्तमान देयताएं	**64,022.63**
प्रचालनों से नकदी बाह्य प्रवाह	**-544,824.86**
1. अदा किया गया अग्रिम आयकर	**-75,053.80**
2. अदा किया गया धन कर	**-0.15**
3. अदा किया गया छुट-पुट लाभ कर	**-106.55**
प्रचालन क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	**-619,985.36**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**1.61**
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद (पूंजीगत व्यय हेतु अदा किए गए अग्रिम सहित)	**-1,588.54**
3. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पावर बॉण्ड-2 का विमोचन	**4,716.00**
4. प्रारंभिक व्यय	**-13.09**
5. "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" फंड की यूनिटों में निवेश	**-194.81**
6. अनुषंगी कम्पनी "आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि." के शेयरों में निवेश	**379.86**
7. अनुषंगी कम्पनी "आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कम्पनी लि." के शेयरों में निवेश	**0.00**
8. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयरों में निवेश	**-125.00**
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	**3,176.03**
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	
1. बॉण्ड जारी करना	**607,392.38**
2. बॉण्डों का विमोचन	**-359593.94**
3. सावधि ऋण/बैंकों /एफआई से एसटीएल जुटाना	**437,250.00**
4. बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण/एसटीएल की चुकौती	**-300,650.00**
5. विदेशी मुद्रा ऋण को जुटाना	**16,676.53**
6. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (धन वापसी का निवल)	**390,289.91**
7. अनुदानों का संवितरण	**-335,941.46**
8. सरकारी ऋण की चुकौती	**-1,855.96**
9. अदा किया गया लाभांश	**-17,700.00**
10. अदा किया गया निगमित लाभांश	**-3,008.12**
11. शेयरों निर्गम (शेयर प्रीमियम मिलाकर)	**79,786.53**
वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी अंतर प्रवाह	**512,645.87**
नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/कमी	**-104,163.46**
1 अप्रैल, 2007 को नकदी तथा नकदी समतुल्य	**229,731.89**
31 मार्च, 2008 को नकदी तथा नकदी समतुल्य	**125,568.43**
नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/कमी	**104,163.46**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनः व्यवस्थित तथा पुनः समूहबद्ध किया गया है। 0.00

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस.माथुर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस

राजीव वधावन
भागीदार
सदस्यता सं. 91007.

कृते तथा बोर्ड की ओर से

बी.आर. रघुनन्दन	एच.डी.खुंटेटा	पी.उमा शंकर
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 26 मई, 2008

अनुसूची '17' लेखे पर टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण में ली गई अनुषंगी कंपनियां निम्नलिखित हैं -

अनुषंगी कम्पनी का नाम	अधिनिगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड (आरटीपीसीएल)	भारत	100 %
आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरपीडीसीएल)	भारत	100 %
नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनकेटीसीएल)	भारत	100 %
(आरटीपीसीएल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी)		
तलचर-2 ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	100 %
(आरटीपीसीएल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी)		

2. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

	2007-08
कर पश्चात निवल लाभ	86,192.54
इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य निवल लाभ	86,192.54
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	786,374,301
प्रति शेयर आधारभूत तथा कम किया गया अर्जन	10.96
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10

3. आकस्मिक देयताएं जिनके सम्बन्ध में प्रावधान नहीं किया गया है

(लाख रुपए में)

		31.03.2008 के अनुसार
(क)	निगम पर प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है (31.3.2008 को विभिन्न न्यायालयों में लम्बित 5153.60 लाख रुपए सहित)	6331.37
(ख)	पूंजी लेखे में निष्पादित किए जाने हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	408.21
(ग)	अन्य	56,489

आकस्मिक देयताएं क्रमश/ न्यायालय/न्यायालय से बाहर मामले के निपटान के परिणाम, मांगी गई राशि, संविदात्मक वचनबद्धताओं की शर्तों घटनाओं और संबंधित पार्टियों द्वारा मांग करने, अपीलों के निपटान पर निर्भर करती हैं। 1(ग) के अंतर्गत राशि उन उत्पादन परियोजनाओं हेतु ऋण लेने वालों के बैंकरों द्वारा जारी एलसी का निगम का भाग है जिनके लिए निगम ने इन बैंकरों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए हैं।

4. लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैं -

(लाख रुपए में)

		31.3.2008 को समाप्त वर्ष
क)	लेखापरीक्षा शुल्क - वर्तमान वर्ष	13.59
ख)	कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.25
ग)	व्ययों की प्रतिपूर्ति	1.29
घ)	अन्य सेवाओं हेतु अदायगी हेतु भुगतान (आईपीओ प्रमाणीकरण सहित)	15.57
	जोड़	30.70

5. वर्ष 1997-98 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगम को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एन.बी.एफ.सी.) के रूप में पंजीकृत किया गया था। आरबीआई की दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं.12/डी2 01/99-2000 के अनुसार जो सरकारी कंपनियां कंपनी अधिनियम की धारा 617 का अनुपालन करती हैं, उनको तरल परिसंपत्तियों के रख-रखाव, आरक्षित निधियां स्थापित करने और सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुपालन में छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू होती है। आरक्षित निधियों को सृजित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (आई)सी के प्रावधानों के लागू न होने की बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित कोष सृजित नहीं किया गया है।

   निदेशक मंडल ने 13.12.2006 को हुई अपनी बैठक में निगम हेतु 01.04.2007 से लागू होने वाले विवेकसम्मत मानदण्डों के एक सेट को अनुमोदित किया है। विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई परिसंपत्तियों के संबंध में भी प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिए गए ऋणों के संबंध में प्रावधानों हेतु ऐसे परिवर्तन का प्रभाव 3999.39 लाख रुपए तक का है और जिसके अतिरिक्त आय की पहचान पर लेखांकन नीति में एक अल्पवर्धन है जो स्पष्टकारी प्रकृति का है। इसके अतिरिक्त, कुछ लेखांकन नीतियां जिनकी आवश्यकता नहीं थी उन्हें हटा दिया गया है और उनका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं हुआ है।

6. कुछ आरई सहकारी समितियों द्वारा विशेष आरक्षित के सृजन में 501.18 लाख रुपए की राशि की कमी आई है और समितियों द्वारा विशेष निधि के सृजन पर कार्य किया जा रहा है।

7. कुछ कर्जदारों से शेष की पुष्टि प्राप्त हो गई है।

8. बॉण्डों पर अर्जित ब्याज के संबंध में लागू आयकर बॉण्ड धारकों को ब्याज के वास्तविक भुगतान के समय स्रोत पर काट लिया जाता है, क्योंकि ऐसे बॉण्ड हस्तांतरणीय होते हैं।

9. निगम द्वारा खरीदे गए कुछ परिसर आदि के संबंध में 5792.70 लाख रुपए की राशि हेतु हस्तांतरण विलेख पूर्णता की प्रक्रिया में है।

10. 31.03.2008 को कर्जदारों से वसूली योग्य जोड़ बकाया राशि 20977 लाख थी और इसे वसूल करने के लिए कारगर उपाय किए जा रहे हैं। चूककर्ता विंड फार्म उधारकर्ताओं और सहकारी समितियों के विरूद्ध देय राशियों की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में दायर मुकदमे सुनवाई/कानूनी कार्रवाई के विभिन्न स्तरों पर हैं। कुछ चूककर्ता समितियों के संबंध में न्यायालय के आदेश जारी किए जा चुके हैं और उन्हें लागू किया जाना प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और जम्मू एवं कश्मीर की कुछ समितियों के देयों के संबंध में राज्य सरकार की गारंटियों को भी भुनाया गया है और ऐसी गारंटियों को अस्वीकार नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की 5 सहकारी समितियों के देयों के प्रति 1816 लाख रुपए का भुगतान किया और शेष समितियों के देयों का भी निपटान करने का आश्वासन दिया है।

11. लेखा नीति सं.10.2 के अनुसार 31.3.2008 को विनिर्दिष्ट बैंकों के ब्याज वारंटस खातों में शेष राशि 12045.48 लाख रुपए।

12. प्रबंधन की राय के अनुसार तुलन-पत्र में शामिल चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशियां दिखाए गए मूल्य के बराबर हैं, बशर्ते कि उन्हें सामान्य कामकाज के दौरान वसूल कर लिया जाए और सभी ज्ञात देनदारियों के भुगतान के लिए व्यवस्था कर दी गई हो।

13. परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक-28 के अंतर्गत यथाअपेक्षित क्षति हानि हेतु प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रबंधन के मतानुसार लेखांकन मानक-28 के अनुसार निगम की परिसंपत्तियों में कोई क्षति नहीं हुई है।

14. कंपनी की सूक्ष्म, लघु और मझोले प्रतिष्ठानों की ओर कोई बकाया देयताएं नहीं हैं।

15. कोई बॉण्ड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं रखा गया है, क्योंकि भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 18.4.2002 को जारी स्पष्टीकरण सं.6/3/2001-सीएल-5 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 1997 की धारा 45-आईए के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा जारी प्राइवेट प्लेसमेंट वाले डिबेंचरों के मामले में बीआरआर सृजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

16. निगम ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ अमेरिकी डॉलर से सम्बद्ध 250 करोड़ रुपए की और एक्सिस बैंक, येस बैंक, एबीएन एमरो तथा बैंक ऑफ अमेरिका के साथ जापानी येन से सम्बद्ध 500 करोड़ रुपए के दो व्युत्पन्न कारोबार किए हैं। 31.3.2008 के अनुसार उक्त 2 व्युत्पन्न कारोबार के संबंध में मार्क टु-मार्केट से बाजार लाभ/(हानि) निम्नानुसार है -

बैंक का नाम	कल्पित राशि (रुपए)	एमटीएम लाभ/ (हानि)
आईसीआईसीआई बैंक	25000 लाख	1,408.63 लाख
एक्सिस - येस - एमरो बैंक तथा बीओए	50000 लाख	(484.64) लाख
निवल लाभ		923.99 Lacs

वर्ष के दौरान कंपनी ने स्वैप (केवल कूपन) कारोबार के कारण 953.32 लाख रुपए अर्जित किए हैं जिसे उस सीमा तक लेनदारी की लागत में कमी करके प्राप्त किया गया है।

17. निदेशकों का पारिश्रमिक -

(लाख रुपए में)

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष
वेतन तथा भत्ते	**40.87**
अनुलाभ/प्रतिपूर्ति	**1 4.97**
सेवानिवृत्ति लाभ	**1.45**
जोड़	**57.29**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार मासिक प्रभार के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रतिमाह की सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति भी दी गई है।

ऋण तथा अग्रिमों में निगम के निदेशकों से देय 0.81 लाख रुपए है जिनकी वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि 1.89 लाख रुपए थी।

18. विदेशी मुद्रा में व्यय -

(लाख रुपए में)

विवरण	**31.3.2008 के अनुसार**
रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक परामर्शी शुल्क	**1.06**
ब्याज	**241.08**
वित्त प्रभार	**97.75**
आईपीओ प्रभार	**86.40**
अन्य प्रभार	**17.39**
जोड़	**443.68**

कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 के भाग-2 के पैरा 4(सी) और पैरा 4(डी) के अंतर्गत अपेक्षित अन्य सभी सूचना या तो शून्य है अथवा लागू नहीं होती है।

आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-27 के अंतर्गत संयुक्त उद्यम में कंपनी के हित के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी।

19. निवेश में 1447.04 लाख रुपए शामिल हैं जोकि केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रोमोटेड स्मॉल इज ब्यूटीफुल फंड (एसआईबी फंड) जोखिम पूंजीगत निधि की यूनिटों में कंपनी के योगदान को दर्शाता है।

कंपनी का नाम	निधि में योगदान	निवास का देश	स्वामित्व का अनुपात
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	1447.04 लाख रुपए	भारत	9.74%

वर्ष के दौरान निगम ने "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" की यूनिटों में 194.80 लाख रुपए का निवेश किया है जिससे 2250 लाख रुपए के हमारे प्रतिबद्ध पूंजीगत योगदान के प्रति वर्ष के दौरान यूनिटों में जोड़ निवेश 2250 लाख रुपए हो गया है। निवेश के इस भाग में से 31.3.2008 तक 802.95 लाख रुपए का विनिवेश भी किया जा चुका है।

20. त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत आर्थिक सहायता

आयोग एक ब्याज आर्थिक सहायता निधि लेखे का अनुरक्षण कर रहा है और दिनांक 23.9.1997 के भारत सरकार के पत्र संख्या अ.शा.सं.32024/17/97-पीएफसी तथा दिनांक 07.03.2003 के का.ज्ञा.सं. 32024/23/2001-पीएफसी के अनुसार वास्तविक पुनर्भुगतान कार्यक्रम, स्थगन अवधि तथा चुकौती की अवधि को ध्यान में न रखते हुए निर्दिष्ट दरों पर गणना किए गए निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से आर्थिक सहायता का दावा कर रहा है। निर्दिष्ट दर और आहरण के समय ली गई अवधि तथा वास्तविक के मध्य अंतर के प्रभाव का पता संबंधित योजना के अंत में ही लगाया जा सकता है। वर्ष के दौरान निगम ने 2015 लाख रुपए की धन वापिसी की जिस पर ब्याज देयता 171.44 लाख रुपए की थी जोकि एनपीवी तथा औसत अर्जित ब्याज के मध्य अंतर मुहैया कराए जाने के कारण थी।

21. लेखांकन मानक-26 "अमूर्त परिसंपत्तियां" में यथाअपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटीकरण -

1. परिशोधन दर	20% यदि परिसंपत्ति का मूल्य 5000 अथवा कम है तो 100%।
2. परिशोधन पद्धति	सीधी रेखा।

मिलान विवरण	(लाख रुपए में)
	31.3.2008 के अनुसार
3. सकल कैरिंग राशि	**3.54**
4. संचित मूल्यह्रास	**1.98**
5. सकल कैरिंग राशि - प्रारम्भिक शेष	**3.54**
घटाएं - संचित मूल्यह्रास	**1.98**
कैरिंग राशि	**1.56**
वर्ष के दौरान वर्धन	**NIL**
घटाएं - वर्ष के दौरान परिशोधन	**0.68**
तुलन-पत्र की तिथि को कैरिंग राशि	**1.56**

22. निगम आय पर करों हेतु लेखांकन पर लेखांकन मानक संख्या 22 के अनुसार विलंबित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के लिए प्रावधान कर रहा है। वर्ष के दौरान निगम ने विलंबित कर देयता के रूप में 7741.03 लाख रुपए का प्रावधान किया है।

31.3.2008 को विलंबित कर देयता के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं -

(लाख रुपए में)

विवरण	**31.03.2008 के अनुसार**
विलंबित कर परिसंपत्तियां	
वीआरएस व्यय हेतु प्रावधान	**शून्य**
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	**427.96**
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	**263.28**
निवेश में कमी हेतु प्रावधान	**8.95**
अन्य व्ययों हेतु प्रावधान	**2,802.60**
	3,502.79
विलंबित कर देयताएं	
मूल्यह्रास	**310.46**
आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(8) के अंतर्गत आरक्षित	**84,900.14**
निवल विलंबित कर (देयता)/परिसंपत्ति	**(81,707.82)**
31.3.2007 को विलंबित कर परिसंपत्ति / (देयता)	**(73,966.79)**
लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित वर्ष हेतु निवल देयता	**(7,741.03)**

23. पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन पर आरईसी की देयताओं के निपटान का मुद्दा एमपीएसईबी और सीएसईबी के मध्य होने पर उनके मध्य देयों को बांटने के संबंध में एक कानूनी विवाद है जिसके परिणामस्वरूप सीएसईबी लगभग 16000 लाख रुपए जमा और प्रोदभूत होने वाले ब्याज की धन वापसी का दावा कर रहा है जो एमपीएसईबी द्वारा अदा किया जाएगा। यद्यपि इस संबंध में भारत संघ तथा अन्य के विरूद्ध एमपीएसईबी की समीक्षा याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है फिर भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर मूल मुकदमा माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है जिसके परिणामस्वरूप वे इस मामले को न्यायानिर्णयाधीन मान रहे हैं। अंतिम निपटान पर सीएसईबी को यदि कोई राशि अदा की जाने होगी तो वह एमपीएसईबी द्वारा अदा की जाएगी।

24. कुछ पूर्ववर्ती राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) जिनके प्रति ऋण बकाया थे अथवा जिनकी ओर से राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई थी, की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पुनर्संरचना की गई थी और उनके स्थान पर नए निकायों का गठन किया गया था। परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती एसईबी के देयताएं निगमों, नए निकायों और/अथवा राज्य सरकारों के मध्य अंतरण समझौतों के निष्पादन पर नए निकायों को अंतरित किए गए हैं। ऐसे समझौतों का क्रियान्वयन लंबित होने पर पूर्ववर्ती एसईबी नामतः एपीएसईबी, केईबी और जीईबी के प्रति बकाया ऋणों को क्रमशः एपीट्रांसको, केपीटीसीएल और जीयूवीएनएल को आरोपित किए गए हैं जिनकी राशि 31.3.2008 को क्रमशः 2337.66 करोड़ रुपए, 662.52 करोड़ रुपए और 612.90 करोड़ रुपए होती है।

25. 31.3.2007 तक आरजीजीवीवाई क्रियान्वयन पर व्यय किए गए 643.98 लाख रुपए को उसके अनुदान से किए गए जमा पर प्राप्त ब्याज से समायोजित कर लिया गया है और विद्युत मंत्रालय को तदनुसार सूचित किया गया है। तथापि, निगम ने 31 मार्च, 2007 तक की अवधि हेतु संवितरण पर एजेंसी शुल्क को प्रभारित करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए विद्युत मंत्रालय से संपर्क किया है। उचित समायोजन, यदि कोई हो, को तदनुसार किया जाएगा।

26. लेखांकन मानक-29 में यथापेक्षित प्रावधानों के ब्यौर

(लाख रुपए में)

	31.03.2008 को	**31.03.2007 को**
(क) सेवानिवृत्ति पश्चात स्वास्थ्य योजना		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**1350.27**	774.57
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**576.68**	633.25
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**91.52**	57.55
अंतिम शेष	**1835.43**	1350.27
(ख) अवकाश नकदीकरण		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**820.21**	711.78
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**713.66**	159.23
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**69.17**	50.8
अंतिम शेष	**1464.7**	820.21
(ग) चिकित्सा अवकाश		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**0**	-
सामान्य आरक्षित से संक्रमण प्रावधान *	**74.63**	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**51.76**	-
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**-**	-
अंतिम शेष	**126.39**	
(घ) उपदान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**49.70**	98.76
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**169.9**	0
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**11.73**	49.06
अंतिम शेष	**207.87**	49.70
(ङ) सेवानिवृत्ति पर निपटान भत्ता		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**0**	-
सामान्य आरक्षित से संक्रमण प्रावधान *	**9.63**	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**11.53**	-
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**5.86**	-
अंतिम शेष	**15.30**	-
(च) NVVh यात्रा रियायत		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**0**	-
सामान्य आरक्षित से संक्रमण प्रावधान *	**79.53**	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**273.61**	-
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	**151.56**	-
अंतिम शेष	**201.58**	-
(छ) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**0**	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**816.84**	-
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	0	-
अंतिम शेष	816.84	-

(ज) प्रोत्साहन/अनुग्रह राशि हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1011.75	523.00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2204.37	1011.75
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	1011.75	523.00
अंतिम शेष	**2204.37**	**1011.75**
(झ) आयकर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	21613.44	98167.72
वर्ष के दौरान परिवर्धन	37380.00	21482.00
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	0	98036.28
अंतिम शेष	58993.44	21613.44
(ञ) अनुषंगी लाभ कर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	17.00	-
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	0	-
अंतिम शेष	17.00	-
(ट) धन कर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.25	0.23
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.10	0.25
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	0.15	0.23
अंतिम शेष	0.20	0.25
(ठ) प्रस्तावित लाभांश		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	17700.00	10126.00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	25759.80	17700.00
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	17700.00	10126.00
अंतिम शेष	25759.80	17700.00
(ड) निगमित लाभांश कर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3008.12	1420.17
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4377.88	3008.12
वर्ष के दौरान अदा/उपयोग की गई राशि	3008.12	1420.17
अंतिम शेष	4377.88	3008.12

*** विलंबित कर को घटाकर -**

27. निगम ने एएस-15(संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" को अपनाया है। परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं निम्नानुसार हैं -

भविष्य निधि -

निगम एक पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि का निश्चित अंशदान पृथक न्यास को देता है जो उस निधि का निवेश अनुमेय प्रतिभूतियों में करता है। इस न्यास द्वारा न्यास के सदस्यों के अंशदान पर एक न्यूनतम दर से ब्याज दिया जाना अपेक्षित होता है। 31 मार्च, 2008 को तत्संबंधी परिसंपत्तियों पर प्रतिफल सहित भविष्य निधि की परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत देयता से अधिक है।

उपदान

निगम की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपदान का पात्र है। इस योजना का वित्त-पोषण निगम द्वारा और प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

सेवानिवृत्ति के बाद सुविधा

निगम की एक सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और निपटान लाभ हैं जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (जीवन साथी सहित) को निगम के नियम के अनुसार सुविधा का लाभ दिया जाता है।

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्त-पोषण की स्थिति निम्नानुसार है -

	उपदान	निपटान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
1. कर्मचारी व्यय के घटक			
वर्तमान सेवा लागत	112.34	0 .67	35.05
ब्याज लागत	104.19	1.17	108.02
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	(110.00)	0.00	0.00
बीमांकित (लाभ)/हानि	111.36	4.74	433.61
कुल व्यय/(लाभ)			
लाभ एवं हानि लेखे में पहचान किया गया	217.89	6.57	576.69
2. 31 मार्च, 2008 के अनुसार तुलन-पत्र में पहचान की गई निवल परिसंपत्ति/(देयता)			
31 मार्च, 2008 के अनुसार वचनबद्धता का वर्तमान मूल्य	1577.53	15.30	1835.43
31 मार्च, 2008 के अनुसार योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	1368.88	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में पहचान की गई परिसंपत्तियां/(देयता)	(208.65)	15.30	1835.43
3. 31 मार्च, 2008 के अनुसार वचनबद्धता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन			
31 मार्च, 2007 को वचनबद्धता का वर्तमान मूल्य	1302.43	14.58	1350.27
वर्तमान सेवा लागत	112.34	0 .67	35.05
ब्याज लागत	104.19	1.17	108.02
बीमांकित (लाभ)/हानि	111.36	4.74	433.61
अदा किए गए लाभ	(52.80)	(5.86)	(91.51)
31 मार्च, 2008 को वचनबद्धता का वर्तमान मूल्य	1577.53	15.29	1835.43
4. योजनागत परिसंपत्तियों के स्पष्ट मूल्य में परिवर्तन			
31.03.2007 के अनुसार योजनागत परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य	1302.43	शून्य	शून्य
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	110.00	शून्य	शून्य
वास्तविक कंपनी अंशदान	9.24	शून्य	शून्य
अदा किए गए लाभ	(52.80)	शून्य	शून्य
31.03.2008 को योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	1368.88	शून्य	शून्य
5. बीमांकित मान्यताएं			
छूट दर (प्रति वर्ष)	8.00	8.00	8.00
परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर (प्रति वर्ष)	8.45	0.00	0.00
भविष्य की लागत वृद्धि	5.50	5.50	5.50

बीमांकित मूल्यांकन में लिए गए भविष्य की वेतन वृद्धि, के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य संगत कारक जैसे कि रोजगार बाजार में आपूर्ति तथा मांग को ध्यान में रखा गया है।

6. 1.3.2008 को लागत पर योजनागत परिसंपत्तियों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

भारत सरकार प्रतिभूति	685.32
कारपोरेट बॉण्ड	567.20
अन्य	20.15
जोड़	**1272.67**

28. निगम के पास भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक-17 के अनुसार एक से अधिक सूचना योग्य खंड नहीं है।

29. निगम ने फरवरी, 2008 में 10/- रुपए प्रत्येक के 156,120,000 इक्विटी शेयरों वाला एक प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) निकाला था जिसमें प्रति इक्विटी शेयर का मूल्य 105 रुपए था। यह 7,80,60,000 इक्विटी शेयरों तक का एक नए शेयरों का इश्यू है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 7,80,60,000 इक्विटी शेयरों तक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। नए इक्विटी शेयर मार्च, 2008 में आवंटित किए गए थे। तदनुसार, जारी और प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि होकर यह 78060 लाख रुपए से बढ़कर 85866 लाख रुपए हो गई है 71981 लाख रुपए (2176.47 लाख रुपए के इश्यू व्यय का निवल) की एक राशि को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में डाला गया है। इक्विटी शेयरों के नए इश्यू से प्राप्तियों का उपयोग निगम के व्यापार के प्रयोजन हेतु किया गया है।

30. अनुषंगी कंपनियों की समान कर्मचारी/स्थापना लागत तथा प्रशासन व्यय को धारक कंपनी द्वारा प्रभाजित किया जाता है और अनुषंगियों द्वारा तदनुसार लेखांकित किया जाता है।

31. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड ने अभी तक अपने वाणिज्यिक प्रचालनों को प्रारंभ नहीं किया है।

32. 6,97,758/- रुपए के बैठक तथा सम्मेलन व्यय को पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के दिनांक 26 जून, 2007 के आरईसी लिमिटेड (धारक कंपनी) को संबोधित एक पत्र जिसके साथ व्ययों का सार था, के आधार पर किया गया है जिसमें व्ययों को बांट ने की परस्पर सहमत शर्तों के आधार पर 11 जनवरी, 2007 को निजी भागीदारी के माध्यम से स्वतंत्र ट्रांसमिशन परियोजनाओं हेतु बोलीकर्ताओं के सम्मेलन को आयोजित करने के प्रति 13,95,516/- रुपए की राशि के व्यय के 50% को देने के लिए कहा गया था।

33. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कम्पनी लिमिटेड के पहले लेखे उसकी अधिनिगमन की तिथि (8 जनवरी, 2007) से 31 मार्च, 2008 तक के लिए तैयार किए गए हैं।

34. आंकड़ों को निकटतम लाख तक पूर्णांकित (राउंड आफ) किया गया है।

35. अनुसूची 1 से 17 तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखें का एक अभिन्न भाग है और उसे विधिवत अभिप्रमाणित किया गया है।

बी.आर.रघुनन्दन
कंपनी सचिव

एच.डी.खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस.माथुर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस

(राजीव वधावन)
भागीदार
सदस्यता सं.91007

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 26 मई, 2008

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. समेकन के सिद्धान्त

ये समेकित वित्तीय विवरण रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड कम्पनी और उसकी अनुषंगी कंपनियो से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है -

कंपनी तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन-दर-लाइन आधार पर परिसंपत्ति, देयताएं, आय तथा व्यय की समान मदों के बही मूल्य को आपस में जोड़कर मिश्रित किया गया है जोकि लेखांकन मानक (एएस) 21-"समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार अंतर-समूह शेष तथा अंतरा-समूह लेन-देन को पूर्णतः समाप्त करके बनाए गए हैं।

जहाँ तक संभव है, समेकित वित्तीय विवरणों को समान लेन-देन और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं हेतु समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किया गया है और उन्हें निगम के पृथक वित्तीय विवरणों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

2. अन्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

ये रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों और साथी अनुषंगी कंपनियों के एकल वित्तीय विवरणों में दी गई "महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों" में निर्धारित किए अनुसार हैं।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगियों के समेकित वित्तीय विवरणों पर रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने मैसर्स रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के 31 मार्च, 2008 के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न समेकित लाभ एवं हानि लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन समेकित वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है और उन्हें कंपनी प्रबंधन द्वारा पृथक वित्तीय विवरणों एवं घट कों के संबंध में अन्य वित्तीय जानकारी द्वारा तैयार किया गया है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः अपनाए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम योजनानुसार लेखापरीक्षा में आश्वस्त करें कि हमारे वित्तीय विवरण अयथार्थता से मुक्त हों। लेखापरीक्षा मे परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य की जाँच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धान्तों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा यह मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है।

3. हम यह सूचित करते है कि इन वित्तीय विवरणों को कंपनी के प्रबंधन द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21 "समेकित वित्तीय विवरण " की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है।

4. हमने कंपनी की अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2008 कोजोड़ परिसंपत्तियां 2.93 करोड़ रूपए, उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष हेतुजोड़ राजस्व 2.69 करोड़ रूपए दर्शाते है। अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों एवं अन्य वित्तीय सूचना की लेखा-परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है और हमारे मतानुसार जहां तक इसका इन अनुषंगियों के संबंध में शामिल की गई राशियों से संबंध है, यह पूर्णतः अनुषंगी कंपनियों के लेखापरीक्षित लेखे पर आधारित है।

5. हमारी टिप्पणियों के अधीन और हमारी लेखा-परीक्षा तथा पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा घट कों की अन्य वित्तीय सूचना पर ध्यान दिए जाने के आधार पर और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अधीन हमारा यह मत है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार निम्नलिखित के संबध में एक सही और वास्तविक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं

   (i) समेकित तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यकलाप।

   (ii) लाभ एवं हानि खाते के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड का लाभ और,

   (iii) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त अवधि हेतु रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड का नकदी प्रवाह।

कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(राजीव वधावन)
भागीदार
सदस्यता सं.91007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.05.2008

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रतिनिधि पत्रक

डी पी पहचान संख्या | ग्राहक पहचान संख्या

*धारित शेयरों की संख्या | पंजीकृत फोलियो संख्या

मैं/हम ----------सुपुत्र श्री ----------जिला ---------- में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड का सदस्य/के सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा श्री ----------को बुधवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित की जाने वाली निगम की 39वीं वार्षिक महासभा में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और मेरे/हमारी ओर से वोट डालने के लिए नियुक्त करते हैं।

....., 2008 के .....वें दिन को हस्ताक्षरित।

_____

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

उपयुक्त मूल्य का रसीदी टिकट चिपकाएं

* भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले निवेशकों पर लागू

टिप्पणी : विधिवत रूप से भरा एवं हस्ताक्षरित प्रतिपत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक महासभा के आरंभ होने से 48 घंटे पहले के बाद नहीं, जमा कराया जाना चाहिए।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

उपस्थिति पत्रक

सदस्यों अथवा उनके प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे प्रवेश हेतु इस प्रपत्र को कंपनी में पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें।

भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : _____

* पंजीकृत फोलियो संख्या : _____

धारित शेयरों की संख्या : _____

डी पी पहचान संख्या _____ ग्राहक पहचान संख्या _____

मैं एतद्द्वारा एअरफोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रातो पार्क, नई दिल्ली-110010 में बुधवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 को 10.00 बजे (पूर्वाह्न) आयोजित निगम की 39वीं वार्षिक महासभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

बॉक्स में ✓ सही का निशान लगाएं

सदस्य ☐ प्रतिनिधि ☐

_____

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

* भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले निवेशकों पर लागू